छठम् माला, खंड 12, अंक 21
xth Series, Vol. XII, No. 21

मंगलवार, 21 मार्च, 1978/30 फाल्गुन, 1899 (शक)
Tuesday, March 21, 1978/Phalguna 30, 1899 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 12 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price: Four Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 21—मंगलवार, 21 मार्च, 1978/30 फाल्गुन, 1899 (शक)

No. 21, *Tuesday March* 21, 1978/*Phalguna* 30, 1899 (*Saka*)

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	Oral Answers to Questions:	1–13
तारांकित प्रश्न संख्या 386, 389 और 391 से 394	Starred Questions Nos. 386, 389 and 391 to 394	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	Written Answers to Questions :	14–45
तारांकित प्रश्नसंख्या 365 से 385, 387, 388, 390 और 395 से 405	Starred Questions Nos. 365 to 385, 387, 388, 390 and 395 to 405	
अतारांकित प्रश्न संख्या 3474 से 3512, 3514 से 3540, 3542 से 3588, 3590 से 3617, 3619 से 3659, 3661 से 3680, 3682 से 3686, 3688 से 3697, 3699 से 3795, 3797 से 3804 और 3806 से 3873	Unstarred Questions Nos. 3474 to 3512, 3514 to 3540, 3542 to 3588, 3590 to 3617, 3619 to 3659, 3661 to 3680, 3682 to 3686, 3688 to 3697, 3699 to 3795, 3797 to 3804 and 3806 to 3873	46–297
(एक) तारांकित प्रश्न संख्या 4620 दिनांक 25–7–77 और (दो) अतारांकित प्रश्न संख्या 1003 दिनांक 28–2–78 के शुद्धि करने वाले विवरण	Correcting Statements to (i) USQ No. 4620 dt. 25-7-77 and (ii) USQ No. 1003 dt. 28-2-78	297–298
स्थगन प्रस्ताव—	Motion for Adjournment—	
लखनऊ में 17–3–78 को हुई घटना जिसमें कि कुछ संसद सदस्य भी शामिल थे—	Incident in Lucknow on 17-3-78 involving some Members of Parliament—	299
श्री गौरी शंकर राय	Shri Gauri Shankar Rai	299
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	299
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh	299
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya	299
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe	299

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पुछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

II—105 LSS(ND)/78

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table	301–303
सभा के कार्य के बारे में	*Re.* Business of the House	303
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance—	303–305
दिल्ली में चक्रवात के कारण हुई भारी बरबादी—	Devastation caused by Tornado hitting Delhi —	303–305
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	303
श्री धनिक लाल मन्डल	Shri Dhanik Lal Mandal	305
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	Shri Rajendra Kumar Sharma	305
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder	305
श्री शिवाजी पटनायक	Shri Sivaji Patnaik	305
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
62 वां तथा 63वां प्रतिवेदन	Sixty-Second and Sixty-Third Reports	306
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
9वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	Ninth Report and Minutes	306
नियम 377 के अधीन मामले—	Matters under Rule 377—	306–308
(i) 10+2+3 शिक्षा प्रणाली—	(i) 10+2+3 Educational System —	307
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	
(ii) पश्चिमी बंगाल के बांकुरा तथा पुरुलिया जिलों में अकाल की स्थिति के समाचार—	(ii) Reported famine condition in the districts of Bankura and Purulia in West Bengal —	307
डा० विजय मंडल	Dr. Bijoy Mondal	
(iii) दिल्ली में बच्चों के गुम हो जाने के मामलों में चिन्ताजनक वृद्धि का समाचार—	(iii) Reported alarming rise in the cases of missing children in Delhi —	307
डा० वसंत कुमार पंडित	Dr. Vasant Kumar Pandit	
(iv) उत्तर प्रदेश तथा बिहार में चूहों द्वारा रबी की फसल को नुकसान पहुंचाने के समाचार—	(iv) Reported damage to Rabi Crop by rats in U.P. and Bihar —	308
श्री उग्रसेन	Shri Ugrasen	

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
(v) लार्ड विलिंगडन ड्रेजर के डूबनेके बाद कोचीन पत्तन को होने वाले खतरे का समाचार	(v) Reported threat to Cochin Port after sinking of Lord Willingdon Dredger —	308
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	
विनियोग विधेयक, 1978—	Appropriation Bill, 1978 —	308–311
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	308
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	309
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	309
श्री सतीश अग्रवाल	Shri Satish Agrawal	310
खण्ड 2, 3 और 1—	Clauses 2, 3 and 1 —	310
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass —	
श्री सतीश अग्रवाल	Shri Satish Agrawal	311
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1977–78—	Supplementary Demands for Grants (General) 1977-78—	311–319
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin	311
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	312
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar	313
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar	313
श्री ए० सुन्ना साहिब	Shri A. Sunna Sahib	315
श्रीमती रेणुका देवी बडकटकी	Shrimati Renuka Devi Barakataki	315
श्री सतीश अग्रवाल	Shri Satish Agrawal	315
विनियोग (संख्यांक 2) विधयक, 1978—	Appropriation (No. 2) Bill, 1978—	319–323
विचार करने का प्रस्ताव —	Motion to consider—	
श्री सतीश अग्रवाल	Shri Satish Agrawal	319
श्री धीरेन्द्रनाथ बसु	Shri Dhirendranath Basu	321
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	321
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	321
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	322
खण्ड 2, 3 तथा 1 —	Clauses 2, 3 and 1—	323
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री सतीश अग्रवाल	Shri Satish Agrawal	323

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
मिजोरम बजट, 1978–79— लेखानुदानों की मांगे (मिजोरम) 1978–79 तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगे (मिजोरम) 1977–78—	Mizoram Budget, 1978-79 — Demands for Grants on Account (Mizoram), 1978-79 and Supplementary Demands for Grants (Mizoram), 1977-78—	323–331
श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh	323–324
डा० आर० रोथुअम	Dr. R. Rothuama	324–326
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	326
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	326–327
श्री बृज भूषण तिवारी	Shri Brij Bhushan Tiwari	327
श्री एच० एल० पटवारी	Shri H. L. Patwary	327
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	327
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	327–328
मिजोरम विनियोग (लेखानुदान) यक, 1978—पुरःस्थापित—	Mizoram Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978—Introduced—	332–333
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider—	332
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	332
खण्ड 2, 3 तथा 1 — पारित करने का प्रस्ताव—	Clauses 2, 3 and 1 — Motion to pass —	332–333
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	333
मिजोरम विनियोग विधेयक, 1978	Mizoram Appropriation Bill, 1978—	333
पुरःस्थापित—	Introduced —	333
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	333
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	333
खण्ड 2, 3 तथा 1--	Clauses 2, 3 and 1 —	334
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass —	334
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	334
उच्च मूल्य बैंक (विमुद्रीकरण) विधेयक--	High Denomination Bank Notes (Demonetisation) Bill—	334–339
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	334
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	334–335
श्री हुकमदेव नारायण यादव	Shri Hukamdeo Narain Yadav	335

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
श्री राम किशन	Shri Ram Kishan	335–33(
श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य	Shri Shyamaprasanna Bhattacharyya	336
श्री सी० एन० विश्वनाथन	Shri C. N. Vishvanathan	336–337
श्री युवराज	Shri Yuvraj	337
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	337
श्री के० लक्कप्पा	Shri K. Lakkappa	337–338
खण्ड 2 से 15, अनुसूची तथा 1—	Clauses 2 to 15 the schedule and 1—	339
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	339
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	339
हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक—	Hindustan Tractors Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill—	340–341
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	340
श्री जार्ज फर्नांडिस	Shri George Fernandes	340
डा० वसंत कुमार पंडित	Dr. Vasant Kumar Pandit	341
श्री विनायक प्रसाद यादव	Shri Vinayak Prasad Yadav	341
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	341
सभा का कार्य	Business of the House	341–342

लोक सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 21 मार्च, 1978/30 फाल्गुन, 1899 (शक)

Tuesday, March 21, 1978/*Phalguna* 30, 1899 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Old Delhi Railway Station Cycle Stand

*386. **Shri Yagya Datt Sharma :**
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether contracts for cycle stand at Railway stations are given to private individuals;

(b) if so, whether instructions are also issued to the contractors to ensure that general public is not inconvenienced;

(c) whether there is any provision for on the spot inspection of these stands; and

(d) whether any surprise check was ever conducted at Old Delhi Railway station cycle stand; and if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (d) : A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) Yes Sir. Cycle stand contracts are awarded to private individuals also.

(b) There is adequate provision in the agreement executed with the contractors against harassment to the Cycle stand users by way of charging more than the prescribed rates or causing loss or damage to the vehicles etc. kept at the stand.

(c) While there is no specific provision for spot inspections by the Railway officials, there is provision in the agreement for imposing fines, etc., for breach of terms and conditions of the agreement or for other irregularities committed by the contractor noticed during inspections by the Railway officials.

(d) Seven inspections were conducted during the period from December, 1976 to January, 1978. A few cases of over-charging above the prescribed rates, and other minor irregularities were detected and a fine of Rs. 50/- was imposed.

Shri Bharat Singh Chauhan: Has the attention of the Hon. Railway Minister been drawn to this fact that the contracts given to private parties are not given to scheduled castes and scheduled Tribes ? If the contracts have been given to these categories then how many contracts have been given to scheduled castes and how many to scheduled tribes ?

Shri Sheo Narain: This question relates to old Delhi Junction. Tenders were invited in 1976. My friend has asked about scheduled castes and scheduled tribes. Under the new scheme young graduates, co-operative societies and widows have been appointed.

Shri Bharat Singh Chauhan: To what extent the Railway Ministry has executed the orders regarding reservation of contracts and if not, why?

Shri Sheo Narain: The matter is being attended to.

Shri Surender Vikram: Just now the Hon. Minister has stated as to whom contracts are given. Would he give priority to Railway employees, who have retired and whose children are minor or the widows of the deceased Railway employees.

Shri Sheo Narain: I have stated that these are the categories. I can tell the old ones. There are the four categories.

1. उन्हें सम्बन्धी राज्य के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होना चाहिए ।

2. उनकी आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।

3. उन्हें साइकल/स्कूटर के प्रबन्ध सम्बन्धी सभी कार्य स्वयं करना चाहिए ।

4. उन्हें इसे अकेले करना चाहिए ।

Shri Dwarika Nath Tewari: Mr. Speaker, the contract is not given at Railway station only for cycles and scooters but I know at Patna Station they charge one rupee per motor car per trip. Has the Railway Ministry decided that motor cars should be charged ?

Shri Sheo Narain: It requires notice. This question relates to Delhi Junction.

श्री द्वारकानाथ तिवारी: जी, नहीं, इसका सम्बन्ध सभी स्टेशनों से है केवल दिल्ली से ही नहीं... (व्यवधान)

Shri Iswar Chaudhry: I want to ask a question. Please give me an opportunity.

अध्यक्ष महोदय: शोर मचा कर आप अपनी बात कहना चाहते हैं और उनके उत्तर को भी सुनना नहीं चाहते ।

Shri Sheo Narain: 15 paise for a cycle, 25 paise for a scooter for first 4 hours. Nothing has been said about motor cars.

Shri D. N. Tewari: They don't charge at other stations but they do charge at Patna Station.

Shri Sheo Narain : You would have to give separate notice for Patna Station. I cannot reply offhand. This question relates to motor cycles and cycles.

रानीगंज बांकुरा लाइन का सर्वेक्षण

*389. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रानीगंज से बांकुरा तक नई रेलवे लाईन बिछाने के लिये सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो लाइन बिछाने का काम कब तक आरम्भ होने की आशा है ?

रेलवे मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल सरकार की लागत पर बांकुरा से रानीगंज के बीच लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है और सर्वेक्षण रिपोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार को प्रस्तुत की गयी है । राज्य सरकार की टिप्पणी की प्रतीक्षा है, जिसके प्राप्त होने के बाद लाइन के निर्माण कार्य पर आगे विचार किया जायेगा ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय ने अभी अभी बताया की रानीगंज से बांकुरा रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कार्यपश्चिम बंगाल सरकार के खर्चे पर हाथ में लिया गया था और पूरा किया गया है । क्या यह सर्वेक्षण कार्य रेल मंत्रालय द्वारा किया गया है । यदि हां, तो सर्वेक्षण कार्य पर कुल कितना व्यय हुआ और इस बारे में रेल मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रो० मधु दंडवते : यह सर्वेक्षण पहले ही पूरा कर लिया गया है । इस पर 8 करोड़ रुपए लगेंगे । मुझे सभा को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि कई कारणों से—जैसे, इस स्थल से कोयला अधिक प्रभावी ढंग से निकाला जा सकता है और यह आदिवासी क्षेत्र है, यदि जहां पर लाइन का निर्माण हो जाता है तो इससे पिछडे क्षेत्रों का विकास होगा । इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम इसके पक्ष में हैं । हमने पश्चिम बंगाल सरकार के पास रिपोर्ट भेज दी है उनका उत्तर प्राप्त होने पर निर्णय लेंगे ।

कृष्ण चन्द्र हाल्दर : रेलवे लाइन के निर्माण से पश्चिम बंगाल सरकार का क्या संबन्ध है । मंत्री महोदय ने बताया है कि यह पिछड़ा क्षेत्र है । हाल ही में पता चला है कि वहां पर 18 करोड़ टन कोयला भण्डार है ज्योंकि उद्योगिकीकरण के लिए आधार शिला प्रस्तुत करेगा । और थोड़े खर्चे पर धनबाद, रानीगंज मजोया और हल्दिया से भी कोयला लाया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह सब उन्होंने स्वीकार किया है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए रानीगंज से बांकुरा रेलवे लाइन के निर्माण के बारे में मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं ।

प्रो० मधु दंडवते : पहले भाग में उन्होंने प्रश्न को दोहराया है जिसका मैं उत्तर दे चुका हूं ।

जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है इसका मैंने स्पष्ट उत्तर दे दिया है कि हम पश्चिम बंगाल सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं । उनका उत्तर मिलने पर तुरन्त ही हम कार्यवाही करेंगे । हम इस लाइन के निर्माण के पक्ष में हैं ।

श्री मुकन्द मण्डल : मैंने यह प्रश्न लगभग 6-7 मास पहले दूसरे अधिवेशन में इसी लाइन के निर्माण के प्रश्न उठाया था क्योंकि यह क्षेत्र पिछड़ा है। मंत्री महोदय ने उस समय आश्वासन दिया था कि वह इसपर सहानुभूतिपूर्ण विचार करेंगे। परन्तु तब से अभी तक कार्य नहीं हुआ है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वह कब तक प्रक्रिया पूरी करके वास्तविक निर्माण कार्य प्रारम्भ करेंगे ?

प्रो० मधु दंडवते : पहला प्रश्न ही दोहराया गया है। इसलिए मेरा उत्तर वही है।

Shri Sharad Yadav: Mr. Speaker, in the programme for development of new railway lines would include Jabalpur-Gondia narrow gauge line.

अध्यक्ष महोदय : यह भिन्न प्रश्न है।

Shri Sharad Yadav: The Hon. Minister knows it. The construction of a new line is a matter of development. He should say something on it.

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार तो समूचे भारत को रेले इसमें आ जायेंगी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मेरा प्रश्न बहुत सरल है। जब सर्वेक्षण कार्य किया गया था तो स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल सरकार की स्वीकृति भी मंत्री महोदय के पास थी। सर्वेक्षण पर 8 करोड़ रुपए व्यय करने के पश्चात् यह कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार की स्वीकृति आनी है। इसलिए लाइन का निर्माण रुका पड़ा है। राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात् आप मामले में विलम्ब क्यों कर रहे हैं ? इस बारे में सरकार की नीति क्या है ?

प्रो० मधु दंडवते : सरल प्रश्न का मेरा उत्तर भी सरल है। वर्षों से यह सामान्य प्रक्रिया है कि राज्य सरकार के कहने पर जो सर्वेक्षण हम करते है उसे हम राज्य सरकार के पास ले जाते हैं। यह कार्य विलम्ब के लिए नहीं किया जाता। सर्वेक्षण पर हमने 8 करोड़ रुपए व्यय नहीं किये। 8 करोड़ रुपये इस परियोजना का व्यय होंगे। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार की राय मिलने पर हम मामले में निर्णय लेंगे।

जैसलमेर में ड्रिलिंग

*391. **श्री नाथू सिंह :**
श्री एस० एस० सेला नी :

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के जैसलमेर जिले में तेल के लिए ड्रिलिंग कब आरम्भ की गई थी ;

(ख) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा इस पर कितनी राशि खर्च हुई है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने तेल के लिए ड्रिलिंग बंद करने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगणा): (क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) : ओ एन जी सी द्वारा राजस्थान के जैसलमेर जिले में अन्वेषी व्यधन कार्य 7-12-1964 को आरम्भ किया गया था और अब तक इस जिले में 16 अन्वेषी कुएं खोदे जा चुके हैं । वहां पर व्यधन संबंधी कार्य संचालनों पर 10.52 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जा चुकी है । 5 कुओं (मनहरा, डिब्बा में 4 और भुवाना में एक कुआं) को छोड़ कर अन्य 11 कुएं सूखे पाये गये। मनहरा, डिब्बा में जो थोड़ी मात्रा में गैस मिली है, उनमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने के कारण उसका भी कोई वाणिज्यिक महत्व नहीं है । भुवाना में गैस के जो लक्षण पाये गये हैं वे मात्रा में अव्यवसायिक हैं और संरचना में भी अनुकूल नहीं है ।

अब तक प्राप्त परिणामों को ध्यान में रखते हुए, ओ एन जी सी ने और अधिक भूगर्भीय और भू-भौतिकीय सर्वेक्षणों के माध्यम से अतिरिक्त आंकड़े उपलब्ध करने की दृष्टि से व्यधन संबंधी कार्य संचालन स्थगित कर लिये हैं । व्यधन कार्य को पुनः आरम्भ करना इस प्रकार के अतिरिक्त भूगर्भीय और भू-भौतिकीय सर्वेक्षणों के परिणामों पर निर्भर करेगा ।

Shri Nathu Singh : As has been stated in the reply the work of drilling in Jaiselmer Districts of Rajasthan was commenced on 7-12-1964 and till then 1.6 explanatory wells have been drilled of them 11 wells proved dry. In five wells although oil and gas were found still the work was suddenly stopped. Then the Rajasthan Government wrote to the Central Government that the possibility of finding oil are bright so the exploration work be started again throughout the district.

May I know from the Hon. Minister that as per his statement a sum of Rs. 10.52 crores was spent and why suddenly it was stopped. Has he received a letter from Rajasthan Government ? Are you considering their letter and will the exploration work be resumed thoughout the district ?

Shri H. N. Bahuguna : Sir, the probability of striking oil in Jaiselmer District of Rajasthan was surveyed and our geological field workers started their work. The probability of gas being found there is such that if it is drilled like basin field of Bombay the gas will be finished in 4 days. We have not yet given up the work. But still we cannot undertake drilling as it requires a lot of money, i.e. about 10 lakh rupees. Instead we are asking our geological and geo-physical experts to step up their survey and find out the places where drillling can be undertaken. So 120 persons of the drilling team have been withdrawn and are engaged on drilling work elsewhere.

Shri Vasant Sathe : Drilling is difficult in Rajasthan and it is not easy to extract oil there.

Shri H. N. Bahuguna : Oil is found there where it is difficult to undertake drilling.

Shri Vasant Sathe : You may carry on drilling but oil will not be struck.

Shri H. N. Bahuguna : Drilling has been done, oil did not strike when Shri Sathe was on this side, but oil will be found there now.

Sir, I was saying that we have not given up the work. I want to tell the people of Rajasthan and Jaiselmer that the future of India is linked with the future of this area.

Shri Nathu Singh: I congratulate the Hon. Minister for the reply. Our Rajasthan is the most backward state and Jaisalmer is the most backward district of Rajasthan which is situated on the border and the density of population there is much less. It had been stated after the earlier survey that there is large potential of Oil and Gas in that area as is the case in Bikaner & Nagour. Some scientists had also reported similarly. May I know whether exploration work has been carried on in Jaisalmer area because it may prove to be oil bearing area. In that case Jaisalmer as well as the whole area of the state and the whole country will be benefited. May I know as to when you will send a special team to undertake survey work to see whether it is oil bearing area or not.

Shri H. N. Bahuguna: Our team is trying to identify areas where oil can be produced through drilling. On Pakistan side there is Mari desert and on our side is Jaiselmer and the geologists have named it as Deadly Jaiselmer Arch. We have to undertake survey of this arch area. A team is there and work is going on. Only the drilling work has been stopped and whenever it is found necessary the drilling work will be resumed.

Shri S. S. Somani: The Hon. Minister has stated that work was started in 1964 but in reply to unstarred question No. 2029 on 4-3-1975 it had been stated that the work had begun in 1956. May I know if you have got record of these eight years ?

Secondly I had asked about the oil position and you are telling about gas. May I know if oil has been found in the five wells and if so for what purpose it is to be utilised ?

Shri H. N. Bahuguna: I have no information regarding the reply given in 1975 at present. But I shall communicate to him if he so desires or the information will be laid on the Table of the House. I shall have to check up. The oil was found in so meagre a quantity that it can not be put to commercial use. So we are undertaking survey and scientists have been requested to find out the possibilities. But because Gas has been found in Mari desert of Pakistan so there are possibilities of Gas on this side also.

Shri Ram Murti: The Hon. Minister has stated that the gas, which has been found, will be sufficient only for 4 days. May I know whether work will go on or it will be stopped and whether the money spent so far will go waste ?

Shri H. N. Bahuguna: The money so far spent was meant for exploration and more than 10 crores of rupees will be required to drill oil and if small quantity of gas is found, it does not mean anything.

Shri Ishwar Chaudhury: May I know if survey teams are carrying on work in other states also. Whether any exploratory work is going on to find out oil and if so what are the names of those states ?

Shri H. N. Bahuguna: Yes Sir, Although this question has no relevance to the main question yet I may tell you that work is going on in Assam, Arunachal Pradesh, Border area of Nagaland, Tripura, West Bengal, Andaman-Nicobar, Mahanadi area in Orissa, Gujarat, U.P., Andhra Pradesh, on the banks of Cauveri in the South, Kerala, Punjab, J & K and Himachal Pradesh. Unfortunately no such work has been undertaken in Bihar.

अशोधित तेल का उत्पादन

*392. **श्री जगदीश प्रसाद माथूर :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976–77 में अशोधित तेल का प्रति माह कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) क्या तेल के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार का विचार समुद्र तट पर और तट दूर तेल की अधिक खोज करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) अपेक्षित सूचना का ब्यौरा सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) यद्यपि अभी तटीय और अपतटीय क्षेत्रों में अतिरिक्त तेल संसाधनों की खोज के प्रयास किये जा रहे हैं तथापि यह बताना असंभव है कि भारत पेट्रोलियम के संबंध में आत्मनिर्भर कब होगा ।

विवरण

1976-77 के दौरान कच्चे तेल का मासिक उत्पादन

1976–77	000 मी० टन
अप्रैल, 1976	708
मई, 1976	731
जून, 1976	702
जुलाई, 1976	695
अगस्त, 1976	705
सितम्बर, 1976	634
अक्तूबर, 1976	728
नवम्बर, 1976	788
दिसम्बर, 1976	816
जनवरी, 1977	806
फरवरी, 1977	788
मार्च, 1977	797
कुल 1976–77	8,898

Shri Jagdish Prasad Mathur : How do you calculate the cost of indigenous oil and the imported oil ? Do you calculate the cost after mixing both or otherwise ? The previous Government increased the price by one rupee all of a sudden as a result of which oil became costlier ?

Shri H. N. Bahuguna : The price of indigenous oil is kept less as compared with the price of imported oil. Then average is taken after mixing the both. The indigenous oil costs about Rs. 45 per barrel and the price of imported oil comes to about Rs. 110 per barrel. The indigenous production is 10 million tons and 4 million tons oil is imported then we take the average and then it is distributed in the whole country at the same rate.

Shri Jagdish Prasad Mathur : You have the target to make the country self sufficient in the matter of oil. But have you taken steps to create capacity in accordance with the oil production during the 6th Plan ?

Whether it is a fact that a foreign company is conducting exploration work in Rajasthan and the same company is doing this work in Pakistan also and whether it is also a fact that this foreign company has utilised our resources for finding oil in Pakistan ? Will you take steps to check this type of misuse of resources in future ?

Shri H. N. Bahuguna : Our refining capacity today is 27 million tons and our throughput is about 24 million tons. So our capacity in the next few years will not be insufficient. We shall take decision immediately after receipt of the report of the Committee.

So far as the other question is concerned we have no information as to whether work was entrusted to any foreign company in Rajasthan. But this I can say that we cannot ask the foreign company we are receiving help from not to undertake work from other sources too. But we take full precaution to protect our interests so that others may not take advantage of our know-how.

Shri Jagdish Prasad Mathur : Others may not take advantage of our resources...

Shri H. N. Bahuguna : Nobody will not take advantage of our resources. Our Machines have not been taken to Pakistan.

श्री के० लक्प्पा : तट पर और तट दूर तेल की खोज के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने बताया है कि उन्होंने तेल के भावी उत्पादन का अनुमान नहीं लगाया है जिससे कि हम पेट्रोलियम उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बन सकें। भण्डारी समिति ने इस मामले की जांच की है और मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जायेगी? क्या दश में पेट्रोलियम उत्पादनों की वृध्दि की सम्भावनाओं का पता लगाने हेतु भडांरी समिति द्वारा कोई विशेष विचार किया गया है ताकि हम तेल के मामले में आत्मनिर्भर बन जायें ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : चूंकि मैंने प्रश्नों का हिन्दी में उत्तर दिया था इसलिए मेरी बात को पूरी तरह समझा नहीं गया है । और भाषा सम्बन्धी कठिनाई के कारण इसमें श्री लक्प्पा का कोई दोष नहीं है। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि मैंने यह कभी नहीं कहा है कि हम यह सम्भावना नही करते... लेकिन किसी दिन हम आत्मनिर्भर बन जायेंगे ।

श्री के० लक्प्पा : 'किसी दिन' अत्यधिक काल्पानिक है । हमें यह बताये कि वह दिन कौन सा होगा ?

श्री हेमावती नन्दन बहुगुणा : मैंने यही कहा है कि वर्तमान परिस्थिति ऐसा कोई दिन निश्चीत करना सम्भव नहीं है जबकि आत्मनिर्भर बन जायेंगे । यह बात नहीं है कि हम आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास नहीं करेंगें हम ईन्धन और उर्जा के मामलें में शीघ्र ही आत्मनिर्भर बनने के लिए हर

सम्भव प्रयास करेंगे । भण्डारी समिति वर्तमान तेल शोधन क्षमता का निर्धारण करने और हमारी भावी आवश्यकताओं और सम्भावनाओं का विस्तार करने के मामले में विचार कर रही है । तेल की खोज के बारे में इसका कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तट पर और तट दूर तेल की खोज बहुत तीव्रता से कर रहा है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी इस महीने हमारे पास 'जैक-अप रिग' आ गया है जो केरल के पश्चिमी समुद्र तट पर 'हाइड्रो कार्बन' की सम्भावनी ओं का पता लगाने के लिए वहां छिद्रण कार्य करेगा और फिर अन्दमान तथा निकोबार में हाइड्रो कार्बन के क्षेत्रों का पता लगाने के लीए वहां ले जायेगा। समुद्र के टत पर तो हमने 24 स्थानों का पता लगा लिया है जहां हमारे 'रिग' कार्य कर रहे हैं। हम तेल का पता लगाने के लीए तट पर और तट दूर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं जिससे कि हम शीघ्रातिशीघ्र आत्मनिर्भर बन जायें ।

श्री राज कृष्ण डॉन : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या तेल छिद्रण परियोजनाओं में ठीक कार्य नहीं चल रहा है ? पश्चिम बंगाल में गोलशी और बोकुलताला और डायमण्ड हार्बर क्षेत्रों में निर्धारित गहराई तक कार्य नहीं हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यह सही है कि पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर क्षेत्र में हमारे सामने उस समय कठिनाई आई थी जब कि हम 644 मीटर की गहराई तक पहुंच चुके थे । हमने उन पर काबू पा लिया है और डायमंड हार्बर क्षेत्र में 6000 मीटर गहराई तक जाने के लिए फिरसे कार्य आरम्भ कर दिया है । मैं माननीय सदस्य और सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इस कठिनाई पर काबू पाने के लिए हर भरसक प्रयास कर रहे है । भूगर्भशास्त्रीय दृष्टि से पश्चिम बंगाल बहुत अच्छा क्षेत्र है ।

श्री विनोदभाई बी० सेठ : अशोधित तेल का मूल्य फार्मुला दोषपूर्ण हैं, यह टन की आधार पर है जब अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ रहे है तो क्या आप यह नहीं समझते की आप टन के आधार पर मूल्य का भुगतान कर अन्याय कर रहे है ?

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से कैसे उत्पन्न हुआ ? मूल्य फार्मूला का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

इस्पात और कोयल के लिए रेल भाड़ा समानीकरण नीति

***393. श्री सुशील कुमार धारा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में केवल इस्पात और कोयले का भाड़ा समान है परन्तु कपास, तिलहन आदि जैसी अन्य वस्तुओं का भाड़ा समान नहीं है ;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल और बिहार में कोयले और लौह-अयस्क के प्राकृतिक संसाधन होने के कारण केन्द्र की इस रेल-भाड़ा नीति से इन दो राज्यों को बहुत वित्तीय हानि होती है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार समूचे देश में अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में भी समान भाड़ा प्रणाली लागू करने का है जैसा कि इस्पात और कोयले के सम्बन्ध में प्रचलित है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) रेलों पर भाड़ा समानी करण की कोई प्रणाली नहीं है । सभी वस्तुओं पर रेल भाड़ा ढोयी जाने वाली दूरी के अनुसार प्रभारित किया जाता है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुशील कुमार धारा : क्या मंत्री महोदय सदन को यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में इस प्रणाली को लागू करने वाला कौन व्यक्ति था? झारिया से कलकत्ता केवल 200 किलोमीटर दूर है और पश्चिम में झारिया से अधीकतम दूरस्थ स्थल लग भग 1200 किलोमीटर दूर है। लेकिन झारिया से कलकत्ता तक एक मीटरी टन लोहा और इस्पात ले जाने के लिए 350 रुपये का भाड़ा देना पड़ता है। झारिया से देश के पश्चिमी किनारे तक का भाड़ा 350 रुपये है । 200 किलोमीटर के लिए 100 रुपये की दर से 1200 किलोमीटर के लिए 600 रुपये का भाड़ा देना पड़ेगा और यदि 600 रुपये और 100 रुपये मिला दिए जायें और फिर समान रुप से विभाजित किए जाये तो 350 रुपये बैठते हैं । क्या मंत्री महोदय सदन को बतायेंगे कि यह जोड़ कैसे किया गया और यह प्रणाली किस ने तैयार की है?

प्रो० मधु दंडवते : माननीय सदस्य को कुछ गलत फहमी हुई है या मेरी यह धारणा बनी है । मैंने अपने उत्तर में बताया है कि रेलवे ने भाड़ा समानी करण की कोई प्रणाली लागू नहीं की है । लेकिन भाड़ा समानीकरण की योजना है जिसे इस समय कच्चे लोहे, इस्पात, सीमेंट, पेट्रोलियम उत्पादन और नाइट्रोजन से बने उर्वरकों के मामलों में लागू की जा रही है । लेकिन इस योजना को कार्यान्वीत करने की कार्यप्रणाली है । सम्बन्धीत मंत्रालयों ने भाड़ा समानीकरण निधि बनाई है । जहां तक उद्योग का सम्बन्ध है, ये नियमित रुप से टैरिफ का भूगतान करते हैं और जब कभी कोई अन्तर आता है, जो औसत लीड के आधार पर निकाला जाता है, उसे इस निधि में से दिया जाता है और भाड़ा समानीकरण निकाला जाता है । अतः मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाड़ा समानीकरण की योजना है लेकिन यह सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा ही लागू की जाती है ।

श्री सुशील कुमार धारा : लेकिन कपास और तिलहनों, जिन्हे पश्चिम से देश के पूर्वी भागों में ल जाया जाता है, के मामले में समान भाड़ा नहीं है । कपास, तिलहन, सिन्थेटिक सामान, रबड़, और कच्चे माल पर 90 रुपये प्रति मीटरीटन के हिसाब से भुगतान करना पड़ता है जबकि कोयले और इस्पात के लिए केवल 50 रुपये ही है । यह असमानता क्यों है ? मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की इच्छा इस प्रणाली की समाप्त करने की है ।

प्रो० मधु दंडवत : पश्चिम बंगाल सरकार और तमिलनाडु सरकार ने रेलवे व्यवस्था से इस मामले पर गम्भीरता से विचार करने और कपड़ा मिलों की कठिनाइयों को देखते हुए कि क्या भाड़ा समानीकरण योजना कच्ची कपास के मामले में भी लागू की जा सकती है । उनके इस प्रस्ताव पर ही वाणिज्य मंत्रालय ने 1973 में एक समिति गठित की थी। इस समिति ने समस्या की गहराई से जांच की और अन्तिम रूप से यह सिफारिश की है कि भाड़ा समानीकरण योजना का कच्ची कपास के मामले में और आगे विस्तार नहीं किया जाना चाहिए जिनके फलस्वरुप यह विशेष प्रस्ताव कार्यान्वीत नहीं किया गया है ।

Dr. Ramji Singh: First of all the hon'ble Minister has said that freight equilization scheme is not acceptable. Then he has said another thing that various ministries compensate this loss. I want to know from the hon'ble Minister whether the loss suffered to the people of West Bengal and Bihar

will be compensated by appointing the coordination committees of the various Ministries so that these States may not suffer any loss because the rate of freight on the transport of Coal produced there is less at other places where the freight on other items is comparatively higher. Will the hon'ble Minister direct the various coordination committees so that these States are not put to loss ?

Prof. Madhu Dandavate : The Committee, which was appointed in 1973 related to the Ministry of Commerce whicli exclusively was to go into the question of raw cotten only. In 1975 a committee of Inter-Ministerial group was formed and Shri S. Marathe is its chairman. The Committee has gone into the whole question and has recommended that there was no question of extending this scheme but the scheme applicable for pig iron, steel, petroleum products and nitrogenous fertilizers should also be faced out and abolished and efforts should be made to solve this problem through some other means.

Sakari-Hasanpur Line

*394. **Shri Ram Sewak Hazari:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the scheme regarding construction of a new railway line from Sakari to Hasanpur to North Eastern Railway has been pending for many years;

(b) whether according to last year's Budget, this line was proposed to be completed by 1980; and

(c) if so, the reasons why the said scheme is being neglected by Government ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) हसनपुर-सकरी लाइन के निर्माण का काम एक अनुमोदित निर्माण-कार्य है, जिसे 1974-75 के बजट में शामिल किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) नयी रेल लाइनों के निर्माण के लिए पहले ही अनेक वचन द रखे है और यह विनिश्चय किया गया है कि सभी लाइनों का निर्माण एक साथ शुरु कर देने के बजाय उनमें से कुछ लाइनों को पहलें बनाया जाये। चूंकि हसनपुर-सकरी लाइन के निर्माण का काम अभी शुरु होना है, इसलिए इसे उस समय शुरु करने का प्रस्ताव है, जबकि उन लाइनों के निर्माण का काम काफी आगे बढ़ जायेगा, जो बनानी शुरु की हुई है।

Shri Ram Sewak Hazari: It has been said in the House again and again that Government will give preference to backward areas. It has been said just now that we are going to start work this year. I want to know when work on this line will start and whether it be done on priority basis ?

Prof. Madhu Dandavate: The length of the project referred to by the hon. member is 74.9 km. and its cost is Rs. 6.19 crores. The survey has shown that its return will be only 2.9 percent and at such rate it is not likely to be an economically viable line. Work on 7 out of 28 lines started last year has been completed. One line was dropped and three additional lines were taken up. Our strategy and policy has been to complete the work in hand or at least to make sufficient progress. We will surely take up the work in backward areas after that.

श्री पी० वेंकट सुब्बैया : मंत्री महोदय के उत्तर से दो बातें सामने आती है । एक तो यह कि यद्यपि यह लाइन 1974 में शामिल की गई थी परन्तु इसे छोड़ दिया गया और दूसरा काम शुरू कर दिया गया तथा दूसरे आर्थिक दृष्टि के कम लाभप्रद होने के कारण इसे निचली वरीयता दी गई ।

यदि इस प्रकार नई लाइनें बिछाने में आर्थिक लाभ देखा जाएगा तो इस प्रकार के पिछड़े क्षेत्रों को कभी भी नई दुनिया के दर्शन नहीं होंगे । अत: पिछड़े क्षेत्रों के लिए आर्थिक लाभ को ध्यान में न रखा जाए । इस बात को ध्यान में रख कर क्या मंत्री महोदय अपने निर्णय पर फिर से विचार करेंगे और काम यथाशीघ्र शुरू करेंगे ?

प्रो० मधु दंडवते : उनके द्वारा प्रश्न का क्षेत्र बढ़ा देने पर भी मैं उसका उत्तर दूंगा ।

कल रेल-चर्चा का उत्तर देते हुए मैंने बताया था कि जब तक वित्तीय स्थिति खराब है पिछड़े क्षेत्रों में बड़ी संख्या में योजनाएं और परियोजनाएं शुरु करना सम्भव नहीं होगा । अपने संसाधन बढ़ाने के लिए हम वित्त मंत्रालय और योजना आयोग से बात कर रहे हैं यदि योजना आयोग और वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष के दौरान फालतू पैसे का उपयोग पिछड़े क्षेत्रों में नई लाइनें बनाने के लिए दे दी तो समस्या बड़ी सीमा तक हल हो जाएगी । बात-चीत चल रही है और आशा है आपके समर्थन से हमें सफलता मिलेगी ।

अब हम पिछड़े क्षेत्रों में योजना आयोग की सम्भावना सम्बन्धी अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना, पिछड़ेपन के आधार पर अपनी परियोजना को चालू कर सकते हैं ।

श्री बी० पी० मण्डल : क्या यह सच है कि सकरी-हसनपूर लाइन ही नहीं वरन् कोसी क्षेत्र की निर्मली-अप्तियाकी, प्रताप गंज-भीमनगर और बीहारगंज-बख्तियारपुर लाइनों को भी शुरू नहीं किया गया है जबकि महाराष्ट्र में मंत्री महोदय के अपने निर्वाचन क्षेत्र में अन्य लाइनों पर काम शुरू हो गया है ?

प्रो० मधु दंडवते : दुर्भाग्यवश माननीय सदस्य मुझ पर क्षेत्रीयता का आरोप लगा रहे हैं । इसके उत्तर में मेरा कहना है, कि पहले तो यह परियोजना दक्षिण में है, महाराष्ट्र में नहीं । यह परियोजना महाराष्ट्र से शुरू हो कर गोवा से हो कर कर्नाटक जाती है और तमिलनाडु और केरल को सीधे जोड़ती है । यह एक मात्र लाइन सही अर्थों में राष्ट्रीय एकता की प्रतीक है इससे कृपा कर किसी प्रकार की क्षेत्रीयता की भावना न जोड़िए ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री द्वारा की गई अपील की दृष्टि से योजना आयोग ने पश्चिमी तट की एक रेल लाइन की स्वीकृति दे दी है । वे वहां एक उर्वरक संयंत्र लगा रहे है । इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि अपटा-रेवाज भाग की पहले स्वीकृति दे दी जाए । यद्यपि पूरी परियोजना विचाराधीन है परन्तु इस भाग की स्वीकृति दी जा चुकी है । तो इस भाग को स्वीकृति की पृष्ठभूमि यह है । इसे परियोजना-प्रधान लाइन के रूप में स्वीकृति दी गई है ।

Shri Yuvraj: At the time of the survey of Sakri-Hasanpur line whether the concept of backwardness and non-availability of any mode of communications were taken into consideration and after the priority was fixed ? If so, whether it is fair not to give priority to this line ?

Prof. Madhu Dandavate: For this I have already replied in English.

Shri Om Prakash Tyagi: When lines are not economical why survey is done at all?

Prof. Madhu Dandavate: There had been certain projects which were given up after knowing that they are not economical. I have already submitted a scheme for backward areas and if it is cleared it will be possible to start new lines in those areas.

श्री जनार्दन पुजारी : कोंकण पश्चिमी तट की लाइन के आपटा से रोहा के भाग का निर्माण शुरू किया जाएगा, परन्तु कर्नाटक के लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि काम मंगलौर से रोहा के बीच शुरू किया जाए क्योंकि हमें 'हसन-मंगलौर' लाइन का कटु अनुभव है। समय के साथ साथ लागत बढ़ती जाएगी तो क्या रेल मंत्री मंगलौर-रोहा सेक्शन पर तब काम शुरू करेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : इसका मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है तथापि मैं स्थिति स्पष्ट करुंगा ।

किसी भी नई लाइन का निर्माण पहले से बिछि लाइन के घाटे से किया जाता है और क्योंकि वहां एक उर्वरक कारखाने का निर्माण होना है इसलीये इस लाइन का निर्माण अति आवश्यक है । पूरी लाइन की निर्माण कार्य एक साथ नहीं लिया जा सकता । यह टुकड़ा 62 किलो मीटर का है और एक बार में आम तौर से 50 से 60 किलो मीटर लाइन को लिया जाता है । इसलिए पहले आपटा-रोहा टुकड़े को लिया गया है । हमारा अनुभव है कि कुछ देरी होने के बावजुद एक लाइन का निर्माण कार्य शुरू होने पर वह पूरी अवश्य हो जाती है। माननीय इस पर विश्वास करें कि रेल प्रशासन के लिए महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु सब बराबर है। वह इस परियोजना को पूरा करने के लिए संयुक्त प्रयत्न करेगा ।

Shri Lalji Bhai: The Hon. Minister has given several excuses for postponing the Hasanpur-Sakri line, though its survey has been completed. I want to know upto what time this line will be completed ?

Prof. Madhu Dandavate: I have already answered the original question and I cannot tell anything more.

Shri Ram Vilas Paswan: This line falls in my Constituency and this area is so backward that no means of communication like railway, roads etc. are available within a radius of 25 miles. If in such an area even a single railway line is not constructed, it will be doing injustice towards that area. So, I want to know whether the hon. Minister will give priority to Hasanpur-Sakri line ?

Prof. Madhu Dandavate: The same question is being asked repeatedly and as such my answer is the same.

Shri Ugrasen : The previous Government got surveyed a number of lines in backward areas, which are lying in their files. I want to know from the hon. Minister whether he will try to start two or four lines out of them ?

Prof. Madhu Dandavate: I have also answered this question and here also my answer is the same.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय हाकी टीम की पराजय के बारे में जांच

*365. **श्री एम० राम गोपाल रड्डी :**

श्री रशीद मसूद :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में भारत और पाकिस्तान के बीच खेली गई टेस्ट श्रृंखला में भारतीय हाकी टीम पराजित हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का हार के कारणों की जांच कराने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में खेली गई हाकी टेस्ट श्रृंखलाओं का परिणाम 1 से 3 रहा था और इसलिए यह कहना सही नहीं है कि भारतीय हाकी टीम की भारी पराजय हुई थी ।

(ख) जी, नही । टीम के चयन और तैयारी का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से भारतीय हाकी संघ का है जो एक स्वशासी एवं स्वतंत्र निकाय है ।

धान की खेती के लिए छोटे शक्ति-चालित हलों का उपयोग

366. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार धान की खेती के लिए छोटे शक्ति-चालित हलों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) यदि हां, तो उनका प्रयोग लोकप्रिय बनाने हेतू क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने पहले से ही निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

1. उनकी लागत कम करने के लिए,

(1) पूर्णरूप से तैयार किए हुए पावर टिलरों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को समाप्त कर दिया गया है तथा राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि उनके विषय में राज्य बिक्री कर से छूट दे दी जाए ।

(2) उनके उत्पादन में काम आने वाले अनेक कल पुर्जों का मानकीकरण किया गया है तथा अतिरिक्त कल पुर्जों का मानकीकरण करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

(3) कम लागत वाले पावर टिलरों का विकास करने के लिए अनुसंधान प्रयास किए गए हैं ।

2. प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सदस्यों को पावर टिलरों की खरीद हेतु अपनी भूमि गिरवी रखे बिना मध्यावधि ऋण की सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

3. विभिन्न सरकारी तथा अन्य एजेंसियां प्रदर्शन/कस्टम डायरिंग के जरिए उनके उपयोग को प्रोत्साहन दे रही हैं ।

पाठ्य पुस्तकें

*367. **श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे विभिन्न प्रदेशों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित करें;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस बारे में इस बीच कोई कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा 21-23 फरवरी, 1978 को नई दिल्ली में स्कूल पाठ्य पुस्तकों पर आयोजित पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों को अपने उद्घाटन भाषण में मैंने, राज्य स्तर पर राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों का विकास करते समय विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों को विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर बल दिया था ।

(ख) और (ग) : सरकार को अभी तक सम्मेलन की सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

"मिसयूज आफ रशियन एसिस्टेंस एट आई०आई०टी० खड़गपुर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

*368. **श्री ज्योतिर्मय बसू** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान खड़गपुर, पश्चिम बंगाल से प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी साप्ताहिक, दि स्वाधीन पत्रिका के दिनांक 2 अक्तूबर, 1977 के अंक में 'मिसयूज आफ रशियन एसिस्टेंस एट आई० आई० टी० खड़गपुर' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर ने पहले पदार्थ विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सोवियत सहायता के अंतर्गत एक उच्च अध्ययन केन्द्र की स्थापना का एक प्रस्ताव भेजा था। इस केन्द्र को तीन विभिन्न प्रभागों में विकसित किया जाना था। (क) धातु एवं मिश्रधातु प्रभाग; (ख) प्लास्टिक एवं पालिमर्स प्रभाग; (ग) मृत्तिका (सेरामिक्स) एवं साइरामेट्स प्रभाग। बाद में प्रस्ताव में संशोधन कर दिया गया और यह स्वीकार किया गया कि पदार्थ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एक उच्च केन्द्र की स्थापना चरणों में की जा सकती है, पहला चरण धातु कर्म विज्ञान (धातुएं एवं मिश्र धातुएं) विभाग के सुधार का है।

अनुसंधान कार्यक्रमों के प्रति एक अन्तर्विषयक दृष्टिकोण बनाने हेतु शासी मण्डल ने जो कि संस्थान के प्रबन्ध के लिए जिम्मेदार है, सितम्बर, 1970 में एक अलग पदार्थ विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया और सीनेट इस स्थिति से अवगत थी। यद्यपि 1966 के भारत-सोवियत करार में धातु कर्म विज्ञान विभाग के सुधार की परिकल्पना की गई थी, करार के अन्तर्गत प्राप्त उपकरण पदार्थ विज्ञान केन्द्र में रखे हुए हैं। धातुविज्ञान विभाग सहित संस्थान के सभी विभागों के उपयोग के लिए यह उपकरण उपलब्ध हैं। इस समय पदार्थ विज्ञान केन्द्र में पर्याप्त स्टाफ है और यह संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है। धातु और मिश्रधातु की लगभग बीस अनुसंधान परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और अन्य ग्यारह पर काम चल रहा है। संस्थान का यह विचार है कि अंतर्विषयक अनुसंधान कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र को अपना अलग अस्तित्व बनाए रखना चाहिए। संस्थान से यह पता चला है कि किसी समय भी रूसी विशेषज्ञों ने क्रोध में आकर संस्थान नहीं छोड़ा और न कभी करार रद्द ही किया गया।

संस्थान के सभी विभागों की पदार्थ विज्ञान केन्द्र से समुचित सहलग्नता सुनिश्चित करने और अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए संस्थान को यह सलाह दी जा रही है कि वह इस मामले की जांच के लिए एक समिति नियुक्त करे।

मध्य प्रदेश में कृषि विस्तार कार्यक्रम

369. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या कृषी और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य के लिये सरकार ने कितने कृषि विस्तार कार्यक्रम अनुमोदित किये हैं;

(ख) क्या इन कार्यक्रमों में मत्स्य पालन, बागबानी और पशुपालन भी सम्मिलित हैं;

(ग) राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त योजनाओं में से प्रत्येक के लिये विश्व बैंक के ऋण में से कितनी राशि खर्च की जायेगी और केन्द्रीय सरकार से कितनी सहायता मिलेगी; और

(घ) देश में पिछड़े और अविकसित क्षेत्रों के लिये ऐसी कृषि विस्तार योजनाओं का आयोजन करने के लिये सरकार की क्या सामान्य नीति है ?

कृषी और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) मध्य प्रदेश के पंद्रह जिलों के लिये केवल एक कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना को स्वीकृत किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना पर पांच वर्ष में होने वाला कुल व्यय अनुमानतः 208.6 लाख डालर है। विश्व बैंक से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन इस में से भारत सरकार को 100 लाख डालर के ऋण की स्वीकृति देने को राजी हो गया है। भारत सरकार केन्द्रीय सहायता को "राज्यों में कृषि विस्तार प्रशासन का पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत निर्धारित पद्धति के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा वर्षानुवर्ष प्रस्तुत होने वाले विशेष प्रस्तावों पर विचार करने के बाद निर्मुक्त करेगी। राज्य सरकारों को लागत को शेष राशि स्वयं अपने साधनों से प्राप्त करनी होगी।

(घ) सरकार की सामान्य नीति यह है कि कृषि विस्तार की नई पद्धति को देश के सभी राज्यों व पिछड़े व अविकसित क्षेत्रों में अपनाया जाए।

जनकपुरी, नई दिल्ली में मकानों का गिराया जाना

*370. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मकान आदि गिराने वाला एक दस्ता नई दिल्ली में जनकपुरी के निकट वीरेंद्र नगर में कुछ मकानों को गिराने गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वहां के निवासियों और उक्त दस्ते के बीच मुठभेड़ हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो उस में कितने व्यक्ति घायल हुए तथा कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) ये संरचनाएं अनधिकृत थी।

(ग) जी, हां।

(घ) चार व्यक्ति घायल हुए थे और तीन व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे।

उत्तर प्रदेश में निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर गन्ने की बिक्री

371. **श्री सत्यदेव सिंह :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में चीनी और खांडसारी मिल किसानों को अपना गन्ना निर्धारित मूल्य से भी कम मूल्य पर बेचने पर विवश कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानुप्रताप सिंह) : (क) और (ख) : बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में सारी वैक्यूम पेन चीनी फैक्ट्रियां राज्य द्वारा [illegible] मूल्यों जो कि मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए 13.50 रुपए प्रति क्विंटल और पूर्वी क्षेत्र में 12.50 रुपए प्रति क्विंटल है, का भुगतान कर रही है। तथापि, कुछेक खंडसारी यूनिटों के विरुद्ध कुछ शिकायतें मिली है जोकि कानून के अधीन अधिसूचित न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य का भुगतान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन यूनिटों के विरुद्ध कार्रवाई की है।

उड़ीसा के गांव के लिए पेय जल

*372. **श्री शिवाजी पटनायक :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखेंगे :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने केन्द्र के निर्देशानुसार राज्य के उन सभी गांवों में पेय-जल की सप्लाई करने के लिये जहां पेयजल की कमी है, एक विस्तृत योजना भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बात क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने पांच वर्षों की अवधि के भीतर उड़ीसा के 19,277 समस्याग्रस्त ग्रामों को ट्यूब वैलों और सिस्टर्न यूनिटों द्वारा पीने का पानी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । योजना का लक्ष्य 51 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत पर 1011 ग्रामों में 1813 सिस्टर्न यूनिट (प्रति 1000 जनसंख्या और उसके भाग के लिए एक सिस्टर्न यूनिट के आधार पर) और 18,266 जाने गए समस्याग्रस्त ग्रामों में 42,400 ट्यूब वैल (200 की आबादी या उसके हिस्से के लिये एक ट्यूब वेल की दर से) लगाने का था ।

केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम 1977-78 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम में 151.47 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 1560 ग्रामों के लिए ट्यूब वेल और 100.30 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 183 ग्रामों के लिए सिस्टर्न योजनाएं शामिल हैं । केन्द्रीय सहायता के लिए और अधिक योजनाओं का अनुमोदन पूर्वानुमोदित योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन और अगले वर्षों में निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

Central Universities in various States

†*373. **Shri Nathu Singh :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to open Central Universities in various States;

(b) whether recommendations to this effect had ever been made by the UGC or any other agency;

(c) whether Rajasthan University is proposed to be converted into a Central University; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) No, Sir.

(b) The UGC Committee on new Universities recommended in March, 1965, the setting of a Central University in each State.

(c) & (d) : No such proposal is under consideration of the Central Government.

कृषि संसाधनों का ठीक से पता लगाना और कृषि का विकास

374. **श्री डी०बी० चन्द्र गौडा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि के भावी विकास के लिए कृषि संसाधनों और संभाव्यता का ठीक से पता लगाने के लिए विश्व बैंक के साथ कोई संयुक्त मिशन बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं। कृषि क्षेत्र की केवल विशिष्ट परियोजनाओं के लिए ही विश्व बैंक से उनकी सहायता मांगी जाती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

लद्दाख में बागबानी और फलों का विकास

375. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लद्दाख में बागबानी और सेब, खूबानी, अंगूर और नाशपाती जैसे विदेशी प्रकार के विभिन्न फलदार पौधों के विकास के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : सम्बन्धित जानकारी जम्मू और कश्मीर सरकार से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

शारीरिक रुप से अपंग व्यक्तियों का स्वास्थ लाभ

*376. **डा० सुशीला नायर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संकृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारीरिक रूप से अपंग तथा विशेषकर कोढ़ के रोग से पीड़ित व्यक्तियों को स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) इस कमी को पूरा करने के लिए क्या प्रस्ताव है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) शारीरिक रूप से अपंगों, जिनमें कोढ़ के रोग से पीडित व्यक्ति शामिल है, के लिए अब तक सुविधाओं की व्यवस्था उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।

(ख) सरकार की क्षमता के भीतर, विशेष रूप से इस क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता देकर, इन सुविधाओं के विकास और विस्तार के लिए पूरे प्रयत्न किए जा रहे हैं।

भारतीय खाद्य-निगम क पास तुला-सेतु

*377. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के पास प्रत्येक राज्य में कितने तुला-सेतु हैं;

(ख) इन राज्यों में कितने तुला-सेतु राज्य-वार काम नहीं कर रहे हैं;

(ग) इस बात को देखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं कि तुला-सेतुओं का समुचित रख-रखाव हों; और

(घ) कितने तुला-सेतु दोषपूर्ण पाये गये ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ख) इस समय सभी कार्य कर रहे हैं ।

(ग) तुला-सेतु सप्लाई करने वाली फर्मों का विशेष रूप से प्रशिक्षित स्टाफ तुला-सेतुओं की देख-भाल कर रहा है । वह ऐसा उनको चालू करने की तारीख से कार्य-निष्पादन गारंटी संबंधी एक वर्ष की अवधि तथा उसके बाद वार्षिक सर्विसिंग/रख-रखाव ठेके के अधीन कर रहा है ।

(घ) शून्य ।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम ने प्रत्येक राज्य में जितने तुला-सेतु की व्यवस्था की हैं उनकी संख्या बताने वाला विवरण ।

राज्य	तुला-सेतु की संख्या
उत्तर प्रदेश	7
महाराष्ट्र	3
केरल	5
कर्नाटक	1
तमिलनाडु	9
आन्ध्र प्रदेश	9
उड़ीसा	5
बिहार	8
पश्चिमी बंगाल	11
असम	4
हरियाणा	8
गुजरात	2
जम्मू तथा कश्मीर	1
दिल्ली	2
पंजाब	42
जोड़	117

Technical Education

*378. **Shrimati Chandravati :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the steps being taken by the Government in regard to technical education ; and

(b) the changes being made by Government in education in order to provide production oriented jobs to the people ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) and (b) : In November 1977, a Working Group, to review critically the present status of Technical Education including management education at all levels, and to suggest re-orientation and improvements to the existing programmes, and also to identify areas for development in the context of the nation's needs during the next decade, was appointed.

The Group studied in depth the various aspects of Technical Education through different expert Groups on (i) Technical Manpower (ii) Research and Development (iii) Diversification and Redesigning of the existing programmes (iv) Quality Improvement and (v) Industry-Institution collaboration. The Group finally recommended various measures to improve the quality of Technical Education by continuous review and development of the curricula, improvement of the practical content and training by better devised means of industry-institution collaboration, identification of industrial and rural development problems of national concern with greater emphasis on research programmes to tackle these problems. It was also suggested that the potential and capability to undertake problem-oriented and application oriented programmes be identified and supported to facilitate substantial contribution to rural and community development.

The recommendations of the Working Group were in general approved by the All India Council for Technical Education at its meeting held during February, 1978, and are now under consideration of the Government.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार किया गया पाठ्यक्रम

*379. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा वर्ष 1977-78 के लिए तैयार किया गया नया पाठ्यक्रम लागू किया है जो चार भागों में बांटा गया है और जिनमें राजनैतिक प्रणालियों के अन्तर्गत एक अध्याय "समाजवादी तानाशाही शासन व्यवस्था" (डिक्टेटोरियल फार्म ऑफ गवर्नमेंट सोसियलिस्ट) है; और

(ख) यदि हां, तो उस अध्याय में उल्लिखित मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार किया गया राजनीति शास्त्र का पाठ्य-विवरण, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा XI में वर्ष, 1977-78 से लागू किया गया है । तथापि पाठ्यक्रम में "समाजवादी तानाशाही शासन व्यवस्था" (डिक्टटोरियल फार्म आफ गवर्नमेंट सोसियलिस्ट) जैसा कोई अध्याय नहीं है ।

दूसरे सत्र के पाठ्य-विवरण (इकाई-I) की सम्बद्ध इकाई में विभिन्न प्रकार की सरकारों की सूची है, जिनमें समाजवादी प्रकार की सरकार एक अलग मद के रूप में दी गई है। पाठ्य-विवरण में सूचीबद्ध सरकारों के प्रकार नीचे उद्धृत किए गए हैं :—

(i) (क) संसदात्मक

(ख) अध्यक्षात्मक

(ii) (क) एकात्मक

(ख) संघात्मक

(iii) (क) जनतांत्रिक

(ख) अधिनायकवादी

(iv) समाजवादी

(ख) ऊपर संदर्भित पाठ्य-विवरण के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार और प्रकाशित की गई पाठ्यपुस्तक "राजनीतिक व्यवस्था" में समाजवादी तानाशाही शासन व्यवस्था (डिक्टेटोरियल फार्म आफ गवर्नमेंट सोसियलिस्ट) कोई अध्याय नहीं है, यद्यपि इसमें "समाजवादी सरकार" एक अध्याय है। इस अध्याय का सम्पूर्ण पाठ नीचे दिया गया है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित पुस्तक राजनीतिक व्यवस्था के अध्याय VI "समाजवादी सरकार" का पाठ।

सरकार के वर्गीकरण का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक देश की सरकार की विशषताएं अन्य देश की सरकारों से भिन्न होती हैं। एक ही प्रकार की सरकार भी समय और परिस्थितियों के अनुसार अपना रूप बदलती रहती है। यही कारण है कि सरकारों का वर्गीकरण समय के साथ बदलता रहता है।

लक्ष्यों के आधार पर वर्गीकरण

जब से मार्क्सवादी सिद्धांत लोकप्रिय हुआ है, तब से राजनीतिक व्यवस्था पर आर्थिक व्यवस्था का प्रभाव निरन्तर बढ़ता रहा है। समाज में स्पष्ट रूप से दो वर्ग बन गए हैं—एक और साधन सम्पन्न वर्ग है जिसे मार्क्स ने बुर्जुआ कहा था और दूसरी ओर साधनहीन वर्ग, जिसे सर्वहारा कहा जाता है। इन दोनों के बीच निरन्तर संघर्ष बना रहता है और इसी संघर्ष के फलस्वरूप समाज का विकास होता रहता है। मार्क्स के पूरे दर्शन में इस बात पर जोर दिया गया है कि एक देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक संबंधि तथा राजनीतिक संस्थाओं में परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध रहता है।

यदि अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन आता है तो राजनीतिक शक्तियों में भी तदनुकूल परिवर्तन आ जाता है। उद्योग तथा वाणिज्य का विकास होने से पूर्व राज्यों की राजनीति पर जमींदारों तथा जागीरदारों का आधिपत्य रहता था किन्तु अब क्रमिक रूप से राजनीति व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के शिकंजे में जकड़ती जा रही है। यही कारण है कि सोवियत संघ में साम्यवादी सरकार की स्थापना तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शक्ति के रुप में उसके उदय के कारण विश्व की परम्परागत राजनीति पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।

यहां हम सरकार का वर्गीकरण केवल उसके रूप के आधार पर ही नहीं, वरन् उन उद्देश्यों को भी ध्यान में रखते हुए करेंगे जिनकी पूर्ति सरकार का लक्ष्य है। इस दृष्टि से सरकार के दो रूपों का उल्लेख किया जा सकता है—समाजवादी सरकार तथा बुर्जुआ सरकार। समाजवादी सरकार का लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है, जबकि बुर्जुआ सरकार में राज्य को कोई भी लक्ष्य अपनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है।

सभी समाजवादी राज्यों का रूप भी एक जैसा नहीं है। कोई राज्य तो प्रजातांत्रिक तरीके से समाजवाद लाने का प्रयास करता है, किन्तु कुछ राज्यों में मार्क्सवादी दर्शन का अनुगमन करते हुए सर्वहारा वर्ग के नाम पर साम्यवादी दल की तानाशाही स्थापित की गई है। इसके अलावा भी समाजवाद के अनेक रूप उपलब्ध होते हैं।

आजकल प्रजातन्त्र की भांति समाजवाद शब्द का प्रयोग भी अनेकार्थक रूप में होने लगा है। सम्मानजनक शब्द बन जाने के कारण समाजवाद के लुबुल को हर राज्य अपने साथ जोड़ना चाहता है, जबकि उनके राजनीतिक संगठन तथा व्यवहार के स्वरूप में भारी अन्तर होता है।

समाजवादी सरकारों के प्रकार

समाजवादी सरकारों को मोटे रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इनका एक रूप उन देशों में प्राप्त होता है, जहां केवल एक ही दल को कार्य करने की अनुमति दी जाती है जैसे--सोवियत संघ, चीन, यूगोस्लाविया तथा पूर्वी यूरोप के राज्य। इन राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था को जन-प्रजातन्त्र के रूप में जाना जाता है किन्तु यथार्थ में ये केवल नाम के लिए ही प्रजातन्त्र है, क्योंकि इन देशों में किसी विरोधी दल को कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। इनकी सरकार का रूप बहुत कुछ एक ही प्रकार का होता है। यहां मजदूरों तथा किसानों के बीच मैत्री पर आधारित जन-प्रजातंत्र की व्यवस्था की जाती है। इन दो वर्गों का प्रतिनिधित्व देश का साम्यवादी दल करता है। सर्वहरा वर्ग की तानाशाही कायम की जाती है तथा इसके माध्यम से समाजवाद की दिशा में अग्रेसर होने का प्रयास किया जाता है।

यह राज्य समाजवादी औद्योगीकरण तथा समाजवादी परिवर्तनों को सहायता से तथा शासन तन्त्र का उपयोग करके शोषण की व्यवस्था को क्रमिक रूप से समाप्त करने की चेष्टा करता है। देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण रहता है तथा समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वही व्यवस्था को निर्देशन देता है। इस प्रकार के समाजवादी राज्य की दो अन्य उल्लेखनीय विशेषताएं और हैं। प्रथम, संचार साधनों पर सरकार का नियंत्रण तथा दूसरा केन्द्रीय रूप से नियमित सामाजिक जीवन।

इस प्रकार के राज्य भी पूर्णतः समरूप नहीं होते वरन् उनके बीच समाजवादी परिवर्तन के स्तर के अनुसार अन्तर रहता है। जों ही इन देशों में समाजवाद की दिशा में प्रगति होता है, त्यों ही तदनुकूल संविधान में संशोधन कर दिया जाता है। सोवियत संघ के 1936 के स्टालिन संविधान में अनेक संशोधन किए गए हैं। यूगोस्लाविया का जो संविधान 1963 में बनाया गया था उसे 1974 में बदल दिया गया क्योंकि सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में आए परिवर्तनों के कारण यह आवश्यक समझा गया था। सोवियत संघ, साम्यवादी चीन तथा राष्ट्रवादी चीन की संवैधानिक व्यवस्था में शामिल समानता यह है कि इन देशों की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आ चुका है तथा संविधान इन परिवर्तनों की अभि-व्यक्ति का प्रयास करता है।

प्रजातंत्रों में समाजवादी राज्य

समाजवादी सरकार का दूसरा रूप वह है जो ग्रेट ब्रिटेन तथा भारत जैसे देशों का है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, इन देशों में जन-प्रजातन्त्र न होकर, संसदीय प्रजातन्त्र उपलब्ध होता है। इन राज्यों में विरोधी दलों को कार्य करने तथा अपना दृष्टिकोण प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। ग्रेट ब्रिटेन का मजदूर दल मूल उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था, आर्थिक असमानता घटाने, आर्थिक जीवन के सरकारी नियमन को बढ़ाने आदि की समाजवादी नीतियों को अपनाता है। किन्तु यहां की उदारवादी दल तथा रूढ़िवादी दल जैसी विरोधी पार्टियां समाजवादी नीतियां अपनाने का दावा नहीं करतीं। यदि आम चुनावों में कभी रूढ़िवादी दल को बहुमत प्राप्त हो जाए तो वह देश के लिए गैर-समाजवादी नीतियों को अपनाने लगता है। इसलिए ग्रेट-ब्रिटेन की सरकार को पूर्णतः समाजवादी कहना अनुचित है क्योंकि कभी यह समाजवादी नीतियां अपनाती हैं और कभी नहीं। ग्रेट ब्रिटेन के संविधान ने देश की नीतियां निर्धारित करने का कार्य चुनावों में बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सौंपा है।

भारत के विषय में बात कुछ भिन्न है। भारतीय संसद ने स्वतंत्रता के कुछ समय बाद ही भारत में समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य की घोषणा की थी। तभी से राज्य द्वारा विभिन्न स्तरों पर ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे देश में समाजवाद की जा सके। यहां यह उल्लेखनीय है कि समाजवादी लक्ष्य की उपलब्धी के लिए क्या और कितना प्रयास किया जाना चाहिए। इसका निर्णय मूल रूप से यहां सत्ताधारी दल स्वयं ही लेता है। भारत सरकार ने अब तक जो नीति अपनाई है वह सार्वजनिक क्षेत्र को विशेष महत्व देते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति है।

समाजवाद की ओर प्रवृत्तियां

हम यह देख चुके हैं कि सोवियत संघ में समाजवाद की स्थापना के बाद और विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस प्रकार इस विचार का प्रसार हुआ है। सोवियत संघ जैसे अविकसित देश ने केवल 30 वर्षों में ही इतना विकास कर लिया है कि यह विश्व की महाशक्ति बन गया। इस तथ्य के कारण राष्ट्रीय विकास के लिए समाजवादी तरीके को अधिक प्रभावी माना जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले अधिकांश अविकसित देशों ने यह सोचा कि देश की पुनर्रचना के लिए समाजवादी तरीके को ही अपनाया जाना चाहिए। सोवियत संघ का अनुकरण करते हुए इन देशों में केन्द्रीकृत नियोजन को आर्थिक विकास का मुख्य साधन बना दिया गया। जिन राज्यों में राजनीतिक चेतना का विकास हो चुका था उनमें नियोजन तथा प्रजातंत्र के बीच का संघर्ष स्पष्ट उभरने लगा। लेकिन जहां इस तरह का संघर्ष उत्पन्न होता है, वहां संसदीय पद्धति में केन्द्रीय कार्यपालिका को अधिक महत्व देकर इस समस्या का समाधान किया जाता है।

आज की अनेक सरकारों को लोक कल्याणकारी राज्य कहा जा सकता है। यद्यपि ये राज्य समाजवादी नीतियों की घोषणा नहीं करते किन्तु वे ऐसे कदम उठाते हैं जो निश्चय ही नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा दे सकें। इसके फलस्वरूप सरकार द्वारा व्यक्तिगत जीवन का अधिक मात्रा में नियमन हुआ है। यह स्थिति 19 वीं शताब्दी के रामभरोसे

सिद्धांत अथवा उदारवादी सिद्धांत के दर्शन से भिन्न है। इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता था कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। वर्तमान शताब्दी के अधिकांश, लोग यह मानते हैं कि 'रामभरोसे सिद्धांत' (अथवा हस्तक्षेप करने की नीति) को मानने से समाज में असमानता प्राप्त होती है तथा इसके फलस्वरूप अन्याय पनपता है। आज सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि समाज की ओर से राज्य को समाज की आर्थिक क्रियाओं का नियमन करना चाहिए ताकि असमानताओं को कम किया जा सके तथा सभी लोगों को जीवन में विकास के पर्याप्त अवसर दिए जा सकें। संयुक्त राज्य अमरीका में समाजवाद न रहते हुए भी सरकार द्वारा व्यक्तिगत जीवन और आर्थिक कार्यविधि का नियमन किया जाता है।

Loss due to Fire in Indian Grassland and Fodder Research Institute

*380. **Shri Laxminarain Nayak:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether there was considerable loss due to fire on 7th or 8th January, 1978 in the Indian Grassland and Fodder Research Institute, Jhansi, U.P., and if so, the value of loss suffered;

(b) the cause of fire and who investigated these causes and who were found guilty of negligence;

(c) the action taken against those found guilty; and

(d) measures taken to prevent recurrence of such incidents ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Incident of fire occurred on 8th January, 1978 in one of the rocky terrain grassland block. The estimated loss of the burnt grass due to fire is about Rs. 1000/-.

(b) & (c) : A Committee of four officers of the Institute conducted the enquiry. According to the Incharge of the Block, the fire occurred from the boundary side of the village community grazing area belonging to the village contiguous to the boundary of the Institute. On intimation from the watchman on duty in that area all-out efforts were made for extinguishing the fire. The exact cause of the fire is not yet known.

(d) The watch & ward has been intensified throughout the 560 hectare farm including the grass stacks round the clock.

'हुडको' की सहायता से केरल आवास बोर्ड द्वारा मकानों का निर्माण

*381. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य आवास बोर्ड ने राज्य के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख मकानों का निर्माण करने का एक बृहत कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) क्या राज्य आवास बोर्ड के चेअरमन ने इस सम्बन्ध में हाल ही में त्रिवेन्द्रम 'हुडको' के अधिकारियों के एक दल के साथ विचार-विमर्श किया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस विचार-विमर्श के क्या निष्कर्ष निकले?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) जी, हां ।

(ग) आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों द्वारा नामित अभिकरणों को ऋण उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है । ये ऋण उन निम्न लागत के मकानों के लिये उपलब्ध होंगे जिनकी लागत 4000 रुपए से अधिक नहीं होगी । आवास तथा नगर विकास निगम परियोजना की लागत के 50 प्रतिशत तक ऋण उपलब्ध करेगा, शेष की व्यवस्था निर्माणकर्ता अभिकरणों द्वारा उनके अपने साधनों से की जाएगी, जो आबटितियों के अपने नकद या किस्म के रूप में अंशदान या राज्य सरकार से आर्थिक सहायता और/या ऋण के रूप में हो सकती है । ब्याज की दर 5½ प्रतिशत होगी जिसमें समय पर अदायगी करने पर ½ प्रतिशत का रिबेट मिलेगा ।

2. आवास तथा नगर विकास निगम के मार्ग निर्देशन में केरल राज्य आवास बोर्ड द्वारा केरल के तटीय क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक लाख मकानों के निर्माण की योजना तैयार की जा रही है । यह योजना एक सहायता प्राप्त, स्वयं सहायता योजना के रूप में बनाई जा रही है और इसके कार्यान्वयन में सहकारी समितियों, पंचायतों और अन्य निकायों को शामिल किया जाएगा । योजना के लिए अपेक्षित वित्त का 50 प्रतिशत आवास तथा नगर विकास निगम से ऋण के रूप में लिए जाने का प्रस्ताव है । आवास तथा नगर विकास द्वारा योजना के लिए वित्त देना तभी संभव होगा जब कि योजना आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा ग्रामीण आवास के लिए रखे गए प्रतिमानों के अनुरूप हो ।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों को कुछ वर्गों में बांटा जाना

*382. **श्री सरत कार** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री निम्नलिखित की जानकारी देनेकी कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान सूखा ग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों को औसत वर्षा के आधार पर कुछ वर्गों में बांटा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत जिला परियोजनायें तैयार करने हेतु राज्य सरकारों को क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त बताये गये हैं और राज्य सरकारों की उन पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानुप्रताप सिंह) : (क), (ख) व (ग) : प्रश्न के (क), (ख) व (ग) के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1866/78]

मिल मालिकों का गन्ना उत्पादकों पर दबाव

*383. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 23 फरवरी, 1978 के 'फाइनैनशियल एक्सप्रैस' में प्रकाशित यह समाचार देखा है कि चीनी मिल मालिक गन्ना उत्पादकों को उनकी देय राशि से वंचित करने के लिए दबाव डालने के तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि मिल मालिक गन्ना उत्पादकों को उनकी देय राशि से वंचित करने के लिये आदेश की खामियों का आश्रय ले रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार गन्ना उत्पादकों की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : गन्ना (नियन्त्रण) आदेश, 1966 के अधीन वैक्यूम पेन चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने के देय मूल्य का निर्धारण किया जाता है। आदेश की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार देश में चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने के देय न्यूनतम मूल्य की प्रत्येक वर्ष घोषणा करती है। कोई भी वैक्यूम पेन चीनी फैक्ट्री आदेश के अधीन अधिसूचित सांविधिक न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य का भुगतान कर रही है, ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सांविधिक न्यूनतम मूल्य के अलावा, गन्ना उत्पादक खुली चीनी को बिक्री से प्राप्त अधिक राशि का 50 प्रतिशत पाने के भी हकदार हैं। इस अतिरिक्त मूल्य का निर्धारण और प्रवर्तन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। व्यवहार में गन्ना उत्पादकों को सामान्यतया गन्ने के अतिरिक्त मूल्य के साथ सांविधिक न्यूनतम मूल्य को जोड़कर गणना करने पर बहुत अधिक मूल्य मिलता है। एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है जिसमें विभिन्न राज्यों में सांविधिक न्यूनतम मूल्यों और गन्ने के वास्तव में दिये गए मूल्यों का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

फैक्ट्रियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 1977-78 मौसम के दौरान विभिन्न राज्यों की फैक्ट्रियों के लिए अधिसूचित गन्ने के मूल्य परिसर और फैक्ट्री द्वार पर फैक्ट्रियों द्वारा वास्तव में दिए गए/दिए जा रहे मूल्यों को बताने वाला विवरण

(रुपये प्रति क्विंटल)

राज्य	न्यूनतम अधिसूचित मूल्य	फैक्ट्रियों द्वारा दिया गया मूल्य
उत्तर प्रदेश . .	8.50 से 11.00	12.50 * से 13.50
बिहार . . .	8.50 से 10.80	12.25 से 12.50
पंजाब . . .	8.60 से 10.20	13.50
हरियाणा . . .	8.50 से 9.00	13.50
असम . . .	8.50 से 9.10	11.00+परिवहन राज सहायता
पश्चिम बंगाल . .	9.30 से 9.40	12.50 से 14.50
उड़ीसा . . .	8.50 से 8.80	11.00 से 14.20
मध्य प्रदेश . . .	8.50 से 10.00	12.50
राजस्थान . . .	8.50 से 10.20	12.25 से 14.25
महाराष्ट्र . . .	8.50 से 12.40	9.30† से 16.20†
गुजरात . . .	8.50 से 11.80	9.00† से 14.13†
आन्ध्र प्रदेश . .	8.50 से 10.80	9.50† से 12.00†

विवरण—जारी

राज्य	न्यूनतम अधिसूचित मूल्य	फैक्ट्रियों द्वारा दिया गया मूल्य
तमिलनाडु . .	8.60 से 10.00	‡‡9.30† से 12.70†
कर्नाटक . .	8.50 से 11.30	10.60† से 14.60†
केरल . . .	8.50 से 8.60	13.00
पांडीचेरी . . .	8.70	9.30†
नागालैंड . . .	8.60	11.25
गोवा . . .	8.60	16.50

नोट:—*बताया गया है कि "काजी" नामक एक फैक्ट्री 12.25 रु० प्रति क्विं० की दर से भुगतान किया है ।

*ये अस्थायी मूल्य हैं जो सहकारी फैक्ट्रियों द्वारा अधिकांशत: खेत पर अग्रिम रूप में दिये गये है।

†वेल्लोर की एक फैक्ट्री जिसमें शुरू में 8.50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान करना शुरू किया था, अब 11.50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान कर रही है ।

नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा भवन निर्माण उप-नियमों का उल्लंघन

*384. **श्री० के० राममूर्ति** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय को यह अभ्यावेदन दिया गया है कि नई दिल्ली नगर पालिका ने कनाट प्लेस में भूमिगत वातानुकूलित शापिंग काम्पलेक्स के निर्माण में बहुत से भवन निर्माण उपनियमों का उल्लंघन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्यों को अनाज देने संबंधी नीति

*385. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों को गेहूं और चावल का स्टाक देने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को गेहूं और चावल के आवंटन मास से मास के आधार पर राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा सूचित की गई आवश्यकताओं, केन्द्रीय पूल में स्टाक की कुल उपलब्धता, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सापेक्ष आवश्यकताओं, मंडी में उपलब्धता और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं । फिलहाल गेहूं और चावल से संबंधित राज्य सरकारों की मांगों को पूर्णतया पूरा किया जा रहा है ।

हसनाबाद-सियालदह लाइन का सर्वेक्षण

*387. **श्री एम० ए० इमान अलहाज** : क्या रेल मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में हसनाबाद से सियालदह तक नई सीधी रेलवे लाइन बनाने के लिये सर्वेक्षण कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा; और

(ख) सर्वेक्षण में विलम्ब होने का क्या कारण है और इस नई रेलवे लाइन के बिछाने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) : हसनाबाद और सियालदह, जो कि पहले से हीं बड़ी लाइन से जुड़े हुए हैं, के बीच सीधा रेल सम्पर्क स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

औद्योगिक घरानों की बिक्री और लाभ

*388. **श्री ज्योतिर्मय बसू** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री बड़े औद्योगिक घरानों के बारे में 21 फरवरी, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 और 1975 में इन 45 औद्योगिक घरानों की बिक्री और लाभ कितना-कितना था;

(ख) इन बड़े घरानों की आस्तियों के रूप में असाधारण वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग ने इस बारे में क्या भूमिका निभाई और निभा रहा है जिससे इस प्रकार कुछ हाथों में वित्तीय शक्ति संकेन्द्रित न हो ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) :

भाग (क)

प्रश्न में दिये गये 45 घरानों की कुल बिक्री और कर से पूर्व लाभ की सूचना इसके साथ अनुलग्नक में दी जाती है ।

भाग (ख)

उपक्रमों की व्यक्तिगत प्राकृति वृद्धि से अलग, बड़े घरानों की परिसम्पत्तियों में वृद्धि निम्नलिखित कारणों से भी प्रभावित हुई है :—

(i) एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम 1969 स्वयं 25 प्रतिशत की सीमा में दिये गये समय के अन्दर उपक्रमों की परिसम्पत्तियों में विस्तार को अनुमति देता है ।

(ii) केन्द्रीय सरकार ने एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, के विभिन्न उपबन्धों और सरकार की लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत भारी विस्तार और नये उपक्रमों के गठन के बहुत से प्रस्ताव का अनुमोदन किया है ।

(iii) एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, की धारा 21 (4), 23 (2) और 23 (4) के अन्तर्गत उपक्रमों के लिए व्यक्तिगत रूप से कुछ छूट भी उपलब्ध है।

भाग (ख)

एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के अनुसार एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा आयोग को सामान्य अहितकारी आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण के निवारण के सम्बन्ध में दिया गया कार्य अभिस्वांवित है। केन्द्रीय सरकार से उपक्रमों के विस्तार (धारा 21) नये उपक्रमों की स्थापना (धारा 22), मिलान विलयन और अधिग्रहण (धारा 23) और उपक्रम के हिस्से करना (धारा 27) के सम्बन्ध में प्राप्त हवालों का निपटान करते हुये, आयोग द्वारा सामान्य अहितकारी होने की दिशा में आर्थिक शक्ति का संकेन्द्रण नहीं होने पाये या अन्य व्यवहार में जनहित के विपरीत न हो के तथ्यों पर पूर्ण विचार किया जाता है।

विवरण-II

प्रश्न में संदर्भित 45 औद्योगिक घरानों की कुल बिक्री और कर से पूर्व लाभ

(करोड़ रु० में)

क्रम संख्या	औद्योगिक घराने का नाम	1972		1975	
		कुल बिक्री	कर से पूर्व लाभ	कुल बिक्री	कर से पूर्व लाभ
1	टाटा . . .	689.91	48.83	1060.04	75.45
2	बिड़ला . . .	553.46	44.28	936.11	83.99
3	मफतलाल* . .	190.86	14.66	337.19	22.16
4	जे० के० सिंघानिया .	103.65	5.92	198.87	16.38
5	थापर* . . .	154.66	11.04	251.85	26.69
6	सिंधिया . . .	50.65	5.44	90.85	16.80
7	आई० सी० आई० . .	149.07	17.47	238.78	22.88
8	श्रीराम . . .	176.48	10.48	241.03	5.38
9	ए० सी० सी० . .	94.23	4.45	142.15	10.21
10	बांगुर* . . .	142.10	7.40	210.35	8.39
11	किर्लोस्कर . .	76.05	2.10	181.99	13.93
12	लारसन एण्ड टूब्रो . .	55.70	4.65	108.92	11.47
13	वालचन्द . .	103.27	1.22	162.62	4.34
14	खटाऊ (बम्बई) . .	107.71	5.57	193.18	16.66
15	आई० टी० सी० . .	236.56	9.03	367.04	10.19
16	मेकनिल एण्ड मैजर .	112.12	4.43	97.68	7.26
17	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा .	74.26	3.65	113.91	1.80

विवरण—जारी

क्रम संख्या	औद्योगिक घराने का नाम	1972		1975	
		कुल बिक्री	कर से पूर्व लाभ	कुल बिक्री	कर से पूर्व लाभ
18	साराभाई . .	98.69	3.75	162.02	2.46
19	कस्तुरभाई लालभाई .	83.43	9.04	137.09	15.52
20	टी० वी० एस० आयंगर .	80.90	7.72	138.87	13.36
21	हिन्दुस्तान लीवर† . .	187.85	11.48	201.34	10.73
22	बजाज† . . .	78.84	8.35	120.82	8.01
23	मोदी† . . .	94.04	7.36	180.88	6.03
24	पैरी .	71.31	3.05	149.26	3.26
25	डनलप . . .	104.48	2.63	181.97	9.43
26	भिवन्डीवाला† . .	44.92	3.93	47.02	3.89
27	कालटेक्स . .	120.21	1.27	205.69	0.07
28	जैम्स फिनले .	52.43	1.05	83.78	6.85
29	जी० के० डब्ल्यु० . .	62.53	7.79	93.03	6.29
30	यूनियन कार्बाइड . .	75.49	10.51	119.87	11.64
31	बर्ड हैल्गर्स . .	73.20	3.74	103.00	6.04
32	किलिक (कपाडिया) .	60.83	5.26	82.14	(—)5.69
33	नायडू वी० वी० . .	40.68	4.91	63.82	3.17
34	ब्रुक बान्ड . .	103.96	6.31	155.20	8.28
35	गोदरेज . . .	49.28	1.01	86.25	5.20
36	चौगुले . . .	20.45	(—)0.16	37.53	7.13
37	रेलिस . . .	65.12	1.93	109.77	3.68
38	वी० एस० डैम्पो† . .	11.13	0.03	28.47	8.23
39	फिलिप्स . .	54.16	10.44	65.85	5.25
40	सिम्पसन . .	47.17	0.83	87.12	6.12
41	मदुरा कोट्स . .	51.14	4.03	58.38	1.80
42	एस्कोर्ट्स . .	49.95	2.34	105.20	7.34

1	2	3	4	5	6
43	यूनाइटेड ब्रेवरीज . .	45.57	4.21	71.55	5.08
44	कमानी . . .	37.73	2.40	45.60	(—)3.96
45	अशोक लेलैण्ड . .	34.87	1.97	95.40	9.94

Report of Sikri Committee on Railway Accidents

†*390. **Shri Ramji Lal Suman :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a seven-member committee headed by Shri S. M. Sikri was appointed to go into the causes of railway accidents and if so, when the Committee is expected to submit its report; and

(b) the measures adopted by Government to check accidents

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes, Sir. The Committee is expected to submit its report within six months.

(b) A statement is laid on the table of the House.

Statement

Since failure of railway staff is the largest single factor responsible for accidents, Safety Organisations on the railways have been engaged in relentless campaign to create great safety consciousness among the staff connected with the running of trains and to ensure that staff do not violate rules or indulge in short cut methods. 10,000 additional posts of operational categories connected with running of trains and 2,700 additional posts of running staff have been sanctioned to implement Miabhoy Tribunal Award and the 10 hours duty rule for running staff.

In order to reduce dependence on the human element, various sophisticated aids like ultrasonic flaw detectors for wheels, axles and rails, track circuiting, automatic warning system etc. are being introduced progressively.

It has been decided recently to track circuit run through lines at 50 stations by 31-3-78 and at the remaining 430 stations on the trunk routes by 1981. In addition, track cricuiting from fouling mark to Advanced Starter at 25 vulnerable stations will be completed by 31-3-1978 and at another 75 such station within the next one and a half years.

टिप्पणी—†निम्नलिखित 5 कम्पनियां अर्थात (1) ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी लिमिटेड (भिवन्डीवाला), (2) मोदी रबड़ लिमिटेड (मोदी), (3) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड (हिन्दुस्तान लीवर), (4) मुकुन्द आयरन एण्ड स्टील वर्क्स लिमिटेड (बजाज) और (5) डैम्पो बोस प्रा० लि० (बी० एस० डैम्पो) के विषय में वर्ष 1974 की कुल बिक्री और कर से पूर्व लाभ को वर्ष 1975 में 21-2-78 को उत्तरित लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 170 के उत्तर में प्रस्तुत विवरण-पत्र के अनुरूप दोहराया गया है।

* निम्नलिखित कम्पनियों के वर्ष 1972 के लाभ और हानि लेखा तुरन्त उपलब्ध नहीं है अतः तदनुरूपी आंकड़े उपर प्रदर्शित समूहयोग में सम्मिलित नहो हैं।

1. मफतलाल समूह में मफतलाल गगलभाई एण्ड कम्पनी (प्रा) लि०
2. बांगुर समूह में श्री लक्ष्मी पेकजिग एण्ड अलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड।
3. थापर समह में ओरियन्टल इंजीनियरिंग एण्ड कमर्शियल कम्पनी लिमिटेड।

Besides keeping a close cooperation and coordination with the State Police by holding periodical meetings at various levels and assisting them in detection, apprehension and prosecution of miscreants, Railways have also employed 14,000 engineering gangmen and 11,000 R.P.F. personnel to patrol the track, particularly in vulnerable areas as a preventive measure against sabotage.

Conversion of Samastipur-Lucknow M.G. Line into B.G.

†*395. **Shri Ramdeo Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the work of converting the metre gauge line from Samastipur to Lucknow into broad gauge line is in progress; and

(b) if so, the present progress of work and the time by which it was to be completed in accordance with the plan ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) Broad gauge line already exists between Lucknow and Barabanki and the line from Samastipur to Sonpur has already been converted to broad gauge. Work on the remaining Sonpur-Barabanki section is in progress.

(b) 51% of the total conversion work has been completed and the work is expected to be completed in about two years' time.

अशोधीत पेट्रोलियम वार्षिक उत्पादन और खपत

*396. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शानेवाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोल की वार्षिक खपत के अनुपात में अशोधित पेट्रोल का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक देश से वर्ष-वार कितनी मात्रा अशोधित पेट्रोल का आयात किया गया ;

(ग) उक्त अवधि में उसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ;

(घ) सरकार द्वारा किये गये उपायों के परिणामस्वरूप विभिन्न मंत्रालयों में गत तीन वर्षों में वर्ष-वार पेट्रोल की खपत में कितनी बचत की गई ; और

(ङ) क्या बम्बई हाई में काफी पेट्रोल उत्पादन की आशाओं के परिणामस्वरूप सरकार का विचार देश में पेट्रोल की मूल्य नीति की समीक्षा करने का है और यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) : उत्पादन और कच्चे तेल का आयात दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(घ) विभिन्न मंत्रालयों में पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल की खपत में की गई बचत का अनुमान लगाया जाना संभव नहीं है ।

(ङ) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य का पुनरीक्षण करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

(मात्रा, मिलियन मी० टन)

सी० आई० एफ० मूल्य रुपये/करोड़

कच्चा तेल	1975		1976**		1977**	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
(क) उत्पादन .	8.3		8.6		10.2	
रुपुट (खपत) .	21.8		22.8		24.4	
(ख) और (ग) आयात						
ईराण .	5.8	407.22	5.6	447.50	6.7	581.77
ईराक .	2.8	211.83	3.1	267.12	3.0	267.13
सउदी अरब .	4.1	281.46	4.3	344.59	2.9	239.94
युनाइटेड अरब एमिरेट्स .	1.0	79.69	1.0	84.48	0.9	87.43
मिश्र .	..	..	..	..	0.3	22.72
रुस . .	..	..	..	..	1.0	85.47
कुल . .	13.7	979.20	14.0	1,143.69	14.8	1,284.46

**अस्थाई

कर्नाटक में मतदाताओं के फर्जी नाम का लिखा जाना

*397. श्री बी०डी० चन्द्र गौड़ा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ ऐसे मामलों की सूचना मिली है कि कर्नाटक प्रदेश में हाल के विधान सभा निर्वाचनों में मतदाताओं के रूप में दर्ज किये गये बहुत से व्यक्तियों के नाम फर्जी थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और कर्नाटक प्रदेश में निर्वाचन की तारीख को राज्य में दर्ज मतदाताओं की संख्या और जनगणना आयोग द्वारा दिए गए 21 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों की संख्या के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

विदेशी औषध फर्मों के विस्तार हेतु लाइसेंस

*398. श्री के० ए० राजन : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक विदेशी औषध फर्मों ने विस्तार हेतु औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों के नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां । 13 विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों ने वर्ष 1977-78 में या तो नए औषध मदों के निर्माण के लिए या अपने वर्तमान औषध मदों की श्रेणियों के उत्पादन में पर्याप्त मात्रा में विस्तार करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र दिए हैं ।

(ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

(ग) हाथी समिति की सिफारिशों पर नीति निर्णय को ध्यान में रखते हुए इन पर विचार किया जाएगा ।

विवरण

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	निर्माण का मद	मी०टनों में प्रस्थापित वार्षिक क्षमता अथवा जैसे दर्शाया गया है
1	2	3	4
1	मैसर्स वायहरोन्जर कनोल लि०	स्प्रोनलाक्टटोन ड्रेगीज . .	सं० 40 लाख
2	—वही— . .	एलोपूरीनोल गोलियाँ . .	20 लाख
3	—वही— .	अल्फा मेथियल डोपा . .	25.0
4	—वही— . .	विन्का रोजिय एम्सट्रैक्ट . .	60.0
5	—वही— . .	मेट्रोनीडाजोल . .	10.0
6	—वही— . .	लनीटाप गोलियाँ . .	सं० 240 लाख
7	मैसर्स सोबा गैगी आफ इण्डिया लि०	आक्सीफेनबूल जोन . .	25.0
8	—वही— . .	ट्रोमेथोप्रिन . . .	10.0
9	—वही— . .	ब्रोमोलिन . . .	10.0
10	—वही— .	लीनेस्ट्रेनोल और उसके उत्पाद .	इथिसटरोन एण्ड उसके उत्पादों के लिए उनको मंजूर की गई पूरी लाईसेंस क्षमता के अन्तर्गत

विवरण—जारी

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	निर्माण का पद	मी०टनों में प्रस्थापित वार्षिक क्षमता अथवा जैसे दर्शाया गया है
1	2	3	4
11	मैसर्स ई० मर्क . .	विटामिन क और उसके उत्पाद .	6.0
12	मैसर्स जियेफ्री मैनर्स . .	एम्सनयोटोक्सिन . .	0.5
13	मैसर्स ग्लक्सो लैन्स .	1. आक्सीकेनबुटाजोन . .	14.67
		2. नोरेथीस्टरोन . .	0.18
		3. सोटलोन एसीएल . .	1.90
		4. परफेना जाइन . .	0.41
		5. एमोट्रिप्टीलाइन एच० सी० एल०	1.42
		6. नड्रालोन इस्टर्स . .	0.06
		7. क्लोरफेनोरेनाइन मालेट .	0.62
		8. नोरेथेनड्रोलोन . .	0.16
		9. इसोप्रोपामाइड आयोडिन .	0.33
		10. ब्रूफेनाइन एच० सी० एल० .	0.16
14	मैसर्स हैस्ट फार्मिस्युटीकल्स लि०	डायगनोसिस के लिए रीजेन्टस .	1.50 लाख
15	मैसर्स फाइजर लि० .	टोनोडाजोल . . .	25.00
16	मैसर्स रोश प्राडक्ट्स लि० .	विटामिन 'ए' के उत्पादन में पर्याप्त विस्तार	15 से 100 एम० एम० यू०
17	मसर्स सुबरिंग गैंगी लि० .	गेनटीलोन गोलियां	8.4 करोड़ सं०
18	—वही— . .	आक्सोफेनबुटाजोन के उत्पादन में पर्याप्त मात्रा में विस्तार	30.0
19	—वही— . .	डेपसोनिल पी के कैप्सूल्स (इमीप्राविन पावसेपावसेट कैप्सूल्स)	20
20	—वही—	टरबूटालाइन सल्फेट	0.5
21	—वही—	अक्सीलोवेन (पर्याप्त रुप में विस्तार)	1.0 से 5.0
22	—वही—	क्लोनीडाइन एच सी एल	0.05
23	मैसर्स सरले (भाई)	क्लोनीडाइन नारपेसे रसायन	1.0
24	मैसर्स सिमिथ क्लाइद एण्ड फ्रेंच	टाकामैट के सूत्रयोग (पेरिटक अल्सर के इलाज के लिए दवाई)	1. संख्या 12 मिलियन गोलियां 2. तरल 1200 लिटर 3. संख्या 3लाख टी०के०

विवरण—जारी

1	2	3	4
25	मैसर्स सिमिथ क्लाइन एन्ड फ्रेंच	मुर्गी टीका . . .	1200 लाख डोसेज
		पशु टीका . . .	11 लाख डोसेज
26	मैसर्स सोनबियोटिक्स .	इपीसीलिन . . .	5.0
27	मैसर्स बेयर (आई०) लि० .	क्लोट्रीमाजौल . . .	2.5

नेशनल फर्टीलाइजर लि० में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के पद

*399. **श्री आर० एल० कुरील :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल फर्टीलाइजर लि० ट्रैफिक मैनेजर और परसोनल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर के पदों के लिए जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, अलग अलग, विज्ञापन देता रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नवीनतम विज्ञापन संख्या 16/77 दिनांक 4-11-1977 को देने के बाद अब तक अनुसूचित जाति का कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है ;

(ग) उक्त पद के लिए क्या योग्यताएँ और अनुभव अपेक्षित थे और आवेदन पत्र भेजने वाले अनसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीद्वारों की अधिकतम योग्यतायें और अनुभव क्या थें;

(घ) जब अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के योग्यताप्राप्त अधिकारी उपलब्ध थे तो इन पदों के न भरे जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) ऐसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विरोधी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिन्होंने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के न्यायोचित दावों की जानबूझकर उपेक्षा की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : जी, हां ।

(ग) अपेक्षित सूचना का विवरण पत्र संलग्न है ।

(घ) अपेक्षित योग्यताएं तथा अनुभव रखने वाले एक अनुसूचित जाति के उम्मीद्वार को ट्रैफिक मैनेजर के पद के लिए चुना गया था । किन्तु उसने नियुक्ति पत्र को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया । परसोनेल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर के पद के लिए अपेक्षित अनुभव एवं उपयुक्त स्तर का अनुसूचित जाति का कोई भी उम्मीद्वार नहीं मिला था ।

(ङ) भाग 'घ' में बतलाई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

ट्रैफिक प्रबन्धक और कार्मिक प्रशासनिक प्रबन्धक के पद के लिये अपेक्षित योग्यता और अनुभव की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीद्वारों की अधिकतम योग्यताएं नीचे दर्शाई गई हैं :—

ट्रैफिक प्रबंधक :

योग्यताएं.—कला/विज्ञान/इंजीनियरिंग/एम० बी० ए० में डिग्री ।

अनुभव.—वरिष्ठ प्रबन्धकीय पद पर लगभग 12 वर्ष का अनुभव, किसी उत्तरदायी पद पर कम से कम 3 वर्ष का अनुभव जिसमें किसी बड़ी कम्पनी/सरकारी विभाग में ट्रैफिक संबंधी कार्य को स्वतंत्र रूप से चलाने तथा यातायात की योजना बनाने, उनको लागू करने, रेलवे/कस्टम/कैरियर/क्लीयरिंग एजेंसी/बीमा कम्पनियों के साथ सभी मामलों, विशेषकर दावे, कमी, टूटा-फूटा माल, डमरेज, वारफेज आदि पर समन्वय करने का अनुभव शामिल हो । प्राथमिकता उन उम्मीद्वारों को दी जानी थी जिनको रेलवे साइडिंग, शन्टिंग और मार्शलिंग यार्ड आदि का समन्वय करने और निर्माण कार्य करने का अनुभव हो । महत्व उन उम्मीद्वारों को दिया जाना था जिनको यातायात संबंधी कार्य करने और कच्चे माल तथा उर्वरक संयंत्र/भारी रसायन उद्योग के उत्पादों के लिये रेलवे प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क स्थापित करने का अनुभव हो ।

अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीद्वारों की अधिकतम योग्यताएं और अनुभव

भारतीय रेलवे में श्रेणी-1 के आई० आर० टी० एस० अधिकारी के रूप में 11 वर्ष के अनुभव सहित बी० ए० की डिग्री जिसमें से प्रभागीय ट्रैफिक अधिक्षक के रूप में 7 वर्ष तक काम किया हो—जब कि अपेक्षित अनुभव, किसी वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर 12 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है जिसमें से 3 वर्ष तक ट्रैफिक कार्य के प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्य किया हुआ हो ।

मनेजर (परसोनल एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन) :

योग्यताएं.—स्नातकोत्तर डिग्री सहित कला/विज्ञान/इंजीनियरिंग/कानून में डिग्री अथवा कार्मिक प्रबन्ध/व्यापार सम्बन्धी प्रशासन/सार्वजनिक प्रशासन/औद्योगिक सम्बन्ध/श्रम एवं समाज कल्याण में समतुल्य व्यवसाय सम्बन्धी योग्यताएं ।

अनुभव:.—वरिष्ठ प्रबन्धकीय पद का लगभग 15 साल का अनुभव : किसी उत्तरदायी पद पर कम से कम 5 वर्ष का अनुभव जिसमें किसी बड़ी कम्पनी/सरकारी विभाग में कार्मिक, औद्योगिक सम्बन्ध एवं प्रशासनिक कार्यों को स्वतन्त्र रूप से चलाने, सम्बन्ध कार्य, परिसम्पति का प्रबन्ध तथा अन्य सम्बद्ध मामलों, कार्मिक नीतियों और पद्धतियों को तैयार करने का अनुभव प्राप्त होना चाहिए । उन व्यक्तियों को तरजीह दी जायेगी जिन्होंने बड़े उर्वरक प्लांट/हैवी कैमीकल्स उद्योग में इसी प्रकार के कार्य किये हों ।

अनसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीद्वारो के लिए निर्धारित अधिकतम योग्यताएं तथा अनुभव

कार्मिक प्रबन्ध एवं औद्योगिक कानून में बी० ए०, एलएल० बी०, डिप्लोमा । प्रबन्धकीय पद पर चार साल का अनुभव जिसमें से क्रमश: 15 वर्ष एवं 5 वर्ष के अपेक्षित अनुभव के मुकाबले में उत्तरदायित्व के उपयुक्त स्तर में 2 वर्ष एवं 2 महीने का अनुभव ।

70 एकाधिकार गृहों की पूंजी में वृद्धि

*400. **श्री वी० एम० सुधीरन :**
श्री वयालार रवि :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकाधिकार गृहों ने गत तीन वर्षों में अपनी पूंजी में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो पहले 70 बड़े व्यापार गृहों के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन व्यापार गृहों के विरुद्ध एकाधिकार आयोग को कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) भाग तथा (ख) : यह परिकल्पना करते हुये कि निर्देश कम्पनियों द्वारा प्रयुक्त पूंजी की ओर है, जो उनकी परिसम्पतियों में प्रतिबिम्बित है, उन औद्योगिक घरानों, जो एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 26(2) के अन्तर्गत पंजीकृत है, के बारे में 1976 व 1977 के वर्षों की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है । प्रथम 45 घरानों की 1972 व 1975 के वर्षों की परिसम्पत्तियों के मूल्य-दिखाते हुये एक विवरण-पत्र संलग्न है । इससे प्रतीत होगा कि 1972 की तुलना में 1975 में परिसम्पतियों में वृद्धि हुई है ।

शेष घरानों की इसी प्रकार की सूचना का संकलन किया जा रहा है, एवं इसे सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

भाग(ग) एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 26(2) के अन्तर्गत पंजीकृत बृहद औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित उपक्रमों के 54 मामलों की बाबत, इसे प्राप्त शिकायतों के आधार पर जांचे संस्थापित की थीं । इनमें से 25 मामलों में अन्तिम रूप से आदेश दे दिये गये थे ।

विवरण

प्रथम 45 वृहद औद्योगिक घरानों को 1972 व 1975 में कुल परिसम्पतियों ।

क्रम सं०	औद्योगिक घराने का नाम	परिसम्पतियां करोड़ रु० में		1972 से 1975 में प्रतिशत वृद्धि
		1972	1975	
1	2	3	4	5
1	टाटा . .	634.84	909.68	43.3
2	बिड़ला . . .	572.17	853.81	50.1
3	मफतलाल*	183.74	244.23	32.9

विवरण—जारी

1	2	3	4	5
4	जे० के० सिंघानिया . . .	121.45	209.56	72.5
5	थापर	136.16	197.90	45.3
6	सिंधिया . . .	107.73	183.05	69.9
7	आई० सी० आई० . . .	135.21	178.34	31.9
8	श्रीराम . . .	120.77	166.16	37.6
9	ए० सी० सी० . .	134.36	160.05	19.1
10	बांगुर**	118.87	158.63	33.4
11	किर्लोस्कर	97.93	148.65	51.8
12	लार्सन एण्ड टोब्रो . .	79.03	137.69	74.2
13	वालचन्द	99.47	126.78	27.4
14	खटाऊ (बम्बई)† . . .	63.77	119.03	86.6
15	आई० टी० सी० . .	74.75	116.80	56.2
16	मेकेनोल एण्ड मैगोर†† . .	106.21	114.40	7.7
17	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा . .	58.49	114.08	95.0
18	साराभाई . . .	85.35	111.13	30.2
19	कस्तूरभाई लालभाई . . .	78.61	108.16	37.6
20	टी० वी० एस० आयन्गर	50.32	102.04	102.8
21	हिन्दुस्तान लीवर‡ . .	77.87	98.62	26.6
22	बजाज ‡	59.11	98.09	65.9
23	मोदी‡	58.65	96.80	66.7
24	पैरी	66.64	90.26	35.4
25	डनलप	41.56	88.82	113.7
26	भिवन्डीवाला‡ . . .	45.91	88.19	92.1
27	कालटैक्स	28.75	77.86	170.8
28	जेम्स फिनले	70.65	74.29	5.1
29	जी० के० डब्ल्यू० . . .	49.86	72.81	46.0
30	यूनियन कार्बाइड . . .	48.62	70.57	45.1
31	बर्ड हेल्गर्स	48.10	67.48	40.3
32	किलिक (कपाडिया) . . .	45.95	66.82	45.4
33	नायडू जी० बी० . .	47.00	64.22	36.6
34	ब्रुक बान्ड	47.20	63.82	35.2
35	गोदरेज	37.74	60.87	61.2
36	चौगुले	57.52	60.64	5.4
37	रेलिस	32.14	60.05	86.8

विवरण—जारी

1	2	3	4	5
38	वी० एस० डैम्पो‡ . . .	20.98	59.61	184.1
39	फिलिप्स	62.33	58.14	(—)6.7
40	सिम्पसन	42.81	57.94	35.3
41	मदुरा कोट्स . . .	34.52	56.33	63.2
42	एस्कोट्स	40.32	54.74	35.8
43	यूनाइटेड ब्रेवरीज . . .	35.53	31.73	45.6
44	कमानी	56.00	51.31	(—)8.4
45	अशोक ललैण्ड . . .	29.03	50.21	72.9

*एक कम्पनी अर्थात् एम० जी० कन्सल्टेन्सी सर्विसेज लि० का प्रथम तुलन-पत्र 1975-76 के वर्ष का है ।

**एक कम्पनी अर्थात् श्रीनिवास ट्रेडिंग कारपोरेशन लि० की 1974 के वर्ष की परिसम्पत्तियां 1975 के वर्ष में दुहरा दी गई हैं ।

†चार कम्पनियों—अर्थात् (1) केमिंग टूल्स प्रा० लि० (2) मनी ट्रेडर्स प्रा० लि० (3) फायनिक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा० लि० तथा (4) प्रीसोजन प्रिंटर्स प्रा० लि० की 1974 के वर्ष की परिसम्पत्तियां, 1975 के वर्ष में दुहरा दी गई है ।

††बिन्नी लि० की 1975 के वर्ष की परिसम्पत्तियां सम्मिलित नहीं हैं, क्योंकि अब वह इस समूह से संबंधित नहीं है ।

‡निम्नांकित पांच कम्पनियों, यथा (1) ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी लि०, (भिवन्डीवाला) (2) मोदो रबड़ लि० (मोदी) (3) हिन्दुस्तान लीवर लि० (हिन्दुस्तान लोवर), (4) मुकुन्द आयरन एण्ड स्टील वर्क्स लि० (बजाज), (5) डेम्पो ब्रादर्श प्रा० लि० (वी० एस० डैम्पो) की 1974 के वर्ष की परिसम्पत्तियां 1975 के वर्ष में दुहरा दी गई है, क्योंकि इनके तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं थे ।

टिप्पणी : आयल इन्डिया लि० का तुलन-पत्र इस कम्पनी के प्रबन्ध में कुछ विवाद होने से 1970 से उपलब्ध नहीं है । अतः आयल इन्डिया लि० की गणना नहीं को गई है ।

अलीबाग तालुक में उर्वरक संयंत्र का लगाया जाना

*401. **डा० बलदेव प्रकाश** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के बिल्कुल पास अलीबाग तालुक में बहुत बड़ा उर्वरक और पैट्रोरसायन उद्योग समूह स्थापित करने के बारे में बम्बई बचाओ समिति का एक प्रतिनिधिमण्डल मंत्री जी से मिला था;

(ख) क्या सरकार ने संयंत्र से होने वाले प्रदूषण के पहलू का अध्ययन किया है तथा कोई निष्कर्ष निकाला है ; और

(ग) क्या यह बड़ी परियोजनाओं की स्थापना महानगरों से दूर करने की सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध नहीं है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) पश्चिमी तट पर रेवास सहित अनेक प्रस्तावित स्थानों में बम्बई हाई गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के बारे में "बम्बई बचाओ समिति" से ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा मंत्री को मिलने की बात कही गई है ।

तथापि पश्चिमी तट से प्राप्त गैस पर आधारित पेट्रो-कैमिकल्स कम्पलैक्स यदि कोई हो, की स्थापना का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) जी, हां । फिर भी अत्यधिक सावधानी रखने के लिये प्रस्तावित उर्वरक संयंत्रों से वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करने के लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त कार्यदल की स्थापना की गई है ताकि इस संयंत्रों के लिये उपयुक्त स्थान का निर्णय किया जा सके ।

(ग) उक्त उर्वरक संयंत्रों के लिये स्थान का निर्णय करते समय सरकार निश्चित रूप से समस्या के हर पहलू को ध्यान में रखेगी जिससे प्रश्न के भाग (ग) में उल्लिखित औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प में निहित घोषणा भी शामिल है ।

कुछ कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों की स्मारिकाओं/बुलेटिनों में दिये गये विज्ञापन

*402. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन कम्पनियों में भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जे० सी० शाह, केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री एच० एम० पटेल और अमरीका में भारत के वर्तमान राजदूत श्री एन० ए० पालकीवाला निदेशक थे, उन्होंने वर्ष 1975, 1976 और 1977 में राजनैतिक दलों द्वारा निकाली गयी स्मारिकाओं/बुलेटिनों में विज्ञापन दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या इनमें से किन्हीं कम्पनियों या उनके निदेशकों को कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कोई कारण बताओ' नोटिस जारी किये गये हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख) सम्बन्धित कम्पनियों के नाम प्रदर्शित करते हुये एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत है । यह विवरण-पत्र कम्पनी कार्य विभाग में 31-12-77 तक प्राप्त सूचना के आधार पर तैयार किया गया है एवं केवल 31-3-77 तक की अवधि के आवृत करता है ।

इस विषय में कार्यवाही की बाबत कृपया नीचे भाग (ग) तथा (घ) के उत्तर का अवलोकन करें ।

(ग) तथा (घ) : हां, श्रीमान् जी । सम्बन्धित कम्पनी रजिस्ट्रारों ने केवल उन कम्पनियों को 'कारण बताओ' नोटिस प्रेषित किये हैं, जिन्होंने एक लाख रु० या इससे अधिक की अदायगियां की है । इस प्रकार की कम्पनियों के नाम प्रदर्शित करते हुये विवरण-पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत है । श्री एन० ए० पालकीवाला के मामले को छोड़कर, इन सभी कम्पनियों के निदेशकों को 'कारण बताओ' नोटिस की प्रतियां भेजी गई है ।

विवरण I

निदेशक का नाम	उन कम्पनियों के नाम, जिन्होंने निर्देशान्तर्गत विज्ञापन प्रेषित किये
श्री० जे० सी० शाह	1. एशियन केबिल्स कारपोरेशन लि०
श्री एन० ए० पालकीवाला	1. दि एसोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनीज लि०
	2. इन्डियन होटल्स कम्पनी लि०
	3. नेशनल आर्गनिक कैमीकल्स इन्डस्ट्रीज लि०
	4. टाटा कैमीकल्स लि०
	5. टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लि०
	6. टाटा एक्सपोर्ट्स लि०
	7. टाटा हाईड्रोइलैक्ट्रिक पावर सप्लाई कम्पनी लि०
	8. टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०
	9. टाटा सन्स लि०
	10. वोल्टास लि०
	11. दि स्वदेशी मिल्स कम्पनी लि०
श्री एच० एम० पटेल	1. सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लि०
	2. न्यू स्टेन्डर्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी लि०
	3. गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर्स लि०
	4. गुजरात मशीनरी मैन्यूफैक्चरर्स लि०
	5. अहमदाबाद काटन मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि०

विवरण II

निदेशक के नाम	उन कम्पनियों के नाम, जिन्हें 'कारण बताओ' नोटिस प्रेषित किये गये थे।
श्री जे० सी० शाह	1. एशियन केबिल्स कारपोरेशन लि०
श्री एन० ए० पालकीवाला	1. दि एसोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनीज लि०
	2. इंडियन होटल्स कम्पनी लि०
	3. नेशनल आर्गानिक केमीकल्स इन्डस्ट्रीज लि०
	4. टाटा केमिकल्स लि०
	5. टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लि०
	6. टाटा एक्सपोर्ट्स लि०
	7. टाटा हाईड्रोइलैक्ट्रिक पावर सप्लाई कम्पनी लि०
	8. टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०
	9. टाटा सन्स लि०
	10. वोल्टास लि०
श्री एच० एम० पटेल	1. सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लि०

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में ड्रिलिंग

*403. **श्री चित्त बसु** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गत वर्ष 1975-76 में भारत-सोवियत रूस दल द्वारा सिफारिश किये गए पश्चिम बंगाल के सभी क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है या इस गहन कार्य के लिए कार्यक्रम आरम्भ किया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : इंडो-सोवियत दल ने इस आशय की सिफारिश की कि सुन्दरबन क्षेत्र और हिन्ज क्षेत्र के पूर्वी और पश्चिमी प्रदेशों में पहले से पता लगाये गये संरचनात्मक लक्षणों वाले क्षेत्रों में भी भू-कम्पीय सर्वेक्षण आयोजित किये जाए। इण्डो-सोवियत दल द्वारा सिफारिश किये गये एक व्यापक कार्यक्रम को ओ० एन० जी० सी० द्वारा वर्ष 1976-77 में आरम्भ किया गया था और वह चल रहा है।

दादर-नागपुर एक्सप्रेस को बोकारो तक बढ़ाया जाना और उससे अतिरिक्त यात्रा सुविधाएं

*404. **श्री वसन्त साठे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बोकारो इस्पात नगर के यात्रियों को अत्यावश्यक यात्रा-सुविधा प्रदान करने के लिये दादर-नागपुर एक्सप्रेस को बोकारो तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;—

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक हो जाने की आशा है ;

(ग) बोकारो इस्पात नगर से बरास्ता टाटा नगर तथा नागपुर बम्बई की ओर जाने वाले यात्रियों को क्या अतिरिक्त यात्रा सुविधायें देने का विचार है ; और

(घ) क्या सरकार बोकारो इस्पात नगर से बम्बई को ओर जाने वाले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के यात्रियों को टाटानगर रेलवे स्टेशन पर हावड़ा-बम्बई मेल एक्सप्रेस तथा गीतांजलि एक्सप्रेस हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस में स्थानों का कोटा आबंटित करने पर विचार करेगी और इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : जी नहीं। 39/40 दादर-नागपुर एक्सप्रेस गाड़ी को बोकारो स्टील सिटी से और वहां तक बढ़ाने का औचित्य नहीं है और न ही परिचालनिक दृष्टि से यह व्यावहारिक है ।

(ग) बोकारो से बम्बई सीधी जाने वाली यात्री गोमी से 3/4 बम्बई-कलकत्ता मेल का उपयोग कर सकते हैं और नागपुर क्षेत्र आदि को जाने वाले यात्री टाटानगर में नागपुर से होकर जाने वाली बम्बई-हावड़ा गाड़ी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं । बम्बई-हावड़ा नागपुर मार्ग पर 4-11-77 से 59/60 गीतांजलि एक्सप्रेस चलायी गयी है और अब यह सप्ताह में 4 दिन चल रही है ।

(घ) बोकारो स्टील सिटी स्टेशन पर इन गाड़ियों के लिए पहले और दूसरे दर्जे का कोटा आबंटित करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है । आरक्षण नियंत्रण स्थानों को संदेश भेजकर बोकारो स्टील सिटी की मांगों को पूरा किया जाता है ।

ईरान के परिवहन मंत्री से रेलवे मंत्री की बातचीत

*405. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान के परिवहन मंत्री ने हाल ही में भारत का दौरा किया था और रेल मंत्री से बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जी हां ।

(ख) ईरान के शिष्ट मंडल ने भारतीय रेलों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की गयी प्रगति की प्रत्यक्ष जानकारी के उद्देश्य से प्रमुख रेल यार्डों, वाराणसी और पेरम्बूर के इंजन और सवारी डिब्बा निर्माण यूनिटों और लखनऊ के अनुसंधान केन्द्र की भी यात्रा की थी । इस यात्रा से पारस्परिक सहयोग के मामलों पर विचार-विमर्श करने और ईरान की राज्य रेलों के विकास में भारतीय रेलों के अधिक सहयोग की सम्भावना का अवसर प्राप्त हुआ ।

सहायक इंजिनीयरों के पदों पर पदोन्नति

3474. एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहायक इंजीनियर के पद पर पदोन्नति के लिए केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में काम कर रहे गैर-स्नातक और स्नातक जूनियर इंजीनियरों के बीच कोटा निर्धारित करने के प्रश्न पर गतिरोध उत्पन्न हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इंजीनियरों में निराशा और असन्तोष दूर करने के लिए भारत सरकार के अधीन सभी इंजीनियरी विभागों के लिए सरकार उपयुक्त/समान नीति क्यों नहीं बनाती ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) कोई गतिरोध नहीं है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि गैर-स्नातक तथा स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों की पदोन्नति के लिए अलग से कोटा न रखा जाए।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में, पदोन्नति एक ही स्रोत से की जाती है। नामतः कनिष्ठ इंजीनियरों से कुछ अन्य मन्त्रालयों में पदोन्नति एक से अधिक स्रोतों से की जाती है। कुछ अलग-अलग किस्म की ड्यूटियां एवं जिम्मेदारियां भी हैं। अतः एकरूपता लाना सम्भव नहीं है।

भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण केन्द्रीय मण्डल का प्राक्कलन

3475. श्री राघवजी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण केन्द्रीय मंडल में प्राक्कलन वर्ष 1975 से मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग की दर सूची से जोड़ तोड़ करके तैयार किया जा रहा है ;

(ख) प्राक्कलन के श्रमिक प्रभारों के अन्तर्गत ए० सी० एन० आर० में 100 से 150 प्रतिशत वृद्धि जाली है क्योंकि लोक-निर्माण विभाग की दरों के किसी भी विश्लेषण के अनुसार यह स्वीकार्य नहीं है ; और

(ग) क्या यह सच है कि इन जाली आंकड़ों के कारण सरकार को भारी हानि उठानी पड़ी है और यदि हां, तो कितनी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) पुरातत्वीय संरक्षण एक अत्यन्त विशेषज्ञता का विषय है और इस कार्य की प्रवृति लोक निर्माण विभाग के कार्य से भिन्न है। इस लिए स्मारकों की मरम्मत पर अनुमानित खर्च हमेशा लोक निर्माण विभाग की निर्धारित दरों पर आधारित नहीं होता और उसी प्रकार वे दरें वास्तविक कार्य निष्पादन के आधार पर दरों का विश्लेषण करके निश्चित की जाती हैं। कार्य की वे मदें, जो लोक निर्माण विभाग में उपलब्ध हैं, उन्हीं दरों पर आधारित हैं।

(ख) जी नहीं। कलेक्टर की अनुमोदित मजदूरी की स्वीकार्य दरें, अनुमानित खर्च में दरों का विश्लेषण करके पारिश्रमिक के लिए स्वीकार की जाती हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Extention of Wild Birds and Animals

3476. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the species of pink headed duck, Sourden coursus, hill cuckoo and great Indian Bustard birds have become extinct and the number of stags, deer, musk deer and 'Yamin' deer is decreasing steadily; and

(b) if so, the steps taken by the Government to preserve the species of the above birds and animals ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Only the Pink-headed duck and Jerdon's Courser are believed to be extinct. The Great Indian Bustard, Musk deer, Thamin deer, Kashmir stag and the Swamp deer are endangered species which are fully protected under Schedule I of the Wildlife (Protection) Act, 1972. There is no bird named as the 'Hill' cuckoo, but there is the 'Himalayan' cuckoo which is not extinct but is fairly common. Owing to over exploitation for trade purposes, the population of the musk deer is generally reported to be declining. The Thamin deer has registered a slight increase in its only habitat in Manipur.

(b) Some of the endangered species mentioned above, viz., the Great Indian Bustard, the musk deer, Thamin deer, and also the Kashmir stag and the Swamp deer, are fully protected from any kind of exploitation under Schedule I of the Wildlife (Protection) Act, 1972. A number of wildlife reserves have been established to give further protection to some of these species, for example, the Kedarnath Sanctuary in Garhwal, and the Kanchenjunga National Park in Sikkim have been set up to protect, among others, the musk deer. The Keibul Lamjao National Park has been set up in Manipur to protect the Thamin deer. The Kashmir stag is protected in Dachigam Sanctuary in Kashmir and the Swamp deer is protected in the Dudwa National Park and the Kanha National Park. As the Great Indian Bustard is scattered and wide ranging, it has not been possible to set aside a special reserve for this endangered bird.

पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये आवास

3477. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या पश्चिम बंगाल राज्य में ऐसे बहुत से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं जिन्हें सरकारी बस्तियों में आवास नहीं दिए गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो 31 जनवरी, 1978 को प्रतीक्षा सूचियों में तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के पृथक-पृथक, कितने-कितने कर्मचारी थे ;

(ग) ऐसे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये राज्य में मकान बनाने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ; और

(घ) पश्चिम बंगाल राज्य में इस समय केन्द्रीय सरकार के तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये क्षेत्रवार कुल कितने सरकारी क्वार्टर हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां। पश्चिम बंगाल में सामान्य पूल वास केवल कलकत्ता में उपलब्ध हैं।

(ख) श्रेणी-III और IV (ग्रुप (ग) और (घ)) के अधिकारियों को सामान्यतया टाईप-I, II और III के क्वार्टर उनकी परिलब्धियों के आधार पर दिये जाते हैं। चालू आबंटन वर्ष में वास की उपलब्धता के आधार पर, सामित आधार पर, आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। टाईप-I, II तथा III के लिये 31 जनवरी, 1978 को क्रमश: 20,983 तथा 450 कर्मचारी प्रतीक्षा सूची में थे।

(ग) कलकत्ता में टाइप-I, II तथा III के 2104 क्वार्टर निर्माणाधीन हैं। वर्ष 1978-79 के दौरान कलकत्ता में, टाईप-I, II तथा III के अन्य 2000 मकानों को बनाने का प्रस्ताव है।

(घ)

क्षेत्र	टाईप-I	टाईप-II	टाईप-III
टाली गंज	176	..	..
डोवेर लेन	20	23	16
इमपैलेस	32	..	..
बेहाला इस्टेट	16	..	325
डलहौजी स्कवेयर तथा एस्प्लेनेड ईस्ट	102	..	..
नरखेल डंगा	..	193	80
लेक एरिया	..	183	101
संत्रागाच्छी (सामान्य पूल)	..	416	16
जोड़	346	815	538

कूच बिहार की राज-बाड़ी का संरक्षण

3478. श्री पायस टिर्की : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजभवन को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षण करने के लिये लोगों की, विशेष रूप से इस क्षेत्र को अनुसूचित जाति के समुदाय को, आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कूच बिहार की राज-बाड़ी (राजा) का संरक्षण करने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार राजमहल को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के प्रश्न की जांच-पड़ताल की जा रही है।

उड़ीसा में जनजाति क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं की क्रियान्विति

3479. **श्री गिरीधर गोमांगो** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उड़ीसा सरकार को मार्ग निर्देशक सिद्धांत जारी किए हैं कि वह वर्ष 1977-78 और 1978-79 के लिए उस राज्य के सिंचाई विभाग से धन का आबंटन करके उप-योजना के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्रों के लिए मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शामिल करे और उनकी क्रियान्वित आरम्भ करे ;

(ख) यदि हां, तो किन परियोजनाओं को तैयार किया गया है और स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है तथा वे कार्यान्वयन के किस चरण में है ; और

(ग) सिंचाई परियोजनाओं हेतु इन क्षेत्रों के लिए उक्त राज्य ने बजट में कितनी व्यवस्था की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) गृह मंत्रालय ने एकीकृत जन-जाति विकास परियोजनाएं तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए हैं जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि परियोजना क्षेत्र में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का शीघ्र पता लगाया जाना चाहिए और उनके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए ।

(ख) और (ग) : उड़ीसा को राज्य योजना के अन्तर्गत 1976-77 के अन्त तक, अपर कोलाब वृहद सिंचाई परियोजना और 9 मध्यम परियोजनाओं नामशः पोतमहल, खड़कई, कालो, रेमल, सुनई, पिलासलकी, नेसा, झारबंध तथा सरपगढ़ का जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में क्रियान्वयन किया जाता रहा । चालू वर्ष अर्थात् 1977-78 के दौरान इन क्षेत्रों में दो मध्यम स्कीमें नामशः बड़ानाला और कनझारी परियोजनाएं हाथ में ली जा रही हैं । पांचवीं योजना के पहले तीन वर्षों में इन परियोजनाओं पर 614.63 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं और चालू वर्ष के दौरान 803.00 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है । राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1978-79 के लिए 905.00 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये मकान

3480. **श्री शरद यादव** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास तथा बम्बई जैसे शहरों में गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये मकान बनाने की परियोजनायें आरम्भ की हैं :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) ऋण, राजसहायता तथा सस्ती भूमि आदि की व्यवस्था करके गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये मकान बनाने हेतु सरकार कर्मचारियों की सहकारी समितियों को क्यों प्रोत्साहन नहीं दे रही है ; और

(घ) आवास परियोजना विकास के अधिकतम कार्यक्रम बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) इस मंत्रालय ने बड़े शहरों में विशेषकर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ही कोई आवास परियोजना आरम्भ नहीं की है । तथापि, वे विशेष रूप से निम्नलिखित आवास योजनाओं से यथेष्ट लाभ उठा सकते हैं :--

(i) निम्न आय वर्ग आवास योजना ;

(ii) मध्यम आय वर्ग आवास योजना ; तथा

(iii) किराया आवास योजना ।

(ग) सरकार सहकारी आवास समितियों के गठन को प्रोत्साहन दे रही है जो अपेक्स सहकारी आवास वित्त समितियों के साथ साथ आवास तथा नगर विकास निगम समिति से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं ।

(घ) आवास क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :--

(i) आवास कार्यक्रम का उद्देश्य पिछले बकाया को निपटाना तथा बढ़ती हुई जनसंख्या की अतिरिक्त मांग को पूरा करना और 20 वर्षों से अधिक अवधि वाले अनुपयोगी मकानों को बदलना है ।

(ii) निम्न आय परिवारों के लिए सार्वजनिक निधियों का उपयोग सीमित करना ताकि इस सेक्टर को नियतन किए गए संसाधनों से अधिक से अधिक रिहायशी एककों का निर्माण किया जा सके ।

(iii) आवास निर्माण को बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र को दिए जाने के लिए प्रोत्साहन देने की व्यवस्था करना ।

वर्ष 1980 में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन

3481. श्री अमर राय प्रधान : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980 में विश्व पुस्तक मेला कलकत्ता में आयोजित किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) : सरकार का विचार चौथे विश्व-पुस्तक मेले का आयोजन 1980 में करने का है । मेले के स्थान के सम्बन्ध में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

Grants to Universities in Bihar

†3482. **Shri Surendra Jha Suman :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the amount of grants provided by the U.G.C. to each University in Bihar during the past three years; and

(b) whether amount of grants will be increased in respect of Universities which were provided small or no amount of grants ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) According to the information furnished by the University Grants Commission, the following grants were paid to the Universities in Bihar during 1974-75 to 1976-77:

Sl. No.	Name of the Universities	1974-75 Rs.	1975-76 Rs.	1976-77 Rs.
1.	Bihar	12,46,000	11,09,407	6,27,570
2.	Bhagalpur	15,28,025	9,32,812	21,78,975
3.	Magadh	14,77,801	3,45,604	16,47,027
4.	Patna	15,19,715	14,13,821	47,92,213
5.	Ranchi	17,84,455	35,32,640	22,21,510
6.	Mithila	—	—	81,245
7.	K. S. D. Sanskrit	10,500	1,35,000	5,34,500

(b) Grants to Universities are disbursed by the Commission on the basis of development programmes approved for a 5-year period on the recommendations of the Visiting Committees appointed by the Commission, and also the progress of expenditure on approved schemes from year to yar.

बाल वर्ष

3483. **श्री सी०के० चन्द्रप्पन** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुये कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1979 को बाल वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, क्या सरकार ने भारत के बच्चों के लिए इसे उचित प्रकार से मनाने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और योजना की रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, हां ।

(ख) "1979 अन्तर्राष्ट्रीय बालक वर्ष" मनाने के लिए "राष्ट्रीय कार्य योजना" का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

पूर्वी निमाड़ में ओंकारेश्वर में खुदाई कार्यक्रम

3484. **श्री परमानन्द गोविन्दजी भाला** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्व विभाग ने मध्य प्रदेश के पूर्वी-निमाड़ जिले में ओंकारेश्वर में कोई सर्वेक्षण अथवा खुदाई कार्यक्रम आरम्भ किया है ;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि ओंकारेश्वर में बड़ी संख्या में प्रतिमायें तथा दुर्लभ पुरातत्वीय वस्तुयें खुले में पड़ी हैं; और

(ग) क्या सरकार ने ओंकारेश्वर में प्राचीन स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए कोई योजना अथवा कार्यक्रम बनाया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के पूर्वी-निमाड़ जिले में ओंकारेश्वर-मांधाता में 1958 वर्ष में सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया है परन्तु कोई उत्खनन-कार्य नहीं किया गया, सिवाय इसके कि 1977 में मामलेश्वर मंदिर के आस-पास इस के नीचे के ढांचे को अनावृत्त करने के लिए एक छोटे स्तर पर खुदाई की गई थी ।

(ख) कुछ प्रतिमाएं संरक्षित सीमा के भीतर खुले में रखी हैं और नियमित निगरानी और चौकसी में हैं । एक प्रतिमा-सायबान के निर्माण के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ग) महत्वपूर्ण स्मारकों में से कुछ संरक्षित किए गए हैं ।

पोरबन, बाकरा और कंकई नदियों संबंधी परियोजना के बारे में बिहार सरकार का प्रस्ताव

3485. **श्री हलीमुद्दीन अहमद** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार के पूर्णिया जिले में पोरबन, बाकरा और कंकई नदियों के द्वारा हुए कटाव और बाढ़ के पानी के परिणामस्वरूप सामान्यतया कृषकों की ओर विशेष रूप से कस्बे के लोगों को हो रही भारी क्षति और कठिनाई से अवगत है ;

(ख) क्या उपरोक्त नदियों के प्रकोप से बचने के संबंध में बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित कोई परियोजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) पोरबन, बाकरा और कनकई नदियां नेपाल के पहाड़ी भूभाग से निकलती है और भारत में बिहार के पूर्णिया जिले में मैदानी इलाके में आती है । ये नदियां अपने साथ भारी गाद (सिल्ट) लाती हैं और भारत में उनका स्वरूप जलोढ़ होने के नाते अपने मार्गों में विसर्पी रूप से बहती हैं और मोड़ों पर अवतल किनारों पर कटाव करती है तथा गाद को ऊपरी किनारों के साथ-साथ जमा करती जाती हैं । भारी वर्षा के दौरान इन नदियों के बाढ़ का पानी आपस में मिल जाता है और एक बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है ।

(ख) और (ग) : बिहार सरकार ने इन नदियों में से दो नदियों पर स्कीमें तैयार की हैं । कनकई नदी पर तटबन्धों के निर्माण के लिए 471 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 1973 में और 1860 लाख रुपये की लागत पर पोरबन पर 1976 में स्कीमें तैयार की गई थी । गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में इन स्कीमों की जांच की गई है और इसकी टिप्पणियों के आधार पर राज्य सरकार को इन स्कीमों को संशोधित करने के लिए अनुरोध किया गया है । इन स्कीमों के प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है । भारत में बाढ़ के पानी के सुरक्षित क्षेत्रों में आने से रोकने के लिए इसके लिए नेपाली सीमा के अन्दर तटबन्धों का विस्तार करना लाजमी होगा । इस प्रश्न को फरवरी, 1977 में भारत

और नेपाल के बीच हुए विचार-विमर्श के दौरान उठाया गया था जब कि यह फैसला किया गया था कि इन सरिताओं की बाढ़ों से सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय तैयार करने के उद्देश्य से दोनों देशों के सम्बन्धित क्षेत्रों के स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और नेपाल में लोहन्द्रा एवं सिधी तथा भारत में पोरबन के मामलों के अध्ययन करने के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। बिहार सरकार से ये सर्वेक्षण करने के लिए अनुरोध किया गया है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय पोर्ट ब्लेयर में छात्रों/अध्यापकों की संख्या

3486. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय पोर्ट ब्लेयर में अलग-अलग कुल कितने छात्र और अध्यापक हैं ;

(ख) गत वर्ष और इस वर्ष केन्द्रीय विद्यालय की इमारत के लिए कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ग) गत वर्ष और इस वर्ष 30,000 छात्रों के लिए संघ क्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप समूह में सरकार द्वारा चलाये गये स्कूलों की इमारतों के निर्माण के लिए कुल कितनी राशि मंजूर की गई ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) :

(क) विद्यार्थियों की कुल संख्या . . 449
अध्यापकों की कुल संख्या . . . 39 (प्रिंसिपल सहित)

(ख) 1976-77 . . . . 3.50 लाख रु०
1977-78 . . . . 17.00 लाख रु०

(ग) अनुदानों की मांग के अनुसार अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में स्कूल भवनों के निर्माण के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई थी :—

1976-77 . . . . 3.63 लाख रु०
1977-78 . . . . 2.81 लाख रु०

10 एकड़ से अधिक जोत-क्षेत्र और फालतू भूमि का वितरण

3487. **श्री रोबिन सेन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में वर्ष 1968 से 1976 के बीच 10 एकड़ से अधिक जोत-क्षेत्र का वर्ष वार प्रतिशत क्या था ;

(ख) 1968 से 1976 के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने एकड़ फालतू भूमि का भूमिहीनों और गरीब किसानों में जिनके पास दो एकड़ जमीन थी वितरण किया गया ;

(ग) राज्यों में उपरोक्त अवधि में कितने एकड़ फालतू भूमि का वितरण नहीं किया गया ; और

(घ) क्या सरकार के पास सम्बद्ध राज्यों में उनकी अधिकतम भूमि सीमा से अधिक कुल बेनामी भूमि के आंकड़े हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) इस उत्तर से संलग्न सूची 1 में प्रत्येक राज्य में चार हैक्टार (मोटे तौर पर 10 एकड़ के बराबर) से अधिक जोत-क्षेत्र की प्रतिशतता दी गई है। यह सूचना 1970-71 में की गई कृषि संगणना के दौरान संकलित आंकड़ों पर आधारित है। 1968 से 1976 तक के प्रत्येक वर्ष के लिए सूचना संकलित नहीं की गई हैं।

(ख) जोत की अधिकतम सीमा सम्बंधी नियम 1960 से प्रारम्भ में होने वाले दशक में बनाए गए थे और ये 1972 में जारी किए गए राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर उन्हें संशोधित किया गया था। संशोधन-पूर्व और संशोधन के बाद जोत की अधिकतम सीमा सम्बंधी नियमों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में वितरित हुई फालतू भूमि के क्षेत्र को इस उत्तर से संलग्न विवरण 2 में दिखाया गया है। इस क्षेत्र का वर्ष वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) जोत की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत फालतू भूमि के निर्धारण का कार्य अभी चल रहा है और अभी यह बताना संभव नहीं है कि अन्ततः कितनी भूमि फालतू घोषित की जाएगी। तथापि, 1976 के अन्त तक जोत की अधिकतम सीमा सम्बंधी नियमों के अन्तर्गत 6,92,693 एकड़ क्षेत्र फालतू घोषित किया गया और शेष अवितरित भूमि को कब्जे में ले लिया गया। इसी प्रकार संशोधन-पूर्व जोत की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों के अन्तर्गत कब्जे में लिया गया लगभग 5,82,450 एकड़ क्षेत्र जून 1976 के अन्त तक अवितरित रहा।

(घ) जी नहीं। जोत की अधिकतम सीमा सम्बंधी नियमों को पूर्वव्यापिप्रसहित लागू किया गया और इनमें एक निश्चित दिन से पूर्व किए गए हस्तांतरणों को निरस्त करने की व्यवस्था की गई थी (अधिकतर मामलों में 24 जनवरी, 1971 से) क्या एक विशेष हस्तांतरण बेनामी है या नहीं, इसका निर्धारण कानून के अन्तर्गत एक सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाता है। जहां एक हस्तांतरण को प्रभावहीन घोषित किया जाता है, हस्तांतरित भूमि को हस्तांतरणकर्त्ता की जोत की सीमा में माना जाता है।

विवरण 1

समस्त संक्रियागत जोतों की तुलना में 4 हेक्टार और उससे अधिक संक्रियागत जोतों की प्रतिशतता

राज्य	कुल संक्रियागत जोतों की तुलना में 4 हेक्टार और उससे अधिक संक्रियागत जोतों की प्रतिशतता
1. आन्ध्र प्रदेश	17.0
2. असम	5.1
3. बिहार	9.0
4. गुजरात	34.3

विवरण 1—जारी

1	2
5. हरियाणा	31.3
6. हिमाचल प्रदेश	7.4
7. जम्मू व कश्मीर	2.6
8. कर्नाटक	23.7
9. केरल	1.4
10. मध्य प्रदेश	31.3
11. महाराष्ट्र	35.2
12. मणीपुर	1.2
13. मेघालय	4.5
14. नागालैंड	45.2
15. उड़ीसा	10.5
16. पंजाब	23.0
17. राजस्थान	39.0
*18. सिक्किम	उ०नं०
19. तमिलनाडु	7.2
20. त्रिपुरा	2.8
21. पश्चिम बंगाल	4.5
22. उत्तर प्रदेश	5.4
23. संघ राज्य क्षेत्र	23.9
भारत	15.2

*सिक्किम में कोई कृषि संगणना नहीं हुई है।

विवरण 2

जोत की अधिकतम सीमा के अनुसार फालतू घोषित की हुई भूमि का विवरण

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	संशोधित से पूर्व जोत की अधिकतम सीमा सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत वितरित क्षेत्र (एकड़ों में)	1976 के अंत तक जोत की संशोधित अधिकतम सीमा सम्बन्धित नियमों के अंतर्गत वितरित क्षेत्र (एकड़ों में)	कुल वितरित क्षेत्र (एकड़ों में)
आन्ध्र प्रदेश	875	63,043	63,918
असम	79,951	2,45,027	3,24,978
बिहार	1,173	99,063	1,00,236
गुजरात	43,899	..	43,899
हरियाणा	55,618*	29,000	84,618
हिमाचल प्रदेश	292*	4,141	4,433
जम्मू व काश्मीर	4.50,000	..	4,50,000
कर्नाटक	..	13,383	13,383
केरल	..	26,271	26,271
मध्य प्रदेश	33,676	18,188	51,864
महाराष्ट्र	1,60,526	2,30,660	3,91,186
मणीपुर	..	..	..
उड़ीसा	..	47,252	47,252
पंजाब	74,200	3,773	77,973
राजस्थान	1,93 099	99,235	2,92,334
तमिलनाडु	49,923	36,796	86,719
त्रिपुरा	..	..	..
उत्तर प्रदेश	1,73,548	1,10,292	2,83,840
पश्चिम बंगाल	5,66,417	34,900	6,01,317
दादरा और नागर हवेली	..	1,178	1,178
दिल्ली	101	..	101
पांडेचेरी	..	362	362
	18,83,298**	10,62,564	29,45,862

*सितम्बर, 1977 के अंत तक संकलित सूचना के अनुसार।

**1,30,110 स्टैन्डर्ड एकड़ सम्मिलित है।

New Districts under Drought-Prone area Programme in Gujarat

3488. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of Taluks in Gujarat, where Drough1Prone Area Programme is under implementation at present and whether Government of Gujarat have made any demand to the Central Government for inclusion of 27 Taluks in Drought-Prone Area Programme and if so when and the new Taluks which are sought to be included and the grounds advanced therefor;

(b) the time by which these 27 new Taluks would be brought under D.P.A.P. scheme;

(c) the criterion for inclusion of new Taluks in D.P.A.P. scheme; and

(d) the time since when D.P.A.P. scheme is in operation in Gujarat and the number of new Taluks in Gujarat to be included in D.P.A.P. scheme during Sixth Five Year Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) 41 taluks in 10 districts of Gujarat are covered under the DPAP at present. The State Government has requested on 31st January, 1978 for inclusion of 27 new taluks under DAPP on the following grounds :—

(i) These areas have experienced severe drought conditions continuously from 1970 to 1975;

(ii) The Irrigation Commission, 1972 identified 58 taluks as drought-prone, out of which only 31 taluks are covered under DPAP. The remaining 27 taluks, which are drought-prone should also be covered under DPAP;

(iii) The basis for identification of taluks under DPAP by the State Government earlier was based on reports which are now somewhat out of date.

The names of new taluks which are sought to be included are in the list attached.

(b) Inclusion of new areas under DPAP is not being considered at present, hence this question does not arise.

(c) The question does not arise in view of reply to (b) above.

(d) The DPAP has been in operation in Gujarat since 1970-71. It was however initiated as Rural Works Programme and subsequently designated as DPAP from 1972. According to the present indication no new taluks in Gujarat will be included under DPAP during the 6th Five Year Plan.

STATEMENT

List of New Taluks proposed by the State Government

Sl. No.	District	Taluks
1	Mehsana	(1) Chanasma (2) Patan (3) Kadi (4) Kalol
2	Ahmedabad	(5) Dholka (6) Sanand
3	Kaira	(7) Cambay (8) Matar (9) Mehmdabad
4	Broach	(10) Jambusar (11) Waghra (12) Hansot
5	Kutch	(13) Mundra (14) Mandavi
6	Jamnagar	(15) Jodia (16) Kalawad
7	Rajkot	(17) Maliya (18) Morvi
8	Bhavnagar	(19) Bhavnagar (20) Vaibhipur (21) Botad (22) Gariadhar (23) Kundla
9	Amreli	(24) Amreli (25) Jafrabad (26) Babara (27) Lilia

सोयाबीन का उत्पादन

3489. **श्री भगतराम :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष के दौरान, राज्यवार, सोयाबीन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : वर्ष 1977-78 के दौरान सोयाबीन विकास सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत विशेषकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों में सोयाबीन का उत्पादन बढाने के लिए उपाय किये गए थे। इन उपायों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

1. मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती की 1.36 लाख हेक्टार क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश में 0.54 लाख हेक्टार क्षेत्र में बुवाई करना।
2. उन्नत बीजों तथा अन्य उन्नत पैकेज पद्धतियों का उपयोग।
3. नई किस्मों के बीजों की मिनीकिटों की निशुल्क सप्लाई (प्रत्येक किट में नई किस्मों के इतने बीज होते हैं जिन से आधे हेक्टार क्षेत्र की बुवाई हो सकती है)
4. कृषि के वैज्ञानिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से किसानों के खेतों में भारी संख्या में प्रदर्शनों की व्यवस्था करना।

उपर्युक्त उपायों के अलावा किसानों को सोयाबीन के विपणन की समस्या पर काबू पाने में सहायता देने के उद्देश्य से सरकार ने 145 रु० प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य भी घोषित किया है, जिसमें 1977-78 के मौसम की सोयाबीन की अच्छी औसत किस्म के लिए 10 रु० प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन प्रीमियम भी शामिल है। समर्थन मूल्य के कार्य राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ को सौंपे गए हैं।

आई० टी० आई० छात्र संघ की मांग

3490. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० टी० आई० छात्र संघ ने सरकार से मांग की है कि देश भर में सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उनके मंत्रालय के अधीन लाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने यह सिफारिश की है कि केन्द्र तथा राज्यों दोनों में, समेकित दृष्टिकोण के जरिए सन्तुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए शिल्पकार से लेकर औद्योगिकी-विज्ञों के स्तर तक की तकनीकी शिक्षा की योजना तथा आयोजन के कार्य, एक ही राष्ट्रीय एजेन्सी के अन्तर्गत लाए जाएं। यह सिफारिश सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली दुग्ध योजना के दुध की कमी

3491. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है की दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना के दुध की भारी कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार दूध की भारी कमी को पूरा करने के लिये, विशेषकर समाज के निर्बल वर्गों के लिये, दूध की उचित मूल्यों पर पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना प्रति दिन लगभग 3.75 लाख लिटर दूध को संभालती है जो इसकी अधिष्ठापित क्षमता है । इसमें और वृद्धि करने की गुंजाइश नहीं है । दिल्ली में दूध की सप्लाई की कमी को पूरा करने के लिये 4 लाख लिटर की दैनिक क्षमता की एक दूसरी डेरी स्थापित की गई है । सरकार समाज के कमजोर वर्गों को साहाय्य प्राप्त दर पर डबल टोन्ड दूध की पहले ही सीमित सप्लाई कर रही है ।

Infra-Structure for Construction of link road in Gujarat

3492. **Shri Chhitubhai Gamit** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the progress made during 1972-77 in rural infra-structure development scheme for the construction of link roads in rural and Adivasi areas of Gujarat and the district-wise details thereof;

(b) the contributions made by the Centre and Government of Gujarat with regard to expenditure on this scheme;

(c) the amount spent so far with the positive achievements and the details thereof; and

(d) the amount proposed to be spent in Gujarat in the coming years and the number of villages in each district in Gujarat where this facility is likely to be provided and the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) There was no Central scheme for construction of rural link roads *per se* upto the end of Fourth Five-Year Plan i.e. March, 1974. However, the district-wise progress as reported by the Government of Gujarat is given in statement attached.

(b) No contribution was made by the Govt. of India for construction of rural roads by the State Public Works Deptt. from 1972-77.

(c) The details have been given in the statement attached.

(d) As reported by the Government of Gujarat, the amount proposed to be spent during 1978-79 is Rs. 10 crores. Likely outlay for the five years period 1978-83 is Rs. 93.00 crores. Number of villages to be connected in each district are given in statement attached.

STATEMENT

Development of Rural Roads in Gujarat.

Sl. No.	Name of the District	Expenditure incurred (Rs. in lakhs)			Kilometerage of Rural Roads existing as on (K.M.)			No. of villages having population of 1,500 and above connected/ to be connected by all weather approach Roads	
		1974-75	1975-76	1976-77	1-3-75	31-3-76	31-3-77	Connected as on 31-3-77	Likely to be connected from 197778
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ahmedabad	16·45	8·59	13·05	8·79	883	941	143	106
2	Amreli	24·05	17·51	12·46	1,016	1,034	1,106	96	52
3	Banaskantha	10·09	13·24	13·68	1,147	1,158	1,125	85	72
4	Baroda	15·05	12·29	15·70	1,400	1,396	1,403	162	54
5	Bhavnagar	12·29	8·34	13·75	1,636	1,638	1,761	124	82
6	Broach	17·10	8·59	15·40	1,126	1,116	1,125	103	46
7	Bulsar	10·70	6·55	16·83	1,165	1,171	1,171	176	110
8	Dangs	..	..	..	691	3,691	691	2	..
9	Gandhinagar	..	..	..	160	161	164	28	15
10	Jamnagar	5·24	8·63	8·15	777	770	794	77	72
11	Junagadh	6·20	9·16	13·63	1,130	1,137	1,217	187	87
12	Kutch	7·42	8·21	8·50	1,398	1,371	1,391	76	47
13	Kheda	24·12	7·51	13·46	1,054	1,096	1,149	313	164
14	Mehsana	6·53	15·24	13·93	698	735	747	127	281
15	Panchmahals	17·09	16·91	16·11	2,133	2,112	2,117	157	130
16	Rajkot	25·50	7·75	9·14	1,516	1,525	1,543	136	71
17	Sabarkantha	23·47	7·41	12·84	936	960	1,017	65	117
18	Surat	13·40	13·28	15·97	1,339	1,341	1,341	125	82
19	Surendranagar	18·93	9·41	9·16	606	643	675	63	39
	TOTAL	253·63	168·63	221·76	20,807	20,938	21,578	2,245	1,627

अप्रयुक्त उपजाऊ भूमि का उपयोग

3493. **श्री के० मालन्ना** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का देश में अप्रयुक्त पड़ी हुई कथित तीन करोड़ एकड़ उपजाऊ भूमि का उचित उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : 1970-71 की कृषि गणना रिपोर्ट के अनुसार, आपरेशन जोतों में 124 लाख हेक्टार (लगभग 3 करोड़ एकड़) क्षेत्र अप्रयुक्त पड़ा पाया गया। इस मे वर्तमान परती भूमियों के अलावा, परती भूमि, उत्पादन योग्य बंजर भूमि व अन्य अकृष्ट भूमियां शामिल हैं। राज्य सरकारों से कहा गया है कि ऐसी परती पड़ी हुई भूमि को आपरेशन जोतों के अन्तर्गत लाने तथा यदि आवश्यक हो तो, इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त कानून बनाने के लिए उपयुक्त कदम उठायें ।

दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध टोकन प्राप्त करने का समय

3494. **श्री प्रद्युम्न बल** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1977 में दिल्ली दुग्ध योजना ने लोगों को दुग्ध टोकन वितरित किये थे और टोकन प्राप्त करने के लिये एक महीने से भी कम समय दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि समय कम होने के कारण अधिकांश लोग समय पर टोकन प्राप्त नहीं कर सके ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली दुग्ध योजना को यह निदेश देने का है कि वह कम से कम उन लोगों को टोकन दे दे जिन के टोकन मंजूर कर दिये गये थे परन्तु जो उन्हें प्राप्त नहीं कर सके थे ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां । यथार्थ मामलों में 10 जनवरी, 1978 तक भी टोकन जारी किए गए थे ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

अपने मकान वाले व्यक्तियों को सरकारी आवास का पुनः आबंटन

3495. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा**

श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने सरकारी कर्मचारियों ने जिन के दिल्ली संघ क्षेत्र में अपने मकान हैं, दिनांक 9 सितम्बर, 1976 के सरकारी आदेश के अनुसरण में सरकारी आवास खाली किये हैं ;

(ख) उन सरकारी कर्मचारियों के बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है जिन्होंने सरकारी आवास खाली कर दिये हैं किन्तु उन्हें लम्बे अर्से तक मुकदमेबाजी चलने के कारण अपने मकानों का कब्जा नहीं मिल पाया है ; और

(ग) क्या सरकार अपने कर्मचारियों को आवास देना चाहेगी जिन्हें सरकारी आवास छोड़ना है, किन्तु जिन्हें कानून में कमी और उसके निर्वचन के कारण लम्बे समय तक मुकदमेबाजी के कारण अपने निजी मकानों का कब्जा अभी तक नहीं मिला है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) निजी मकान वाले अधिकारियों की संख्या 3034 है जिन्होंने दिल्ली/नई दिल्ली में सम्पदा निदेशालय के नियंत्रणाधीन सामान्य पूल वास खाली कर दिए हैं ।

(ख) सभी निजी मकान वाले अधिकारी अब सरकारी वास के आबंटन के पात्र हैं और उन्हें अपनी बारी आने पर ही मिलना है ।

(ग) ऐसे कर्मचारियों को कोई विशेष प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है ।

संगीत नाटक अकादमी द्वारा अनुदान

3496. **श्री पदमाचरण सामन्त सिंहेरा** : क्या **शिक्षण, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनुदानों के लिये संगीत नाटक अकादमी के पास अनेक आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां तो सरकार को ऐसी संस्थाओं से कितने आवेदन पत्र मिले हैं उन और संस्थाओं में से किन किन को अनुदान मंजूर नहीं किये गये और उस के क्या कारण हैं तथा इसमें प्रत्येक राज्य के लिये कितनी राशि चाहिये ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) संगीत, नाटक अकादमी द्वारा 1977-78 के दौरान वित्तीय सहायता हेतु प्राप्त कोई आवेदन पत्र अनिर्णीत नहीं पड़ा हुआ है ।

(ख) 1977-78 के दौरान अनुदान हेतु प्राप्त 207 आवेदन-पत्रों में से 94 संस्थाओं को वित्तीय सहायता मंजूर नहीं की गई थी । सम्बन्धित संस्था की प्रतिष्ठा और शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, आवेदन पत्रों की जांच की जाती है । निम्नलिखित विवरण संलग्न है :

(i) 1977-78 के दौरान जिन संस्थाओं को अनुदान मंजूर नहीं किये गये उनकी राज्य वार सूची (अनुबन्ध-I) ।

(ii) 1977-78 के दौरान मंजूर किये गये अनुदान राज्य वार (अनुबन्ध-II) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—1867/78]

Construction of Rajasthan Canal with Assistance from Iran

†3497. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the length of the Rajasthan canal likely to be constructed with the financial assistance given by Iran and whether Government have formulated any scheme in this regard; and

(b) if so, the details of the scheme ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) The Shehanshah of Iran has offered to make available additional crude oil suppiles annually at OPEC prices on credit terms. The rupee equivalent of these instalments can be used to finance approved projects. Rajasthan Canal Scheme stage II is one of the projects for which this finance may be used. However, no specific scheme has been formulated and presented to the Iranians for financing.

(b) Does not arise.

Irrigational Facilities for Cultivable Land

†3498. **Shri Ramanand Tiwary :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the State-wise break-up of land under cultivation in the country;

(b) the percentage of land out of it under irrigation; and

(c) programme of the Government to provide irrigational facilities for cultivable un-irrigated land ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) & (b): A statement giving the State-wise break-up of net sown area, net irrigated area and percentage of net irrigated area to net sown area as for the year 1974-75 is attached.

(c) The total irrigation potential of the country through major/medium and minor irrigation schemes has been assessed at present as 107 million hectares (gross) against which a potential of 54 m.h.a. (gross) is likely to be created by the end of 1977-78. It is aimed to create the remaining irrigation potential during the next 15 years and a target of additional irrigation potential of 17 m.ha. is laid for the Five Year Plan beginning April, 1978.

STATEMENT

State ment giving the State-wise break-up of net sown area, net irrigated area and percentage of net irrigated area to net sown area as far the year 1974-75 *(provisional)*

(Thousand Hectares)

Sl. No.	State	Net Sown area	Net Irrigated area	Percentage of net irrigated area to net sown area
1	Andhra Pradesh	11,492	3,346	29·1
2	Assam	2,543	572(b)	22.5
3	Bihar	8,344	2,523	30·2
4	Gujarat	7,942*	1,371(c)	17·3
5	Haryana	3,519	1,779	50·6
6	Himachal Pradesh	544	91	16·7
7	Jammu & Kashmir	694	295	42·5

(Thousand Hectares)

STATEMENT—*Contd.*

Sl. No.	State	Net Sown area	Net Irrigated area	Percentage of net irrigated area to net sown area
8	Karnataka	10,306	1,267	12·3
9	Kerala	2,208	465	21·1
10	Madhya Pradesh	18,516	1,635	8·8
11	Maharashtra	18,206	1,612	8·9
12	Manipur (d)	140	65	46·4
13	Meghalaya	174	43	24·7
14	Nagaland	112	37	33·0
15	Orissa	5,719	927	16·2
16	Punjab	4,092	3,183	77·8
17	Rajasthan	13,958	2,647	19·0
18	Sikkim	Not available		
19	Tamil Nadu	5,554	2,438	43·9
20	Tripura	240	30(e)	12·5
21	Uttar Pradesh	17,161	7,793	45·4
22	West Bengal	6,420*	1,489(f)	23·2
23	Union Territories	460	122	26·5
	ALL INDIA	138,344	33,730	24·4

(b) Relates to the year 1953-54.
(c) Estimated on the basis of T.R.S. figures.
(d) Ad-hoc Estimates.
(e) Relates to the year 1973-74.
(f) Relates to the year 1967-68.
* Estimated.

विश्व पुस्तक मेला

3499. **श्री के० ए० राजन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरे विश्व पुस्तक मेले से लगभग 13 लाख रुपये की हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और कारण क्या हैं ;

(ग) क्या यह आरोप लगाया गया है कि कुछ प्रकाशनो के साथ पक्षपात किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) तीसरा विश्व-पुस्तक मेला पुस्तकों में जनता की रुचि बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था, न कि एक वाणिज्यिक प्रयास के रूप में । तथापि, आय से ऊपर व्यय लगभग 13 लाख रुपये है ।

(ख) 11,44,000 रुपये के अनुमानित राजस्व की तुलना में कुल व्यय लगभग 24,44,000 रुपये होने का अनुमान है । पुस्तक मेले के लिए राजस्व के मुख्य स्रोत प्रकाशनों से पुस्तक-स्टालों का किराया तथा दर्शकों को टिकट की बिक्री से एकत्र हुई राशि थी । स्टालों/दुकानों के किराए, वाणिज्यिक आधार पर इसलिए निर्धारित नहीं किए गए थे, ताकि अधिक से अधिक प्रकाशक भाग ले सकें। इसी प्रकार, प्रवेश शुल्क भी मामूली अर्थात्, वयस्कों के लिए 50 पैसे तथा बच्चों के लिए 25 पसे था, जिससे कि लोगों में पुस्तक पढ़ने की अधिक रुचि उत्पन्न करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, अधिक दर्शकों को प्रोत्साहित किया जा सके.।

(ग) सरकार को ऐसा कोई आरोप प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी

3500. **श्री टी० एस० नेगी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री 28 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1565 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त प्रश्न के (ख) भाग में मांगी गई जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो इस में असाधारण विकल्प के क्या कारण हैं और इसे कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने समिति से स्थिति का पता लगाया है तथा यह निम्नलिखित है :--

वर्ष	अध्यापक	गैर-अध्यापक	जोड़
1961	98	9	107
1962	10	2	12
1963	30	9	39
1964	68	64	132
1965	183	59	242
1966 . . .	307	125	432
1967	91	67	158
1968	15	8	23

वर्ष	अध्यापक	गैर अध्यापक	जोड़
1969 . . .	47	82	129
1970 . . .	24	14	38
1971 . . .	74	182	256
1972	29	22	51
1973	11	6	17

समिति वर्ष 1961 में पंजीकृत की गई थी परन्तु सदस्यता का दावा वर्ष 1960 से है । उपर्युक्त सूचना व्यक्तियों द्वारा समिति की सदस्यता के लिए किए गए दावों पर आधारित है । दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई दो रिट याचिकाओं की विषय वस्तु होने के कारण सदस्यता के मामले में अभी निर्णय करना शेष है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिम में बहने वाली नदियों के फालतू जल को तामिलनाडु की ओर मोड़ना

3501. **श्री के० ए० राजू** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम में बहने वाली नदियों के फालतू जल को तमिलनाडु की ओर मोड़ने की समस्या के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) क्या इस बारे में कोई समयबद्ध कार्यक्रम है और उसे वास्तविकता में कब परिवर्तित किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारत सरकार द्वारा कर्नाटक और केरल की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को पूर्व की ओर को मोड़ने की संभाव्यता का अध्ययन करने के लिए सदस्य (जल संसाधन), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिसम्बर, 1976 में एक तकनीकी समिति गठित की गयी थी । इस समिति की बैठक करना अभी तक संभव नहीं हो सका है क्योंकि केरल सरकार ने इस समिति में अपने प्रतिनिधि को मनोनीत नहीं किया है ।

(ख) इस मामले पर आगे कार्यवाही समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और उसकी जांच किए जाने के पश्चात् ही की जाएगी ।

महाराष्ट्र में भारतीय खाखाद् निगम के गोदाम

3502. **श्री आर० के० महालगी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में भारतीय खायद् निगम के जिलावार खुले गोदामों की संख्या कितनी है तथा उनकी भण्डारण क्षमता कितनी है ;

(ख) उन गोदामों में गत बरसात में किस प्रकार का और कितना नुकसान हुआ ; और

(ग) आगामी बरसात में उससे होने वाली क्षति और हानि को टालने के लिये क्या पूर्वोपाय किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) महाराष्ट्र में खुले गोदामों (कैंप स्टोरेज) के ब्यौरे इस प्रकार हैं :--

जिले का नाम	केन्द्र का नाम	क्षमता (हजार मी० टन में)
बृहत्तर बम्बई . .	बम्बई . . .	4.70
पूना . . .	सांगली . . .	2.00
पूना . .	कोल्हापुर . . .	1.50
पूना . . .	देहू रोड . . .	580.00
कल्याण . . .	कल्याण . . .	150.00
मनमाड़ . .	मनमाड़ . . .	28.10
	जोड़ .	766.30

(ख) भारी वर्षा के कारण 1977-78 के दौरान 56,790 मी० टन खाद्यान्न प्रभावित हुए थे । प्रभावित स्टाक की सफाई करने सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है और 31-1-78 तक 38.6 लाख रुपये मूल्य के 2863 मी० टन के स्टाक को अलग किया गया था जो कि क्षतिग्रस्त था तथा मानव उपभोग के अयोग्य था । तथापि, मानव उपभोग के अयोग्य पायी गई मात्रा से संबंधित अन्तिम आंकड़ों का तभी पता चल पायेगा जब सफाई कार्य पूरा हो जाएगा ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

खाद्यान्नों की क्षति रोकने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए हैं :--

(1) स्टाक को लकड़ी के क्रटों में रखा जाता है और वर्षा से बचाने के लिए उनको विशेष रूप से बनायी गई पोलीथीन की चादरों से ढका जाता है ।

(2) तेज हवा, आँधी आदि के कारण चादरों का उड़ने से बचाव करने के लिए पोलीथीन की चादरों को उचित ढंग से बांधने के लिए नाइलोन की रस्सियां सुलभ की जाती हैं ।

(3) मौसम के प्रकोप से और सुरक्षा करने के लिए प्रमुख कैंप कम्प्लैक्सों में मोनोफिलामेंट के जाल और क्वर टाप्स भी सुलभ किए जाते हैं ।

(4) खाद्यान्नों की सुरक्षा करने के लिए पोलीथीन की चादरों को समय समय पर बदला जाता है ।

(5) घनीकरण के कारण क्षति को रोकने के लिए चादरों को उठाकर स्टाक का अति सावधानी से वातन किया जाता है ।

(6) कैप में रखे गए स्टाक का नियमित रूप से निरीक्षण करने और उसे सुरक्षित रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है । भारी मात्रा में खाद्यान्नों का स्टाक कैप में लगभग दो वर्षों से पड़ा होने के बाद भी काफी अच्छी हालत में है । वास्तव में, भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपनायी गई कैप स्टोरेज की तकनीक से लाखों मीटरी टन खाद्यान्नों को पाया जा सका है और यदि ऐसा न किया जाता तो वह बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो जाता क्योंकि स्टाक को रखने के लिए कोई भण्डारण स्थान उपलब्ध नहीं था ।

(7) कैप स्टोरेज के स्थान पर अन्य प्रकार की भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न पग उठाए गए हैं । इन में स्टैकों की ऊंचाई को बढ़ाकर, सभी उपलब्ध साधनों से ढके हुए स्थान को किराए पर लेकर, भारतीय खाद्य निगम द्वारा भारी संख्या में गोदामों का निर्माण कर और भारतीय खाद्य निगम की निर्दिष्टियों के अनुसार गारंटी योजना के अन्तर्गत निजी पार्टियों द्वारा गोदामों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित कर वर्तमान भण्डारण क्षमता का अनुकूलतम इस्तेमाल करना शामिल है ।

केन्द्रीय स्कूल संगठन के कर्मचारियों को प्रवेश के मामले में ढील देना

3503. **श्री अहमद हुसैन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में (राज्यवार) कितने केन्द्रीय स्कूल हैं ;

(ख) केन्द्रीय स्कूल संगठन में पूरे देश में विभिन्न संवर्गों में कुल कितने कर्मचारी (अध्यापक तथा अन्य सहित) हैं;

(ग) इस संगठन के कुल कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनके आश्रित बच्चे इस वर्ष विभिन्न केन्द्रीय स्कूलों में भर्ती हैं;

(घ) क्या स्कूलों/संगठन के कर्मचारियों को प्रवेश-प्रक्रिया के मामले में कोई ढील दी जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय कूल संगठन/केन्द्रीय स्कूल के कर्मचारियों को उपलब्ध ऐसी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) से (ङ) : केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यापन तथा गैर-अध्यापन दोनों ही प्रकार के कर्मचारियों की कुल संख्या 11,635 है । सुरक्षा कार्मिकों सहित स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों सहित इन कर्मचारियों के बच्चों को दाखिले में तरजीह दी जाती है । तथापि, उन कर्मचारियों की ठीक संख्या, जिनके बच्चे विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों में भर्ती हैं, उपलब्ध नहीं हैं ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या
1	अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1
2	आंध्र प्रदेश	10
3	अरुणाचल प्रदेश	2
4	असम	13
5	बिहार	19
6	चंडीगढ़	2
7	दिल्ली	12
8	गोआ	1
9	गुजरात	9
10	हरियाणा	8
11	हिमाचल प्रदेश	3
12	जम्मू और काश्मीर	6
13	कर्नाटक	12
14	केरल	6
15	मध्यप्रदेश	17
16	महाराष्ट्र	20
17	मणिपुर	1
18	मेघालय	3
19	उड़ीसा	8
20	पांडिचेरी	1
21	पंजाब	12
22	राजस्थान	13
23	सिक्किम	1
24	तमिलनाडु	14
25	त्रिपुरा	1
26	उत्तर प्रदेश	35
27	पश्चिम बंगाल	13
	योग	243

राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कारों को समाप्त करना

3504. **श्री मुख्तयार सिंह मलिक** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह ताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भिन्न-भिन्न वर्गों के व्यक्तियों को पुस्तक लिखने, उच्च किस्म के मुद्रण और कलांगों के नियोजकों और नियोजितों की शिक्षा आदि जैसे राष्ट्रीय -जीवन के व्यापक हित में उनकी सराहनीय सेवाओं की मान्यता देते हुए पुरस्कार देती है ; और

(ख) शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तियों की सराहनीय सेवाओं के लिये राष्ट्रीय तथा राज्य पुरस्कारों को समाप्त करने के कारण तथा परिस्थितियां क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जहां तक राष्ट्रीय पुरस्कारों का सम्बन्ध है, ऐसा कोई प्रस्ताव वापिस नहीं लिया गया है।

विवरण

व्यक्तियों को पुरस्कार इन बातों के लिए दिए जाते हैं :

1. **पुस्तक लेखन** :

(i) हिन्दी, संस्कृत तथा लेखक की मातृभाषा को छोड़कर भारतीय भाषाओं की पुस्तकें।

(ii) हिन्दी में उन लेखकों द्वारा पुस्तकें जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है।

(iii) भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर के मानक ग्रन्थ। किसी भी भारतीय भाषा में 31 दिसम्बर, 1972 तक प्रकाशित मूल पुस्तकों को सम्मिलित करते हुए पुरस्कार प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(iv) नव-साक्षरों के लिए पाण्डुलिपियों की राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता के अन्तर्गत, उन लेखकों को 1000 रु० प्रत्येक के नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जिनकी पाण्डुलिपियां पुरस्कार के लिए चुनी जाती हैं। राष्ट्रीय महत्व के विषयों तथा नव-साक्षर प्रौढ़ों से संबंधित संगत विषयों पर देश की सभी प्रमुख भाषाओं (संस्कृत को छोड़ कर) में प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। पुरस्कार विजेता लेखकों को नकद पुरस्कार के अतिरिक्त, मंत्रालय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पाण्डुलिपियों की 1500 प्रकाशित प्रतियां भी खरीदता है।

1954 से, ऐसी 19 प्रतियोगिताएं पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं। 19 वीं प्रतियोगिता से, परिवार कल्याण विभाग भी इस प्रतियोगिता में सहयोग दे रहा है। इस प्रतियोगिता के अन्तर्गत लगभग 65 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जिनमें से 25 पुरस्कार परिवार कल्याण विषयों की पाण्डुलिपियों के लिए निर्धारित होते हैं।

(v) साहित्य अकादमी, जो एक स्वायत्त संगठन है, इस से मान्यता प्राप्त किसी भी मुख्य भारतीय भाषा में प्रकाशित, साहित्यिक महत्व की बहुत उत्कृष्ट पुस्तकों को प्रत्येक वर्ष पुरस्कार देती है।

2. संस्कृत/फारसी/अरबी के विद्वानों को सम्मान प्रमाण-पत्र प्रदान करना :

इस योजना के अन्तर्गत, प्रत्येक वर्ष, स्वतन्त्रता दिवस पर पुरस्कार के लिए छः संस्कृत विद्वान तथा फारसी तथा अरबी का एक-एक विद्वान चुना जाता है । प्रत्येक विद्वान को उसकी मृत्यु तक 3000 रु० प्रति वर्ष के आर्थिक अनुदान सहित योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है ।

3. उत्कृष्ट कोटि के बाल साहित्य के लिए पुरस्कार :

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद 17 भारतीय भाषाओं में बाल साहित्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता का संचालन करती है । उत्कृष्ट कोटि की पुस्तकों को अठारह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं । दो पुरस्कार हिन्दी की पुस्तकों के लिए तथा शेष 16 भाषाओं की पुस्तकों के लिए एक-एक प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित बच्चों की पुस्तकें 5–15 आयु वर्ग के लिए होती हैं ।

4. अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार :

प्रत्येक वर्ष प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों तथा संस्कृत पाठशालाओं और परम्परागत पद्धतियों पर चलने वाले मदरसों के अध्यापकों को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए 115 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं ।

5. विकलांगों के नियोक्ता तथा कर्मचारी :

विकलांगों के उत्कृष्ट नियोक्ताओं तथा अत्यन्त कार्यकुशल विकलांग कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं । विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए 18 पुरस्कार तथा नियोक्ताओं के लिए 9 पुरस्कार हैं । ये पुरस्कार सरकारी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में शारीरिक रूप से विकलांगों (नेत्रहीनों, बधिरों तथा विकलांगों) के रोज़गार तथा आर्थिक पुनर्वास की प्रोन्नति के लिए दिए जाते हैं ।

6. खेल तथा शारीरिक शिक्षा :

(i) **अर्जुन पुरस्कार** : अर्जुन पुरस्कार देश में खेल-कूद के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए दिए जाते हैं । ये उन पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों को दिए जाते हैं, जो उस वर्ष में, जिस वर्ष के लिए पुरस्कार दिया जाता है, उत्कृष्टता सहित राष्ट्रीय/अन्त- र्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले तीन वर्षों में लगातार उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर चुके हों ।

(ii) **शारीरिक कुशलता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार** : यह योजना शारीरिक स्वस्थता के महत्व तथा आवश्यकता की सामान्य जागरूकता पैदा करने तथा लोगों में शारीरिक कुशलता तथा निष्पादन के उच्च मानकों के लिए उत्साह जागृत करने के उद्देश्य से आरम्भ की गई है । प्रत्यक वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार उन तीन तारे विजताओं को जो प्रति वर्ष आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में बहुत उच्च निपुणता का प्रदर्शन करते हैं दिए जाते हैं—परन्तु 20 से अधिक को नहीं ।

(iii) **शारीरिक शिक्षा तथा खलों के साहित्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार** : शारीरिक शिक्षा तथा खलों के लोकप्रिय साहित्य की प्रोन्नति के लिए मंत्रालय की योजना में, गुणात्मक साहित्य के उत्पादन को प्रोत्साहित देने के उद्देश्य से, शारीरिक शिक्षा तथा खल-कूदों

के प्रकाशित साहित्य के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता की व्यवस्था है । प्रतियोगिता में राष्ट्रीय पुरस्कार की तीन निम्नलिखित श्रेणियों की व्यवस्था है:

(i)	5,000 रु० का (वर्ग I) राष्ट्रीय पुरस्कार	. एक पुरस्कार
(ii)	2,500 रु० के (वर्ग II) राष्ट्रीय पुरस्कार	. दो पुरस्कार
(iii)	1,500 रु० के (वर्ग III) राष्ट्रीय पुरस्कार	. दो पुरस्कार

प्रतियोगिता के नियमों में यह भी व्यवस्था है कि यदि वर्ग I अथवा II के पुरस्कारों के लिए कोई प्रविष्टि उपयुक्त नहीं पाई जाती तो इन पुरस्कारों के लिए निर्धारित राशि वर्ग II अथवा III के अन्तर्गत अधिक संख्या में पुरस्कार देने के लिए उपयोग की जा सकती है ।

"सम्पूरक सामग्री" शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक

3505. **श्री पूर्णं सिन्हा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, ने तत्कालीन प्रधान मंत्री और उसके पुत्र की प्रेरणा के अन्तर्गत आपातकालीन अवधि के 20-सूत्री का क्रम की प्रशंसा में पाठ्य-पुस्तक के रूप में प्रयुक्त किये जाने हेतु "सम्पूरक सामग्री" शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित की थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार देश के केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों तथा छात्रों के प्रयोग हेतु इस पुस्तक के अनुचित संकलन तथा प्रकाशन के बारे में क्या कार्यवाही करने का है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है, तो उसका क्या कारण है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) "सम्पूरक सामग्री" नामक पुस्तिका केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा छात्रों के लिए पाठ्य-पुस्तक के रूप में नहीं बल्कि हाल के वर्षों में देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्रों में हुए विभिन्न विकास कार्यों से मुख्य रूप से शिक्षकों को अवगत कराने के अभिप्राय से पूरक सामग्री के रूप में प्रकाशित की गई थी । पुस्तिका में पिछली केन्द्रीय सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम के विभिन्न पहलूओं का भी उल्लेख है । पुस्तिका में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के भूतपूर्व आयुक्त जिन्हें संगठन के दायित्वों से अब का मुक्त किया जा चुका है, की प्रस्तावना भी थी ।

(ख) और (ग) : पुस्तिका, जो कि केन्द्रीय विद्यालयों के पुस्तकालयों में रखी हुई है उसे वापिस लिया जा रहा है और केन्द्रीय विद्यालय संगठन के इस आशय के अनुदेश जारी किए जा रहे हैं ।

उर्वरक के आयात पर विदेशी मुद्रा का खर्च और पोटाश की मांग

3506. **श्री धर्मवीर वसिष्ठ** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1977 के बाद किस-किस देश में कितना-कितना उर्वरक कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करके आयात किया गया;

(ख) क्या पोटाश की आवश्यकता भी अभी तक पूर्णत: आयात के माध्यम से ही पूरी की जाती है और यदि हां, तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) अगले पांच वर्षों में इनके उत्पादन और खपत के अंतर को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 1 अप्रैल, 1977 से 28 फरवरी, 1978 तक की अवधि में उर्वरकों के आयात पर 255.12 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा व्यय की गयी थी। सम्बद्ध देश, आयात की गयी मात्रा तथा उस पर व्यय की गयी विदेशी मुद्रा का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है ।

(ख) जी हां। देश में पोटाश के ज्ञात भण्डार न होने के कारण पोटाश की समूची मांग आयात से पूरी की जाती है ।

(ग) उत्पादन और खपत के अंतर को कम करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(1) चालू उर्वरक यूनिटों की क्षमता के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करना ।

(2) चालू यूनिटों की क्षमता/उपयोग को जाने वाले क्षमता में सुधार के लिए कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, और

(3) उर्वरक उत्पादन की नयी क्षमता के सृजन के लिए एक कार्यक्रम क्रियान्वित करना ।

विवरण

क्र० सं०	देश	जिस	मात्रा (लाख मीटरी टन)	खर्च की गयी विदेशी मुद्रा (करोड़ रुपए)
1	हालैण्ड . .	यूरिया . .	1.10	13.09
2	नार्वे . .	यूरिया . .	0.24	2.77
3	इंडोनेशिया .	यूरिया . .	0.71	8.45
4	ताइवान . .	यूरिया . .	0.16	1.94
5	सऊदी अरब .	यूरिया . .	0.50	6.25
6	कुवैत . .	यूरिया . .	1.35	17.34
7	दक्षिण कोरिया .	डी० ए० पी० . .	0.63	9.44
8	क्वेतर . .	यूरिया . .	0.32	3.88

विवरण—जारी

क्र०सं०	देश	जिन्स	मात्रा (लाख मीटरी टन)	खर्च की गयी विदेशी मुद्रा (करोड़ रुपए)
9	कनाडा . .	एम० ओ० पी० .	2.49	18.23
10	संयुक्त राज्य अमेरिका	यूरिया . .	2.39	28.29
		डी० ए० पी० . .	2.65	39.63
11	प० जर्मनी .	एम० ओ० पी० .	2.43	15.13
		एस० ओ० पी० . .	0.10	1.11
12	पूर्वी जर्मनी .	यूरिया . .	0.16	1.67
		एम० ओ० पी० . .	3.11	19.31
13	बलगारिया .	यूरिया . .	0.99	11.02
14	पोलैण्ड . .	यूरिया . .	1.74	22.43
15	रोमानिया .	यूरिया . .	0.66	7.11
16	उत्तरी कोरिया .	यूरिया . .	0.14	1.67
17	रुस . .	यूरिया . .	1.85	22.12
		एम० ओ० पी० .	0.58	4.24
		योग . . .	24.30	255.12

मद्य निषेध

3507. **श्री पी० जी० मावलंकर :**
श्री गिरिधर गोमांगो :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में अलकोहल युक्त तथा उसी प्रकार के अन्य पेय पदार्थों पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाने के लिए मोट तौर पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने और लागू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब और कैसे ;

(ग) इस नीति की मुख्य बातें क्या हैं ;

(घ) इससे केन्द्रीय तथा राज्यों के सरकारी खजाने को राजस्व की कुल कितनी हानि होने का अनुमान है; और

(ङ) समूच देश में मद्य निषेध लागू करने वाले तंत्र पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

6—105 LSS(ND)/78

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क), (ख) और (ग) : राष्ट्रीय नीति बना ली गई है । इस देश में चार वर्षों की अवधि के भीतर पूर्ण मद्य निषेध लागू किया जाना है । राज्य सूची की प्रविष्टि 8 के अनुसार मद्य निषेध को लागू किया जाना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है ।

(घ) वर्ष (1977–78) के लिए बजट प्राक्कलनो के अनुसार एल्कोहल वालो पेयों पर आबकाली शुल्क से राज्यों को राजस्व की अनुमानित हानी लगभग 450 करोड़ रुपये होगी। केन्द्रीय सरकार एल्कोहल वाले पेयों पर आबकारी शुल्क नहीं लगाती है ।

(ङ) मद्य निषेध को लागू किए जाने पर खर्च का अन्दाजा इस समय नहीं लगाया जा सकता है ।

Pakistani Refugees in India after 1971 Indo-Pak Conflict

3508. **Shri S. S. Somani:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether any estimate has been made in regard to number of Pakistani refugees living in India after the 1971 Indo-Pak conflict;

(b) if so, their number in Rajasthan;

(c) whether the Central Government are considering the question of granting citizenship to them; and

(d) if so, by what time a decision is likely to be taken in this regard?

The Minister of State for Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Ram Kinkar): (a) Yes, Sir.

(b) Their number in Rajasthan is 48524.

(c) and (d): The matter has been engaging attention of the Government and a decision is expected to be taken shortly.

Elections to Municipalities in States

3509. **Shri Natverlal B. Parmer:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether he has received any letter or memorandum in regard to the long standing demand for holding elections to municipalities in the States;

(b) if so, since when these municipalities have been dissolved in each State city-wise;

(c) whether the Central Government have issued directions to the State Governments to hold elections to these municipalities at an early date; and

(d) the details in this regard?

The Minister of Works and Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) Yes, Sir. A letter to this effect was received from the Vice-Chairman, All India Council of Mayors.

(b) A list showing the names of the Municipal Corporations which are lying superseded/dissolved in each State, with the dates of supersession/dissolution, is attached. The information about other local bodies is not available.

(c) & (d): The State Governments have been advised to look in to the matter and arrange to hold elections to the local bodies where these are due.

STATEMENT

State-wise list of superseded Municipal Corporations

State	Corporation	Date from which lying without elected body
Assam	Gauhati	26-8-75
Andhra Pradesh	Hyderabad	3-8-70
Himachal Pradesh	Simla	27-7-69
Karnataka	Bangalore	9-1-75
	Hubli-Dharwar	23-8-75
Kerala	Trivandrum	8-12-75
	Calicut	10-5-74
Madhya Pradesh	Bhopal	26-8-67
	Gwalior	24-9-73
	Indore	6-7-70
	Raipur	26-8-67
	Jabalpur	4-6-76
	Ujjain	11-1-76
Maharashtra	Kolhapur	15-12-72
Tamil Nadu	Madras	1-12-73
	Madurai	1-11-74
West Bengal	Calcutta	23-3-72
	Chander Nagore	1972
Uttar Pradesh	Agra	1-7-73
	Allahabad	1-7-73
	Kanpur	1-7-73
	Lucknow	17-9-74
	Varanasi	1-7-73
Punjab	Amritsar	1-4-77
	Jullundur	23-7-77
	Ludhiana	1-4-77

मान्यता प्राप्त संवाददाता के लिए आवास

3510. **डा० बापू कालदाते :** क्या निर्माण और आवास तथा पुर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवास प्राप्त करने की प्रतीक्षा सूची में कौन-कौन मान्यता प्राप्त संवाददाता हैं;

(ख) क्या इस सूची में आपात स्थिति के दौरान फेरबदल किया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या आपात स्थिति हटाने के तुरन्त बाद इस मूल सूची के अनुसार बहुत से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं को आवास दे दिये गये हैं ?

निर्माण और आवास तथा पुर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) प्रेस पूल से वास के आबंटन के लिये मान्यता प्राप्त पत्रकारों की चालू प्रतीक्षा सूची सलग्न है ।

(ख) इस मन्त्रालय के पास फरवरी, 1978 से पूर्व मान्यता प्राप्त पत्रकारों कीकोई प्रतीक्षा सूची नहीं थी, अत: उस अवधि के दौरान सुची को बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में दिये गये उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

1. श्री पोली वी० प्रकल
2. श्री ज० एम० देब
3. श्री एम० एल० कोटरू
4. श्री आई० गोपालकृष्णन
5. श्री एच० के० दूआ
6. श्री नारायण स्वामी
7. श्री मदन लाल सेठ
8. श्री ओ० वी० विजय
9. श्री एम० जी० तपस्वी
10. श्री मोहन राम
11. श्री चेतन चड्ढा
12. श्री एम० सी० रामास्वामी
13. श्री वी० एस० संघवी
14. श्री पी० के० वर्दा-राजन
15. श्री टी० वी० आर० शेनोई
16. श्री साधन मुखर्जी
17. श्री दीप्त सेन
18. श्री एच० रंगानाथन
19. श्री सी० ए न० रेड्डी
20. श्री एस० एल० दास

21. श्री के० एल० व्यास
22. श्री एन० गोपीनाथन नायर
23. श्री जी० के० पांडे
24. श्री पी० नील कान्तैयाह
25. श्री स्वामीनाथन एस० अय्यर

बिना बारी के

26. श्री टी० आर० चोपडा
27. श्री मनु हरि पाठक

बाल विकास कार्यक्रम

3511. **श्री शम्भु नाथ चतुर्वेदी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 में चलाये गये समेकित बाल विकास कार्यक्रम की कार्य-कुशलता और उसके अंतर्गत चलाई गई 30 पायलट परियोजनाओं के कार्यकरण का कोई मूल्यांकन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और उससे क्या शिक्षा मिली है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) इस समय समस्त देश में प्रायोगिक आधार पर 33 "समेकित बाल विकास सेवा" परियोजनाएं चल रही हैं । समाज कल्याण विभाग द्वारा इस कार्यक्रम का लगातार प्रबोधन किया जा रहा है । इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक परियोजना से मासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाती है, प्रगति की समीक्षा की जाती है तथा सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है । योजना का विस्तृत मूल्यांकन योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किया जाता है । उसके अतिरिक्त इस योजना के स्वास्थ्य और पोषाहार पहलुओं के बारे में प्रबोधन और शिक्षा का काम आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मैडिकल साइन्सिस के निर्देशन में परियोजनाओं के साथ संलग्न मैडिकल कालेजों द्वारा किया जाता है ।

(ख) लगातार प्रबोधन से पता चला है कि ईस योजना का प्रभाव अच्छा रहा है । तो भी योजना के कुल प्रभाव का पता तब चलेगा जब अन्तिम मुल्यांकन रिपोर्टें प्राप्त हो जाएगी ।

Increase in Sugar Quota for Gujarat Government

3512. **Shri Moti Bhai R. Chaudhary** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Gujarat Government have made a demand for the increase in the sugar quota; if so, from which date and the quantity thereof;

(b) the decision taken by the Central Government in this regard;

(c) whether the sugar quota of Madhya Pradesh has been raised from 10870 tonnes to 20864 tonnes; and

(d) the reasons for which the sugar quota for Gujarat is not increased even though the existing quota is short of the requirement of sugar and whether Government will increase it immediately ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) Yes, Sir. Gujarat Government had asked for an increase in their monthly levy sugar quota by 634.5 tonnes from December 1977 onwards.

(b), (c) & (d): In accordance with the decision taken on 27-10-1977 for the allotment of monthly levy sugar quotas to the States on population basis, the Statewise quotas were refixed ensuring 425 grams of per capita availability for the projected population as on 1-4-1978 with effect from December, 1977. Gujarat Government's earlier quota of 14,031 tonnes was found to give a per capita availability of 447 grams for the said population. Despite the per capita availability being higher than the norm of 425 grams, it was decided not to curtail their quota and maintain it at the same level i.e. 14,031 tonnes even from December, 1977 onwards. These facts have been explained to Gujarat Government and their request for increase in the quota has been regretted.

2. As regards the monthly levy sugar quota of Madhya Pradesh, as per policy decision it was fixed at 20,825 tonnes from December 1977 on the basis of 425 grams of per capita availability for the projected population as on 1-4-1978 as against the quota of 13,833 tonnes allotted earlier.

कृषि ऋण की अदायगी से सीमान्त किसानों को छुट

3514. श्री राज कृष्ण डान: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सीमान्त किसान सरकार द्वारा निर्धारित धान और जुट की अनुचित और बेतुकी कीमत के कारण बरबाद होने की स्थिति में आ गए हैं ;

(ख) क्या उपर्युक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार सरकारी कृषि ऋणों की अदायगी से सीमान्त किसानों को छुट देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो गरीब किसानों को पूरी तरह बरबाद होने से बचाने के लिए सरकार ने अन्य क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

Sugar produced in a State sold in other States

3515. **Shri Ramjiwan Singh:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether there is any policy under which sugar produced by a particular State is sold in other States and sugar produced in other States is sold to this particular State; and

(b) if so, the justification for unnecessary transportation of sugar?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) & (b): In the case of surplus sugar producing States, levy sugar is allotted to meet the monthly requirement from the factories within the State itself. In respect of deficit States, levy sugar is allotted from the nearest surplus sugar producing States having regard to the availability of surplus

igar in these States after meeting their own requirements. If in any State, hich ultimately turns out to be marginally surplus, the factories start late rushing reducing availability at the beginning of the season, the levy sugar is iitially allotted from neighbouring surplus States, but when the production icks up, the entire requirement is met from the factories within the State.

2. As regards free sale sugar the factories can sell the released quantity anywhere in India to licensed dealers.

तमिलनाडु में तूफान राहत के लिए मांगी गई केन्द्रीय सहायता

3516. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य सरकार ने तूफान राहत के लिये जितनी सहायता मांगी थी केन्द्र सरकार ने उतनी सहायता नहीं दी और यदि हां, तो गत वर्ष कितनी धनराशि दी गई ;

(ख) उसमें से राज्य सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि उपयोग में लाई गई है ;

(ग) उसने इस चालु वर्ष में कितनी धनराशि की मांग की थी और कितनी दी गई है और उसके द्वारा इसका किस प्रकार उपयोग किया जायेगा ; और

(घ) क्या राज्य सरकार केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता से सन्तुष्ट नहीं है जो कि वास्तविक आवश्यकता से बहुत कम है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तमिलनाडु सरकार वर्ष 1976-77 के दौरान समुद्री तूफान से राहत के लिये कोई सहायता नहीं मांगी थी । तथापि, राज्य सरकार ने वर्ष 1976-77 के दौरान बाढ़ सहायता के रूप में 1354.64 लाख रुपये (875.79 लाख रुपये योजनान्तर्गत तथा 478.85 लाख रुपये गैर योजना के अन्तर्गत) की केन्द्रीय सहायता मांगी थी । केन्द्रीय सरकार ने इस उद्देश्य के लिये वर्ष 1976-77 के दौरान तमिलनाडु को 305.00 लाख रुपये की अग्रिम योजना सहायता दी थी ।

(ख) वर्ष 1976-77 के दौरान स्वीकृत की गई 305.00 लाख रुपये की अग्रिम योजना सहायता में से राज्य सरकार ने 31 मार्च, 1977 तक 297.00 लाख रुपये की राशि इस्तेमाल कर ली है ।

(ग) वर्ष 1977-78 के दौरान राज्य सरकार ने 128.06 करोड़ रुपये की सहायता मांगी थी । केन्द्रीय सरकार ने 29.31 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता आबंटित की है । इसके अतिरिक्त निःशुल्क राहत के रूप में 10,000 मीटरी टन गेहूं और 10,000 मीटरी टन चावल मुफ्त बांटने के लिये दिया गया । समुद्री तूफान के बाद 2 करोड़ रुपये का अल्पावधि ऋण भी मुहैया कराया गया था । आशा की जाती है कि राज्य सरकार इन निधियों का उपयोग स्वीकृत उद्देश्यों के लिये ही करेगी ।

(घ) जिस तत्परता से केन्द्रीय सहायता दी गई, राज्य सरकार ने उसकी सराहना की है । तथापि, उन्होंने विभिन्न उद्देश्यों, जैसे (i) सिंचाई, भवन तथा सड़कों (ii) झोंपड़ियों और (iii) राजस्व में हुई हानि के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की भी मांग की । उनकी प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली दुग्ध योजना का कार्यकरण

3517. **श्री मोहनलाल पिपिल** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना घाटे में चल रही है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इस उपक्रम को सरकार द्वारा कोई राज सहायता दी गई है; यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी राज सहायता दी गई; और

(घ) क्या इन घाटों को खत्म करने की दृष्टि से इस उपक्रम के कायकरण की जांच करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां । वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 को छोड़कर, (जबकि दिल्ली दुग्ध योजना ने थोड़ा लाभ कमाया था) यह अपने प्रारम्भ से ही प्रत्येक वर्ष हानि उठा रही है । हानि का मुख्य कारण यह है कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जाने वाले दूध का विक्रय मुल्य उसके उत्पादन की वास्तविक लागत से कम होना है ।

(ख) सरकार प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की राजसहायता नहीं देती । दिल्ली दुग्ध योजना पर होने वाला समस्त व्यय सामान्य राजस्व से पुरा होता है । इसकी आय भी भारत सरकार की सामान्य आय में सम्मिलित की जाती है ।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जाने वाले दूध के विक्रय मुल्य के पुनरीक्षण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । इसके अतिरिक्त दिल्ली दुग्ध योजना की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में एम० ए० पाठ्यक्रम में दाखिला

3518 **श्री दुर्गा चन्द** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति, दर्शन शास्त्र, हिन्दी आदि जैसे अधिकतर विषयों में एम० ए० में दाखिला लेने के लिये कम से कम 40 प्रतिशत अंक अपेक्षित हैं जबकि उसी विश्वविद्यालय में एम० ए० इतिहास में दाखिला लेने के लिये 45 प्रतिशत अंक अपेक्षित हैं;

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि एम०ए० इतिहास में दाखिला लेने वाले छात्रों में इस कारण बहुत असन्तोष है; और

(घ) यदि हां, तो इस विषमता को समाप्त करने के लिये इतिहास में दाखिले के लिये भी 40 प्रतिशत अंक नियत करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता की अपेक्षाएँ, प्रति वर्ष विश्वविद्यालय की शिक्षा परिषद् द्वारा उपलब्ध स्थानों की संख्या तथा पाठ्यक्रम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित की जाती हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Report on Central Tuber Crop Research Institute, Trivandrum

3519. **Shri Ugrasen:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Audit Committee report on the Central Tuber Crops Research Institute, Trivandrum (Kerala) for 1971 has been received by Government;

(b) the main recommendations thereof; and

(c) how far those recommendations have been implemented by the Institute ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a), (b) & (c) : The Hon'ble Member is, perhaps, referring to the Achievement Audit Committee Report on the Central Tuber Crops Research Institute, Trivandrum, received in 1971. A statement indicating the major recommendations of the Achievement Audit Committee and the action taken thereon by the Indian Council of Agricultural Research is attached.

STATEMENT

Major Recommendations of the Achievement Audit Committee on the Central Tuber Crops Research Institute, Trivandrum

Recommendations	Action taken by the Indian Council of Agricultural Research
1. The Committee has felt that the transfer of Dr. Magoon from the Central Tuber Crops Research Institute, to Jhansi is not in the interest of the work. As such the Committee has suggested that Dr. Magoon may be posted back and if for this, the post of the Director has to be upgraded, it may be done.	This recommendation was considered by the Indian Council of Agricultural Research but it was decided not to post Dr. Magoon back to the Central Tuber Crops Research Institute, Trivandrum Dr. Magoon had, however, since expired.
2. The Committee has suggested that Dr. Chacko who is a Microbiologitst may be shifted to Coconut Research Institute, Kayangulam and Dr. P. Shanta, a Virologist, is urgently needed to investigate the problem of Tapico masaic which reduces the tuber yield by 33 per cent.	Dr. P. Shanta has been transferred to Central Tuber Crops Research Institute Trivandrum. The question of the transfer of Dr. Chacko is under consideration the Council.
3. The Committee has strongly recommended for urgently filling up the vacant posts sanctioned under the expansion plan of the Institute.	All the posts have been filled up.
4. The Committee has stressed the necessity for early construction of the buildings of the Institute.	The buildings have been completed in 1974.

STATEMENT—*Contd.*

Recommendations	Action taken by the Indian Council of Agricultural Research
5. The Committee has observed that with larger food production and easy availability of the food grains in the near future, tapioca may become surplus to the requirements of the local population, and as such, steps may be taken right now to investigate the problems of proper transport and storage requirements for the tapioca produce which may have to be utilised for industrial purposes.	A division of technology has been constituted to do intensive research on storage processing and utilisation of Tapioca and other tuber crops.
6. The Committee has suggeted the inclusion of several short and long duration research projects in the technical programme of the Institute.	Many short and long duration projects have been included.
7. The Committee has suggested the extension of the All India Coordinated Research Project on Tuber Crops (Other that potato) to several Centres in other States, where these are important crops. For this the Committee has suggested that the Diretor, CTCRI, may collect basic data, before detailed proposals can be formulated.	Four Centres were provided in the fourth Five Year Plan and during the Fifth plan five more centres have been added.
8. The Committee has suggested the Institution of Post-Doctoral Research Fellowship to intensify research on these crops.	Post-Doctoral Fellowships have since been provided.

पुराने चन्द्रावल, दिल्ली से गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

3520. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की उन बस्तियों के नाम क्या हैं जो क्षेत्र गन्दी बस्ती हटाने के लिए घोषित किये गये हैं ;

(ख) गत वर्ष इस दिशा में कितनी प्रगति हुई ;

(ग) क्या यह सच है कि कमलानगर-जवाहरनगर के समीप पुराना चन्द्रावल गत 50 वर्षों से विचाराधीन है; और

(घ) इस क्षेत्र के लोगों को ठीक ढंग से कब तक पुनः कसा दिया जायेगा?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) एक विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-1868/78]

(ख) मार्च, 1978 के अन्त तक 852 स्लम टेनामेन्टों के पूर्ण हो जाने की सम्भावना है । चालू वर्ष के दौरान इन स्लम टेनामेन्टों पर लगभग 125 लाख रुपये खर्च होने की सम्भावना है ।

(ग) तथा (घ) : दिल्ली नगर निगम की गन्दी बस्ती सुधार तथा सफाई की तदर्थ समिति ने सन् 1964 में इस क्षेत्र की एक पुनर्विकास योजना बनाई थी जिसे 1966 में पुनः संशोधित किया

गया । किन्तु इस योजना को दिल्ली नगरनिगम ने मंजूर नहीं किया है । गन्दी बस्ती सफाई/सुधार योजना 1 अप्रैल, 1978 से दिल्ली नगर निगम से स्थानान्तरित हो रही है । दिल्ली नगर निगम पुराने चन्द्रावल के पुनर्विकास के दावे पर अन्य ऐसे ही दावों के साथ विचार करेगा ।

Opening of Central Schools in M.P.

†3521. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the number of Central Schools proposed to be opened by Government in Madhya Pradesh during the next three years; and

(b) whether the Central and State Governments' employees have demanded the opening of such schools and if so, the places in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barakataki): (a) and (b): According to the information furnished by the Kendriya Vidyalaya Sangathan, there are at present four proposals for opening of Kendriya Vidyalayas (Central Schools) in Madhya Pradesh at Hoshangabad, Raigarh, Tikkamgarh and Sehore. Since a total of only four Kendriya Vidyalayas (Central Schools) at civil stations can be opened in an academic year, these requests will be considered along with others on the basis of priorities drawn up on an All India basis.

In addition to this, the Sangathan has received five proposals for opening Kendriya Vidyalayas (Central Schools) in the campuses of Public Sector Undertakings, located in Madhya Pradesh (Malanjkhand, Korba, Mahendragarh, BHEL, Bhopal and Kanhan Area).

शरणार्थी शिविरों में रहने वाले शरणार्थियों की शिकायतें

3522 **श्री समर गुह :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता सरकार के सत्तारूढ़ होने के पश्चात् विभिन्न शरणार्थी शिविरों और पुनर्वास स्थलों से कितने शरणार्थी इस पुनर्वास विभाग से अपनी शिकायतों के निराकरण के लिए दिल्ली आये ;

(ख) उनकी शिकायतें क्या हैं ;

(ग) उनकी शिकायतों पर किस विभाग ने विचार किया ;

(घ) क्या ऐसे शरणार्थियों की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई विशेष सेल स्थापित किया गया है ;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार के उच्च अधिकारियों की एक समिति गठित की जाएगी जो शरणार्थियों की शिकायतों को दूर करने के बारे में सरकार को सूचित करने हेतु शरणार्थी शिविरों और पुनर्वास स्थलों का निरीक्षण करेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) इस प्रकार के कोई आंकड़े नहीं रखे गए हैं ।

(ख) उनकी शिकायतें मुख्यतया उनके राहत और पुनर्वास की विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित हैं—अर्थात् शिविरों में पुन: प्रवेश, राहत सहायता की पर्याप्त व्यवस्था, अतिरिक्त कृषि भूमि का आबंटन, ऋणों का दिया जाना, पीने के पानी और सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था आदि ।

(ग) पुनर्वास विभाग द्वारा इन शिकायतों पर कार्यवाही की जा रही है । विभिन्न राज्य सरकारों/सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श से इनकी विस्तारपूर्वक जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक हो उपयुक्त कार्यवाही की जाती है ।

(घ) शरणार्थियों से प्राप्त शिकायतों के बारे में कार्यवाही करने हेतु पुनर्वास विभाग में एक शिकायत सेल की स्थापना की गई है ।

(ङ) चूंकि समय समय पर विभाग के अधिकारी इन शिविरों तथा स्थलों का दौरा करते हैं और उनके द्वारा किए गए निरीक्षण पर सुधार सम्बन्धी कार्यवाही की जाती है अतः सरकार का विचार है कि दिए गए सुझाव पर आगे कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

Preference in Purchasing Cane from Growers given Loan

3523. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether several sugarcane growers are given Government loan for the development of sugarcane;

(b) if so, whether such growers will be accorded preference in purchasing their cane by Government; and

(c) if so, when this requirement will be fulfilled ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) No, Sir. Sugarcane-growers in important sugarcane growing States are not given Government loans. They however, receive crop loans from Co-operative Societies/Banks.

(b) and (c): Question do not arise.

छात्रों के दमन के विरुद्ध अखिल भारतीय दिवस

3524. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय छात्र संघ ने 29 फरवरी को छात्रों के दमन के विरुद्ध अखिल भारतीय दिवस के रूप में मनाया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) तथा (ख) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, अखिल भारतीय छात्र संघ के आह्वाल पर, विद्यार्थियों के विरुद्ध कथित दमनकारी गतिविधियों के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए 28 फरवरी को दिल्ली में एक सभा आयोजित की गई थी ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्यापक वर्ग की शैक्षिक योग्यतायें

3525. **श्री युवराज** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय , नई दिल्ली के स्कूल आफ सोशल साइंस के साइंस पालिसी सेंटर में अध्यापक वर्ग की शैक्षिक योग्यतायें क्या हैं ;

(ख) इसके क्या कारण हैं कि इस सेंटर में दाखिल छात्रों को अपने पी० एच० डी० काम के लिए सेंटर के बाहर अध्यापकों के साथ काम करना पड़ता है ; और

(ग) उपरोक्त सेंटर के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) । एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय के समाज विज्ञान स्कूल (स्कूल आफ सोशल साइंसेज) के विज्ञान नीति केन्द्र (साइंस पालिसी सेन्टर) के शिक्षण स्टाफ सदस्यों की शैक्षणिक योग्यताएं निम्नलिखित हैं :—

1. डा० बी० वी० रंगाराव .	विशुद्ध भौतिकी में एम० एस० सी० तथा 1956 में लन्दन विश्वविद्यालय से नाभिक भौतिकी में पी० एच० डी० ।
2. डा० धीरेन्द्र शर्मा . .	एम० ए० (लन्दन) 1961 में लन्दन विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में पी० एच० डी० ।
3. डा० (श्रीमती) ए० वसंता .	1961 में दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा (व्यवसायिक मनोविज्ञान) में एम० ए० और पी० एच० डी० ।
4. जोन पुल्पारम्पिल . .	एम० ए० (राजनीति विज्ञान), 1974 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में एम० फिल० । पी० एच० डी० निबन्ध सेन्टर आफ साइंस पालिसी, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय को 1977 में प्रस्तुत किया गया ।
5. प्रबीर कुमार मित्रा . .	1966 में जादवपुर विश्वविद्यालय से बेचलर आफ इंजीनियरी, 1970 में मास्टर आफ इंजीनियरी, रुड़की विश्वविद्यालय । श्री मित्रा भा० प्रौ० सं०, बम्बई तथा वै० औ० अनु० प०, नई दिल्ली में 1971 से 1975 तक अनुसंधान फेलो तथा मानविकी विषय संकाय बी० आई० टी० एस०, पिलानी में 1975 से 1977 तक लक्चरर रहे हैं ।

(ख) विज्ञान नीति अध्ययन एक नया विषय है और इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा समाज विज्ञान के विभिन्न विषयों के बीच अन्तर-विषयक अनुसंधान शामिल है । संकाय के अन्दर एक ऐसे व्यापक क्षेत्र में अनुसंधान मार्गदर्शन करने हेतु अपेक्षित विशेषज्ञता प्रदान करना सम्भव नहीं है । तदनुसार, कभी-कभी सहयोगात्मक अनुसंधान कार्य अन्य संस्थाओं की सहायता से किया जाता है ।

(ग) विश्वविद्यालय का केन्द्र तथा सामाजिक विज्ञान स्कूल (स्कूल आफ सोशल साइंस) अनुसंधान तथा अध्ययन के इस नए क्षेत्र में प्रगति करने के लिए सतत् प्रयत्न कर रहे हैं ।

Foodgrains Stock with Government

3526. **Shri Chandradeo Prasad Verma:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government of India have a stock of foodgrains of more than 22 million tonnes; and

(b) if so, the varieties of foodgrains and quantum thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) & (b): The total stocks of foodgrains as on 1-2-1978. with all the public agencies including the State Governments, were about 170.7 lakh tonnes. Out of this, Food Corporation of India held about 143.4 lakh tonnes, comprising of 55.7 lakh tonnes of rice, 87.4 lakh tonnes of wheat and 0.3 lakh tonnes of coarse grains on behalf of Central Government.

माना शिविर के इन्स्ट्रक्टरों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

3527. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा निदेश दिए जाने के बावजूद माना शिविर अधिकारियों द्वारा एच० वी० एम० डी० सी० इंस्ट्रक्टरों के वेतनमानों के पुनरीक्षण करने सम्बन्धी वैध दावों सम्बन्धी अभ्यावेदनों को सरकार को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) और (ख) : जी, नहीं । भारी वाहन चालन/सामान्य इंस्ट्रक्टरों के वेतनमानों के संशोधन सम्बन्धी अभ्यावेदन माना शिविर प्राधिकारियों द्वारा मई, 1977 में इस विभाग को भेजे गए थे ।

अभ्यावेदक चाहते थे कि उनके वेतनमान आई० टी० आई० के क्राफ्ट इंस्ट्रक्टरों (कनिष्ठ) के बराबर होने चाहिए । इस की जांच की गई थी परन्तु क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर माना के पद की तुलना में उनके पदों के लिए पूर्व संशोधित वेतनमान तथा निर्धारित योग्यताएं कम थी, अतः इसे ध्यान में रखते हुए सहमति नहीं दी जा सकी ।

इसी विषय पर माना शिविर प्राधिकारियों द्वारा अक्तूबर, 1977 में और अभ्यावेदन भी भेजे गए थे। इसी विषय पर जनवरी, 1978 में विभाग को कुछ सीधे अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और उनमें से कुछ ने मुख्य कमाडेन्ट, माना को अभ्यावेदन दिये थे उनकी प्रतियां भी उसी महीने में प्राप्त हो गई थी। इन अभ्यावेदनों का शीघ्र निपटान किया जा रहा है।

Nohar Irrigation Scheme and Seedhmukh Canal Scheme

†3528. **Shri Daulat Ram Saran:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a decision was taken to supply water to the Nohar Irrigation Scheme and Seedmukh Canal Scheme under the agreement reached between Governments of Rajasthan and undivided Punjab or Haryana and whether the Government of India as well as Planning Commission had accorded their approval to these schemes;

(b) the obstacles in implementing these schemes; and

(c) whether the land to be covered by these Schemes is fertile and whether there is acute shortage of drinking water as well as frequent famines occur there?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) & (b): As informed by Rajasthan Government, an agreement has been reached between Rajasthan and Haryana for supply of water to Nohar areas but no agreement has been reached so far for Sidmukh project. The Nohar Irrigation Project has been received at the Centre from the Government of Rajasthan for technical examination and approval.

(c) It has ben reported by the State Government that the land covered by these schemes is fertile and there are frequent famine conditions in the area.

पटसन का उत्पादन

3529. **श्री सुशील कुमार धारा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972—76 के दौरान देश में वर्ष-वार कितने अपरिष्कृत पटसन (रा-जूट) और पटसन डण्टलों (जूट स्टिक) का उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या पटसन और पटसन डण्टलों के उत्पादन का वास्तविक अनुमान लगाने के लिए देश में हमारे पास कोई उपयुक्त वस्तु-सूची प्रणाली नहीं है ;

(ग) क्या सरकार प्रति वर्ष पटसन-उत्पादन और पटसन-डण्टलों के उत्पादन का बिल्कुल सही-सही अनुमान लगाने के लिए एक उपयुक्त और सही पटसन स्वस्तु-सूची (इन्वेन्टरी बनाना अनिवार्य समझती है ; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि प्रति वर्ष लाखों टन पटसन डण्टल नष्ट हो जाते हैं जिससे राष्ट्र को भारी आर्थिक हानि होती है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क), (ख) और (ग): वर्ष 1972-73 से 1976-77 तक के लिये कच्ची जूट के उत्पादन के अनुमान नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	कच्ची जूट का उत्पादन (लाख गाठें)
1972-73	49.78
1973-74	62.20
1974-75	44.71
1975-76	44.40
1976-77	53.47

प्राय: पटसन के डण्टलों का उत्पादन पटसन के उत्पादन से ढाई गुना अधिक होता है। बोये गय क्षेत्र तथा प्रति हैक्टार फसल पैदावार के आधार पर पटसन उत्पादन का अनुमान लगाने के लिये व्यवस्था विद्यमान है । प्रमुख पटसन उत्पादक राज्यों में पटसन के क्षेत्र के अनुमान अलग अलग क्षेत्रों में पूर्ण संगणना करके या नमूना सर्वेक्षण करके तैयार किए जाते हैं । पटसन की प्रति हैक्टर पैदावार को यादृच्छित नमूना पद्धति से फसल कटाई के प्रयोग के आधार पर निकाला जाता ह । अखिल भारतीय स्तर पर पटसन के उत्पादन का 98 प्रतिशत फसल कटाई प्रयोग के परिणामों पर आधारित होता है । पटसन व अन्य मुख्य फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के आंकड़ों के एकत्रीकरण को पद्धति में सुधार लाने के लिये निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(घ) पटसन डण्टलों को प्राय: सस्ते ईंधन, बाड़ लगाने, पान के पत्तों की ढकन के लिए प्रयोग में लाया जाता है । थोड़ी मात्रा ही अन्य कामों में इस्तेमाल होती है ।

Price of Agricultural Inputs

3530. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to bring down the prices of agricultural inputs; and

(b) if so, the details thereof and if not, reasons therefor ?

The Minister for Agriculture & Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) and (b) : The position in regard to each of the major agricultural inputs is indicated below:—

I. *FERTILISER :* Prices of fertilisers have already been reduced six times since 1st July, 1975. Besides, a number of fiscal concessions such as reduction in import duty on phosphoric acid, reduction in excise duty on Single and Triple Superphosphate, subsidy on phosphatic fertilisers @ Rs. 1250/- per tonne of P_2O_5 etc. were given in order to reduce the end prices of fertilisers to farmers. There is no proposal at present to reduce the prices of fertilisers further.

II. *SEEDS :* Prices of certified seeds have already been reduced a number of times by the National Seeds Corporation, the major seed Supplier in the country during the past 2-3 years. The other organisations tend to set their prices in relation to prices of National Seeds Corporation. There is no proposal with the Government at present to bring down seed prices further. However, recog-

nising the fact that prices of high quality seeds of oilseeds, pulses, cotton, and jute have tended to be high, the Government have recently launched a scheme to subsidise their production.

III. *PESTICIDES*: During 1977, as a result of the efforts made by the Government, the prices of some of the commonly used pesticides were reduced by the manufacturers by 2 to 12%. Appropriate subsidies are also being given under the Endemic Areas Scheme for eradication of pests and under a sub-scheme of the main scheme as also towards th cost of weedicides and ground and aerial spray operations for specified crops/pests.

स्लम प्रगृहों का निर्माण

5331. श्री महीलाल : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली के तुर्कमान गेट के समीप वाले चौक शाह मुबारक नामक स्थान पर स्लम प्रगृह बनाने का विचार है जो स्थान 1976 में आपात स्थिति मे खाली कराया गया था;

(ख) यदि हां, तो कब और क्या इन स्लम प्रगृहों मे मूल स्लम निवासियों को स्थानान्तरित किया जायेगा;

(ग) यदि हां तो इसके आस-पास का और कौनसा वैकल्पिक स्थान है जहां उनके लिए स्लम प्रगृह बनाने का विचार है ; और

(घ) क्या उनके लिए स्लम प्रगृह तुर्कमान गेट के आस-पास या उसके समीप कहीं और बनाये जायेंगे और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : (क) जी, नहीं । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने खतरनाक हालत मे मकानों से स्थानान्तरित होने के इच्छुक लोगों को वैकल्पिक आवास प्रदान किया ।

(क) से (घ) तक :– प्रश्न ठीक नहीं उठता ।

विश्व बैंक की सहायता से पंजाब में पेय जल सप्लाई सीवर योजना

3532. श्री चित्त बसू : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक पंजाब में पेय जल सप्लाई सीवर योजना के लिए धन देने पर सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है तथा विश्व बैंक के धन के लिए शर्तें क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकंदर बख्त) : (क) तथा (ख) विश्व बैंक के साथ अभी भी बातचीत चल रही है ।

सहकारी कृषि ऋण पर ब्याज के दर

3533. **श्री अमर सिंह वी० राठवा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारी कृषि ऋण पर ब्याज की दर कम करन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) व (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक और कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम ने सहकारी ऋण संस्थाओं में ब्याज की दरों को कम करने के मार्जिनों तथा संभाव्यता के ब्यौरों की जांच करने के लिए समतियां गठित की हैं। इस बीच, राज्य सहकारी बैंक, 1978-79 के केन्द्रीय बजट में घोषित ब्याज पर कर को समाप्त करने का लाभ मूल ऋणियों को देने पर सहमत हो गए हैं ; जहां कहीं यह कर उनके द्वारा वसूल की गई ब्याज दर में पहले शामिल कर दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक भी अल्पकालीन तथा मध्य-कालीन ऋणों के लिए सुलभ किए गए पुनर्वित्त पर 1% तक ब्याज दरें घटाने पर सहमत हो गया था और इसके परिणामस्वरूप मूल ऋणियों से वसूल की जाने वाली ब्याज दर में पर्याप्त कमी आएगी।

Difference in Prices of Agricultural Products Paid to Producers and by the Consumers

3534. **Chaudhury Ram Gopal Singh :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the huge difference between the prices paid to the producers of various agricultural products and the prices by the consumer;

(b) if so, the steps taken in this regard; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) to (c) : Market prices fluctuate from time to time depending on supply and demand. Some differences between the prices received by the producers and those paid by the consumers are normally to be expected because of the expenses that have to be incurred from the stage of sale by the producer to that of purchase by the consumer including such costs as on procurement, transport, carrying costs, storage losses, interest, market fees, taxes etc. Government keeps a constant watch on the prices of various agricultural commodities and suitable steps are taken as and when necessary to prevent unduly large differences between prices received by the producers and prices paid by the consumers. These include step-ping up of releases of foodgrains and sugar from the public distribution system, fixation of stock limits, imports for augmenting supplies, purchases and sales of commodities through public/Cooperative Agencies like National Agricultural Cooperative Marketing Federation, National Consumer Cooperative Federation, etc. To protect the interests of producers, minimum support/procurement prices are fixed for major agricultural commodities.

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यानों के उठाने-धरने और ढुलाई के लिये सुसंबद्ध प्रणाली

3535. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों के बड़ी मात्रा में उठाने-धरने तथा ढुलाई के लिये सुसम्बद्ध प्रणाली लागू करने हेतु भारतीय खाद्य निगम के पास कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य विवरण क्या है ;

(ग) योजना को क्रियान्वित करने में कुल कितनी लागत अन्तर्ग्रस्त है ; और

(घ) क्या इस बारे में विश्व बैंक से कोई ऋण दिया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार ने 31 लाख मीटरी टन के अनाज गोदाम स्थापित करने की एक परियोजना का अनुमोदन किया है जिसमें 10 लाख मीटरी टन के बड़े भाण्डागार और सघन वसूली क्षेत्रों से वितरण केन्द्रों तक पाइलट स्तर पर खाद्यान्न बड़ी मात्रा में उठाने-धरने तथा ढुलाई की प्रणाली लागू करने की व्यवस्था भी शामिल होगी ।

बड़ी मात्रा में अनाज उठाने-धरने, भण्डारण और संचलन की समन्वित प्रणाली के विभिन्न तकनीकी तथा आर्थिक पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए परियोजना प्रस्तावों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :--

(क) कुछेक आधुनिक वसूली केन्द्रों की स्थापना जहां मंडियों में किसानों द्वारा लाए गए अनाजों की मशीनों से उठाने-धरने के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी ;

(ख) वसूली और वितरण क्षेत्रों में बल्क ग्रेन टर्मिनल स्थापित करना ;

(ग) वसूली केन्द्रों से निकटवर्ती रेल छोर टर्मिनलों तक बड़ी मात्रा में अनाज ढोने के लिए गाड़ियों के लिए सड़के बनवाना;

(घ) बड़ी मात्रा में अनाज ढोने के लिए होपर वाटम रेलवे वैगन जोकि एक यूनिट ट्रेन के लिए पर्याप्त हो और मौजूदा साधारण वैगनों में संशोधन करना ; और

(ङ) बल्क रेल वैगनों से माल उतारने और लादने के लिए टर्मिनल सुविधाओं की व्यवस्था ।

(ग) इस पाइलट परियोजना पर लगभग 7.00 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

(घ) विश्व बैंक परियोजना के कुल परिव्यय के 50 प्रतिशत के बराबर सहायता देने के लिए मान गया है ।

Three Phased Programme of Welfare

3536. **Shri Chhabiram Argal:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the details of the welfare measures being taken in the country under the three-phased programme of the Department of Social Welfare;

(b) the amount allocated by the Planning Commission during 1977-78 to Madhya Pradesh, a backward State under the three-phased programme of the Department of Social Welfare and the amount out of it spent by the Department of Social Welfare in Madhya Pradesh for the Social Welfare Minimum Need Programme particularly, Nutrition Programme, Social Education, Community audiocentre, youth Welfare, Sports and other various programmes and the amount remained unspent; and

(c) whether the Central Government propose to provide more funds for the three-phased programme during 1978-79 and if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barkataki): (a) The Union Department of Social Welfare has no "three-phased programme" for welfare measures in the country,

(b) and (c) : Do not arise.

केरल में कालेजों की सहायता के लिये अनिर्णीत आवेदन पत्र

3537. **श्री वी० एम० सुधीरन्** :
श्री वयालार रवि :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के विभिन्न कालेजों से सहायता के लिये कितने आवेदनपत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ख) किन कालेजों ने सहायता के लिये आवेदनपत्र दिये थे तथा वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास कब से अनिर्णीत पड़े हैं तथा गत तीन वर्षों में उनमें से कितनो को मंजूर कर लिया गया तथा भुगतान कर दिया गया ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस समय केरल के कालेजों के सहायता संबंधी तीन आवेदन पत्र आयोग के पास अनिर्णीत पड़े हैं ।

(ख) मार थोमा कालेज, तिरुवल्ला का एक आवेदन पत्र नवम्बर, 1976 से अनिर्णीत पड़ा है ; एक विमला कालेज, त्रिचुर का 14 नवम्बर, 1977 से तथा तीसरा एम० ई० एस० मम्पाड कालेज, ममपाड का 29 नवम्बर, 1977 से ।

उन कालेजों की संख्या, जिन्हें विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत गत तीन वर्षों (1974-75 से 1976-77) के दौरान अनुदान दिए गए हैं, निम्नलिखित हैं :--

योजना का नाम	कालेजों की संख्या जिन्हें अनुदान दिया गया है
1. कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम	2
2. कालेज मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान सुधार कार्यक्रम . .	9
3. अवर स्नातक शैक्षिक सुविधाओं का विकास . . .	64
4. अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों का विकास	4
5. विद्यार्थी सहायता निधि	202
6. पुस्तक बैंक योजना	96
7. व्यायामशाला का निर्माण	1
8. खेल मैदानों का विकास	31
9. स्नातकोत्तर अध्ययनों का विकास	42

पालम कालोनी, नई दिल्ली में दुग्ध केन्द्र

3538. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या पालम कालोनी, नई दिल्ली के वेल्फेयर एसोसियेशन ने एक अभ्यावदन दिया था, जिस में पालम कालोनी, नई दिल्ली में एक दुग्ध केन्द्र खोलने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) क्या मंत्रालय के अधिकारियों ने फरवरी, 1976 में उक्त संगठन के प्रतिनिधियों को हां दुग्ध केन्द्र खोलने का कोई आश्वासन दिया था ;

(ग) क्या दुग्ध केन्द्र के लिए स्थल का सर्वेक्षण करा लिया गया है और दिल्ली दुग्ध केन्द्र के अधिकारियों ने उस का अनुमोदन कर दिया था ; और

(घ) यदि हां, तो अब तक दुग्ध केन्द्र न खोले जाने के क्या कारण हैं और इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप कब तक दे दिया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना के डिपुओं को आर्थिक और सक्षम रूप से चलाने के लिए प्रत्येक डिपो को प्रातः अथवा सायंकालीन पारी में कम से कम 300 बोतल दूध की बिक्री करनी चाहिए । चूंकि पालम कालोनी के निवासियों के पास दूध की अपेक्षित मात्रा के लिए दूध के टोकन नहीं हैं, इसलिए दिल्ली दुग्ध योजना के लिए पालम कालोनी में दूध का डिपो खोलना सम्भव नहीं हुआ है ।

वर्ष 1977–78 के दौरान ग्रामीण जल सप्लाई योजना

3539. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार को ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिये कोई योजना भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : जी, हां । 114.29 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 103 समस्याग्रस्त गांवों के लिए शुद्ध पेय जल की व्यवस्था के लिए ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं का अनुमोदन किया गया और 1977-78 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार सरकार को उनके निष्पादन/समापन के लिए 240 लाख रुपये का सहायता अनुदान दिया गया । समस्याग्रस्त गांवों को शुद्ध पेय जल की व्यवस्था करने के लिए कुछ और योजनाओं का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए फरवरी, 1978 में एक और प्रस्ताव मिला था जिसे पुनरीक्षण के लिए वापस भेज दिया गया है ।

गुजरात में पत्थर की खदानों का बन्द होना

3540. **श्री हितेन्द्र देसाई** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्व विभाग द्वारा गुजरात के पंचमहल जिले के पिछड़े क्षेत्रों में पत्थर की खदानों को बन्द किये जाने के विरुद्ध सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या सरकार महसूस करती है कि खदानों के बन्द होने से ग्रामीण विकास रुक जायेगा तथा उस पिछड़े क्षेत्र में हजारों आदिवासी बेरोजगार हो जाएंगे ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : यह विषय विचाराधीन है ।

खाद्यानों की भंडारण-क्षति में वृद्धि होना

3542. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्वा गत तीन वर्षों में खाद्यान्नों की भंडारण-क्षति में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस क्षति के क्या प्रमुख कारण है ;

(ग) ऐसे कितने कारणों का पता चला है जिन में इस क्षति से कर्मचारी सम्बद्ध हैं ; और

(घ) इस क्षति के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षति इस प्रकार है :—

	आंकड़े मोटरी टन में	बेची गई मात्रा की प्रतिशतता
1974-75	57,689	0.5
1975-76	26,175	0.3
1976-77	68,254	0.6

वर्ष 1976-77 के दौरान क्षति में वृद्धि भण्डारण की अवधि लम्बी होने के कारण हुई थी और कप स्टोरेज में भण्डारित स्टाक को तूफान से क्षति पहुंचने के कारण भी हुई थी ।

(ख) क्षति के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं :—

(1) लम्बी अवधि के भण्डारण के कारण ह्रास

(2) सूख जाने से

(3) उठाने-धरने और ढुलाई के दौरान दाने गिरने आदि से

(4) वैज्ञानिक ढंग से कीट नियन्त्रण के लिए सभी सम्भव प्रयास करने के अलावा, चूहों, पक्षियों के कारण क्षति

(5) चोरी, उठाई गीरी, कमी आदि के कारण नाम-मात्र क्षति

(ग) चोरी, उठाई गीरी, कमी आदि के दस मामलों का पता लगाया गया है जिनमें कर्मचारियों का कथित हाथ है।

(घ) उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही/फौजदारी मुकदमा चलाया गया है।

कर्नाटक में चल्लाकेरा में भेड़ पालन फार्म

3543. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में चल्लाकेरा में केन्द्र प्रयोजित भेड़पालन फार्म का विकास वित्तीय कमी के कारण अवरुद्ध हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस फार्म के विकास के लिय अतिरिक्त सहायता देने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीतसिंह बरनाला) : (क) जी नहीं।

(ख) जो हां, यदि आवश्यकता हुई।

Protection of Archaeological Monuments in Delhi

3544. **Shri Rajendra Kumar Sharma:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether there are no proper arrangements for the protection of archaeological monuments in Delhi;

(b) the number of incidents occurred in Delhi recently in which damage was done to the monuments; and

(c) the steps being taken by Government to check these incidents ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) This is not a correct statement of the position.

(b) No incident involving damage to any of the protected monuments has been reported recently.

(c) Does not arise.

दिल्ली विकास प्राधिकरण की बस्तियों में मूल सुविधाओं का अभाव

3545. **श्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश :** क्या निर्माण और आवास तथा पुर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले नगरीय गांवों में पानी, मल निकासी, सड़कों, सफाई जैसी प्रमुख नागरिक सुविधाओं का अभाव है ; और

(ख) क्या वहां उक्त प्रमुख नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है जिससे गरीब ग्रामवासी मानवोय जीवन व्यतीत कर सकें ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख): दिल्ली विकास प्राधिकरण अपने क्षेत्र के 62 नगरीय गांवों के विकास कार्य से संबंधित है। 28 गांवों में जलपूर्ति कार्य पूरा हो चुका है। 21 ग्रामों में सीवर का कार्य पूरा हो गया है तथा 9 गांवों में विकास कार्य चल रहा है। शेष गांवों में नागरिक सुख सुविधाओं की व्यवस्था के लिए विकास कार्य निधियां उपलब्ध होने पर शुरू किया जायेगा ।

मंत्रालय में काम कर रहे कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान

3546. **श्री जी० जी० गवई** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि और सिंचाई मन्त्रालय के प्रत्येक विभाग में कितने राजपत्रित अधिकारियों और सम्बद्ध सहायकों को हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान है ;

(ख) उनमें से कितनों ने हिन्दी में प्रशिक्षण प्राप्त किया और हिन्दी परीक्षा पास करने के बाद अतिरिक्त वेतन वृद्धि आदि प्राप्त की ;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकांश हिन्दी जानने वाले अधिकारी हिन्दी में टिप्पणी और मसौदा लेखन नहीं कर रहे हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त विभागों में पर्याप्त संख्या में हिन्दी टाइपराइटर और मानक हिन्दी मसौदे उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ङ) मन्त्रालय ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि हिन्दी जानने वाले सब अधिकारी और कर्मचारी अपना दैनिक कार्य हिन्दी में करें ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ङ) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इण्डिया, हैदराबाद में 'बार' चलाना

3547. **डा० सरदीश राय** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इण्डिया, हैदराबाद कालेज के भीतर एक 'बार' चला रहा है ;

(ख) क्या अन्य संस्थानों तथा कालेजों को भी इस बात की अनुमति है; और

(ग) यदि नहीं, तो कालेज के अन्दर 'बार' चलाने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग): भारत सरकार शैक्षणिक संस्थाओं में शराब की बारों का समर्थन नहीं करती और इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इण्डिया को उनके परिसर (केम्पस) में चल रही बार को बन्द करने की सलाह दी गई है। कालेज के गवर्नर्स की कोर्ट ने जो इसके प्रबन्ध के लिये जिम्मेदार है, सरकार की सलाह के अनुपालन में अब इस बार को बन्द करने का निर्णय किया है।

दिल्ली में प्रिन्सिपलों की शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति

3548. **श्री रामधारी शास्त्री** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कुछ प्रिंसिपलों को जिनको, मंत्रालय ने कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के साथ परामर्श करके वरीयता दी थी, शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा अधिकारी के ग्रेड में पदोन्नति करने के लिए विचार नहीं किया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन प्रिंसिपलों ने मंत्रालय से अपील की थी यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है तथा क्या इन अपीलों को सामान्य अभ्यावेदन के तौर पर लिया गया था और आपातस्थिति के दौरान कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग/शिक्षा के परामर्श के बिना इन अपीलों को अस्वीकृत कर दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का ऐसे अपीलार्थियों की वरीयता और पदोन्नति बहाल करने के लिए उनके मामलों पर पुनर्विचार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) कुछ प्रिंसिपलों से उनकी वरिष्ठता के नियतन के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर सक्षम प्राधिकरण अर्थात् दिल्ली प्रशासन द्वारा भर्ती नियमों के अनुसार विधिवत विचार किया गया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी गृह निर्माण समिति, दिल्ली का कार्यकरण

3549. **श्री राम नरेश कुशवाहा** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री 28 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1710 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्कूल टीचर्स हाउस बिल्डिंग सोसायटी, दिल्ली के कार्यों के बारे में 1963, 1966 और 1972 में जिस जांच पडताल का आदेश दिया गया था, उन जांच रिपोर्टों को सभा-पटल पर न रखने के क्या वैध कारण हैं;

(ख) वर्ष 1972 में जिस जांच का आदेश दिया गया था, उसके बारे में नवम्बर, 1974 में सरकार को उपलब्ध की गई जांच रिपोर्ट में जांच अधिकारी के मुख्य निष्कर्षों, जांच परिणामों, अभिमतों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार और दिल्ली प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है कि उन सभी व्यक्तियों के हितों को पूरी तरह संरक्षण दिया जायेगा जिन्होंने समिति में अनेक वर्षों से पैसा लगाया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सभी रिपोर्टें पुरानी हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 की धारा 55(4) के अन्तर्गत केवल रिपोर्ट का सार समिति को भेजा जाता है। इन परिस्थितियों में, सरकार का इन रिपोर्टों को सभा पटल पर रखने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) ये अनुलग्नक 'क' में उल्लिखित हैं।

(ग) (i) वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित इस मामले को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के पास भज दिया गया था जिन्होंने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 408 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की और उन्होंने जवाबदे व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में एक मामला भी दायर किया है।

(ii) उप-राज्यपाल ने समिति को प्रबन्ध समिति के चुनाव कराने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम का अनुमोदन किया।

(iii) दिल्ली उच्च-न्यायालय की डिवीजन बैंच द्वारा चुनाव स्थगित कर दिया गया है। अब यह मामला न्यायाधीन है।

विवरण

समिति का कार्य संचालन

समिति के कार्य संचालन में उसके प्रारम्भ से ही सहकारी समिति के उप नियमों तथा सुपरिचित आधारिक सिद्धांतों की पूर्णतः अवहेलना की गई है। चुनाव समय पर कभी नहीं कराए गए और विशेषकर 14-8-66 के पश्चात्, कोई चुनाव नहीं हुआ। समिति का हिसाब किताब ठीक प्रकार से कभी नहीं रखा गया और समिति के व्यय को नियमित करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई हैं। सदस्यों के नामांकन के बारे में नाम मात्र की भी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तथा 5-8-1967 के पश्चात् नए सदस्य बनाने के लिए भी रजिस्ट्रार तथा सचिव (भूमि तथा विकास) द्वारा समिति को रोक दिया गया। समिति को दी गई चेतावनियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 1961 में मैसर्स नव भारत निर्माण से अधिसूचित भूमि खरीदने से पहले जनरल बाडी को विश्वास में न लेकर सामान्यतया समिति के प्रबन्धक और विशेषकर इसके सचिव ने दूरदर्शिता नहीं दिखाई।

समिति का संविधान

समिति के पदाधिकारियों ने सदस्यों के लिए निर्धारित रजिस्टर नहीं रखा था जिसके अभाव म जांच अधिकारी के द्वारा ठीक ठीक और अद्यतन सदस्यता एकत्रित नहीं की जा सकी। 1967 के बाद हुए प्रबन्ध समिति के किसी भी विधिवत् चुनाव के बारे में जांच अधिकारी को कोई रिकार्ड नहीं दिखाया गया और समिति के वैध सदस्यता का मामला खटाई में पड़ गया है।

समिति की वित्तीय स्थिति

अव्यवस्थित ढंग से समिति का कार्यसंचालन करके और अनधिकृत एवं बेढंगे तरीके से समिति की वित्त व्यवस्था सम्भाल करके समिति को अपनी वित्तीय स्थिति में हानि उठानी पड़ी है और इसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में असफलता का मुंह भी देखना पड़ा है। खजांची के साथ साथ सचिव को भी 5,58,265 रुपये के निपटान के बारे में स्पष्टीकरण देना अपेक्षित है। दुर्भाग्य की बात यह है कि

इस भारी रकम के निपटान के बारे में कैश बुक में कोई इन्दराज दर्ज नहीं है। इसी प्रकार खजांची और एक दूसरे व्यक्ति को 1,45,475 रुपये के बारे में कैश बुक में पाई गई विसंगति के लिए जिम्मेदार ठहराना होगा। किसी स्पष्टीकरण के अभाव में, इसे असंगत घोषित नहीं किया जा सकता कि इन निधियों के कुछ भाग को हड़प लिया गया हो। वर्ष 1966-67 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, सचिव और अन्य दूसरे व्यक्ति अपूर्ण एवं संदिग्ध भुगतानों के लिए जिम्मेवार हैं। 1965 से 1967 तक विकास कार्य पर लगाए गए ठेकेदार को कुल 1,40,000 रुपये की राशि अनियमित रूप से दी गई, का आरोप लगाया गया। मोटे तौर पर यह कहना है कि समिति को 3,60,548 रुपये की हानि हुई है जो समिति द्वारा अपने सदस्यों से वसूल की गई राशि और समिति की सम्पत्ति के बीच का फर्क है।

Closure of Sugar Mills in U.P.

3550. **Shri Ganga Bhakt Singh :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state the names of the sugar mills in U.P. which have closed down due to fall in sugar and gur prices ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : No sugar factory in U.P. has been reported to have closed down due to fall in sugar and gur prices. All the 85 factories in U.P. were reported to be working on 15-3-1978.

कृषि विपणन योजना

3551. **श्री वसन्त साठे :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1977-78 के लिए व्यापक कृषि विपणन योजनाएं बनाई हैं और बनाई गई योजनाओं का स्वरूप, इसमें कौन से क्षेत्र आयेंगे, वित्तीय परिव्यय आदि के बारे में ब्यौरा क्या है और विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में इसके संचालन में कितनी सफलता मिली है ;

(ख) महाराष्ट्र राज्य में वर्ष 1978-79 के लिए केन्द्रीय विपणन योजनाओं के लिए कितने अस्थायी परिव्यय का प्रस्ताव है/अनुमोदन दिया गया है तथा उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) महाराष्ट्र राज्य में चल रही योजना की नवीनतम प्रत्यक्ष तथा वित्तीय प्रगति क्या है; और

(घ) इस कार्यक्रम के संपादन में तेजी लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) कृषि विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए, भारत सरकार का विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय कृषि उपज के श्रेणीकरण तथा मानकीकरण, कृषि विपणन में कार्मिक के प्रशिक्षण, बाजार अनुसंधान तथा सर्वेक्षण को बढ़ावा देता है। भारत सरकार भी चुने नियमित बाजारों के विकास के लिए सहायता प्रदान करती है। वर्ष 1977-78 के दौरान, ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता की एक नई योजना शुरू की गई थी। इन योजनाओं के अन्तर्गत कोई विशिष्ट राज्यवार आबंटन निर्धारित नहीं किया गया था। इन योजनाओं से राज्य सरकारों तथा विभिन्न बाजार समितियों द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों को पूरा करने की आशा की जाती है। अब तक, महाराष्ट्र में तीन बाजारों को वर्ष 1977-78 के दौरान सहायता देने के लिए चुना गया है। इन बाजारों के लिए केन्द्रीय सहायता 8 लाख रुपये है।

(ख) केन्द्रीय विपणन योजनाओं के पास राज्यवार परिव्ययों का ब्यौरा नहीं है क्योंकि वे वस्तुओं तथा क्षेत्रों की उपयुक्तता से संबंधित है।

(ग) बाजारों के विकास हेतु सहायता की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत अब तक 6 बाजारों ने 15.5 लाख रुपये की सहायता प्राप्त की है।

(घ) महाराष्ट्र सरकार को यह सलाह दी गई है कि वे बाजारों के विकास की बड़ी योजना तैयार करें और राज्य में कृषि विपणन के विकास को समन्वित करने, योजना तैयार करने और उसकी विस्तृत रूप में पुनरीक्षा करने के लिए राज्य कृषि विपणन बोर्ड गठित करें।

Symposium on Desert at Jaipur

3552. **Shri Chaturbhuj :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether with the cooperation of the U.N. an international symposium was organised in Jaipur recently to consider measures to contain the advance of desert and make it suitable for human habitation and other problems connected therewith; and

(b) if so, the main conclusions thereof ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) The International Symposium on Arid Zone Research and Development was held at the Central Arid Zone Research Institute, *Jodhpur* and not at Jaipur. The Symposium was held from February 14th to 18th, 1978 and it was sponsored by (i) United National Educational Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), (ii) Indian Council of Agricultural Research (ICAR) and (iii) Department of Science and Technology (DST, Govt. of India).

(b) The major recommendations were :

(i) The symposium endorsed the recommendations of the Science Associations' Seminar, held at Nairobi on 21-25 August, 1977, concerning the great importance of identifying physical, biological and social indicators of desertification and of developing methods of testing and applying them in selected areas;

(ii) In view of its experience in the relevant fields, CAZRI, Jodhpur be supported at national and international levels in establishing indicators of desertification and methods of applying them particularly the social indicators;

(iii) Western Rajasthan be one of the selected areas for testing the validity of such indicators and CAZRI be afforded the facilities and support to monitor desertification in this region;

(iv) the determination of priorities in research and development be more closely guided by and linked with studies of the demographic, social and economic factors;

(v) In rainfed areas more emphasis be given to the refinement of water harvesting techniques and watershed management, and the design and treatment of storage reservoirs to minimise losses through seepage;

(vi) Assessments of local groundwater resources and of the groundwater balance be carried out, to facilitate their rational and conservational development;

(vii) In areas where saline water is used for irrigation more emphasis be given, for further studies on the effect of irrigation with saline water on soil structure and crop yield and quality, and on the development of models, for predicting the build-up of salinity in the soil;

(viii) Development of technologists for the reclamation of salt-affected lands using natural precipitation or saline or sodic ground water;

(ix) Livestock-breeding programmes based on selection for such qualities as heat-tolerance and efficiency of conservation of low-nutritive fodder to animal products;

(x) Intensified research in the fields of fodder and fruit trees, indigenous and exotic suited to arid environments;

(xi) Intensification of research activities on soil management and crop production, improvement in traditional practices, basic resource conservation and alternate energy sources;

(xii) The establishment of desert national parks and wildlife reserves on a priority basis; and

(xiii) Research into the efficient and economic preservation of excess forage produce in years of high rainfall.

भूतपूर्व संसद् सदस्यों से देय बकाया किराया

3553. **श्री एम० ए० हनान अलहाज :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने और किन-किन भूतपूर्व संसद सदस्यों ने अब तक सरकारी फ्लैटों और बंगलों को किराये की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है ; और

(ख) एक वर्ष के बाद भी सरकार द्वारा उनसे किराये की राशि वसूल न कर पाने के क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 393 भूतपूर्व संसद् सदस्यों में अभी तक सरकारी फ्लटों तथा बंगलों के बकाया किराए की राशि का भुगतान नहीं किया है। उनके नाम संलग्न सूची में उल्लिखित हैं (अनुलग्नक)। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1869/78]**

(ख) भूतपूर्व संसद सदस्यों से वसूल की जाने वाली अन्तिम राशियों के बारे में लोक सभा और राज्य सभा से संबंधित सचिवालय को संसद सदस्यों के अन्तिम देयों से वसूल करने के लिए सूचित कर दिया जाता है। यदि कोई राशि छूट जाती है तो संबंधित भूतपूर्व संसद सदस्यों से भुगतान के लिए व्यक्तिगत अनुरोध किया जाता है। यदि भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अन्तर्गत वसूली के लिए कार्रवाई की जाती है। मामलों के ब्यौरे और की गई कार्रवाई निम्नलिखित तालिका में दी गई है :—

(क)

(i) पांचवीं लोक सभा के बकाया मामलों की कुल संख्या	285
(ii) पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से खाली नहीं किए गए क्वार्टर	12

(iii) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/लोक सभा सचिवालय के साथ फर्नीचर आदि के बारे में चल रहे विवाद	22
(iv) लोक सभा सचिवालय आदि को भेजी गई अन्तिम मांगें .	251
योग .	285

(ख) पांचवीं लोक सभा तक जिसमें राज्य सभा के भूतपूर्व संसद सदस्य भी सम्मिलित हैं ।

(i) मामलों की कुल संख्या	108
(ii) लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अधीन वसूली के लिए समाहर्ता को भेजे गए मामले	59
(iii) लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत और सुनवाई आदि के विभिन्न स्तरों पर जिन मामलों की जांच हो रही है	25
(iv) जिन मामलों में भूतपूर्व संसद सदस्यों ने उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया है और किस्तों में भुगतान कर रहे हैं . . .	22
(v) जम्मू व कश्मीर सरकार और स्वास्थ्य मन्त्रालय के साथ चल रहे मामले .	2
योग . .	108

Plan to Bring Unirrigated Land Under Irrigation

3554. **Dr. Ramji Singh :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the total area of cultivable land in India as also the area of land which can be reclaimed for cultivation;

(b) the total area of irrigated and unirrigated land separately;

(c) whether Government have already prepared a Master Plan to bring unirrigated land under irrigation and to reclaim the unreclaimed land keeping in view the growing population of the country;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the time by which such a plan will be prepared and whether the same will be implemented ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) The total cultivable land in India is estimated at about 163.9 million hectares consisting of net area sown, current fallows and fallow lands other than

irrent fallows. The area which can be reclaimed for cultivation falls under ılturable. wastes land which are reported to be nearly 17.3 million ha. and have ifferent degrees of reclaimability.

(b) The total (net) irrigated areas is about 33.7 million ha. and net unrrigated areas is about 104.6 million ha.

(c) to (e): Irrigation is a State subject and irrigation projects are planned, formulated, investigated and executed by the State Govts. Preparation of Master Plan for irrigation development is therefore, the responsibility of the State Govts. The Central Govt., however, have given high priority to provide irrigation facilities to as much area as possible. The total irrigation potential in the country has been assessed at 107 million hectares through major, medium and minor irrigation works against which a potential of 54 million hectares is likely to be created by the end of 1977-78. The five year plan commencing from April, 1978 envisages creation of additional irrigation potential of 17 million hectares comprising 8 million hectares through major/medium projects and 9 million hectares through minor irrigation works. The Government envisages that the balance irrigation potential will be created during the next 15 years.

There is no Master Plan to reclaim unreclaimed lands. Schemes are, however, under operation under Central and State Sectors for reclaiming alkali lands, ravine land and other waste lands for cultivation. It has been estimated that nearly 2.5 million hectares of alkali lands and about 1 million ha. of ravine land can be reclaimed for cultivation. So far, nearly 28,000 ha. of alkali lands and 11,000 ha. of ravine lands have been reclaimed. These schemes are likely to be continued during the Next Plan.

बाढ़ नियंत्रण के लिए राज्यों को धन दिया जाना

3555. **श्री रणजित सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977 के मानसून के बाद बाढ़ नियंत्रण के लिए देश के विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय धन दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो धन का आबंटन राज्य-वार कितना किया गया ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को सम्पत्ति, मानव जीवन तथा ढोर सम्पत्ति की हुई हानि के बारे में हिमाचल प्रदेश सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या हिमाचल प्रदेश सरकार की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जायगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाल) : (क) और (ख) : बाढ़ नियंत्रण राज्य क्षेत्र का एक भाग होता है और इसलिए इसके लिए धन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों को राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी विशिष्ट विकास शीर्ष अथवा स्कीम के साथ जुड़ी नहीं होती है। शायद माननीय सदस्य 1977 की बाढ़ों के कारण होने वाले जरुरी व्यय के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को आबंटित की गई अग्रिम योजना सहायता को जानने

के इच्छुक है । विभिन्न राज्यों को वर्तमान वित्तीय वर्ष (1977-78) के दौरान बाढ़/चक्रवातों के राहत उपायों के लिए अब तक आबंटित दी गई अग्रिम योजना सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :--

(करोड़ रु० में)

क्रम संख्या	राज्य	आपद	अग्रिम योजना सहायता	
			आबंटित	दी गई सहायता (16-3-78 तक)
1	आन्ध्र प्रदेश	चक्रवात	56.52	25.00
2	असम	बाढ़	3.23	3.00
3	गुजरात	बाढ़	10.43	3.00
4	हरियाणा	बाढ़	11.00	3.00
5	हिमाचल प्रदेश	बाढ़	2.70	1.00
6	केरल	चक्रवात	3.65	2.00
7	उड़ीसा	बाढ़	8.52	2.00
8	राजस्थान	बाढ़	7.97	2.00
9	तमिलनाडु	चक्रवात	29.31	16.00
10	उत्तर प्रदेश	बाढ़	10.00	3.00
11	पश्चिम बंगाल	बाढ़	4.41	4.00

(ग) और (घ) : हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार से केन्द्रीय दल के प्रयोग के लिए जिसने 13 से 16 अक्तूबर, 1977 तक इस राज्य का दौरा किया था, एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था । इस ज्ञापन के अन्तः सरकारी होने के कारण यह जनहित में वांछनीय नहीं समझा जाता है कि इसको सभा पटल पर रखा जाए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पेय जल योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश को दी गई सहायता

3556. **श्री जगन्नाथ शर्मा :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था के लिए कितनी सहायता दी है ;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए सरकार को और अधिक सहायता मिलने की आशा है; और

(ग) यदि हां, तो गढ़वाल डिवीजन के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है तथा पौड़ी गढ़वाल पेय जल की योजनाओं के लिए अब तक कितनी राशि का उपयोग किया गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) तथा (ग) : विश्व स्वास्थ्य संगठन पेय जल योजनाओं के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं देता है ।

दिल्ली नगर निगम द्वारा समाज सदन का निर्माण

3557. **श्री दिलीप चक्रवर्ती** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली नगर निगम के जिसे अनेक वर्ष पूर्व चितरंजन पार्क, नई दिल्ली में दो एकड़ भूमि समाज सदन के लिए आबंटित की गई थी, अभी तक उस पर समाज सदन का निर्माण करने के लिए कुछ नहीं किया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : दिल्ली नगर निगम द्वारा अनधिवासियों सहित स्थल का कब्जा 17 सितम्बर, 1976 को लिया गया था । अनधिवासियों से खाली करवाने के बाद ही इस भूमि को इस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है

राष्ट्रीय बीज निगम के बारे में विश्व बैंक की सिफारिसें

3558. **श्री जगदीश प्रसाद माथुर** :
श्री जी० एम० बनतवाला :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 फरवरी, 1978 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि विश्व बैंक की सिफारिशों से राष्ट्रीय बीज निगम के लिये गम्भीर वित्तीय समस्यायें पदा हो गई है और आर्थिक रूप से सक्षम संगठन के रूप में इसका भविष्य खतरे में पड़ गया है ; और

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम के कार्यों के ठीक करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां । सरकार को इस समाचार की जानकारी है ।

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम के वर्ष 1976–77 के लेखे को अभी हाल ही में अंतिम रूप दिया गया है और उससे 1.11 करोड़ रुपए के घाटे का पता चलता है । घाटे के कारणों की जांच की जा रही है ।

"नैशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे" तथा लैंड "यूज प्लानिंग" द्वारा सर्वेक्षण

3559. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "नेशनल ब्यूरो आफ सोइल सर्वे" तथा "लैंड यूज प्लानिंग" ने 1976–77 के दौरान और 1977 के प्रथम दस महीनों में किन-किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया ;

(ख) जिन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जा चुका है उनके द्वारा 1976–77 में ब्यूरो द्वारा एकत्र की गई जानकारी किस ढंग से उपयोग में लाई जा रही थी ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों का निकट भविष्य में कोई सर्वेक्षण करने की योजना बनाई गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) क्षेत्र-वर्ष (अक्तुबर 1976 से जन 1977) के दौरान किये गये सर्वेक्षण अनुबंध में दिये गये हैं ।

(ख) मृदा सर्वेक्षण रिपोर्टों तथा मृदा व भूमि उपयोग मानचित्रों में अन्तर्विष्ट सूचना का उपयोग कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अनुसंधान संस्थानों तथा राज्यों के कृषि विभागों द्वारा विभिन्न राज्यों में समाकलित ग्रामीण विकास जिलों, राज्यों के फार्मों में बीज विकास कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए वैज्ञानिक भूमि उपयोग के नियोजन, परिचालित अनुसंधान प्रयोजनाओं, बदलने वाली कृषि प्रायोजनाओं में मृदा संरक्षण तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जल उपयोग प्रबंधं की स्रोत सूची का प्रलेख तयार करने के लिए किया गया है । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को दिये गये मृदा सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा मृदा मानचित्रों का उपयोग उनके द्वारा विभिन्न तरीकों से किया जा रहा है ।

(ग) मृदा सर्वेक्षणों को, परिचालित अनुसंधान प्रायोजनाओं के माध्यम से पहाड़ी क्षत्रों में वैज्ञानिक भूमि उपयोग के प्रदर्शन हेतु उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों—यथा टेहरी गढ़वाल तथा अल्मोड़ा में शुरु किया गया है ।

(घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

विवरण

राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण तथा भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो द्वारा क्षेत्र वर्ष (अक्तूबर 1976 से जून 1977 तक) के दौरान किये गये सर्वेक्षण के क्षेत्रों का विवरण

राज्य	ज़िले	क्षेत्रफल हैक्टरों में टोह सर्वेक्षण	विस्तृत सर्वेक्षण
पंजाब	होशियारपुर	391253	--
उत्तर प्रदेश	अल्मोड़ा, मथुरा, बहराईच	--	3100
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र			
आसाम		--	8614
अरुणाचल प्रदेश		5757	2104
मेघालय		—	8900
मणिपुर		856270	161
त्रिपुरा		--	2527
मिजोरम		--	8500
पश्चिमी बंगाल	24 परगना	--	2224
महाराष्ट्र	नागपुर	94109	--
	अहमदनगर	211482	--
	थाना	68800	--
	चन्द्रापुर	630459	--
	रत्नागिरि	--	1295
	परभणी --	—	1740
गुजरात	राजकोट, सुरेन्दर नगर और कच्छ	579000	—
मध्य प्रदेश	भोपाल	—	85
कर्नाटक	बीजापुर	344183	—
	हसन	53000	—
	मसूर	120000	—
केरल	कानानौर	326000	—

Irrigation Schemes to be Undertaken in 1978-79

†3560. **Shri Y. P. Shastri :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the names of districts in the various States of the country where even 5 per cent of agricultural land is not under irrigation; and

(b) the irrigation schemes to be undertaken in 1978-79 with a view to provide for increased irrigation facilities in such districts ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) & (b): A statement indicating the districts having percentage of net irrigated area to net sown area of less than 5 and indicating the on-going major and medium irrigation projects and those proposed to be undertaken during 1978-79 to benefit these districts is attached.

[Placed in the Library. Sec. No. L.T.—1870/78]

दिल्ली दुग्ध योजना के स्टोरों में अनियमितताएं

3561. **श्री शिवनारायण सरसूनिया :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सप्रैटा दुग्ध चूर्ण, कास्टिक सोडा, खाली बोतल, डीजल तेल आदि की उठाईगिरी जैसे गम्भीर अनियमितताओं का पता चला था और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कहने पर न्यायालय ने कुछ अधिकारियों को सजा दी थी ;

(ख) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के सी० टी० ओ०, पूसा गोदाम में अब भी भ्रष्टाचार व्याप्त है और स्टोरों की कोई नियमित वास्तविक जांच नहीं की जाती और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्टोरों की नियमित जांच आरम्भ करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना के दो अधिकरियों पर सप्रैटा दुग्ध चूर्ण की उठाईगिरों के सम्बन्ध में अभियोग चलाया गया था और 24 मई, 1977 को न्यायालय ने उन्हें सजा दी। अब तक कास्टिक सोडा और खाली बोतलों की उठाई-गिरी के संबंध में कोई मामला ध्यान में नहीं आया है। हाल ही में दिल्ली दुग्ध योजना ने डीजल तेल के विषय में एक ऐसे मामले की रिपोर्ट पुलिस को दी है, जिसमें भूमिगत डीजल टैंक में डीजल के साथ कुछ पानी मिला हुआ पाया गया था। पुलिस की जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) इस समय सी० टी० ओ० के गोदाम में सिर्फ "बलेंसिंग स्टेशन इक्विपमेंट" का भंडारण किया जाता है। इस उपकरण की कोई वास्तविक जांच करने की आवश्यकता नहीं है। इस गोदाम में ताला लगा रहता है और गोदाम की सुरक्षा के लिए चौकीदारों की तैनाती की गई है। गोदाम की समय-समय पर जांच की जाती है। भ्रष्टाचार का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ग) वर्ष 1970 में दिल्ली दुग्ध योजना में एक वास्तविक जांच एकक की स्थापना की गई थी और यह एकक नियमित रूप से भंडारों की वास्तविक जांच कर रहा है। दिल्ली दुग्ध योजना के भंडारण अधिकारी भंडारणों की अचानक जांच भी करते हैं।

पचनद बांध

3562. **श्री रामवरण** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में जालौन और इटावा जिलों के बीच यमना पर पचनद बांध का निर्माण करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर निर्माण कार्य कब से आरम्भ किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि चम्बल, सिंद, कुआरी और पहुज नदियों के संगम के अनुप्रवाह में जालौन और इटावा जिलों की सीमा के साथ यमुना नदी पर एक बांध के निर्माण के प्रस्ताव की अभी जांच की जा रही है ।

(ख) चूंकि यह प्रस्ताव अभी अन्वेषण की अवस्था में है, इसलिए निर्माण-कार्य शुरू होने का निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है ।

Adult Education to Harijans and Backward Class People

†3563. **Shri Ram Prasad Deshmukh**: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Government propose to formulate any scheme to impart adult education to Harijans and other backward class people; and

(b) whether Government are preparing any scheme to impart training to Harijan women in any skill so as to enable them to earn their livelihood ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) & (b) : The National Adult Education Programme which is proposed to be launched from 2-10-1978 envisages organisation of adult education programme for approximately 10 crore illiterate persons in 15-35 age-group. In the implementation of the programme special attention would be given to Harijans and other backward class people and to women.

Compensation for Evacuation

3564. **Shri Hargovind Verma**: Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the people evicted from Jahangirpuri in Delhi have demanded land as compensation for their land; and

(b) if so, whether Government have taken some decision thereon ?

The Minister of Works and Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) Yes, Sir.

(b) No decision has so far been taken.

Supply of Electricity to Sultanpuri Resettlement Colony

3565. **Shri K. Lakkappa** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the funds allocated to the concerned agency for supply of domestic and commercial power to Sultanpuri, a resettlement colony of Delhi;

(b) whether electricity will be provided by D.D.A. or D.E.S.U.;

(c) the details of official orders or instructions issued a few months back to the above agency;

(d) when this amenity is likely to be provided there; and

(e) whether the colony has already been inspected by senior officers but no suitable action has been taken thereon?

The Minister of Works and Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) No funds have been allocated.

(b) Electricity is provided by D.E.S.U.

(c) No orders or instructions have been issued.

(d) & (e): Preliminary survey of the colony was carried out by D.E.S.U. for the purpose of preparation of tentative estimates. No decision has so far been taken regarding the mode of financing the project.

हिन्दुस्तान मिल्क फूड्स द्वारा ब्रांड नाम "हार्लिक्स" का प्रयोग

3566. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मिल्क फूड्स के राजामुन्दरी एकक को औद्योगिक लाइसेंस देते समय सरकार ने यह शर्त लगाई थी कि राजामुन्दरी एकक में उत्पादन आरम्भ होने के तीन वर्ष बाद ब्रांड नाम "हार्लिक्स" का प्रयोग बन्द कर दिया जायेगा ; और

(ख) सरकार द्वारा उक्त प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण थे ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) मैसर्स हिन्दुस्तान मिल्क फूड मैनुफ़ैक्चरर्स लिमिटेड को औद्योगिक लाइसेन्स देने से पूर्व सरकार चाहती थी कि यह कम्पनी अपने विदेशी अंश को 70 से घटा कर 49 प्रतिशत कर दे ।

तथापि, यह कम्पनी इस सुझाव से सहमत नहीं थी । अन्ततः सरकार ने, विदेशी अंश को कम करने के अपने पूर्व प्रस्ताव की बजाए, कम्पनी के एक अन्य प्रस्ताव के लिये स्वीकृति दे दी कि कम्पनी विदेशी अंश को घटा कर 51 प्रतिशत कर देगी और उत्पादन को शुरू करने के तीन वर्षों के भीतर भारतीय ब्रान्ड नाम को अपना लेगी ।

Production of Mushroom

3567. **Shri Bharat Bhushan :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the places in the country where mushrooms are grown;

(b) the measures being taken by Government to encourage mushroom growers;

(c) the value of mushrooms exported during 1977; and

(d) the total production of mushrooms during 1977 and the prospects for 1978 ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) The major mushroom growing States are Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, U.P. and Punjab.

(b) There is not Centrally sponsored scheme on production of mushroom. However, the State Governments are encouraging production of mushroom by giving technical knowhow to the growers and providing assistance in procuring spawn. Some States extend credit facilities also to growers.

A special UNDP project is under implementation in Himachal Pradesh since September, 1977. The main components of this project are;

1. provision of integrated service on mushroom research and extension, production, marketing and processing;
2. undertaking bulk manufacture of compost for supply to growers.
3. providing subsidies on recurring and non-recurring expenditure to small and marginal farmers and unemployed graduates, interested in mushroom growing; and
4. requisitioning of the services of foreign experts to develop modern technology to increase per unit yield.

(c) The value of dried mushrooms exported during 1977 is Rs. 182.50 lakhs.

(d) Estimates of production of mushrooms for 1977 and the prospects for 1978 are not yet available.

एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इंडिया, हैदराबाद द्वारा दौरों पर व्यय

3568. **डा० सरदीश राय** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि वर्ष 1976-77 में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालज आफ इंडिया, हैदराबाद को कुल आय में से 12.60 प्रतिशत, अर्थात् 18,47,000 रुपए दौरों पर खर्च किए गए;

(ख) यदि हां, तो देश कि भिन्न-भिन्न भागों में शाखाओं के होते हुए भी इतनी बड़ी धनराशी खर्च किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) 1970-71 के खर्च की तुलना में दुगुनी धनराशि खर्च किये जाने के क्या कारण है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) वर्ष 1976-77 में दौरों पर हुए कुल 18,47,000 रुपए के खर्च में से कालेज ने 9,12,000 रु० की रकम उन विभिन्न पक्षों से वसूल कर ली थी जिन्होंने परामर्श और अनुसंधान कार्य प्रयोजित किय थे। वर्ष के दौरान कालेज द्वारा दौरों पर खर्च की गई शुद्ध राशि 9,35,000 रु० है जो कि इस की शुद्ध आय का 6.80 प्रतिशत है ।

(ख) और (ग): 1970-71 से 1976-77 की अवधि के दौरान दौरे के खर्च में वृद्धि अनुसंधान और परामर्श कार्यकलापों की विविधता के कारण है, जो अनिवार्य रूप से शाखा कार्यालयों के स्थान पर ही नही किए जाते। रेल भाड़े, हवाई भाड़े, टैक्सी भाड़े की दरों और होटल टैरिफ में हुई वृद्धि के कारण भी दौरों की लागत बढ़ी है ।

उर्वरकों की मांग

3569. श्री अहमद एम० पटेल : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार, उर्वरक की अनुमानित कुल मांग कितनी है : और

(ख) क्या इस आशय का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है जब भारत उर्वरकों के उत्पादन के मामलों में आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) प्रत्येक फसल मौसम के प्रारम्भ होने से पहले राज्य सरकारों के साथ क्षेत्रीय सम्मेलन करने के बाद खरीफ तथा रबी के मौसमों के लिए पृथक रूप से उर्वरकों की आवश्यकताओं का जायजा लिया जाता है । वर्ष 1978-79 के लिए अभी तक हमने खरीफ के मौसम की आवश्यकताओं का जायजा लिया है, जो अनुबंध में दिया गया है । वर्ष 1978-79 के रबी की आवश्यकताओं का जायजा जुलाई, 1978 के महीने में लिया जाएगा ।

(ख) उर्वरकों के विनिर्माण के लिए अतिरिक्त क्षमता को स्थापित करने हेतु एक बड़े पैमाने का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है । इस कार्यक्रम के पूरा हो जाने के बावजूद भी 1983-84 में खपत तथा उत्पादन के बीच 12 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन और 6 लाख मीटरी टन पी$_2$ ओ$_5$ का अन्तर रहने की संभावना है । इस अंतर को पूरा करने तथा आत्म निर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता करने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है । जहां तक तीसरे पोषक तत्व अर्थात पोटाश (के$_2$ ओ) का सम्बन्ध है, इसकी पूरी मात्रा आयात की जाती है, क्योंकि पोटाश का कोई देशी रिजर्व नहीं है ।

विवरण

1978 के खरीफ की सकल आवश्यकतायें

(मीटरी टन)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिन्स बोर्ड	सकल आवश्यकतायें			
	एन	पी	के	एन पी के
1	2	3	4	5
1 आंध्र प्रदेश . .	189515	82975	20007	292497
2. तमिल नाडु . .	122200	49097	43097	214394
3. कर्नाटक . . .	111277	41424	34549	187250
केरल . . .	22000	12000	16000	50000
5. पांडिचेरी . .	2885	1370	1199	5454
6, काफी बोर्ड .	10560	8800	10560	29920
7, रबड़ बोर्ड . .	2263	2227	1994	6484
8, इलाइची बोर्ड . .	600	1200	600	2400

विवरण—जारी

1	2	3	4	5
9. चाय बोर्ड . .	6336	1682	3917	11935
10. पश्चिम बंगाल . .	50000	10000	10000	70000
11. बिहार . . .	50000	10000	6000	66000
12. उड़ीसा . . .	31000	10000	5000	46000
13. असम . . .	3500	1000	1000	5500
14. मणिपुर . . .	1800	500	200	2500
15. मेघालय . . .	1646	988	493	3127
16. त्रिपुरा . . .	600	200	200	1000
17. नागालैण्ड . .	90	30	35	155
18. अरुणाचल प्रदेश . .	80	40	40	160
19. मिजोरम . .	152	60	120	332
20. चाय बोर्ड (एन० ई०) .	15814	917	6399	23130
21. सिक्किम . .	302	138	113	553
22. अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह	27	5	2	34
23. महाराष्ट्र . .	135000	50000	50000	235000
24. गुजरात . . .	80000	50000	18000	148000
25. मध्य प्रदेश . .	54000	25000	4000	83000
26. राजस्थान . .	36000	7000	1600	44600
27. गोवा, दमन और दीव .	2301	1050	568	3919
28. दादरा और नगर हवेली .	80	25	5	110
29. पंजाब . . .	130000	30000	6000	166000
30. हरियाणा . .	61000	8500	5000	74500
31. उत्तर प्रदेश . .	250000	35000	16000	301000
32. हिमाचल प्रदेश . .	7000	2000	1300	10300
33. जम्मू और कश्मीर . .	10000	2500	500	13000
34. दिल्ली . . .	1000	200	100	1300
35. चण्डीगढ़ . .	167	16	50	233
योग .	1389195	445944	254648	2099787

रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा विभिन्न सहकारी बैंकों को दी गई राशि

3570. **श्री हुकमदेव नारायण यादव** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 से 1977 तक की अवधि में रिजिर्व बैंक द्वारा विभिन्न सहकारी बैंकों को राज्यवार, कितनी-कितनी राशि दी गयी हैं ; विभिन्न सहकारी बैंकों पर राज्यवार, ऐसी कितनी-कितनी राशि बकाया है जो नियमों के अनुसार इन में जमा नहीं की गई ; और

(ख) उसकी वसूली के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु ताप सिंह) : (क) व (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न राज्य सहकारी बकों को दिए गये ऋणों की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किए जानेवाले सांख्यिकीय विवरणों में उपलब्ध हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर की गई किन्हीं सीमाओं के मुकाबले में भारतीय रिजर्व बैंक का कोई अतिदेय बकाया नहीं है ।

ट्रैक्टरों के उपयोग का फार्मों की उत्पादकता पर प्रभाव

3571. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने ट्रक्टरों के प्रयोग के फार्मों की उत्पादकता पर प्रभाव के बारे में नय सिरे से कोई अध्ययन किया है अथवा अध्ययन करने का आदेश दिया है ;

(ख) क्या आयोग का विचार है कि कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए;

(ग) यदि हां, तो क्या आयोग ने इस विषय पर पर्याप्त सामग्री एकत्रित कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) योजना आयोग ने अभी तक यह अध्ययन शुरू नहीं किया है ।

(ख) योजना आयोग इस प्रकार के कृषि क्षेत्र के मशीनीकरण के विरुद्ध नहीं है, परन्तु वह एसे मशीनिकरण का विरोध करता है, जिससे भारी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो जाएं ।

(ग) और (घ) : जी नहीं, क्योंकि आयोग ने अभी तक यह अध्ययन शुरू नहीं किया है ।

Agency for Fair Price to Fruit and Vegetable Growers

3572. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government will make arrangements to set up Government agencies in mandis in cities nearby rural areas to ensure fair price to fruit and vegetable growers in such areas; and

(b) if so, the names of major cities of the country where these agencies have been set up by Government if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) & (b) : There is no proposal to set up Government agencies in mandis in cities nearby rural areas to purchase fruits and vegetables from growers. However, there is a scheme of Central assistance for development of regulated markets which includes provision of infra-structural facilities in fruit and vegetable markets to assist producers and ensure fair trade practices. Cooperatives of vegetable and fruit growers are also encouraged so that better prices could be secured by them for the growers. The National Agricultural Cooperative Marketing Federation (NAFED) enters the market for purchase of certain perishable commodities and ensures price support. Some State Governments are setting up Corporations to promote the growth of vegetable and fruits and develop the marketing and processing of selected horticulture commodities. These measures are expected to ensure better returns to the growers.

पांचवीं योजना अवधि में ग्रंथालय तथा बुक फोरम

3573. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना अवधि में सरकार तथा उसकी सहायता प्राप्त एजेंसियों ने ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में कुल कितने ग्रंथालय और बुक फोरम खोले तथा आरभं किये ;

(ख) क्या भारत के विभिन्न महानगरों में ऐसे ग्रंथालयों की आमतौर पर मांग की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) (ख) और (ग) : केन्द्रीय पुस्तकालयों अथवा संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालयों को छोड़कर संविधान के अन्तर्गत "पुस्तकालयों" का विषय एक राज्य विषय है । तथापि, राज्य सरकारों के स्वैच्छिक सहयोग से, महानगरों सहित ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के पुस्तकालयों के समेकित विकास के लिए कदम उठाए गए हैं । ये केन्द्रीय और राज्य पंच वर्षीय योजनाओं के भाग हैं । राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालयों का अनुरक्षण और विकास करने के अलावा, केन्द्रीय सरकार देश के विभिन्न भागों के पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता दे रही है और साथ ही राजाराम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के माध्यम से उनको पुस्तकें भी दे रही है ।

बक्सा दुर्ग का परिरक्षण

3574. **श्री पायस टिर्की** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय के तराई क्षेत्र में स्थित बक्सा दुर्ग को, जो भारत की एतिहासिक सम्पदा है, भारत सरकार ने ऐतिहासिक महत्व के स्थान के रूप में मान्यता दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस ऐतिहासिक दुर्ग के परिरक्षण के लिये अब तक क्या कदम उठायें गये है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क); (ख) और (ग) : प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1978, के प्रावधानों के अन्तर्गत दुर्ग के पुरातत्वीय ऐतिहासिक और वास्तुशिल्पीय महत्वों का मूल्यांकन किया जा रहा है और यदि यह राष्ट्रीय महत्व का पाया गया तो इसके बाद इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए कदम उठाए जायेंगे ।

अन्तर्राज्यीय जल विवादों के अन्तर्गत उड़ीसा की सिंचाई परियोजनायें

3575. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा की कुछ बड़ी तथा मध्यस्तरीय सिंचाई योजनायें अभी तक तय नहीं किये गये अन्तर्राज्यीय जल विवादों के अन्तर्गत आती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या हैं ;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने इन विवादों को तय करने के लिये मंत्रालय को भेजे हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो विवादों को निपटानें के लिए तथा निर्णयों को लागू करने के लिए राज्य द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : उड़ीसा की एक मध्यम सिंचाई परियोजना नामशः बाघलाय सिंचाई परियोजना मंजूरी के लिए लंबित (पेंडिंग) पड़ी है क्योंकि बहुदा नदी के जल के उपयोग के बारे में उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश राज्यों के बीच कुछ मतभेद है ।

(ग) और (घ) : उड़ीसा सरकार ने अभी तक भारत सरकार से यह अनुरोध नहीं किया है कि इस विवाद को सुलझाने के इस मामले को आन्ध्र प्रदेश के साथ उठाया जाए । फिलहाल यह मामला, निपटारे के लिए दोनों राज्य सरकारों के पास पड़ा है ।

बड़ानाका सिंचाई परियोजना, कोरापुट

3576. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को उड़ीसा के कोरापुट जिले की बड़ानाका मध्यम सिंचाई परियोजना का परियोजना प्रतिवेदन (प्राजेक्ट रिपोर्ट) मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब स्वीकृति दी जाएगी और उड़ीसा सरकार द्वारा कार्यान्वयन हेतु कार्यक्रम में इसे कब शामिल किया जायेगा ; और

(ग) वर्ष 1977-78 और 1978-79 में बड़ानाका परियोजना के लिए राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है और अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) और (ख) : बड़ानाका सिंचाई परियोजना की रिपोर्ट, केन्द्रीय जल आयोग में अप्रैल, 1977 में प्राप्त हुई थी। आयोग ने राज्य सरकार से सितम्बर 1977 में अनुरोध किया था कि वह अभिकल्पों आदि के ब्यौरों सहित एक संशोधित परियोजना रिपोर्ट भेजे। संशोधित रिपोर्ट के प्राप्त होने पर परियोजना पर मंजूरी देने के लिए विचार किया जायेगा।

(ग) सिंचाई एक राज्य-विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा अपनी समग्र विकासशील योजनाओं के ढांचे के अन्तर्गत की जाती है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रुप में दी जाती है जिसका किसी विशिष्ट विकास क्षेत्र या परियोजना से संबंध नहीं होता।

उड़ीसा की 1978-79 की वार्षिक योजना के अनुसार 1977-78 के दौरान बढ़ानाका परियोजना पर 50 लाख रुपये का व्यय होने की संभावना है। राज्य सरकार ने अगले वर्ष के लिए 50 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया है।

गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा प्लाटधारियों को प्रीतमपुरा, दिल्ली में जमीन का कब्जा दिया जाना

3577. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन गृह निर्माण सहकारी समितियों को प्रीतमपुरा में जमीन का कब्जा दिया गया है तथा यह कब्जा किन तिथियों को दिया गया ;

(ख) उन समितियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने सदस्यों को प्लाट का कब्जा दिया तथा यह कब्जा किन तिथियों को दिया गया ;

(ग) किन समितियों को लाटरी निकालने की अनुमति दी गई है और किन समितियों ने अभी तक लाटरी निकालने की व्यवस्था नहीं की है ;

(घ) ऐसी समितियों को लाटरी निकालने में शीघ्रता करने को कहने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ङ) समितियां अपने सदस्यों को प्लाट कब तक देगी और इस संबंध में सरकार समितियों पर नियंत्रण किस प्रकार रखती है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) ब्यौरे अनुलग्नक 'क' में दिए गए हैं ।

(ख) को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटियों के सदस्यों को प्लाटों का कब्जा उनकी सोसाइटियों द्वारा दिया जाता है । अतः यह सूचना दिल्ली प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जिन सोसाइटियों को लाटरी निकालने की इजाजत दी गई है उनकी सूची संलग्न है । इन सभी सोसाइटियों ने लाटरी निकाल ली है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) जैसे ही सक्षम प्राधिकरण द्वारा डीमार्केशन कम सैट बैक प्लान अनुमोदित कर दी जाती है तथा कोआपरेटिव सोसाइटियों के रजिस्ट्रार द्वारा सोसाइटी की सदस्यता अनुमोदित कर दी जाती है, दिल्ली प्रशासन के प्रतिनिधियों की देखरेख में लाटरी के जरिए प्लाटों का आवंटन कर दिया जाता है ।

विवरण I

उन सोसाइटियों के नाम जिन्हें प्रीतमपूरा में भूमि का कब्जा दिया गया था तथा कब्जा देने की तारीख

सोसाइटी का नाम	कब्जे की तारीख
1. बिरला मिल्स वर्कर्स सी० एच० बी० एस०	5-9-70
2. सी० डब्ल्यू० एण्ड पी० सी० सी० एच० बी० एस०	26-10-70
3. सेन्ट्रल गवर्नमैन्ट इण्डिस्ट्रयल वर्कर्स सी० एच० बी० एस०	2-9-70
4. सी० पी० डब्ल्यू० डी० गवर्नमैन्ट सर्वेन्टस	4-9-70
5. चन्द्रलोक सी० एच० बी० एस०	7-9-70
6. दिल्ली यूनियन सी० एच० बी० एस०	4-2-69
7. डी० एम० सी० स्कूलटीचर्स	25-11-70
8. देहाती सी० एच० बी० एस०	3-9-70
9. दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स सो० एच० बी० एस०	25-11-70
10. दिल्ली सैनिक सी० एच० बी० एस०	2-6-73
11. गवर्नमैन्ट स्कूल टीचर्स सी० एच० बी० एस०	4-2-69
12. कोहाट रिफ्यूजी सी० एच० बी० एस०	20-8-70
13. नेशनल डिफेंस वर्कर्स सी० एच० बी० एस०	2-9-70
14. पब्लिक सैक्टर (पी० एण्ड टी०) एम्पलाइज	28-8-70
15. पहाड़ी धीरज सी० एच० बी० एस०	3-4-69
16. रोहतास सी० एच० बी० एस०	30-3-71
17. राजधानी सी० एच० बी० एस०	3-9-70
18. राज नगर सी० एच० बी० एस०	23-8-70

विवरण I—जारी

सोसायटी का नाम	कब्जे की तारीख
19. सप्लाई आडिट एण्ड एकाउण्टस सी० एच० बी० एस० .	23-8-70
20. शिव सी० एच० बी० एस०	26-4-71
21. तिमारपुर सी० एच० बी० एस० . . .	4-11-70
22. यू० पी० समाज सी० एच० बी० एस० . . .	20-10-70 तथा 17-4-74
23. मिनिस्ट्री आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री सी० एच० बी० एस० .	19-1-76
24. डरा गाजीखां सी० एच० बी० एस० . . .	19-1-76

विवरण II

उन सोसाइटियों के नाम जिन्हें लाटरी निकालने की इजाजत दी गई थी और जिन्होंने लाटरी निकाल ली है

1. बिरला मिल वर्कर्स सी० एच० बी० एस०
2. सन्ट्रल गर्वन्मेंट इण्डस्ट्रियल वर्कर्स् सी० एच० बी० एस०
3. चन्द्र लोक सी० एच० बी० एस०
4. डी० एम० सी० स्कूल टीचर्स सी० एच० बी० एस०
5. देहाती सी० एच० बी० एस०
6. दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स सी० एच० बी० एस०
7. दिल्ली सैनिक सी० एच० बी० एस०
8. गर्वनमैन्ट स्कूल टीचर्स सी० एच० बी० एस०
9. कोहाट रिफ्यूजी सी० एच० बी० एस०
10. नेशनल डिफेन्स वर्कर्स सी० एच० बी० एस०
11. पब्लिक सैक्टर (पी एण्ड टी) एम्पलाइज सी० एच० बी० एस०
12. रोहतास सी० एच० बी० एस०
13. राजधानी सी० एच० बी० एस०
14. राज नगर सी० एच० बी० एस०
15. तिमारपुर सी० एच० बी० एस०

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा लिये गये विषय

3578. **श्री दुर्गा चन्द्र :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिनके लिए भारतीय समाजिक विज्ञान अनुसधान परिषद द्वारा अनुदान दिय गये हैं ;

(ख) इन विषयों का चयन करने में अपनाय गये मानदंड क्या हैं ;

(ग) क्या अनुदान देने के प्रयोजनार्थ व्यवसाय प्रबंध, औद्योगिक प्रबन्ध, परिचालन अनुसंधान (आपरेशनल रिसर्च) के विषयों को शामिल करने संबंधी कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संकृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क)और (ख) : भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद ने सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में आने वाले निम्नलिखित विषयों को मान्यता दी है :--

(1) अर्थशास्त्र (वाणिज्य सहित)
(2) शिक्षा
(3) प्रबन्ध (व्यवसाय प्रशासन सहित)
(4) राजनीतिक विज्ञान (अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क सहित)
(5) मनोविज्ञान
(6) लोक प्रशासन
(7) समाज विज्ञान (सामाजिक कार्य तथा अपराध विज्ञान सहित) ।

सामाजिक विज्ञान के इन पहलुओं को इसके क्षेत्र में शामिल करने का भी निर्णय किया गया है :--

(1) मानव विज्ञान
(2) जन सांख्यिकी
(3) भूगोल
(4) इतिहास
(5) विधि
(6) भाषा विज्ञान

(ग), (घ) और (ङ) : इन विषयों को भा० सा० अ० परि० को अनुदान योजना के अन्तर्गत पहले ही सम्मिलित किया हुआ है ।

भारतीय खाद्य निगम में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों की पदोन्नति

3579. **श्री के० प्रधानी :** तया कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारतीय खाद्य निगम में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों को प्रत्येक ग्रेड तथा श्रेणी में कितनी पदोन्नतियां दी गयी ;

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक ग्रेड तथा श्रेणी में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिये कितने आरक्षित स्थान निर्धारित थे ;

(ग) क्या इन अल्पसंख्यकों को आरक्षित किया गया कोटा पूरी तरह भर दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : स्थिति संलग्न अनुबंध में बतायी गई है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1571/787/78]**

(ग) और (घ) : यथा आवश्यक अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण सभी मामलों में कोटा पूरा नहीं किया जा सका था ।

क्षेत्रीय भाषा अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अनुदान

3580. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क्षेत्रीय भाषाओं के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए विशेष अनुदान देने पर विचार करेगी जैसे दक्षिण राज्यों में हिन्दी पढ़ाने के लिए हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए दिये जाते हैं ; और

(ख) हिन्दी पढ़ाने हेतु हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए राज्यों को कितने विशेष अनुदान दिये जाते हैं और इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी हां ।

(ख) पांचवी योजना में दिये गये अनुदानों का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति

पांचवी योजना के दौरान दिए गए अनुदान

राज्यों के नाम	1974-75 (रु० लाखों में)	1975-76 (रु० लाखों में)	1976-77 (रु० लाखों में)	1977-78 28-2-78 तक (रु० लाखों में)
आन्ध्र प्रदेश . .	9.00	27.00	40.00	40.00
असम . . .	10.00	15.00	20.00	21.00
गुजरात . . .	1.60	6.00	..	19.76

विवरण—जारी

राज्यों के नाम	1974–75 (रु० लाखों में)	1975–76 (रु० लाखों में)	1976–77 (रु० लाखों म)	1977–78 28–2–78 तक (रु० लाखों में)
केरल . . .	3.00	33.00	106.75	60.00
मेघालय . . .	1.00	2.00	1.30	..
कर्नाटक . . .	9.00	21.00	13.00	23.00
नागालैंड . . .	0.94	1.90	2.05	2.44
उड़ीसा . . .	12.00	28.00	50.00	32.00
तमिल नाडु . . .	..	..	4.75	5.00
पश्चिम बंगाल . .	12.00	1.10	7.30	2.00
मणिपुर . . .	3.00	1.00	4.58	3.00
महाराष्ट्र . . .	3.00	5.00	..	..
त्रिपुरा . .	2.00	..	—	..
संघशासित क्षेत्र				
मिजोरम . . .	2.26	4.75	11.94	17.00
जोड़ .	68.80	145.75	261.67	225.20

मध्य प्रदेश में "आपरेशन फ्लड–फेज 2" कार्यालय

3581. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुग्ध-उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने "आपरेशन फ्लड-फेज 2" नामक योजना को अन्तिम रुप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का कुल परिव्यय कितना है ;

(ग) क्या उक्त योजना में मध्य प्रदेश राज्य को उसका हिस्सा दे दिया गया है और क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ कोई बातचीत की थी; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) : समूचे देश के लिये लगभग 483 करोड़ रुपए के परिव्यय की एक समेकित डेरी विकास परियोजना सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) तथा (घ) : इस परियोजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को लाने का प्रस्ताव है । देश के एक लाख से अधिक आबादी वाले 148 शहरों को राष्ट्रीय ग्रिड के एक भाग के रूप में सम्बद्ध किया जाएगा जिससे कि इन शहरों में दूध की सप्लाई को सुनिश्चत किया जा सके । भारतीय डेरी निगम सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ इस परियोजना के ब्यौरे के बारे में विचार-विमर्श करेगा । वित्तीय एवं अन्य ब्यौरों की भी जांच की जा रही है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियरों तथा एक्जीक्युटीव इंजीनियरो के पद

3582. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1978 को मूल्यांकन सैलों और प्रतिनियुक्ति वाले पदों सहित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियरों तथा एक्जीक्युटिव इंजीनियरों के कितने रिक्त स्थान है और उनके किस संम्भावित तारीख तक भरे जाने को संभावना हैं ;

(ख) पदों को न भरने के क्या कारण हैं; और

(ग) उपर्युक्त पदों को न भरने से वर्ष 1977-78 में कितनी बचत हुई और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य के प्रबन्ध में त्रुटियां और अधिक मात्रा में बेरोजगारी को स्थिति में उत्पन्न करने के रूप में इसका क्या परवर्ती परिणाम निकला ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में 1 मार्च, 1978 को सहायक इंजीनियरों तथा कार्यकारी इंजीनियरों के पदो में रिक्तियों की संख्या जिनमें मूल्यांकन कक्ष भी शामिल हैं, इस प्रकार है :—

कार्यकारी इंजीनियर (सिविल)	5
कार्यकारी इंजीनियर (विद्युत)	5
सहायक इंजीनियर (सिविल)	33
सहायक इंजीनियर (विद्युत)	22

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बाहरी पदों पर प्रतिनियुक्ति हो जाने से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में पद रिक्त हो जाते हैं । ऐसी रिक्तियां उपर्युक्त विवरण में सम्मिलित हैं । ज्योंही अधिकारी उपलब्ध हो जाते हैं त्योंही उपर्युक्त रिक्तियां भरे जाने की आशा है ।

(ख) कार्यकारी इंजीनियरों के मामले में, अनेक अधिकारिगण प्रतिनियुक्ति से लौटने वाले हैं । ये रिक्तियां उनको रखने के लिए बिना भरे रखी गई हैं ।

सहायक इंजीनियरों के मामले में भारत सरकार ने 50 प्रतिशत गुणावगुण और वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत पद सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरने का पहले ही निर्णय ले लिया है । यह परीक्षा शीघ्र ही होने वाली है और ज्योंही परीक्षा परिणाम मिल जाता है त्योंही सहायक इंजीनियर के ग्रेड की रिक्तियां भर दी जायगी ।

(ग) ये रिक्तियां भिन्न भिन्न तारीखों को हुई और ऐसी बचत की राशि उपलब्ध नहीं है । तथापि, न तो इसके कार्यकुशलता पर और न ही बेरोजगारी को समस्या पर कोई प्रभाव पड़ा है ।

राज्यों में निर्मित केन्द्रीय सरकारी क्वार्टर

3583. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी पांच वर्षों में तमिलनाड में तथा अन्य राज्यों में कितने केन्द्रीय सरकारी क्वार्टर बनाये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) आगामी पांच वर्षों में तमिलनाडु में तथा अन्य राज्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त घोषित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा कितने क्वार्टर बनाये जाएंगे ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) अगले पांच वर्षों में बनाये जाने वाले क्वार्टरों की संख्या के बारे में निर्णय नहीं किया गया है । तथापि, आगामी 2-3 वर्षों के दौरान विभिन्न शहरों में बनाये जाने वाले क्वार्टरों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना के अलावा, आवास के लिए अलग अलग से केन्द्रीय वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है बल्कि राज्यों के आवास प्रोजेक्टों सहित प्लान प्रोजक्टों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता समेकित अनुदान तथा समेकित ऋण के रूप में दी जाती है जिसे राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग करती है । अतः राज्यों द्वारा अगले पांच वर्षों के दौरान बनाये जाने वाले मकानों की संख्या उपलब्ध नहीं है । जहां तक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना, बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना का संबंध है, दिसम्बर, 1977 के अन्त तक 19,182 मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी जिनमें से 9,732 मकान पूर्ण हो गए थे और शेष 9,450 मकान या तो निर्माणाधीन हैं या निर्माण के लिए अनुमोदित किए गए हैं । आगामी पांच वर्षों के प्रस्ताव अभी तैयार नहीं किए गए हैं ।

विवरण

तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आगामी 2-3 वर्षों के दौरान सामान्य पूल में बनाये जाने वाले क्वार्टरों के ब्यौरे

क्रम स०	शहर का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बनाये जाने वाले क्वार्टरों की संख्या
1.	मद्रास	तमिलनाडु	300
2.	दिल्ली/नई दिल्ली	दिल्ली	16,000
3.	बम्बई	महाराष्ट्र	2,600
4.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	2,000
5.	बंगलोर	कर्नाटक	300
6.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़	300
7.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	500

नोट :—इसके अतिरिक्त, गोहाटी (असम), शिलांग (मेघालय), अगरतला (त्रिपुरा), इम्फाल (मणिपुर), कोहिमा (नागालैण्ड) तथा पोर्ट ब्लयर (अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह) शहरों में अगले 1-2 वर्षों के दौरान कुछ क्वार्टरों के निर्माण के लिए स्वीकृती दिए जाने का भी प्रस्ताव है ।

कृषि सेवा केन्द्र

3584. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्यवार, कृषि सेवा केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(ख) ये केन्द्र किस प्रकार की सेवा कर रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख): एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) इस समय केन्द्रीय योजना के अंतर्गत 2821 कृषि सेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं । इनका राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :--

क्रम संख्या	राज्य का नाम	केन्द्रों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	237
2.	असम	10
3.	बिहार	238
4.	गुजरात	100
5.	हरियाणा	123
6.	जम्मू तथा कश्मीर	6
7.	कर्नाटक	162
8.	केरल	10
9.	मध्य प्रदेश	305
10.	महाराष्ट्र	359
11.	उड़ीसा	32
12.	पंजाब	247
13.	राजस्थान	322
14.	तमिलनाडु	189
15.	उत्तर प्रदेश	193
16.	पश्चिम बंगाल	288
	कुल	2,821

(ख) ये केन्द्र निम्नलिखित कार्यों में से एक अथवा अनेक कार्य कर रहे हैं :—

(1) भूमि तैयार करने के लिए कृषि मशीनरी को कस्टम हायरिंग, भूमि विकास फसल-कटाई/फसल कटाई के बाद के कार्य, नलकूपों की खुदाई आदि ।

(2) फार्म उपस्करों को स्थापना, रख-रखाव तथा मरम्मत संबंधी कार्य ।

(3) वनस्पति रक्षण सेवाएं ।

(4) उर्वरकों, कीटनाशी दवाइयों, बीजों, कृषि मशीनरी के फालतू पुर्जों, फ्यूल आयलों, लुब्रीकेन्टों आदि की बिक्री ।

पोर्ट ब्लेयर के विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम

3585. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबर द्वीप समूह में चलाये जा रहे प्राथमिक विद्यालयों तथा माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा के कितने माध्यम है और वे माध्यम कौन-कौन से हैं ;

(ख) प्राथमिक और माध्यमिक चरण के प्रत्येक माध्यम में कुल कितने छात्र हैं ; और

(ग) सरकारी स्कूल और केन्द्रीय विद्यालय में अध्यापक और छात्र का अनुपात क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क), (ख) और (ग): विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) तथा (ख): अंडमान तथा निकोबर प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार 31-8-77 को विद्यमान अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

माध्यम	छात्रों की संख्या		
	प्राथमिक	मिडिल	माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक
1. हिन्दी	10,617	4,134	2,031
2. बंगाली	6,013	1,427	535
3. तमिल	2,00	389	49
4. अंग्रेजी	1,828	566	257
5. उर्दू	182	95	119
6. तेलुगू	773	53	—
7. मलयालम	955	—	—
8. निकोबारी	439	—	—

(ग) सरकारी स्कूलों में अध्यापक और छात्र अनुपात 1:20 तथा केन्द्रीय विद्यालयों में 1:5 है ।

Coarse Grains to Gujarat

3586. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the quantity of coarse grains such as milo, maize and bajra supplied by the Central Government from November, 1977 to January, 1978 to Gujarat;

(b) if no supply has been made, the reasons therefor;

(c) whether on 3rd February, 1978 the Food Minister of Gujarat and on 3rd December, 1977, the Chief Minister of Gujarat wrote to the Union Agriculture and Irrigation Ministry to take immediate steps to supply about 2 lakh tonnes of milo, maize and Bajra (coarse-grains) to the Gujarat State during 1978-79 and the action taken by the Government so far on it; and

(d) the steps proposed to be taken by the Central Government to meet the pressing demand of coarse grains such as milo, maize for the tribals and backward classes of the Gujarat?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) & (b): The quantity of coarse grains supplied from the Central Pool to the Government of Gujarat during November, 1977 to January, 1978, was as under:—

(In thousand tonnes)

Manth	Quantity
November, 1977	1·6
December, 1977	0·5
January, 1978	0·8

(c) & (d): The Chief Minister of Gujarat and Food Minister, Gujarat had addressed the Central Government in the matter. Internal procurement of coarse-grains is made by the F.C.I. only as a price support measure and there has been practically no procurement of coarse-grains by the F.C.I. for the Central Pool so far. The stocks of imported milo in the Central Pool have been almost exhausted and there have been no imports since. Consequently the requirements of milo and other coarse-grains of the Gujarat Govt. could not be met. The Govt. of Gujarat, however, has been informed that additional allotment of wheat could be made to them in lieu of milo and other coarse-grains if the State Government so desires.

किसानों को कृषि हेतु उर्वरक, बीज आदि की सप्लाई करने की योजना

3587. **श्री सरत कार** : क्या कृषि और सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ठीक समय पर तथा अपेक्षित मात्रा में विशेषकर खरीफ के मौसम तथा चालू रबी के मौसम में उर्वरकों, बीजों तथा कीटनाशी दवाओं जैसी आधारभूत कृषि संबंधी वस्तएं उपलब्ध कराने के लिये कोई कदम उठाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी , हां ।

(ख) इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

उर्वरक :

(क) राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा जिन्स बोर्डों से सलाह करके काफी पहले उनकी उर्वरक संबंधी आवश्यकताओं का जायजा लिया गया था ।

(ख) मौसम प्रारम्भ होने से काफी पहले एक समन्वित सप्लाई योजना भी तैयार की गई थी, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/जिन्स बोर्डों की आवश्यकताओं और देशी विनिर्माताओं द्वारा सप्लाई की जाने वाली तथा आयातित उर्वरकों में से सप्लाई की जाने वाली मात्रा का उल्लेख किया गया था । आगामी खरीफ मौसम के लिये बनाई गई सप्लाई योजनाओं के आधार पोषक तत्वों के रूप में 14.78 लाख मीटरी टन उर्वरक देशी विनिर्माताओं द्वारा सप्लाई किया जाएगा । शष लगभग 4.35 लाख मीटरी टन पोषक तत्वों की आवश्यकता आयात से पूरी की जाएगी । जहां तक 1978–79 के रबी का प्रश्न है, राज्य सरकारों तथा उर्वरक विनिर्माताओं से जुलाई, 1978 में होने वाली बैठक में सलाह-मशविरा करने के बाद ही सप्लाई योजनायें बनाई जायेंगी ।

(ग) राज्यों की सलाह से सप्लाई की स्थिति की प्रति माह समीक्षा की जाती है और आवश्यकतानुसार राज्यों को अधिक उर्वरक अलाट करके समायोजन द्वारा आवश्यक कारवाई की जाती है ।

(घ) आसाम और तेजी से सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सारे देश के खपत वाले क्षेत्रों में लगभग 669 केन्द्रों में आयातित उर्वरकों के बफर स्टाक रखे जा रहे हैं ।

(ङ.) कारखानों, बंदरगाहों तथा भाण्डागारों से उपभोक्ताओं के लिए उर्वरकों की सुविधाजनक ढुलाई को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए रखा जाता है ।

(च) पर्याप्त मात्रा में तथा ठीक समय पर आयात की व्यवस्था की जा रही है।

(छ) देशी उत्पादन की भी देखभाल की जा रही है ।

बीज :

किसानों के लिए बीजों के सप्लाई की व्यवस्था करना मूलरूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । सप्लाई के स्रोतों से सम्पर्क स्थापित करने के संबंध में उनकी सहायतार्थ बुवाई के प्रत्येक मौसम (रबी तथा खरीफ) से पहले क्षेत्रीय सम्मेलन किए जाते हैं, जिन में राज्य सरकारों की अनुमानित मांग तथा उपलब्ध सप्लाई को ध्यान में रखते हुए अंतर को पूरा करने के उपाय किए जाते है । इस प्रकार का पिछला सम्मेलन विगत जनवरी-फरवरी में हुआ था । राष्ट्रीय बीज निगम ने सप्लाई में होने वाली कमियों को नोट कर लियाहै, ताकि वे इन्हें पूरा करने के लिए यथासम्भव उपाय कर सके। भारत सरकार ने एक व्यापक राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम शुरू किया है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत एजेंसियों के एक तंत्र अर्थात राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगम, कृषि विश्वविद्यालय तथा प्राइवेट उत्पादकों के माध्यम से आगामी वर्षों में बीज उद्योग को अनुसंधान से उत्पादन तक के सभी पहलुओं व प्रमाणित बीजों के भण्डारण और विपणन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा ।

कीटनाशी दवाइयां :

(1) भारत सरकार ने किसानों को समय पर तथा उचित मूल्य पर कीटनाशी दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन दवाओं का वितरण तेजी से करने के लिए 1974 में 50 प्रतिशत वितरण करने की एक योजना शुरू की थी, जो अभी चालू हैं ।

इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार, देशी यूनिटों द्वारा उत्पादित आमतौर से प्रयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण तकनीकी ग्रेड की 50 प्रतिशत कीटनाशी दवाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी आवश्यकता व उपलब्धि के अनुसार त्रैमासिक आधार पर आवंटित करती है । राज्य सरकारें इस मात्रा को संबंधित राज्यों में स्थित फार्मुलेटरों/कृषि उद्योग निगमों अथवा ऐसे किसी भी अन्य फार्मुलेटर को अलाट करती है, जिनके साथ राज्य सरकार कीटनाशी दवाओं के विनिर्माण के लिए करार कर लेती है । फार्मुलेटर, तयार की गई सामग्री की एक निर्धारित मात्रा को, आपसी सहमति से तय की गई दरों पर राज्य सरकारों को बेच देते हैं ।

(2) भारत सरकार ने कृमिनाशी, खरपतवारनाशी तथा फफूंदनाशी दवाओं को आवश्यक जिंस अधिनियम के अंतर्गत कर दिया है, ताकि आवश्यकता के समय किसानों को कीटनाशी दवाओं की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके ।

(3) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे आपातकाल के दौरान सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी ग्रेड की कीटनाशी दवाओं का बफर स्टाक रखें ।

(4) क्षेत्रीय सम्मेलनों तथा अखिल भारतीय वनस्पति रक्षण सम्मेलन में विभिन्न राज्यों की कीटनाशी दवाओं की आवश्यकता की प्रति वर्ष समीक्षा की जाती है तथा उनकी मांग पूरी करने के लिए उद्योग की सलाह से हर सम्भव प्रयास किए जाते है ।

Awareness Amongst Students about Historical Event of Freedom Fighters

†3588. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Indian soldiers and officers in British Royal Navy stationed at Bombay had revolted against British Government and made an armed rebellion by unfurling Tricolour flag on the ship by pulling down British flag and about 60 persons were killed therein; and

(b) if so, the efforts made by Government to make aware the school students of this historical event ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) Yes, Sir.

(b) The two textbooks brought out by the National Council of Educational Research and Training on the History of Modern India mention the revolt of Indian soldiers and officers of the British Navy. These textbooks are :

(i) Modern India — A textbook for middle schools;

(ii) Modern India — A textbook for secondary schools.

दिल्ली नगर निगम के दिल्ली प्रशासन में स्थानान्तरित अध्यापकों का वेतन निर्धारण

3590. **श्री पायस टिर्की** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिल्ली प्रशासन में दिल्ली नगर निगम के सहायक अध्यापकों को प्रशिक्षित स्नातकों के रुप में नियुक्ति पर वेतन-निर्धारण के बारे म दिल्ली प्रशासन के सचिव (शिक्षा) को एक परिपत्र संख्या एफ० 1–17/(21) आर एण्ड एस/73, दिनांक 29 दिसम्बर, 1973 को भेजा गया था ;

(ख) क्या अध्यापक दिल्ली नगर निगम विभाग से स्थानान्तरण पर वेतन निर्धारण और दिल्ली प्रशासन के प्रशिक्षित स्नातक के रुप में नियुक्ति की मांग कर रहे हैं ; और

(ग) ऐसे शिक्षकों का दिनांक 29–12–1973 के परिपत्र के अनुसार वेतन निर्धारित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख): इस विषय पर भारत सरकार के आदेश इस मंत्रालय के पत्र संख्या ए० 11016/9/73 यू० टी० दिनांक 24 नवम्बर, 1973 द्वारा दिल्ली प्रशासन के शिक्षा सचिव को जारी किए गए थे । यह आदेश शिक्षा विभाग दिल्ली प्रशासन द्वारा अपने परिपत्र संख्या एफ० 1–17/(21) आर० एण्ड एस०/73 दिनांक 29 दिसम्बर, 1973 द्वारा अपनी विभिन्न अधीनस्थ एजेंन्सियों को आवश्यक कारवाई के लिए परिचालित किए गए थे ।

(ग) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, भारत सरकार के दिनांक 24 नवम्बर, 1973 के आदेश के अनुसार वेतन निर्धारित न करने की कोई शिकायत उनके ध्यान में नहीं लाई गई है । यदि एसी कोई शिकायत प्राप्त होगी तो उसकी फौरन जांच की जायगी ।

लीड कालेज

3591. **श्री सरत कार** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत आयोग प्रत्येक जिले में एक अथवा दो 'लीड कालेज' का विकास करने के लिये सहायता करेगा जो अच्छे स्तर की संस्थाओं के रुप में सेवा करेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) इस योजना के उद्देश्य हैं–चुने हुए कालेजों जिनके पास अच्छा दाखिला, शिक्षक-छात्र अनुपात और भौतिक सुविधाएं हैं, विविधतापूर्ण पाठ्यक्रमों सहित शैक्षिक कार्यक्रम विभिन्न रोजगार एजेंसियों के सहयोग से हाथ में लेने के लिए सहायता देना, उनके शैक्षिक कार्यक्रमों को आधुनिक रुप देना और उन्हें स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरुप बनाना । आयोग ने एसे प्रत्येक कालेज को 3 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता देना मंजूर कर लिया है । प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर आयोग ने अब तक इस योजना के अन्तर्गत 27 विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध 119 कालेजों को चुना है और उनसे विस्तृत प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं ।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय सेवायें योजना

3592. **श्री आर० के० महालगी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज सेवा तथा राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये वर्ष 1978–79 में महाराष्ट्र में राष्ट्रीय सेवायें योजना के अन्तर्गत कितने छात्र, युवक तथा युवतियां आ जायेगी ;

(ख) इसके लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ।

(ग) महाराष्ट्र के किस जिले में यह योजना चलायी जायेगी ;

(घ) क्या पुरानी सूची में कोई नये जिले अथवा जिलों के भाग जोड़े जायेंगे और यदि हां, तो उन जिलों अथवा भागों के नाम क्या हैं ; और

(ङ) कार्यक्रम का स्वरूप क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण, और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 1978–79 में, महाराष्ट्र में 42,000 विद्यार्थियों के शामिल किए जाने की सम्भावना है जिनमें से लगभग 20% महिला विद्यार्थी होने की सम्भावना है ।

(ख) केन्द्रीय अनुदान सहित 38.10 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा योजना के लिए निर्धारित की गई है ।

(ग) तथा (घ): योजना राज्य सरकार द्वारा महाराष्ट्र के सभी 26 जिलों में कार्यान्वित की जाएगी ।

(ङ) राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमों का लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों के लिए बनाए गए कार्यक्रमों पर बल देते हुए ग्रामीण पुनर्निमाण के कार्यकलापों के व्यापक कार्यक्रम को सम्मिलित करना है । राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा, पर्यावरण का सुधार, आर्थिक विकास तथा परिवार और बाल देख रेख इत्यादि कार्यकलाप सम्मिलित हैं ।

महाराष्ट्र राज्य को जीवन बीमा निगम से ऋण

3593. **श्री आर० के० महालगी** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों की अवधि में महाराष्ट्र सरकार ने जीवन बीमा निगम से कोई 'आवास ऋण' प्राप्त किया है, यदि हां, तो उसकी राशि कितनी है ; और

(ख) क्या जीवन बीमा निगम से प्राप्त उस ऋण का उपयोग केन्द्रीय सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा आदेशों के अनुसार किया गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित धनराशि के जीवन बीमा निगम ऋण प्राप्त किए :—

वर्ष	नियतन किए गए ऋण की राशि
	(लाख रुपयों में)
1975-76	86.68
1976-77	90.00

(ख) जी, हां ।

Demand and Supply of Fertiliser

3594. **Shri Surendra Jha Suman:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the comparative figures of demand and supply of fertilizers in the country during the last three years; and

(b) the comparative figures of demand and supply of fertilizers fixed to achieve the targets in regard to the development of agriculture during 1978-79 ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) The requirements of fertilizers assessed on the basis of area under crops, per unit application of fertilizers and past consumption record etc. of the States in the country are fully met from domestic production and imports. The quantity of fertilizers in terms of nutrients consumed in the country during the last three years is as follows:—

(In lakh tonnes)

Year	N	P	K	Total
1975-76	21.49	4·67	2·78	28·94
1976-77 . .	24.57	6·35	3·19	34·11
1977-78 . . . (Estimates)	28.88	8·27	4·68	41·83

(b) For 1978-79 we have so far assessed the requirements of fertilizers for the Kharif season which amount to 21.00 lakh tonnes of nutrients. This requirement will be entirely met from domestic production and imports. The requirements of fertilizers for Rabi 1978-79 will be assessed in the month of July, 1978, in consultation with State Governments.

मंत्रालय के अधिकारियों की सिफारिशों पर केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश का कोटा

3595. **श्री अहमद हुसैन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के बारे में उनके मंत्रालय ने क्या मानदण्ड निर्धारित किये है ;

(ख) सामान्य निर्धारित प्रक्रिया से अलग प्रवेश तथा प्रवेश की सिफारिश करने के बारे में उनके मंत्रालय/केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारियों/रीजनल इंचार्जों/प्रिंसिपलों आदि को, जिनके लिये कोई कोटा निर्धारित है, उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) प्रत्येक मामले में तथा प्रत्येक श्रेणी के लिये कितना कितना कोटा निर्धारित है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुकादेवी बरकटकी) : (क) विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) : किसी प्राधिकरण अथवा संगठन के लिए कोई कोटा आरक्षित नहीं है । सभी दाखिले संलग्न विवरण में दर्शाए गए मापदंडों के अनुसार नियमित किए जाते हैं ।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालयों (सेन्ट्रल स्कूलों) में नये दाखिले के नियम

1. (क) सैनिक सैक्टर और (ख) असैनिक सैक्टर के केन्द्रीय विद्यालयों में बच्चों के दाखिले के सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया है कि, बशर्ते कि, उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, दाखिले का मापदण्ड होगा, अभिभावक की स्थानान्तरणीयता की जांच अर्थात् अभिभावक का स्थानान्तरण पिछले सात वर्षों के दौरान कितनी बार हुआ है । स्थानान्तरणीयता की जांच सन्तोष प्रद हो जाने पर सैनिक सैक्टर के स्कूलों के असैनिक कार्मिकों तथा असैनिक सैक्टर स्कूलों के सैनिक कार्मिकों कों एक समान समझा जाता है ।

स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को दाखिला देने के बाद दाखिल में अन्य पात्र श्रेणियों को प्राथमिकता इस प्रकार दी जाती है :

(i) अखिल भारतीय सेवाओं, स्वायत्त निकायों/परियोजनाओं (जिनका पूरी तरह सरकार द्वारा खर्च चलाया जाता है) और सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों आदि के उन अधिकारियों के बच्चे जिनकी सेवाएं स्थानान्ततरणीय हो ;

(ii) अस्थानान्तरणीय सैनिक कार्मिकों तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चे :

(iii) केन्द्रीय विद्यालयों में अपनायी गई अध्ययन पद्धति में दाखिला लेने की इच्छुक अन्य अस्थिर जन संख्या जिसमें असैनिक जनसंख्या भी शामिल है ।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के बच्चों को स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के साथ दाखिले में अधिमान मिलेगा ।

विवरण—जारी

2. प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय में नए दाखिलों में से 15% तथा 7½% दाखिले क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षित किए जाते हैं ।

3. सर्वाधिक पात्र मामलों में आयुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन को उस श्रेणी को जिससे बच्चे सम्बंधित है, बिना ध्यान दिए दाखिले में ढील देने तथा विशेष अनुमति देने का अधिकार प्राप्त है ।

4. उच्च अध्ययन की संस्थाओं में विद्यालय, भूमि भवन तथा उपकरणों की व्यवस्था आतिथय संस्थाओं द्वारा की जाती है ।

(i) प्रथम प्राथमिकता सम्बन्धित संस्था के कर्मचारियों के बच्चों को दी जाती है ।

(ii) द्वितीय, प्राथमिकता असैनिक तथा सैनिक सेवाओं के सभी स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है ।

5. सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों के परिसरों में विद्यालय जो विद्यालय के आवर्ती तथा अनावर्ती सभी खर्च वहन करते हैं ।

(i) प्रथम प्राथमिकता सम्बन्धित उपक्रम के कर्मचारियों के बच्चों की दी जाती है ।

(ii) द्वितीय प्राथमिकता सैनिक तथा असैनिक सेवाओं के स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को दी जाती है ।

असम के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के लिये केन्द्रीय दल द्वारा सिफारिश की गई राशि

3596. **श्री अहमद हुसैन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 में असम का दौरा करने वाले अध्ययन दल ने राज्य के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में विभिन्न सहायता प्रयोजनों के लिये कितनी धनराशि की सिफारिश की थी ।

(ख) उपरोक्त सिफारिशों के आधार पर केन्द्र ने कितनी धनराशि व्यय की है ; और

(ग) केन्द्र द्वारा उक्त वर्ष के लिये अनुग्रहपूर्वक राहत कार्यों पर और अन्य परीक्षण राहत कार्यों पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) केन्द्रीय दल की सिफारिश पर वर्ष 1977–78 के दौरान विभिन्न कार्यों के लिए, असम सरकार को 498.28 लाख रुपए (अग्रिम प्लान सहायता के रूप में 322.58 लाख रुपए तथा ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग के अन्तर्गत बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के केन्द्रीय प्लान प्रावधान के रूप में 175.70 लाख रुपए) की केन्द्रीय सहायता का आंवटन किया गया था । निःशुल्क राहत के रुप में वितरित करने के लिए 10,000 मीटरी टन गेहूं निर्मुक्त करने का भी निर्णय किया गया था ।

(ख) तथा (ग) : प्राकृतिक विपत्तियों से संम्बंधित राहत कार्य राज्य सरकारों को सौंपे गए हैं । कुल 322.58 लाख रुपए की अग्रिम प्लान सहायता में से 300.00 लाख रुपए की धनराशि पहले ही निर्मुक्त की जा चुकी है राज्य सरकार से व्यय विवरण प्राप्त होने पर शेष धनराशि निर्मुक्त की जाएगी । ब्रह्म पुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग के अन्तर्गत योजनाओं के लिए आंवटित 175.70 लाख

रुपए को शीघ्र ही निर्मुक्त किए जाने की सम्भावना है । खाद्य विभाग के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम को परामर्श दिया गया है कि वह निःशुल्क राहत की जाने के रुप में वितरण के लिए 10,000 मीटरी टन गेहूं की पूरी मात्रा असम सरकार को निर्मुक्त कर दें ।

सरकारी रिहायशी आवास

3597. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कितने सरकारी कर्मचारी हैं जो टाइप-दो के सरकारी आवासों के हकदार हैं परन्तु टाइप-एक में रह रहे हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : 793.

दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिला

3598. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले में अधिकांश स्थान उनके मुख्याध्यापक/अध्यापक अपने सम्बन्धियों आदि के बच्चो के दाखिले के लिए ले जाते हैं और अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को बहुत कम दाखिला मिलता है;

(ख) क्या मुख्याध्यापकों/अध्यापकों तथा दाखिले से सम्बद्ध अन्य व्यक्तियों पर नजर रखी जायेगी और किसी के प्रति पक्षपात दिखाने पर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के विशेषकर दिल्ली में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों के बच्चों को, जो पहाड़ी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, बेरोक-टोक दाखिला दिलाने के लिए क्या उपाय किय जा रहे हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) (क) और (ख): केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दाखिला विनियमो के अनुसार, संगठन के कर्मचारियों के बच्चे केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले के पात्र होते हैं । कर्मचारियों के अन्य सम्बन्धियों के बच्चों के दाखिले का प्रश्न नहीं उठता । दिल्ली के स्कूलों में दाखिले के लिए भीड़ के कारण, केन्द्रीय सरकार के केवल स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों का दाखिला, पिछले सात वर्षों में कई तबादलों के आधार पर प्रवेश परीक्षा में उनकी अर्हता की शर्त पर, किया जा सका ।

(ग) तबादले के मानदंड की शर्त पर सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है । तथापि, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के पक्ष में नए दाखिलों के लिए स्थानों का आरक्षण क्रमशः 15% और 7½% तक किया गया है ।

पश्चिमी बंगाल में न्यायालयों के समक्ष स्थान की समस्या

3599. **श्री रोबिन सेन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि पश्चिम बंगाल में विभिन्न दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों के समक्ष स्थान की विकट समस्याएं हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने केन्द्रीय सरकार को धन की सहायता देने को कहा है तथा न्यायिक विभाग की एक आवास योजना उसे प्रस्तुत की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार को सहायता देने के लिए भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) : न्यायालयों, कार्यालयों तथा क्वार्टरों के निर्माण के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । यह प्रस्ताव विचाराधीन है ।

मध्य प्रदेश का चीनी कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव

3600. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र अथवा सहकारी क्षेत्र में चीनी कारखाने स्थापित करने के लिये लाइसेंस देने की केन्द्रीय सरकार की नीति है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पूंजी की कमी के कारण अधिकांश राज्य सरकारों को नये चीनी कारखाने स्थापित करने में कठिनाई हो रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त क्षेत्र में नये चीनी कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने संयुक्त क्षेत्र में चीनी कारखानों के लिये लाइसेंस देने का निर्णय किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) क्योंकि चीनी उद्योग में लाइसेंशूसदा क्षमता पांचवी योजना के लिए लाइसेंसशुदा क्षमता के निर्धारित लक्ष्य से पहले ही अधिक है, इसलिए प्रतिस्थापना के लिए लाइसेंस को छोड़कर, नई चीनी फैक्ट्री के लिए इस समय कोई लाइसेंस जारी नही किया जाता है ।

(ख) और (ग) : जी हां ।

(घ) जी नहीं ।

मध्य प्रदेश में अभाव की स्थिति और प्राकृतिक विपदाओं पर खर्च के लिये धनराशि मांगना

3601. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1976-77 और 1977-78 के लिये अभाव की स्थिति और प्राकृतिक विपदाओं के संबंध में किये गये व्यय के कारण योजना आयोग से 18.64 करोड़ रुपए की मांग की है,

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस धनराशि का भुगतान वर्ष 1977-78 में करने का अनुरोध किया है, और

(ग) क्या योजना आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार की मांग पर कोई निर्णय किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क), (ख) तथा (ग) । मध्य प्रदेश सरकार ने योजना आयोग को लिखा था कि 1976-77 में पड़े सूखे को दृष्टिगत रखते हुए 1976-77 के वित्तीय वर्ष से आगे 32 करोड़ रुपयों के व्यय की आवश्यकता है । इसके प्रति 1976-77 के दौरान 5.00 करोड़ रुपये अग्रिम योजना सहायता के लिए निर्मुक्त किए गए थे । तदनुरूप राज्य सरकार ने 1976-77 में केन्द्रीय सहायता को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था । इस मामले पर वित मंत्रालय के परामर्श से योजना आयोग ने विचार किया था । केन्द्रीय सहायता में वृद्धि के लिए अनुरोध को इस कारण स्वीकार नहीं किया गया कि 5.00 करोड़ रुपयों की अग्रिम योजना राशि को स्वीकार करते समय यह उल्लेख किया गया था कि यदि सूखा 1976-77 से आगे चलता रहा तो व्यय को आगामी वर्ष के योजना उपबंध में शामिल कर लिया जाएगा । वार्षिक योजना 1977-78 को अंतिम रूप देने के पश्चात् राज्य सरकारों द्वारा हाथ में लिए गए विभिन्न अतिरिक्त उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए आकलित संसाधनों के शेष अंतर या उसके 50 प्रतिशत तक के लिए वित्त मंत्रालय में अनुमान लगाने के पश्चात् राज्य सरकार को अतिरिक्त अग्रिम योजना सहायता भी मुहैया की गई ।

Development of Veraval and Mangrol Ports

3602. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the progress made in the work of developing Veraval and Mangrol ports of Saurashtra region in Gujarat as all weather ports for the development of fish industry;

(b) when this work is likely to be completed;

(c) the total expenditure proposed to be incurred on this scheme port-wise indicating the manner in which it will be spent and the expenditure incurred so far;

(d) the extent of assistance provided by the Central Government so far or how much assistance is yet to be provided; and

(e) whether the neighbouring ports of Shil, Madhavpur and Porbandar will also be included in this scheme of development of Veraval and Mangrol Ports ?

The Minister for Agriculture & Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Veraval and Mangrol fishing ports were sanctioned on 31st August, 1977. Tenders for the works have been invited.

(b) By September, 1982.

(c) The details are given below port-wise:

Nature of work	Veraval	Mangrol
	lakhs	lakhs
Fishing Harbour	823·22	182·74
Shore Facilities	184·00	141·00
Vessels	384·00	135·00
Traitdional Fishermen Sub-Project	239.00 (for both)	
Miscellaneous supporting equipment	13.00 lakhs (for both)	
Technical Assistance and Survey	151.00 lakhs (for both)	

Total for both inclusive of contingencies: Rs. 2363.18 lakhs.

The expenditure is to be borne by the Government of India, Government of Gujarat, Local Banks, Beneficiaries and the World Bank. A sum of Rs. 4 lakhs has been incurred so far on preliminaries.

(d) Nil, as the harbour work has not been taken up for execution.

(e) No, Sir.

प्राकृतिक विपदाओं के लिये राज्यों को सहायता

3608. **श्री के० प्रधानी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक विपदाओं से पीड़ित राज्यों को सहायता करने हेतु सरकार ने कोई व्यवस्था की है अथवा परियोजना बनाई है जिस पर इस प्रयोजन के लिये बनी राष्ट्रीय नीति के अनुसार कार्यवाही होती है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां ।

(ख) छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1-4-1974 से राज्य सरकारों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण आवश्यक राहत व्यय के लिये अपने ही संसाधनों तथा केन्द्र द्वारा प्रदान किये गये 50.71 करोड़ रुपये की बढ़ायी गई वार्षिक सीमान्त धन राशि से वित्तीय की व्यवस्था करनी होगी । उक्त तिथि से प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत व्यय की पूर्ति के निमित राज्य सरकारों के लिये साधारणतया गैर-योजना के रूप में कोई केन्द्रीय सहायता उपबन्ध नहीं है । तथापि योजना के अंतर्गत अग्रिम योजना सहायता स्थिति का मुल्यांकन करने के पश्चात प्रदान की जाती है जिससे कि परियोजना संबंधी कार्य को आगे बढ़ाया जा सके और इस प्रकार प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार और आय का सृजन किया जा सके । बढ़ाई गई वार्षिक सीमान्त धन राशि का राज्य-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

राज्य	वार्षिक प्रावधान
	(करोड़ रुपये)
1. आन्ध्र प्रदेश	4.31
2. असम	1.25
3. बिहार	4.61
4. गुजरात	4.55
5. हरियाणा	1.24
6. हिमाचल प्रदेश	0.03
7. जम्मू और कश्मीर	0.35
8. कर्नाटक	1.91

राज्य	वार्षिक प्रावधान
	करोड़ रुपये
9. केरल	0.30
10. मध्य प्रदेश	3.41
11. महाराष्ट्र	4.17
12. मणिपुर	0.04
13. मेघालय	0.04
14. नागालैण्ड	0.02
15. उड़ीसा	3.58
16. पंजाब	0.33
17. राजस्थान	10.19
18. तमिलनाडु	1.52
19. त्रिपुरा	0.07
20. उत्तर प्रदेश	2.18
21. पश्चिम बंगाल	6.61
कुल	50.71

Drinking Water for Harijans and Weaker Sections of Rural Areas

3604. **Shri Ahmed M. Patel:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether under the rural development programme Government have launched any scheme as the minimum needs programme to provide drinking water to the Harijans and other weaker sections in the country;

(b) if so, the area covered in Gujarat State; and

(c) the amount earmarked for the scheme?

The Minister of Works and Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) Under the Minimum Needs Programme State Governments are implementing schemes for provision of safe drinking water to problem villages. The water supply system is laid for the village as a whole, and not exclusively for Harijans and other weaker sections of the community.

(b) & (c) : Do not arise.

Scheme for Providing Employment to Trained B.Ed. and D.Ed. Persons

†3605. **Shri S. S. Somani:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any scheme for providing better employment opportunities to trained B.Ed. and D.Ed. persons and other unemployed men and women having equivalent qualifications in the country; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barakataki) : (a) & (b) : No Sir. However, the Government of India has placed universalisation of elementary education and the adult education programmes in the core sector of educational planning in the Sixth Plan period. A vast number of trained teachers are expected to get employment as a result of implementation of these programmes.

पश्चिम बंगाल में कृषि कार्यक्रमों के लिए बैंक ऋण

3606. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में, विशेषकर बंगला देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में, लघु कृषक विकास एजेंसी के माध्यम से लघु और सीमान्त कृषकों के लिये अधिकांश कृषि कार्यक्रमों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण देने के बारे में उदासीन रवैया अपनाये जाने के कारण अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) व (ख) : जी नहीं। सहकारी ऋण संस्थाओं तथा वाणिज्यिक बैंकों दोनों से छोटे तथा सीमान्त किसानों के कार्यक्रमों के लिए संस्थागत ऋण सहायता सुलभ करने की आशा की जाती है। संस्थागत ऋण प्राप्त होने में जो विशिष्ट कठिनाइयां महसूस की जाती हैं उन पर जिला स्तर समन्वय समिति की बैठकों तथा राज्य स्तर समन्वय समिति की बैठकों में समस्याओं का हल ढूंढने के लिए विचार-विमर्श किया जाता है।

Central Assistance for Insect Infected Guava Orchards in U.P.

3607. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that guava orchards in Uttar Pradesh have been infected with such insect that even the scientists there have also failed to detect it with the result that guavas would not be available in the markets of the country next year; and

(b) if so, the action being taken by Central Government in this regard ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) & (b) : No serious insect damage to guava orchards has been detected in U.P. Wilt disease has, however, been noted for which chemical control measures have not been discovered so far. Experiments to control wilt are in progress in the State. However, the malady is not so serious that guava would not be available in the market next year.

Release of Stock by FCI

3608. **Shri Laxminarain Nayak** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the break up of wheat allotment made to States by Food Corporation of India upto 28th February, 1978 for sale indicating the dates of allotment; and

(b) the quantity of wheat, in tonnes, damaged in 1975, 1976 and 1977, separately ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) Allotment of foodgrains to the States/Union Territories is made by the Central Government. A statement showing the date-wise allotment of wheat made by the Central Government to the State Governments/ Union Territories for public distribution and for issue to the roller flour mills for the months of January, 1978 and February, 1978 is attached **[Placed in the Library. See No. L.T.—1872/78].**

(b) The quantity of wheat in tonnes, damaged is as follows: —

Year	Quantity damaged
1975-76	1696 tonnes* *(All foodgrains. Separate figures for wheat not avaible)
1976-77	38,460 tonnes
1977-78 (upto 31-1-78)	23,372 tonnes

जहांगीरपुरी पुनर्वास कालोनी, दिल्ली में भूमि हथियाना

3609. **श्री एम० रामगोपाल रेडडी :**
श्री राज केशर सिंह :

क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जहांगीरपुरी पुनर्वास कालोनी, दिल्ली में भूमि हथियाना एक सामान्य बात होती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों से, जिन्होंने भूमि हथिया ली है, प्लाट खाली करवानेहेतु क्या कदम उठाये गए है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) ऐसा मालूम हुआ है कि जहांगीरपुरी पुनर्वास कालोनी में कई व्यक्तियों ने मकानों के गिराये जाने को चुराई हुई तथा जाली पर्चियां दिखाकर प्लाटों का कब्जा लिया था ।

(ख) ये मामले पुलिस में दर्ज करवाये गए हैं और वह इन मामलों की जांच कर रही है । जो संरचनाएं ऐसे व्यक्तियों द्वारा बनाई जा रही थी जिन्होंने धोकेबाजी से आबंटन प्राप्त किये थे उन संरचनाओं को गिरा दिया गया है यदि उनमें कोई रह नहीं रहा था । जिन कुछ अधिकारियों के खिलाफ प्रत्यक्षत: कोई मामला पाया गया था, उन्हें निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच आरम्भ की गई है । दिल्ली प्रशासन को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से भी अनुरोध किया गया है कि वे इन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन मामला दर्ज कर लें ।

मत्स्य पालन का विकास

3610. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे ;

(क) क्या सरकार ने देश में मत्स्यपालन के विकास के लिए एक योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां । पंचवर्षीय योजनाओं में मत्स्यपालन के विकास की योजनाएं भी शामिल हैं ।

(ख) आगामी पंचवर्षीय योजना में अंतर्देशस्य और समुद्रीय मछलियों का उत्पादन बढ़ाना, मात्स्यकी संसाधनों का सर्वेक्षण, बंदरगाहों का विकास, परिसंस्करण तथा विपणन की सुविधाएं, प्रशिक्षण आदि शामिल हैं । इन प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

सोवियत रुस द्वारा ट्रिटिकेल किस्म का गेहूं देने की पेशकश

3611. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस ने भारत को ट्रिटिकेल-किस्म का गेहूं देने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो गेहूं की इस किस्म का क्या उपयोग किया जा रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (सूरजित सिंह बरनाला) : (क) सोवियत रूस ने भारत को अभी तक ट्रिटिकेल किस्म का गेहूं देने की कोई पेशकश नहीं की है ।

(ख) जब सामग्री की पेशकश होगी तब इस बात की जांच पड़ताल की जायेगी कि देश में इस प्रकार की किस्म की क्षमता क्या है ।

कृषि ऋणों के बारे में पाकिस्तान के साथ सूचना का आदान-प्रदान

3612. **श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के खाद्य तथा कृषि सलाहकार के साथ हाल ही में इन दो देशों में दिये गये कृषि ऋणों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो की गई बातचीत का स्वरूप क्या है और उसके क्या परिणाम रहे ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बर्नाला):(क) तथा (ख) : पाकिस्तान सरकार के खाद्य, कृषि और सहकारिता सलाहकार डा० अमीर मोहम्मद को भारत द्वारा कृषि में की गई प्रगति को देखने के लिए और भारतीय आनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन सोसायटी तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित पांचवी अंतर्राष्ट्रीय गेहूं आनुवांशिकी गोष्टी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था ।

हमारे नेताओं और कृषि वैज्ञानिकों के साथ उनके विचार-विमर्श के दौरान कृषि और संबंधित क्षेत्रों में दोनों देशों के अनुभवों और प्रौद्योगिकी का परस्पर मिलकर लाभ उठाने कीआवश्यकता का उल्लेख किया गया ।

उद्यान-उत्पादन

3613. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उद्यान विकास परिषद ने राज्यों में पृथक-पृथक उद्यान विभाग तथा केन्द्र में पूरी सुविधाएं प्राप्त एक सैल स्थापित करने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या यह सच है कि नर्सरियां, बाग तथा उद्यान फार्म राज्यों अथवा केन्द्र द्वारा पंजीकृत अथवा प्रमाणित नहीं किये गये हैं ; और

(ग) देश में उद्यान उत्पादन के उद्देश्य से सरकार द्वारा विपणन के क्या प्रबंध किये जाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) अनेक राज्यों ने बागवानी फसलों को नर्सरियों के पंजीकरण के लिये पहले ही कानून बना लिये है । भारतीय बागवानी विकास परिषद् ने अपनी 7 फरवरी, 1978 की हुई बैठक में सिफारिश की है कि अन्य राज्य भी यथा संभव शीघ्र ही इस प्रकार का कानून बना लें ।

(ग) विनियमित बाजारों के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता देने की एक योजना है जिसमें उत्पादकों की सहायता प्रदान करने तथा उपयुक्त व्यापार पद्धतियां सुनिश्चित करने के लिये फल और साग सब्जी को मण्डियों में अवस्थापनात्मक सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है । साग सब्जी और फल उत्पादकों की सहकारी समितियों को भी प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उत्पादकों के लिये वे अधिक मूल्य प्राप्त कर सकें । राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ शीघ्र खराब होने वाली कछ जिन्सों के क्रय के लिये बाजार में प्रवेश करता है जिस से मूल्य को समर्थन मिल सके । कुछ राज्य सरकारें सब्जियों और फलों के संवर्धन में सुधार लाने तथा चुनी हुई बागवानी जिन्सों के विपणन और परिसंस्करण के विकास के लिए निगम स्थापित कर रही है ।

दिल्ली अध्यापक परिषद से अभ्यावेदन

3614. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15-4-77 को या उसके लगभग दिल्ली अध्यापक परिषद् ने "दिल्ली प्रशासन, सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबन्धकों और दफ्तरशाहों, द्वारा अपने भ्रष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिये दिल्ली स्कूल एज्युकेशन ऐक्ट, 1973 के मामले में प्रवंचना करके भाई-भतीजावाद को प्रश्रय दिया जाना" विषयपर एक अभ्यावेदन भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी हां ।

(ख) अभ्यावेदन, आवश्यक कार्रवाई के लिए दिल्ली प्रशासन को जो दिल्ली के सहायता-प्राप्त स्कूलों के प्रबन्ध से प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है भेजा गया था । दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार आपात-स्थिति के दौरान निलम्बित अध्यापकों की बहाली, निलम्बन की अवधि के दौरान वेतन तथा भत्तों का भुगतान इत्यादि जैसे अभ्यावेदन में उठाए गए कार्रवाई योग्य मुख्य मुद्दों का सम्बन्धित कर्मचारियों के पक्ष में निपटान कर दिया गया है । अभ्यावेदन में उठाए गए अन्य मुद्दों की भी जांच की गई है तथा जहां कहीं संकेत दिया गया है आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है ।

सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को सुविधाएं

3615. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 में उपबन्ध के बावजूद दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं और छुट्टी यात्रा रियायत में समानता नहीं लाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) : जी नहीं । सहायता प्राप्त स्कूलों में काम कर रहे अध्यापकों को चिकित्सा प्रभार की प्रतिपूर्ति तथा अवकाश यात्रा रियायत प्रदान करने के लिए अपेक्षित प्रक्रिया दिल्ली प्रशासन द्वारा अक्टूबर, 1974 में निर्धारित कर दी गई थी ।

निर्माण और आवास मंत्रालय का ग्रंथालय

3616. श्री नबाब सिंह चौहान : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय/विभाग के ग्रंथालय में भाषावार कितनी पुस्तकें हैं ;

(ख) उक्त ग्रंथालय के लिए गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी तथा हिन्दी की अलग अलग पुस्तकों की खरीद पर कितना व्यय किया ;

(ग) ग्रंथालय के लिए इस समय कितने समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि मंगवाई जा रही है और उनमें से हिन्दी की कौन कौन सी हैं ; और

(घ) क्या अधिक संख्या में हिन्दी की पुस्तकें और पत्रिकाएं मंगवाने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पुर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :

(क) अंग्रेजी की पुस्तकें . . . 5455
हिन्दी की पुस्तकें . . . 1337

(ख) 1976-77 अंग्रेजी . . . 9689.20 रुपये
हिन्दी . . . 408.00 रुपये
1977-78 अंग्रेजी . . . 22736.86 रुपये
हिन्दी . . . 215.00 रुपये

(ग) अंग्रेजी और हिन्दी के समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं की सूचियां संलग्न हैं ।

(घ) हिन्दी की पुस्तकों तथा मैगजीनों की खरीद के बारे में इस विभाग के सभी स्तरों के अधिकारियों से सुझाव मांगे गए हैं । पढ़ने वालों के विचार जानने के पश्चात् 1 अप्रैल, 1978 से हिन्दी की अतिरिक्त पुस्तकें तथा मैगजीनों मंगाई जाएंगी । यह प्रस्ताव है कि हिन्दी की पुस्तकों/मैगजीनों की खरीद में हर साल 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाए ।

विवरण

अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं की सूची जो पुस्तकालय के लिए खरीदी जाती हैं :—

1. हिन्दुस्तान टाइम्स
2. दि टाइम्स आफ इण्डिया
3. इण्डियन एक्सप्रेस
4. दि स्टेटमैन
5. दि पैट्रिओट
6. दि हिन्दु
7. दि ट्रिब्यून
8. अमृत बाजार पत्रिका
9. नेशनल हैरल्ड
10. इकोनोमिक टाइम्स
11. फाइनेनशियल एक्सप्रेस
12. सर्चलाईट
13. बिजनैस स्टेण्डर्ड
14. मोर्निंग इको
15. ब्लिट्ज
16. ईस्टर्न इकोनोमिस्टस
17. दि इल्लस्ट्रटिड वीकली आफ इण्डिया
18. लिंक
19. न्यू स्टेटमैन
20. कामर्स
21. टाईम
22. न्यूजवीक
23. केपिटल
24. इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली
25. दि इकोनोमिस्ट
26. करन्ट
27. मेनस्ट्रीम
28. सण्डे
29. इव्ज वीकली
30. आर्गेनाइजर
31. फार्न न्यूज एण्ड फीचरस
32. कारवां
33. फेमिना
34. फिल्मफेयर
35. यूथ टाइम्स
36. भवनज जनरल
37. स्टार एण्ड स्टाइल
38. इण्डिया टूडे
39. इण्डियन आर्किटेक्ट
40. इम्प्रींट
41. रीडर्ज डाइजेस्ट
42. आल इण्डिया रिपोर्टर
43. आल इण्डिया रेन्ट कन्ट्रोल जरनल
44. इण्डियन ब्राडशा
45. सर्विस ला रिपोर्टर
46. आल इण्डिया सर्विस ला जनरल
47. लेबर ला जरनल
48. डिजाइन
49. साइंस टूडे
50. साइंस रिपोर्टर
51. वीमैन एण्ड होम
52. मदर इण्डिया
53. सूर्या
54. दि सिविक एफेयरस
55. जरनल आफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेन्ट
56. स्टारडस्ट
57. सेमिनार
58. मैनेजमेन्ट इन गवर्नमैन्ट
59. दि इण्डियन जरनल आफ पब्लिक एड-मिनिस्ट्रेशन
60. नगरलोक
61. ओवरसीज डेवलपमैन्ट
62. एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड सोसाइटी
63. इनवायरनमैन्टल पालिसी एण्ड ला

हिंदी पत्र पत्रिकाओं की सूची जो पुस्तकालय के लिए खरीदी जाती है :-

1. नवभारत टाइम्स
2. हिन्दुस्तान
3. साप्ताहिक हिन्दुस्तान
4. धर्मयुग
5. पांचजन्य
6. सरिता
7. मुक्ता
8. सारिका
9. नवनीत
10. कादम्बिनी
11. निहारिका

निर्माण और आवास मंत्रालय में हिन्दी स्टेनोग्राफर

3617. श्री नबाब सिंह चौहान : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उनके मंत्रालय/विभाग में प्रशिक्षित हिन्दी टाइपिस्टों और प्रशिक्षित हिन्दी स्टेनोग्राफरों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से ऐसे टाइपिस्टों और स्टेनोग्राफरों की संख्या कितनी है जिनकी सेवाओं का पूरा उपयोग हिन्दी के काम के लिए किया जाता है ;

(ग) शेष हिन्दी टाइपिस्टों और स्टेनोग्राफरों की सेवाओं का उपयोग न किए जाने के क्या कारण है ; और

(घ) क्या उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए कोई योजना बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :

	हिन्दी टाइपिस्ट	हिन्दी आशुलिपिक
(क)	44	20
(ख)	9	4

(ग) शेष हिन्दी टाइपिस्टों की सेवायें भी आवश्यकता अनुसार समय समय पर प्रयोग में लाई जाती हैं। आशुलिपिक उन अधिकारियों के साथ नियुक्त किए जाते है जो उन्हें अपनी मर्जी के अनुसार हिन्दी या अंग्रेजी में इमला के लिए उपयोग में ला सकते हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

लद्दाख में पशुपालन, भेड़ पालन और मवेशियों का विकास

3619. **श्रीमती पार्वती देवी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या लद्दाख में पशु पालन, भेड़ पालन और मवेशियों का विकास करने के लिए कोई योजनाएं बनाई गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) : राज्य सरकार के पशुपालन तथा भेड़ विकास विभाग से जानकारी एकत्र की जा रही है। जैसे ही सूचना मंत्रालय में प्राप्त होगी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

न्यू फ्रेन्डस को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लि०, नई दिल्ली

3620. **श्रीमती चन्द्रावती :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक सेवा निवृत्त आई० ए०एस० अधिकारी की अध्यक्षता वाली न्यू फ्रेण्ड्ज को आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लि०, नई दिल्ली की वर्तमान प्रबन्धकारिणी ने उपराज्यपाल द्वारा पहले से ही स्वीकृत प्लाटों के आबंटन में किस प्रकार संशोधन कर दिया है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस संशोधन के परिणामस्वरूप :--

(i) सेवा निवृत्त आई० ए० एस० अधिकारी अपने पहले प्लाट को अपने पुत्र के नाम अन्तरित करके, अपने लिए एक अतिरिक्त प्लाट प्राप्त करने में सफल हो गया है;

(ii) अन्य लाभ प्राप्त कर्ताओं में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का सचिव और उसका भाई शामिल है, जो गुड़गांव का जिला एवं सत्र न्यायधीश है ; और

(iii) प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों ने अपने को कानूनी रूप से आबंटित प्लाटों को अब तक गैर आबंटित सर्वश्रेष्ठ प्लाटों के साथ बदली करके अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) तक : सूचना एकत्र की जा रही है।

स्टेट फार्म का कार्यकरण

3621. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :**
श्री के० ए० राजन :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कौन-कौन से स्टेट फार्म चल रहे हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उनका वित्तीय कार्यकरण कैसा रहा ;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह इन फार्मों को उनके राज्यों को सौंप दे ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) इस समय भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न फार्मों के नाम तथा पिछले पांच वर्ष के दौरान उनकी वित्तीय स्थिति को निदर्शित करने के विषय म एक विवरण संलग्न है।

(ख), (ग) तथा (घ) : पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सरकारों ने उस भूमि को वापिस करने के लिए कहा है जो उन्होंने क्रमश: लाडीवाल, हिसा और सूरतगढ़ में केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्मों को स्थापित करने के लिए भारत सरकार को पट्टे पर दी हुई थी।

पंजाब और हरियाणा सरकारों का यह विचार है कि वे उपर्युक्त भूमि का और अधिक अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार, राजस्थान सरकार ने कहा है कि वह सूरतगढ़ फार्म की भूमि के पट्टे की अवधि को और बढ़ाने की इच्छुक नहीं है लेकिन उन्होंने इसे भारत सरकार को बेचने का प्रस्ताव किया है।

पंजाब व हरियाणा सरकार के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है। सूरतगढ़ फार्म को वापिस करने से सम्बंधित मामला अर्ध-न्यायिक समिति अर्थात् सूरतगढ़ फार्म निवेश मूल्यांकन समिति को भेजा गया है।

विवरण-I

मुख्यालय व्यय के आनुपातिक हिस्से सहित पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय राज्य फार्मों की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपए)

	1974-75	1975-76	1976-77
1. केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ (सूरतगढ़ सहित) (राजस्थान)			(सरकार लेखा परीक्षा कर रही है)
1. आय . . .	220.14	285.18	326.83
2. व्यय . .	169.57	261.29	322.98
3. निवल लाभ/हानि .	(+)50.57	(+)23.89	(+)3.85
2. केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर (राज)			
1. आय . .	57.98	65.80	69.56
2. व्यय . .	48.39	81.37	87.53
3. निवल लाभ/हानि . .	(+)9.59	(—)15.57	(—)17,97

विवरण I जारी

	1974-75	1975-76	1976-77
3. केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार (हरियाणा)			
1. आय . .	42.17	52.12	106.39
2. व्यय . . .	39.63	58.13	62.83
3. निवल लाभ/हानि . .	(+)2.54	(—)6.01	(+)43.56
4. केन्द्रीय राज्य फार्म, लाडीवाल (पंजाब)			
1. आय . . .	21.95	42.63	49.89
2. व्यय . . .	32.53	51.12	73.74
3. निवल लाभ/हानि . .	(—)10.58	(—)8.49	(—)23.85
5. केन्द्रीय राज्य फार्म, कोकिलबाड़ी (असम)			
1. आय . . .	6.10	10.67	17.14
2. व्यय . . .	14.53	25.43	35.34
3. निवल लाभ/हानि . .	(—)8.43	(—)14.76	(—)18.20
6. केन्द्रीय राज्य फार्म, चेंगम (तमिलनाडु)			
1. आय . . .	32.10	26.99	33.61
2. व्यय . . .	32.05	44.99	46.07
3. निवल लाभ/हानि . .	(+)0.05	(—)18.00	(—)12.46
7. केन्द्रीय राज्य फार्म, बहराइच (यू० पी०)			
1. आय . . .	33.78	65.63	54.33
2. व्यय . . .	36.73	84.33	88.89
3. निवल लाभ/हानि . .	(—)2.95	(—)18.70	(—)34.56
8. केन्द्रीय राज्य फार्म, रायचुर (कर्नाटक)			
1. आय . . .	43.85	54.61	71.87
2. व्यय . .	89.76	87.82	75.99
3. निवल लाभ/हानि . .	(—)45.91	(—)33.21	(—)4.12
9. केन्द्रीय राज्य फार्म, कन्नानुर (केरल)			
1. आय . . .	40.68	64.62	72.75
2. व्यय . . .	41.97	69.11	66.39
3. निवल लाभ/हानि . .	(—)1.29	(—)4.49	(+)6.36
10. केन्द्रीय राज्य फार्म, रायबरेली (यू० पी०)			
1. आय . . .	1.10	4.03	2.19
2. व्यय . . .	6.03	8.55	5.80
3. निवल लाभहानि/ . .	(—)4.93 अनुदान	(—)4.52	(—)3.61
11. मिजोरम फार्म* . .	17.01	15.00	15.00

*भारत सरकार के अनुदान से चलने वाला यह एक विकासात्मक फार्म है । भारतीय राज्य फार्म निगम की वित्तीय स्थिति में इसके लेखों को नहीं दिखाया गया है ।

फालतू भूमि के वितरण का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

3622. **श्री सरत कार** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फालतू भूमि के वितरण से ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के आधार ढांचे (स्ट्रक्चरल) में परिवर्तन हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सूरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख): भूमि सुधार कानून अनेक तरीकों से जैसे जोत के आकार को सीमित करने में, भूमिहीन कृषि श्रमिकों को भूमि उपलब्ध कराने में तथा वास्तविक किसानों को भूस्वामी बनाने में ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के ढांचे पर प्रभाव डालता है । जोत की अधिकतम सीमा से अधिक की भूमि को भूमिहीन कृषि श्रमिकों में आवंटित करने से पूर्णत: मजदूरी रोजगार पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों को, जिन में से अधिकांश दैनिक मजदूरी पर होते हैं, स्वत: रोजगार प्राप्त होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी । अधिक ऋण की आपूर्ति करके, इन व्यक्तियों के प्रयत्नों में सहायता दी जायेगी । जोत की संशोधित अधिकतम सीमा लागू होने पर लगभग 9.30 लाख परिवारों को अधिशेष भूमि आवंटित की गयी तथा वितरण की प्रक्रिया अब भी चल रही है । निःसन्देह भारतीय कृषि स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है । जोत की अधिकतम सीमा से अधिक की भूमि का वितरण कार्य पूरा हो जाने पर यह परिवर्तन और अधिक स्पष्ट हो जाएगा ।

पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि ऋण

3623. **श्री सरत कार** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि ऋण का उपबन्ध करने के लिए संस्थागत प्रबन्धों का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में कृषकों को संस्थागत ऋण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : जी हां । भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, और कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम ने उत्तरी-पूर्वी राज्यों में कृषि ऋण के प्रावधान हेतु संस्थागत प्रबंध का समय-समय पर अध्ययन किया है । इन अध्ययनों से पता चला है कि कठोर भू-भाग, अपेक्षित आधारभूत ढांचा संबंधी सुविधाओं की कमी, विस्तृत रुप में फैली हुई जनसंख्या, भूमि काश्तकारी पद्धतियां, सहकारी ऋण ढांचे की कमजोरियां, अपर्याप्त बैंकिंग तंत्र आदि जैसे अनेक घटक ऋण के अपर्याप्त प्रवाह के लिए उत्तरदायी हैं । क्षेत्र में किसानों के लिए संस्थागत ऋण की गति को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं । राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों को पूर्णकालिक वेतनभोगी सचिवों वाली सक्षम तथा सुव्यवस्थित एककों में पुनर्गठित करें । सहकारी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत दी जा रही है । वाणिज्यिक बैंक इस क्षेत्र में भी अपनी शाखाओं का जाल बिछा रहे हैं । उत्तम कार्यक्षेत्र के लिए, वाणिज्यिक बैंक ऋणों को प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों के माध्यम से दिए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है ।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था के प्रश्न की एक कार्यान्वयन समिति जिसमें भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि शामिल हैं, द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षा की जा रही है ।

गेहूं की किस्म विकास संगोष्ठी

3624. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री जी० एम० बनतवाला :
श्री श्याम सुन्दर गुप्त :
श्री मुखितयार सिंह मल्लिक :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री निम्नलिखित दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हाल में नई दिल्ली में गेहूं की किस्म-विकास संगोष्ठी हुई थी ;

(ख) इस संगोष्ठी में किस किस एवं कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ;

(ग) क्या उसके कोई निष्कर्ष कृषि अनुसंधान नीति में सम्मिलित किये गये हैं ;

(घ) क्या इस संगोष्ठी से हाल के वर्षों में गेहूं के उत्पादन में स्थिरता की स्थिति को सुधारने में में कोई सहायता मिली है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, श्रीमान् । पांचवीं अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं आनुवंशिकी संगोष्ठी 23 से 28 फरवरी, 1978 तक नयी दिल्ली में आयोजित हुई थी ।

(ख) इस संगोष्ठी में भारत सहित 34 देशों के आनुवंशिकी विज्ञानियों ने भाग लिया था । जिन देशों तथा संस्थाओं का प्रतिनिधित्व हुआ वे हैं--

संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, युगोस्लाविया, जापान, टर्की, स्वीडन, इटली, पाकिस्तान इंग्लैण्ड, मिश्र, रूस, इज्राइल, मैक्सिको, नेपाल, नीदरलैण्डस्, जर्मन जनवादी गण राज्य हंगरी, स्पेन, ईरान इराक, कोरिया, पोलैण्ड, अफगानिस्तान, आस्ट्रिया, डेनमार्क, इक्वडर, मस्क्ट, न्यूजीलैण्ड, साऊदी अरब, स्विटजरलैण्ड, सीरिया, जाम्बिया, खाद्य एवं कृषि संगठन ।

(ग) इन विज्ञानियों ने अनेक मुद्दों पर, जिनमें गेहूं अनुसंधान के मौलिक एवं व्यावहारिक पक्ष भी आ गये, विचार विमर्श हुआ । इन चर्चाओं में रतुआ महामारी को कम करने, परिष्कृत गेहूं के सुधारने के लिए जंगली जर्म प्लाज्म का उपयोग, बेहतर गेहूं उपजाने के लिए प्रजनन प्रस्ताव, विज्ञानियों के उपयोग के लिए आनुवंशिक संग्रहों का संचयन, संरक्षण और वर्गीकरण तथा ट्रिटीकेल्स का उत्पादन एवं उपयोग आदि के बहुविध उपाय सम्मिलित थे । ये चर्चाएं विस्तृत प्रलेखों में प्रस्तुत आंकड़े हमारे गेहूं को सुधारने के लिये भविष्य में बनायी जाने वाली नीतियों के लिये सहायक होंगे ।

(घ) और (ङ) : गेहूं की विभिन्न किस्मों में प्राप्त वर्तमान ऊपज स्तर पर चर्चा हुई । वर्तमान किस्में पहलेही उपज की ऊंची संभावना तक आ गयी है । यह महसूस किया गया कि इन किस्मों की उच्च उपज संभावना को रोधिता के लिए जीन्स का उपयोग करके तथा सूखा रोधिता आदि के द्वारा सुरक्षित किया जाना चाहिए । गेहूं की उपज को इससे और आगे बढ़ाने के उपायों पर भी विचार किया गया ।

यह महसूस किया गया कि जाड़े और बसंत के गेहूं का संकरण करना भी आगे उपज बढ़ाने का लाभ लेने के उपायों में से एक उपाय हो सकता है । वर्तमान किस्मों की शरीर-क्रियात्मक कार्यकुशलता की पौधों की संरचना तथा वर्धन के तालमेल में उपयुक्त परिवर्तन लाकर भी सुधारा जा सकता है । पांचवीं अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं आनुवंशिकी संगोष्ठी में हुई चर्चाएं मौलिक तथा व्यावहारिक दोनों प्रकृति की है। सूचनाओं के दोनों प्रकारों को भारत में गेहूं सुधार में और प्रगति के लिए उपयोग किया जायेगा ।

बच्चों के लिए शिक्षा का अनौपचारिक माध्यम

3625. **श्री के० राममूर्ति :** या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के शिक्षा प्रौद्योगिकी केन्द्र के अधीन काम कर रही बाल शिक्षा माध्यम प्रयोगशाला द्वारा 4 से 8 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कितने मितव्ययिता पूर्ण और प्रभावी अनौपचारिक शिक्षा माध्यम विकसित किये हैं और उनका मनोरंजन मूल्य क्या है ; और

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितना धन खर्च किया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) 4 से 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए बाल शिक्षा माध्यम प्रयोगशाला द्वारा निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग तथा माध्यम सामग्रियों का विकास किया जा रहा है :—

(i) क्रीड़ा सामग्रियां और खेले (परम्परागत और लोक खिलौनों और कम कीमत के खिलौनों पर विशेष बल सहित) ।

(ii) दूरवर्ती क्षेत्रों में बच्चों तक पहुंचने के लिए रेडियो का एक माध्यम के रुप में अन्वेषण और इसके साथ;

(iii) अध्ययन में अभिरुचि बढ़ाने तथा बच्चों की संकल्पना के निर्माण में सहायता के लिए सचित्र पुस्तकें ।

(ख) स्टाफ के वेतन, यात्रा व्यय और परियोजनाओं के खर्च सहित (सितम्बर, 1976 से फरवरी, 1978 तक) इस परियोजना पर खर्च की गई कुल राशि 87,839.60 रुपये है ।

अमरीकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान पेय जल की व्यवस्था

3626. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अमरीकी राष्ट्रपति के साथ यात्रा कर रहे प्रेस प्रतिनिधियों और अन्य कर्मचारियों को उनकी अपनी सरकार से यह लिखित हिदायत थी कि वे दिल्ली के होटलों में दिया जाने वाला पानी न पियें, बल्कि उसके स्थान पर 'एरेटेड वाटर' का प्रयोग करें ;

(ख) क्या दिल्ली के होटलों में दिया जाने वाला पानी स्वास्थ्य की दृष्टि से शुद्ध नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो वहां शुद्ध जल की सप्लाई के लिए क्या प्रबंध किए जा रहे है ; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसी हिदायतें जारी करने के क्या कारण है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली में होटलों को सप्लाई किया जाने वाला पानी पेय है और पीने के योग्य है ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

वेस्टर्न कोर्ट होस्टल, नई दिल्ली

3627. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वेस्टर्न कोर्ट और अन्य रिहायसी होस्टलों में हां अनेक संसद सदस्य रहते है, रहने, भोजन, संचार, सफाई आदि की स्थिति बहुत खराब है ;

(ख) क्या यह सच है कि गत अनेक वर्षों से उक्त वैस्टर्न कोर्ट होस्टल में भोजन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था बहुत असन्तोषजनक है जिसके परिणामस्वरूप अनेक संसद सदस्य इन स्थानों को छोड़कर ले गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वैस्टर्न कोर्ट होस्टल में विद्यमान सोचनीय स्थिति को पूर्णतया बदलने तथा उसमें सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) तथा (ग) : होस्टल का समय समय पर निरीक्षण किया जाता है । उपयुक्त रख रखाव तथा सफाई सुनिश्चित करने के लिए संगठित प्रयत्न किए जाते हैं। शिकायतें मुख्यतया होस्टल की खान पान व्यवस्था के बारे में प्राप्त हुई । खानपान व्यवस्था के बारे में स्थिति सुधारने के प्रस्तावों पर सक्रिय रुप से विचार किया जा रहा है ।

गुजरात के लिए मोटे अनाज का दिया जाना

3628. **प्रो० पी०जी० मावलंकर** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1975, 1976 और 1977 में गुजरात राज्य के लिए गुजरात राज्य सरकार को कुल कितना मोटा अनाज या कोटा दिया है ; और

(ख) क्या सितम्बर, से इस कोटे में भारी कटौती कर दी गई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानुप्रताप सिंह) : (क) 1975, 1976 और 1977 के दौरान गुजरात सरकार को केन्द्रीय पूल से मोटे अनाजों का आवंटन जोकि ज्यादातर आयातित माइलों के रुप में था, इस प्रकार था :—

(हजार मीटरी टन में)

1975 . . .	112.3
1976 . .	8.98
1977 . . .	125.6

(ख) केन्द्रीय पूल में आयातित माइलों का स्टाक लगभग समाप्त हो गया है और इसका आयात नहीं किया गया है । देश में मोटे अनाजों की वसूली भारतीय खाद्य निगम द्वारा केवल मूल्य समर्थन उपाय के रुप में की जाती है और वस्तुतः भारतीय खाद्य निगम ने अब तक केन्द्रीय पूल के लिए मोटे अनाजों की वसूली नहीं की है । इसके फलस्वरूप, सितम्बर, 1977 से राज्य सरकार की माइलों/अन्य मोटे अनाजों की मांग को पूरा नहीं किया जा सका लेकिन राज्य सरकार को थोड़ी मात्रा में माइलों दी गई थी ।

विश्वविद्यालयों का विस्तार

3629. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने देश में विश्वविद्यालयों के और विस्तार पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो कितने समय के लिये और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्तमान विश्वविद्यालयों में आज विद्यमान शैक्षिक, वित्तीय तथा भौतिक स्थिति को समेकित तथा सुदृढ़ करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डॉ० प्रताप चन्द्र) : (क) और (ख) : आयोग ने विश्वविद्यालयों के और अधिक विस्तार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है, आगामी 10–15 वर्षों के दौरान उच्च शिक्षा के विकास के लिए आयोग द्वारा प्रस्तावित नीति ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ अनौपचारिक माध्यमों के जरिए से नई संस्थाओं की स्थापना और उच्च शिक्षा के विस्तार पर नियंत्रण की कल्पना की गई है ।

(ग) आगामी पंचवर्षीय योजना अवधि में विश्वविद्यालयीय शिक्षा के विकास के कार्यक्रमों के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं ।

'वन महोत्सव' पर खर्च

3630. **प्रो० पी०जी० मावलंकर** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1971 से 1977 तक के छः वर्षों में सम्पूर्ण देश में प्रति वर्ष 'वन महोत्सव' तथा पेड़ों के रक्षण और वृद्धि सम्बन्धी अन्य ऐसी ही परियोजनाओं पर कितनी राशि खर्च की गई है ;

(ख) उक्त अवधि में प्रतिवर्ष कितने पौधे लगाये गय और उनमें से कितने जिन्दा रहे ;

(ग) क्या सरकार उक्त "वन महोत्सव" कार्यक्रम को सफल मानती है अथवा असफल ;

(घ) यदि यह कार्यक्रम सफल रहा है तो उसे सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ङ) यदि यह सफल नहीं रहा है, तो इस कार्यक्रम में सुधार करने या इसे छोड़ देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(च) बिना किसी उल्लेखनीय सफलता के इस कार्यक्रम पर इतनी अधिक राशि खर्च किये जाने के क्या कारण हैं और क्या सरकार का पेड़ों की रक्षा और बढ़ोत्तरी के लिए अलग से कोई अच्छे उपाय अपनाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सूरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (च) : जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Purchase of N.M.R. Spectometer by I.C.A.R.

3631. **Shri Ugrasen :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether I.C.A.R. has purchased 5 pulsed N.M.R. spectrometers from a firm of West Germany;

(b) if so, for how many months these were lying at Santacruz airport and the reasons therefor and what is their use;

(c) the names of the countries, besides West Germany, from which quotations were invited before purchasing them and the prices quoted by each of them;

(d) whether I.C.A.R. has expressed its desire to pay Rs. 20 lakhs as the prices of those five equipments to the firm of West Germany when their actual price is about Rs. 6 lakhs; and

(e) if so, the reasons therefor and the amount paid for these equipments and whether these equipments cannot be manufactured in India ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Yes, Sir.

(b) The equipment was lying in the airport for nearly 3½ months because the equipment carried wrong labels. Hence orders were obtained for the reshipment of goods back to West Germany. However, the firm clarified the position that due to confusion in their warehouse the labels carrying wrong specifications other than those ordered for, were pasted and that they would make good the deficiency, if any, in so far as the specifications were concerned. After this assurance, the goods were cleared from the customs and despatched to their destinations.

The equipment is intended for screening the sunflower seed material for oil content without destroying the seed, at five centres, *viz.*, Bhavanisagar, Bangalore, Hyderabad, Akola and Kanpur.

(c) After consulting the experts which included the Secretary, Association of Magnetic Resonance Spectroscopists in India, proforma invoice was invited from West Germany. The price quoted by Messers Spectrospins of West Germany is DM 43,220 per unit (c.i.f. value Indian port) which amounted to Rs. 7.69 lakhs for five units.

(d) No, Sir.

(e) The cost of five units is Rs. 7.69 lakhs and the payment is yet to be released. This equipment is not manufactured in India.

राणा प्रताप बाग, दिल्ली में पुनर्वास

3632. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितने झुग्गी वालों को पुनर्वास बस्तियों में भेजा जाना है ;

(ख) क्या यह सच है कि एक परिवार के लिए 25 वर्ग गज का प्लाट पर्याप्त नहीं है ;

(ग) क्या सरकार को इस आशय का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उचित रुप से बसाने के लिए प्रत्येक परिवार को कम से कम 40 से 50 वर्गगज का प्लाट दिया जाना चाहिए ;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार दिल्ली सदर संसदीय निर्वाचन क्षत्र में मलकागंज और राणा प्रताप बाग के निकट रहने वाले झुग्गी वालों को बसाने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) : पुनर्वास के लिए पात्र अधिकांश झुग्गी निवासियों को पुन: बसाया जा चुका है । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि 25 वर्ग गज का एक प्लाट छोटे परिवार के लिए पर्याप्त है । बड़े परिवारों को अतिरिक्त प्लाट आबंटन करने के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने स्वतंत्र परिवार माने प्रत्येक विवाहित वयस्क सदस्य को 25 वर्गगज का प्लाट देने का निर्णय किया है चाहे वह परिवार बड़े संयुक्त परिवार का एक भाग ही क्यों न हो ।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव दिल्ली विकास प्राधिकरण के विचाराधीन नहीं है ।

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

3633. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री कक्करलाल हेमराज जैन :

क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 10 महीनों के दौरान दिल्ली में कितने अनधिकृत निर्माण हुए हैं ;

(ख) कितने निर्माण गिराये गए ;

(ग) क्या यह सच है कि राजधानी में बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण हो रहे हैं और उनके विरुद्ध वस्तुत: कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(घ) राजधानी में अनधिकृत निर्माणों को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या विशिष्ट कदम उठाने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) लगभग 20,000 मामले प्रकाश में आए । इनमें से लगभग 12,500 अतिक्रमण के मामले शामिल है ।

(ख) लगभग 5,600

(ग) तथा (घ) : अनधिकृत निर्माण के मामले ध्यान में आये है । स्थानीय प्राधिकारियों को इस पर निरन्तर चौकसी रखने के लिए निदेश दिए गए हैं । जिला प्राधिकारियों द्वारा बुलाई गई बैठकों में, जिनमें स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि भी होते है, अनधिकृत निर्माणों को गिराने का साप्ताहिक कार्यक्रम बनाया जाता है ।

Wheat Procured by F.C.I.

3634. **Shri Raghavji:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the total quantity of wheat procured by the Food Corporation of India from 1st March, 1977 to 28th February, 1978;

(b) State-wise breakup thereof; and

(c) the stocks with the Corporation as on 28th February, 1978 of imported and indigenous wheat, separately ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) & (b): A statement is attached.

(c) Total stocks of wheat held by the Food Corporation of India as on or about the 28th February, 1978 amounted to 8.0 million tonnes comprising about 2.5 million tonnes of imported wheat and 5.5 million tonnes of indigenous wheat.

STATEMENT

Total quantities of wheat procured/taken over from other agencies by Food Corporation of India from 1st March, 1977 to 28th February, 1978.

(In '000 tonns)

State	Procured by FCI and its Agencies	Quantities taken over by FCI from quantities procured by other Agencies	Total
1. Punjab	515·7	2,300·9	2,815·6
2. Haryana	164·3	728·9	893·2
3. Uttar Pradesh	184·8	666·0	850·8
4. Rajasthan	122·5	..	122·5
5. Madhya Pradesh	10·8	..	10·8
6. Jammu & Kashmir	7·7	..	7·7
7. Delhi	10·6	..	10.6
8. Others	0·4	..	0·4
TOTAL	1,016·8	3,695·8	4,712·6

गढ़ो, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश में मरम्मत कार्य

3635. **श्री हुकुम चन्द कछवाय** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975-76, 1976-77 और 1977-78 में अलग-अलग गढ़ी, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश में विशेष मरम्मत कार्य के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई तथा उन पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ख) क्या मरम्मत कार्य लोक निर्माण विभाग की दरों से इक्कीस गुनी दर मंजूर करके कराया गया था और यदि हां, तो क्या सरकार इससे सम्बन्धित सभी तथ्यों की जांच करेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) सरवाया (जिला शिवपुरी) में गढ़ी की जीर्ण दीवार की मरम्मत तथा जीर्णोद्धार के लिए 3,36,540 रु० की राशि का अनुमानित खर्च फरवरी, 1976 में मंजूर किया गया था । अब तक कुल 2,70,441.13 रु० का खर्चा हुआ है ।

हर वर्ष के खर्चे का अलग-अलग विवरण इस प्रकार से है :—

1975-76	. . .	कोई नहीं ।
1976-77	. . .	1,91,714.33 रु०
1977-78	. . .	77,726.80 रु०

(ख) मरम्मत के कार्य विभाग द्वारा पूरे किये गये ।

Irrigation Scheme for Madhya Pradesh

†3636. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the Central Government have also formulated a scheme in regard to irrigation in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the expenditure to be incurred thereon and the name of the areas likely to be brought under irrigation ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) & (b): Irrigation is a State subject and irrigation projects are planned, investigated, formulated and executed by the State Governments. The ultimate irrigation potential of Madhya Pradesh through major, medium and minor irrigation works has been assessed at present at 7.95 million hectares against which a potential of 2.86 m.ha. is likely to be created by the end of 1977-78. The balance potential will be created with the on-going and new schemes to be taken up in the next and subsequent Plans, provision for which will be made by the State Government.

Proposal for Fixation of Prices of Foodgrains on Cost of Production

3637. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that cost of production of food-grains varies from State to State and if so, State-wise cost thereof;

(b) whether the prices of foodgrains would be fixed by Government taking into consideration the cost of production thereof which has not been done so far; and

(c) whether Government have any proposals under their consideration for fixing in future prices of foodgrains in a State keeping in view the cost of production of the foodgrains there ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Yes, Sir. The cost of production varies not only from State to State but even from farm to farm depending on the level and efficiency of input use and the differences in soil, climate and management practices. The available data on average cost of production of major foodgrains— paddy and wheat — for some of the important States are attached (Annexure).

(b) In recommending the prices of foodgrains, the Agricultural Prices Commission takes into account the available data on cost of production and other relevant factors.

(c) No, Sir.

STATEMENT

***Cost of Production per Quintal of Principal Foodgrain Crops**

(In rupees)

Crops	State	Year	Cost of Production
Paddy	Andhra Pradesh	1975-76	78·98
	Assam	1975-76	53·83
	Bihar	1974-74	69·17
	Karnataka	1975-76	69·36
	West Bengal	1975-76	79·63
Wheat	Haryana	1975-76	83·65
	Punjab	1975-76	99·45
		1976-77	101·39
	Uttar Pradesh	1975-76	89·69
	Madhya Pradesh	1975-76	91·65

*Date are provisional.

NOTE : 1. Cost of production include all expenses incurred in cash and kind on material inputs, human labour, bullock labour, machine labour, irrigation, seed, fertilizer, manure, pesticides, rental value of owned land, rent paid for leased-in land, land revenue, cesses and losses, depreciation on implements and farm buildings, interest on fixed capital and imputed value of family labour. Cost of production per quintal is obtained by dividing the cost of cultivation per hectare (net of the value of by product) by the yield per hectare.

2. The above estimates of cost represent the average cost for all varieties grown in a State.

3. The above estimates are based on the data collected under the Comprehensive Scheme for studying the Cost of Cultivation of Principal Crops being implemented by the Ministry of Agriculture and Irrigation in collaboration with Implementing Agencies in different States like Agriculture/General Universities.

भारतीय संस्कृति में प्रशिक्षण

3638. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संस्कृति विभाग ने वर्ष 1976-77 में किन किन स्कूलों के प्रतिनिधियों को भारतीय संस्कृति का प्रशिक्षण दिया था, और क्या उन्हें और सांस्कृतिक किट भी दिये गये थे ; और

(ख) क्या स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिये जाने के बारे में भी सरकार ने कोई निर्णय किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : स्कूल और कालेज के छात्रों में संस्कृति के प्रसार की योजना के अंतर्गत स्कूलों, कालेजों और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित संस्थाओं सहित प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों के लिए अनुस्थापन पाठ्यक्रम आयोजित किये जाते हैं । एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध-1), जिसमें उन स्कूलों और संस्थाओं के नाम दिये गये हैं, जिनके प्रतिनिधियों ने अनुस्थापन पाठ्यक्रमों में भाग लिया और उन संस्थाओं के सम्बन्ध में स्थिति बताई गई है, जिन्हें किट मुहैया किये गये है । **(ग्रंथायल में रखा गया। देखिए संख्या एल टी 1873/78)**

अध्यापकों के लिये विश्वभारती विश्वविद्यालय चयन समिति

3639. **श्री समर गुह :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वभारती विश्वविद्यालय के अध्यापकों के चयन के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो चयन समिति के सदस्यों के नाम, विशेषकर इतिहास के अध्यापकों का चयन करने वाले सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या ऐसे चयन के विरुद्ध शिकायतें की गई हैं क्योंकि इतिहास विभाग के अध्यापकों के लिए चयन समिति के अधिकांश सदस्य भारतीय इतिहास की मूल्यांकन संबंधी विचारधारा के बारे में अपने विशिष्ट राजनैतिक दृष्टिकोण के लिए सुविख्यात हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख), (ग) तथा (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

सामाजिक कल्याण सलाहकार बोर्ड के लिए पश्चिम बंगाल समिति

3640. **श्री समर गुह :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या इस बोर्ड के 50 प्रतिशत सदस्यों को केन्द्र सरकार ने मनोनीत किया है ;

(घ) यदि हां, तो इस बोर्ड में केन्द्र सरकार द्वारा भेजे गये सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ङ) यदि नहीं, तो पश्चिम बंगाल सरकार को बोर्ड के सभी सदस्य मनोनीत करने की पूर्ण स्वतन्त्रता न के क्या कारण है ;

(च) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के अन्य महिला संगठनों में प्रतिनिधियों की उपेक्षा करके राजनैतिक दल के केवल एक वर्ग से संबद्ध सदस्य ही मनोनीत किये ; और

(छ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) एक सूची जिसमें बोर्ड के सदस्यों के नाम दिए हैं, अनुबन्ध के रूप में संलग्न है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का गठन सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की सलाह से किया जाता है । अध्यक्ष को छोड़ कर आधे सदस्य, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा और आधे सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित किये जाते हैं ।

(च) हमें इस स्थिति का पता नहीं है ।

(छ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

20 मार्च, 1978 को लोक सभा में उत्तर के लिये प्रश्न संख्या 3640 के भाग (ख) के संदर्भ में 18 नवम्बर, 1977 को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित पश्चिम बंगाल राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के सदस्यों की सूची

1. श्रीमती पंकज अचारजो, अध्यक्षा

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा मनोनीत सदस्य

1. श्रीमती बिवा चोशा गोस्वामी, संसद सदस्या
2. श्रीमती प्रोफेसर अरुण चौधरी
3. श्रीमती प्रोफेसर कनक मुकर्जी
4. डा० आरती दत्त, एम०बी०बी०एस०
5. डा० रेणुका राय, एम०बी०बी०एस०
6. प्रोफेसर मृणालिनी दास गुप्ता
7. श्रीमती प्रीतम बोस, संसद सदस्या
8. श्रीमती प्रतिभा बोस
9. श्रीमती तापती मुखर्जी
10. श्रीमती कल्याणी पाल

11. श्रीमती प्रणाती न्योगी
12. श्रीमती गीतिका मोयत्रा

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य

1. श्रीमती माधुरी दास गुप्ता
2. श्रीमती माजरी गुप्ता
3. श्रीमती परोवा चटर्जी
4. श्रीमती रेणु भट्टाचार्य
5. श्रीमती नेमा किबरिया
6. श्रीमती अपरजिता गोपी, विधान सभा सदस्या
7. श्रीमती कनिका गंगुली
8. श्रीमती जयंती गोस्वामी
9. श्रीमती कमला दास
10. श्रीमती संध्या चटर्जी
11. श्रीमती साधना घोष
12. श्रीमती सविता चन्द्र

हिन्दुस्तान नगर विकास निगम की दिल्ली विकास प्राधिकरण को पेशकश

3641. **श्री मनोरंजन भक्त :**
श्री के० ए० राजन :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान नगर विकास निगम ने राजधानी की आवास समस्या को हल करने के लिए मकान निर्माण करने के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण के सामने हाल ही में एक प्रस्ताव रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) आवास तथा नगर विकास निगम ने समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की देय क्षमता के भीतर उस लागत पर मकान बनाने के लिए कुछ भूमि प्राप्त करने की संभाव्यता के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से सम्पर्क स्थापित किया था । हुडको द्वारा 1200 कम लागत के रिहायशी एककों के निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नजफगढ़ रोड पर बोडेला में भूखण्ड निर्धारित किया है । हुडको की सामान्य वित्त शर्तों के अन्तर्गत निर्माण की लागत दिल्ली विकास प्राधिकरण के ऋण के रूप में खर्च की जानी है । एक प्रारम्भिक ले-आउट डिजाइन तथा भवन का डिजाइन तैयार किया गया है । दिल्ली विकास प्राधिकरण की सहमति की प्रतीक्षा है ।

गाजियाबाद सुधार प्राधिकरण को एच० यू० डी० सी० ओ० द्वारा सहायता

3642. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच०यू०डी०सी०ओ० ने गाजियाबाद सुधार प्राधिकरण को उन व्यक्तियों द्वारा मकान बनाने के लिए कोई ऋण दिया है जिन्हें प्लाट आबंटित किए गए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है तथा गाजियाबाद सुधार प्राधिकरण की विभिन्न कालोनियों में निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : आवास तथा नगर विकास निगम ने आम लोगों को बेचे जाने के लिए आवास निर्माण हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को कुल 587.69 लाख रुपये के ऋण की मंजूरी दी है । आवास तथा नगर विकास निगम ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को और योजनाएं भेजने के लिए भी कहा है ताकि यह प्राधिकरण को अपने आवास योजनाओं के लिए और अधिक ऋण सहायता दे सके ।

किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन

3643. **श्री मनोरंजन भक्त :**
श्री पी० के० कोडियन :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली में मकान मालिक किराये पर दिए गए मकानों के लिए ऊंचे किराये वसूल कर रहे है, और यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार वर्तमान किराया नियंत्रण अधिनियम में उचित संशोधन करके गैर सरकारी मकान मालिकों द्वारा वसूल किए जा रहे किराये पर किसी प्रकार का नियंत्रण करने का है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : जी, हां । शिकायत करने वालों को सलाह दी जाती है कि वे दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1958 की धारा 6 के अधीन सही किराया निर्धारित करवायें । क्योंकि यह धारा किरायेदारों को पर्याप्त राहत उपलब्ध कराती है, अत: इस पहलू के बारे में अधिनियम में आगे कोई संशोधन करने का प्रस्ताव नहीं है ।

अन्तर्राष्ट्रीय नगर आयोजकों का सम्मेलन

3644. **श्री जी० एम० बनतवाला :**
श्री श्याम सुन्दर गुप्त :
श्री नुरुल्तियार सिंह मलिक :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में फरवरी, 1978 के तीसरे सप्ताह में अन्तर्राष्ट्रीय नगर आयोजकों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में कौन-कौन से देश सम्मिलित हुए ;

(ग) उनमें हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है और उसमें क्या निर्णय किए गए है; और

(घ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

निर्माण और आवास तथा पुर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) हमारे देश के अतिरिक्त बेल्जियम, हांगकांग, इण्डोनेशिया, जापान, कोरिया गणतन्त्र, मलेशिया, नीदरलैण्ड, फिल्लिपाइन, पपुआ, न्यू गायनिया, थाइलैण्ड, यू० के०, रूस, अमरीका तथा वियतनाम के प्रतिनिधियों ने भी सम्मेलन में भाग लिया ।

(ग) इस सम्मेलन ने सुरक्षा व पर्यावरण, आयोजन, आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं का विकास व निपटान और पर्यावरणीय संसाधनों तथा उनकी प्रबंध व्यवस्था और संसाधन के दबाव को देखते हुए विशेषकर समाज के आर्थिक दष्टि से कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श किया । इस सम्मेलन ने सभी वैज्ञानिक और तकनीकी संसाधनों तथा उपस्करों की सहायता से पर्यावरण के संरक्षण, सुरक्षण और रक्षण की आवश्यकता पर बल दिया ।

(घ) सरकार को सम्मेलन के कार्यवृत्त और सिफारिशें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं ।

राष्ट्रीय मरू उद्यान के रूप में थार मरूस्थल का विकास

3645. **श्री जी० एम० बनतवाला :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में थार मरूस्थल का राष्ट्रीय मरू उद्यान के रूप में विकास करने के बारे में सरकार ने अंतिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) राष्ट्रीय कृषि आयोग तथा भारतीय वन्य जीवन बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर, राजस्थान सरकार राजस्थान के थार रेगिस्तान में राष्ट्रीय मरूभूमि पार्क स्थापित करने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमत हो गई हैं ।

(ख) राजस्थान सरकार द्वारा इस बारे में ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सहकारी ऋण पद्धति से लाभ

3646. **श्री जी० एम० बनतवाला :**
श्री श्यामसुन्दर गुप्त :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सहकारी ऋण पद्धति से पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उसके लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) व (ख) : जी, नहीं। सहकारी ऋण संस्थाओं से ऋण की आपूर्ति केवल उनके सदस्यों तक सीमित है तथा सोसायटी के कार्यक्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक वयस्क इसका सदस्य बनने का पात्र है। जहां तक सहकारी ऋण संस्थाओं के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों का सम्बन्ध है, सहकारी वर्ष 1975-76 से सम्बन्धित अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों से प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों में उनकी सदस्यता के सम्बन्ध में हुए समग्र सुधार तथा गत सहकारी वर्ष (1974-75) के अंत की स्थिति के मुकाबले में उनको दिए गए अल्पकालीन ऋणों की मात्रा का पता चलता है जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से प्रमाणित हो जाएगा :—

(आंकड़े हजार में)

वर्ष	कुल सदस्यता	सदस्यता		कालम (3) जमा (4) का (2) में प्रतिशत	उधार लेनेवाले सदस्यों की संख्या	
		अनु० जाति	अनु० जनजाति		अनु० जाति	अनु० जनजाति
1974-75	3,64,42	36,41	26,32	17	901	530
1975-76	3,95,21	46,45	30,78	20	12,64	623

दिए गए ऋण

अल्पकालीन		मध्यकालीन	
अनु० जाति	अनु० जनजाति	अनु० जाति	अनु० जनजाति
31,70,24	19,32,73	4,33,53	2,73,09
44,92,74	26,37,16	4,09,02	2,60,27

बकाया ऋण

अल्पकालीन		मध्यकालीन	
अनु० जाति	अनु० जनजाति	अनु० जाति	अनु० जनजाति
35,76,05	26,36,19	7,19,89	7,07,10
45,16,52	31,98,63	7,40,27	6,88,99

जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पर्याप्त ऋण प्रवाह की कमी का सबंध है, इस बारे में यह कहा जा सकता है कि इस तथ्य के बावजूद कि कुछेक अभी भी सोसायटियों के सदस्य नहीं हैं और इसलिए सोसायटियों से उधार लेने के लिए पात्र नहीं हैं, वित्तदायी सोसायटियों के प्रति सदस्यों की बाकीदारी भी उन्हें नये वित्त के लिए अपात्र बनाती है।

पूर्वोक्त दो वर्षों के लिए अतिदेयों से सम्बन्धित आंकड़े अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के ऋणियों के बकायों के बढ़ते हुए रूख को दर्शाते हैं :-

(आंकड़े हजार में)

वर्ष	वर्ष के अंत में ऋणी सदस्यों की संख्या		वर्ष के अंत में बकायादार सदस्यों की संख्या	
	अनु० जाति	अनु० जनजाति	अनु० जाति	अनु० जनजाति
1974-75	12,10	7,04	6,57	5,31
1975-76	15,92	10,45	8,01	5,59

अतिदेय

(रुपये करोड़ में)

अल्पकालीन		मध्यकालीन	
अनु० जाति	अनु० जनजाति	अनु० जाति	अनु० जनजाति
17.16	14.45	3.49	3.88
20.75	15.80	3.18	3.29

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए गए तथा सभी राज्य सरकारों को अपनाए जाने के लिए परिचालित किए गए प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों के माडल उपनियमों में क्षेत्र में रहने वाले सभी पात्र व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक सदस्यता के सिद्धान्त शामिल हैं। इनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ऋण का एक भाग तथा सोसायटियों की प्रबन्ध समिति में उनके प्रतिनिधियों का पर्याप्त संख्या में आरक्षण भी दिया गया है । सोसायटियों की प्रबन्ध समितियों में सार्वभौमिक सदस्यता तथा उनके प्रतिनिधियों की पर्याप्त संख्या के बारे में सुझाव को कार्यान्वित करने के लिए सहकारी सोसायटीज अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करके कुछ राज्य सरकारों ने पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी है।

आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग उप-योजनाएं अपनाई गई है। आदिवासी क्षेत्रों में समन्वित ऋण, सेवाएं तथा आपूर्तियां सुलभ करने के उद्देश्य से 'हैट' स्तर अथवा ब्लाक स्तर पर बृहताकार बहुद्देश्यीय सहकारी सोसायटियां गठित करके आधार स्तरीय सहकारी ऋण ढांचे को भी पुनर्गठित किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों को वर्ष 1976-77 के दौरान 324.13 लाख रूपये के ऋण दिए है ताकि उन्हें 748 बृहताकार बहुद्देश्यीय सहकारी सोसायटियों तक की अंशपूंजी में योगदान देने के योग्य बनाया जा सके ।

Buxar-Koelwar Embankment

†3647. **Shri Chandradeo Prasad Verma:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the reasons for delay in the construction of Buxer-Koelwar embankment for protecting Bhojpur district from floods in the Ganga and the Sone rivers in Bihar and also for developing this area; and

(b) whether Government will complete the construction of the embankment upto the month of June during this year and thus protect the area of this district from floods?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) & (b) The scheme of Buxar-Koelwar estimated to cost Rs. 35.67 crores is being executed by the Bihar Government in a phased manner. The scheme envisages the construction of embankments—96 km. on the southern bank of Ganga, 11 km. along the west bank of Sone from its confluence with the Ganga upto Koelwar, 20 km. along both banks of Gangi (West) and 38 km. along both the banks of Gangi (East) and is expected to benefit an area of 79,000 ha.

Such large embankments necessarily have to be constructed in stages. The work on Buxar-Koelwar scheme was started in 1973-74 and was expected to be completed by the end of 1979-80 subject to availability of funds. However, due to paucity of funds, accentuated by the need for taking up on a priority basis, Patna Flood Protection Works after its deluge in 1975, an amount of about Rs. 500 lakhs only could be spent on this scheme upto March, 1978. The outlay proposed for this scheme during 1973-79 is Rs. 100 lakhs.

विश्वविद्यालय अध्यापकों के वेतनमान तथा सुविधाएं

3648. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संकृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा अन्य स्टेट विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों तथा उन्हें उपलब्ध अन्य सुविधाओं में क्या अन्तर हैं; और

(ख) क्या सरकार इन अन्तरों को दूर करने के प्रश्न पर विचार कर रही है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) एक जनवरी, 1973 से राज्य विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपनाये जाने हेतु जिन संशोधित वेतनमानों की सिफारिश की गई थी वे वही है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को संस्वीकृत किए गए हैं। केरल और मध्य प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों ने राज्य विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए इन वेतनमानों को लिया है। तथापि इस समय केन्द्रीय विश्वविद्यालयोंऔर राज्य विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के बीच अथवा विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के बीच भत्तों की दरों और आवास, चिकित्सा, सुविधाओं जैसी सुख-सुविधाओं की व्यवस्था में समानता नहीं है। इस प्रकार की भिन्नताओं के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) भत्तों की दरों अथवा अन्य सुखसुविधाओं की व्यवस्था में विद्यमान भिन्नताओं को दर करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

ब्रह्मपुत्र गंगा नहर

3649. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र गंगा नहर बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस नहर का तकनीकी अर्थिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सूरजीत सिंह बरनाला): (क) और (ख) : ब्रहमपुत्र गंगा लिंक नहर गंगा नदी के प्रवाह में वृद्धि करने के प्रस्तावों में से एक है। इसके तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण का काम अभी पूरा नही हुआ है।

खाद्यान्नों के लाने ले जाने के बारे में सरकार द्वारा अपने निर्णय पर पुनर्विचार करन क लिए राज्यों का अनुरोध

3650. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चार पूर्वी राज्यों तथा तमिलनाडु से भारत सरकार की देश में धान और चावल के लाने-ले जाने पर प्रतिबन्ध को समाप्त करने के बार में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): असम, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल की सरकारों ने इन कारणो के आधार पर धान तथा चावल के संचलन पर लगे प्रतिबन्धों के हटाने संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए अभ्यावेदन दिया था (क) संबंधित राज्यों में धान/चावल की वसूली पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी ढंग से चलाने में कठिनाई होगी और (ख) उनके राज्यों से बाहर अन्य क्षेत्रों को धान और चावल का भारी संचलन होने के कारण उनक राज्यों के खुले बाजारों में चावल के मूल्यों में वृद्धि होगी। इन राज्य सरकारों को नई नीति के आधारभूत पहलुओं के बारे में बताया गया और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त किया गया कि भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए उनकी जो भी आवश्यकता होगी उसमें उनकी सहायता करेगी। उनसे यह भी कहा गया कि उनके लिए व्यापारियों तथा मिलमालिकों पर सूझ-बूझ के साथ लेवी लगाकर नई नीति के अधीन भी चावल की पर्याप्त मात्रा की वसूली करना सम्भव होना चाहिए। नई नीति से प्रत्याशाएं अधिकतर पूरी हो गई हैं।

Procurement of surplus foodgrains

3651. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to fix a ceiling of the buffer stock of foodgrains in accordance with the requirement of the country;

(b) if so, whether Government will not procure at fixed price the surplus foodgrains produced in the country;

(c) if so, whether this policy will lead to fall in the prices of foodgrains as compared to the prices of other commodities as a result of which the farmers will be put to great trouble and there will be economic crisis in the rural area;

(d) if so, whether Government will give an assurance that they will procure : entire quantity of foodgrains (wheat) at fixed price; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu ratap Singh) : (a) to (e) : With a view to imparting stability to the country's ood economy, the Government have decided on the basis of the recommendations made by the Technical Group on Buffer Stock of Foodgrains to build up ınd maintain a buffer stock of 12 million tonnes. This is exclusive of operational stocks of foodgains needed for running the public distribution system which have been estimated to vary between 3.5 to 3.8 million tonnes as on 1st April and 8.2 to 8.8 million tonnes as on 1st July. Fixation of the buffer stock target does not imply any limit on purchases by Government agencies of the surplus foodgrains produced in the country. It is the Government's policy to purchase all quantities of wheat of fair average quality offered by the producers at procurement/support prices so as to prevent prices from falling to uneconomic levels as as to safeguard the interest of the producers.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के मामलों की जांच

3652. **श्रीमति पार्वती कृष्णन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के मामलों की जांच की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि जांच के अधीन बहुत से पद निलम्बित किये जा रहे हैं और उचित प्रक्रिया के अनुसार जिन पदों के सम्बन्ध में चुनाव कर लिये गये हैं उस पर नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि विश्वविद्यालय के अध्यापक संगठन ने विश्वविद्यालय को स्वायतत्ता और अध्यापक समुदाय की शैक्षिक एवं राज नैतिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के विरुद्ध आन्दोलन करने की योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चंद्र चंद्र): (क) और (ख) : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ तथा अन्यों द्वारा आपातकाल के दौरान विश्वविद्यालय में अध्यापक स्टाफ की नियुक्तियों के मामले में तथाकथित गंभीर अनियमितताओं की शिकायतों में और उसके बाद हुए आन्दोलन जिसके परिणामस्वरूप नवम्बर, 1977 में विश्वविद्यालय बन्द हो गया था के संदर्भ में प्रधान मंत्री, विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ की गई विभिन्न शिकायतों की प्रारंभिक जांच करने के लिये सहमत हो गए थे। अध्यापन पदों के भरने में की गई तथा कथित गंभीर अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री ने 8 नवम्बर, 1977 को कुलपति को यह सलाह दी कि यह जांच होने तक विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण पदों को भरने की कारवाई स्थगित रखी जानी चाहिए और यदि किसी विशिष्ट पद को भरना अनिवार्य हो जाता है तो उस मामले में विश्वविद्यालय शिक्षा मंत्री को लिखें और उनकी पूर्व अनुमती प्राप्त करें ।

विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पांच मामले, जिनमें चयन समितियं ने प्रधान मंत्री की प्रारंभिक जांच से थोड़ा पहले ही सिफारिशें की थी , 8 नवम्बर, 197 से स्थगित रखे गये थे । प्रधान मंत्री ने अब 21 फरवरी, 1978 को कुलपती को सला दी है कि वह विभिन्न पदों कों भरने की कार्रवाई शुरु करें । तदनुसार विश्वविद्यालय द्वारा इन मामलों पर आगे कार्रवाई की जा रही है ।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लाटों पर बना हुआ क्षेत्रफल

3653. **श्री महिलाल :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों में 84 वर्गमीटर के छोटे प्लाटों पर 75 प्रतिशत तक के क्षेत्रफल को बनाने की अनुमति थी ;

(ख) क्या अब दिल्ली विकास प्राधिकरण के मामले में यह प्रतिशतता 75 % से घटाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है जबकि दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र में अभी तक वही प्रतिशतता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों में छोटे प्लाटों के संबन्ध में यह प्रतिशतता बढाकर पुनः 75 प्रतिशत करने की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और औचित्य क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां। इसकी अनुमति 14 दिसम्बर, 1976 कर दी गई थी।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि यह प्रतिशतता 75प्र०श० से घटकर 66.66 प्र० श० हो गई है। जब तक दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्रों का संबंध है, 300 वर्ग गज तक प्लाटों के लिए निर्मित क्षेत्रफल सामान्यतया प्लाट के क्षेत्रफल का 60 प्र० श० है।

(ग) यह मामला विचाराधीन है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों से वसूल की गई भूमि की लागत

3654. **श्री महीलाल :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को अलाट की गई भूमि की 25 प्रतिशत लागत वसूल की गई है; और

(ग) यदि हां, तो बाकी 75 प्रतिशत लागत कब तक वसूल की जाएगी और सोसाइटियों को भूमि का कब्जा कब तक दिया जाएगा ?

वनिर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी हां। 14 सोसाइटियों से ।

(ख) भूमि की कीमत के शेष 75 प्र०श० का भुगतान सोसाइटियों द्वारा 25-3-78 तक किया जाना है। पूरी वसूली किए जाने के बाद भूमि का सीमांकन किया जाएगा और उसके बाद भूमि का कब्जा दिया जाएगा।

Wages of Agents at D.M.S. Depots

3655. **Shri Mahi Lal:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether junior student Agents and senior Agents who distribute milk at various D.M.S. Depots in Delhi are paid wages at the rate of Rs. 1.15 and Rs. 2.25 respectively per day and if so, the reasons for paying them so low wages in spite of the fact that their duties and responsibilities are heavy;

(b) whether they are not entitled to weekly, gazetted and National holidays and are also not paid any extra wages for working on gazetted holidays and Sundays;

(c) whether Government propose to increase their daily wages and provide them other facilities; and

(d) if so, by what time and if not, the reasons therefor?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): a) The junior student Agents and the senior student Agents who distribute milk at the D.M.S. Depots in Delhi are paid commission and not wages of Rs. 1.15 and 2.25 per shift respectively. These are not considered low keeping in view the quantum of work involved.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

(d) The question does not arise.

चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण

3656. **श्री चित्त बसु :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव अन्ततः त्यागने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) संसद के पिछले अधिवेशन में तारांकित प्रश्न (संख्या 164 जिसका लोक सभा में 28-11-1977 को उत्तर दिया गया था) का उत्तर देते समय चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर सरकार की धारणा पूरी तरह स्पष्ट कर दी गई है। सरकार राष्ट्रीयकरण के लिए राष्ट्रीयकरण करने में विश्वास नहीं रखती है। किन जो चीनी मिलें अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करती है उनका राष्ट्रीयकरण करने से इन्कार नहीं किया जाता है।

दिल्ली में काम के स्थान के निकट सरकारी आवास का आवंटन

3657. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1978 को दिल्ली तथा नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के श्रेणी-III और श्रेणी-IV के कितने कर्मचारियों का नाम सरकारी आवास के लिए आवेदकों की सूची में है;

(ख) उक्त श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए उनके कार्यालयों के निकट मकान बनाने के लिए आगे क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) गत एक वर्ष में संघ राज्य क्षेत्र में कितनी आवास परियोजनाओं का काम प्रारंभ किया गया?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सामान्य पूल में रिहायशी वास की प्रतीक्षा सूचियां टाइपवार बनाई जाती हैं। विभिन्न टाइपों के लिए निर्धारित परिलब्धियों के आधार पर अलग अलग टाइपों में पात्रता निश्चित की जाती है। सामान्यतया श्रेणी-III और श्रेणी-IV (वर्ग 'ग' तथा वर्ग 'घ') के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उनके द्वारा ली गई परिलब्धियों के आधार पर टाइप-I, II और III वास के पात्र हैं। जिन कर्मचारियों का नाम सम्पदा निदेशालय द्वारा बनाई गई प्रतीक्षा सूचियों में शामिल कर लिया गया है और जो 31 जनवरी, 1978 को आंबटन की प्रतिक्षा कर रहे थे, ऐसे कर्मचारियों की संख्या 9838 थी।

(ख) अगले दो वर्षों के दौरान दिल्ली में कर्मचारियों की ड्यूटी के निकट 16,000 मकान बनाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

(ग) 1977 के दौरान निर्माणार्थ टाइप-I, II और III के मकानों की संख्या 2233 है।

साक्षरता की प्रतिशतता

3658. **श्री अमर सिंह बी० राठवा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में और देश के कुछ अन्य भागों में साक्षरता की प्रतिशतता कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के विभिन्न भागों में राज्यवार साक्षरता की प्रतिशतता कितनी है ; और

(ग) भारत में साक्षरता की प्रतिशतता में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) गुजरात के मामले में साक्षरता की प्रतिशतता साक्षरता की राष्ट्रीय प्रतिशतता से अधिक है। तथापि अन्य 13 राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के मामले में साक्षरता की प्रतिशतता राष्ट्रीय औसत से कम है।

(ख) 1971 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या से संबंधित साक्षरता की प्रतिशतता दर्शाने वाला राज्यवार विवरण तथा साक्षरता की प्रभावी दर जो आयु-वर्ग 0—4 को छोड़कर है, भी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण और प्रौढ शिक्षा के प्रसार के कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जाने वाली है । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिये योजना आयोग के सहयोग से दो कार्यदल गठित किए गए है, उन्होने प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । कार्यदल ने उस दृष्टिकोण का सिफारिश की है कि 6—14 आयु-वर्ग के बच्चे, यदि संभव हो तो पूर्ण-कालिक आधार पर और यदि आवश्यक हो तो अंशकालीक आधार पर सीखते रहेंगे। इसमें यह परिकल्पना की गई है कि राज्यों और संघशासित क्षेत्रों को यथा शीघ्र और अधिमानतः 1982-83 के अन्त तक सर्वव्यापीकरण को पूरा करने का अवश्य प्रयास करना चाहिएं ।

प्रौढ शिक्षा के क्षेत्रों में अगली योजना अवधि के दौरान 15—35 आयु-वर्ग के 6.5 करोड़ व्यक्तियों को और 1983-84 तक 10 करोड व्यक्तियों को इसके अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है । प्रौढ शिक्षा के लिये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसमें देश में प्रौढ शिक्षा का प्रसार करने के लिये नीति निर्धारित की गई है ।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	साक्षरता की प्रतिशतता—1971	
	कुल जनसंख्या की तुलना में साक्षरों की प्रतिशतता	प्रभावी साक्षरता की दरें (0—4 आयु-वर्ग को छोड़कर)
भारत	29.45	34.45
आंध्र प्रदेश	24.57	28.52
असम	28.15	33.94
बिहार	19.94	23.35
गुजरात	35.79	41.84
हरियाणा	26.89	31.91
हिमाचल प्रदेश	31.96	37.30
जम्मू व कश्मीर . . .	18.58	21.71
कर्नाटक	31.52	36.83
केरल	60.42	69.75
मध्य प्रदेश	22.14	26.37
महाराष्ट्र	39.18	45.77
मणिपुर	32.91	38.47
मेघालय	29.49	35.06
नागालैंड	27.40	31.32
उड़ीसा	26.18	30.53

विवरण--जारी

राज्य/संघशासित क्षेत्र	साक्षरता की प्रतिशतता—1971	
	कुल जनसंख्या की तुलना में साक्षरों की प्रतिशतता	प्रभावी साक्षरता की दरें (0—4 आयु-वर्ग को छोड़कर)
पंजाब	33.67	38.69
राजस्थान	19.07	22.57
सिक्किम	17.74	20.22
तमिलनाडु	39.46	45.40
त्रिपुरा	30.98	36.19
उत्तर प्रदेश	21.70	25.44
पश्चिम बंगाल	33.20	38.86
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	43.59	51.15
अरुणाचल प्रदेश	11.29	13.26
चण्डीगढ़	61.56	70.43
दादरा और नागर हवेली	14.97	18.12
दिल्ली	56.61	65.08
गोआ, दमन व दीव	44.75	51.48
लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीव द्वीपसमूह	43.66	51.76
मिजोरम	53.79	62.71
पांडिचेरी	46.02	53.38

टिप्पणी : उन राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को जिनकी साक्षरता की प्रतिशतता राष्ट्रीय प्रतिशतता से कम है रेखांकित किया गया है।

कृषि सहकारी समितियों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन

3659. **श्री अमर सिंह बो० राठवा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि सहकारी समितियों के कार्यकरण के पुनर्विलोकन के बारे में सरकार की कोई योजना अथवा प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार से कोई सुझाव, ज्ञापन, पत्र अथवा संकल्प प्राप्त हुये है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (घ) : कृषि सहकारी सोसायटियों के कार्यकरण की प्रगति की राज्य सरकारों के अतिरिक्त भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवधिक बैठकों तथा विचार-विमर्शों में समीक्षा की जा रही है । सहकारी सोसायटियों के पंजीयकों तथा राज्य सहकारिता मंत्रियों के वार्षिक सम्मेलनों में सहकारी सोसायटियों की प्रगति तथा समस्याओं की समीक्षा की जाती है और राज्य सरकारों तथा सहकारी सोसायटियों द्वारा कार्यान्वयन के लिए उपचारी उपायों की सिफारिश की जाती है । भारतीय रिजर्व बैंक भी प्रत्येक राज्य तथा केन्द्रशासित क्षेत्र के लिए वार्षिक विचार-विमर्श आयोजित करता है ।

सरकार को देश में कृषि सहकारी सोसायटियों के कार्यकरण की समीक्षा के लिए किसी मान्यताप्राप्त संगठन से कोई ज्ञापन अथवा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

राष्ट्रीय शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित गोष्ठी

3661 **डा० बापू कालदाते** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10+2+3 स्कूल प्रणाली लागू करने के लिये हायर सैकेन्ड्री स्कूलों के प्रिंसिपलों के लाभार्थ राष्ट्रीय शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद् ने कोई गोष्ठी आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) क्या सरकार ने उन्हें अगले स्कूल वर्ष से लागू करना स्वीकार कर लिया है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (श्री डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) (क),(ख)**और**(ग) : 10+2+3 शिक्षा प्रणालीपर कोई सेमिनार आयोजित नहीं किया गया। तथापि, राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रिंसिपलों/प्रधानों के लिए स्कूल शिक्षा की नई प्रणाली पर, अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किये। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रिंसिपलों/प्रधानों को नई स्कूल शिक्षा प्रणाली, इसकी शैक्षिक तथा संगठनात्मक कठिनाईयों से परिचित कराना था।

धान के खरीद मूल्य का निर्धारण

3662. **श्री राजकृष्ण डान** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह स्वीकृत तत्थ्य है कि धान का खरीद मूल्य धान पैदा करने के लिये उपयोग में आने वाली संबंधित सामग्री के मूल्यों के अनुसार ही निर्धारित किया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है ;

(ग) सरकारी फार्म में पैदा होने वाले धान की उत्पादन लागत तथा किसानों से सरकार द्वारा खरीद जाने वाले धान के मूल्य में क्या अन्तर है ; और

(घ) क्या धान के अनुचित खरीद मूल्य से करोड़ों किसानों को बचाने के लिये सरकार ने कोई कदम उठाने का निर्णय किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : धान के वसूली मूल्य, कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों, मुख्य मंत्रियों द्वारा अभिव्यक्त किए गए विचारों तथा उत्पादन लागत, जिसमें आदानों की लागत शामिल रहती है, को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते है ; अपनी सिफारशें करते समय, कृषि मूल्य आयोग किसानों के पैनल, जिसमें संसद सदस्य और विभिन्न राज्यों के सुविज्ञ किसान भी होते है, के साथ भी विचार-विमर्श करता है ।

(ग) भारतीय राज्य फार्म निगम के फार्मों में मुख्यतया बीज के प्रयोजन हेतु धान की पैदावार की जाती है, जिस पर 79.38 रुपये प्रति क्विंटल की लागत बैठती है जब कि 1977-78 विपणन मौसम के लिए मोटे किस्म की धान के लिए 77/- रुपये प्रति क्विंटल का वसूली मूल्य निर्धारित किया गया है ।

(घ) जैसा कि उपर्युक्त (क) और (ख) में उल्लेख किया गया है, सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया धान का मूल्य विचार-विमर्श के बाद निकाला जाता है । सरकार उत्पादकों द्वारा वसूली मूल्यों पर पेश की गई उचित औसत किस्म की सभी धान को खरीदने के लिए भी सभी आवश्यक कदम उठाता है ताकि मूल्यों को अलाभकारी स्तर तक गिरने से रोका जा सके तथा उत्पादकों के हितों की सुरक्षा की जा सके ।

मूंगफली के उत्पादन के लिए फास्फेटिक उर्वरकों का प्रयोग

3663. **श्री के० मालन्ना** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मूंगफली के उत्पादन के लिए फास्फिटिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने की कोई योजना आरम्भ करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार और अधिक सिंचित क्षेत्र में मूंगफली की खेती करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है तथा किन राज्यों में यह योजना आरम्भ की जायेगी?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजित सिंह बरनाला) : (क) फास्फटयुक्त उर्वरक का प्रयोग मूंगफली की फसल की जड़ों के विकास में सहायक होता है । अतः उसके उपयोग की लोकप्रिय बनाने के लिए 1978-79 में प्रमुख मूंगफली उत्पादक राज्यों ने एक जोरदार अभियान चलाया है ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा तथा राजस्थान राज्यों के नये सिंचाई क्षेत्रों में तिलहन के विकास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चालू है तथा इसकी वर्ष 1978-79 के दौरान जारी रखे जाने का प्रस्ताव है । योजना का मुख्य उद्देश्य वृहत सिंचाई परियोजना के अच्छी क्षमता के क्षेत्रों में, तिलहनों, और विशेषकर मूंगफली की खेती में वृद्धि करना तथा प्रति हेक्टार अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नत तकनिकों का प्रचार करना है । इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर बीजों का उत्पादन करनें, मिनीकिटों

(जिनमें आधी एकड़ में बुवाई करने हेतु पर्याप्त बीज होते है) वनस्पती रक्षा साधनों को अपनाने व स्टाप की उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है । समर्थन कार्यों के सम्बन्ध में मूंगफली के लिए समर्थन मूल्यों की घोषणा की गयी है ।

सर्व हितकारी कोआपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी, दिल्ली

3664. **श्री सी० के० चंद्रप्पन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सर्व हितकारी कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी दिल्ली के कार्यों का संचालन करने हेतु नियुक्त किए गए प्रशासक ने सम्बद्ध सरकारी प्राधिकारियों से जमीन की योजना विधिवत रूप से अनुमोदित कराने के पश्चात् प्लाटों के आवंटन के लिए सोसायटी के पात्र सदस्यों की सूची को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो सदस्यों को प्लाट कब तक मिल जाऐंगें जबकी जमीन का वास्तविक आवंटन सोसायटी को वर्ष 1963-64 में किया गया था; और

(ग) प्रति वर्ग गज विकसित जमीन की संभावित लागत क्या होगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) कोई समय नहीं बताया जा सकता क्योंकि इसके सदस्यों की प्लाटों का आबंटन सदस्यता को अन्तिम रूप दिए जाने तथा सेट बैंक कम-डीमार्केशन प्लान को अनुमोदित किए जाने पर निर्भर करता है।

(ग) सोसायटी ने बताया है कि विकास कार्य पूरा नहीं हुआ है । अतः विकसित भूमि की संभावित कीमत बताना सम्भव नहीं है ।

सर्वहितकारी कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, दिल्ली द्वारा प्लाटों का आबंटन

3665. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्व हितकारी कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी, दिल्ली ने ले आउट प्लान में 180 वर्ग गज के आवंटन हेतु 100 से अधिक सदस्यों से भुगतान वसूल कर लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो बाकी सदस्यों को जिनसे 180 वर्गगज का भुगतान वसूल कर लिया गया है, प्लाटों का आवंटन करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाये गए है ; और

(ग) 100 से अधिक सदस्यों से भुगतान वसूल करने के क्या कारण है जबकी सोसाइटी के पास देने के लिए केवल 30 प्लाट ही थे ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां। (ख) तथा (ग) सोसायटी की प्रबन्ध समिति निलंबित कर दी गई है तथा सोसायटी की प्रबन्ध व्यवस्था इस समय एक प्रशासक द्वारा की जा रही है । वह प्लाटों के आबंटन के मापदंड निर्धारित करेगा और वसूली करने के प्रश्न पर विचार करेगा ।

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में औद्योगिक और व्यापारिक गृह

3666. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने ओद्योगिक और व्यापारिक गृहों ने ऐसी ग्रामीण विकास योजनाएं प्रारम्भ की है जो केन्द्रिय कृषि और सिंचाई मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है ;

(ख) क्या योजनाओं के लिए वित्त पोषण सरकार और विश्व बैंक द्वारा किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितना धन दिया गया है, उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या यह सच है कि ये योजनाएं, ग्रामीण विकास के लिए प्रेरक सिद्ध नहीं हो सकी और यदि ऐसा है तो सरकार की इस बारे में क्या राय है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) पच्चीस ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) सरकार के विचार में ये योजनाएं उत्प्रेरकों के रूप में कार्य करेंगी ।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के कर्मचारियों का वेतनमान

3667. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सरकारी वेतनमान नहीं मिल रहा है, जबकि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के प्रबंध-कर्मचारियों को सरकारी वेतनमान मिल रहा है,

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या राय है,

(ग) क्या यह सच है कि स्टाफ क्वार्टर सरकारी अनुदान से केवल प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए ही बनाए जाते है और तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए एक भी क्वार्टर नहीं बनाया गया है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड भारत सरकार का उपक्रम नहीं है यह बोर्ड समिति पंजीकरण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीकृत समिति है और एक पंजीकृत सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास भी है । अतः इस बोर्ड के लिए भारत सरकार के वेतनमान अनिवार्य नहीं माने जा सकते । राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के स्टाफ के विभिन्न वर्गों के वेतनमान बोर्ड की कार्यकारी समिति द्वारा स्वीकृत किए जाते है । राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड में स्टाफ का श्रेणी विभाजन भी सरकार की तरह नहीं होता ।

(ग) और (घ) : आनन्द में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के परिसर में 76 क्वार्टर बनाए गए है । यह निर्माण भारत सरकार के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सहायता से हुआ है । सिवाय चार क्वार्टरो के ये सभी क्वार्टर अधिकारियों के लिए बनाए गये है । राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड में निम्न श्रेणी के कर्मचारी सारे भारत से भर्ती किये जाते है । स्थानीय कर्मचारियों को आसानी से आवास स्थान मिल जाता है और उनको मकान किराया भत्ता भी उदार रूप से दिया जाता है । परन्तु अधिकारियों के लिए उपयुक्त मकान मिलने में कठिनाई होती है। आनन्द में नियुक्त अधिकारियों में से अभी तक केवल 25 प्रतिशत को ही आवास स्थान दिया जा सका है। निधि की कमी एक प्रमुख बाधा रही है। अब निम्न श्रेणी के आवश्यक कर्मचारियों (ड्राइवरों, आशुलिपिकों, होटल कर्मचारियों आदि) के लिए, जिनको लम्बी तथा अनियमित अवधि के लिए काम करना पड़ सकता है, कुछ और स्टाफ क्वार्टर बनाने का प्रस्ताव है ।

Central Aid for Aerial Spray Operation on Commercial Crop in Gujarat

3668. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the amount of assistance given by the Government of India to the State of Gujarat during 1976-77 for air spray operation to destroy the insects and disease damaging the crops of groundnut, cotton, sugarcane, tobacco etc. and the amount of assistance proposed to be given during 1977-78 and 1978-79;

(b) the criteria for granting this assistance and how the farmers are helped; and

(c) whether any assistance is given by the Central Government for medicines, chemicals, and pesticides used in this air spray operation, and if not, the reason therefor ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Government of India has sanctioned/released assistance to the Government of Gujarat for undertaking aerial spraying on various crops under different schemes as mentioned below:—

1976-77

Cotton . . . . . Rs. 66,864/-

No assistance was provided for aerial spraying on Groundnut and Sugarcane.

1977-78

Groundnut	Rs. 20,00,000/-
Cotton	Rs. 10,50,000/-
Sugar cane	Rs. 5,60,300/-

However, there is no such scheme to sanction money for undertaking aerial spray on Tobacco.

1978-79

Proposals for assistance with regard to these crops will be considered/ finalised as and when received from the State Government.

(b) Assistance for aerial spraying on cotton, groundnut and sugarcane is provided under various Centrally Sponsored Schemes like Eradication of pests and diseases on crops in endemic areas, Intensive Oil Seeds Development and Intensive Cotton District Programmes. The eradication of pests and diseases on crops in endemic areas scheme was formulated to help the farmers to eradicate pests and diseases of endemic nature by repeating treatment continuously for 3 to 4 years in the same area. Under the scheme, the Government of India is providing subsidy on operational charges only. So far as the aerial spraying is concerned, a subsidy at the rate of Rs. 7/- per acre is being given as Central assistance.

Under the Intensive Cotton District Programme as well as Oilseeds Development Programme, the Government of India is providing subsidy on operational charges for aerial spraying at the rate of Rs. 10/- per acre to the small and marginal farmers and Rs. 7/- per acre for other categories of farmers.

(c) In view of the liberal assistance being made available on account of subsidy for operational charges for aerial spray, subsidy on pesticides used in aerial spraying has not been provided.

Request for Ammonium Sulphate from Gujarat

3669. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Gujarat Government have made a demand for 55000 tonnes of ammonium sulphate fertilizers for the Kharif season of 1978 in view of the fact that Ammonium Sulphate fertilizers to the tune of 48729 tonnes and 35740 tonnes were consumed during Kharif seasons 1976 and 1977 respectively in Gujarat;

(b) if so, the quantity (in metric tonnes) of ammonium sulphate fertilizers sanctioned or proposed to be sanctioned by the Central Government for the Kharif season of 1978;

(c) the total requirement (in metric tonne) of ammonium sulphate fertilizers of Gujarat; and

(d) the steps proposed to be taken by the Central Government to meet their requirement ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Yes, Sir.

(b) Gujarat State has been allotted 42910 tonnes of Ammonium Sulphate during Kharif 1978.

(c) Keeping in view the recommendations of the Experts in the field, the agronomic requirement of Ammonium Sulphate for Kharif 1978 was assessed at 21428 tonnes.

(d) The State has already been allotted enough quantity to meet their agronomic requirements of Ammonium Sulphate.

केरल में टेपिओका कम्पलेक्स

3670. **श्री के० ए० राजन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने 15 करोड़ रुपयों की लागत के 'टैपिओका' कम्पलेक्स की परियोजना रिपोर्ट सरकार के अनुमोदनार्थ तथा आवश्यक वित्तीय सहायता के लिये प्रस्तुत कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) (क) और (ख) : केरल में ग्राम कृषि पर आधारित औद्योगिक कम्पलेक्स की स्थापना के लिए जहां अन्य वस्तुओं के साथ-साथ टैपिओका का विधायन भी किया जाएगा, विभाग के परामर्श सैल द्वारा एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ था । परियोजना रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और राज्य सरकार के कृषि उद्योग निगम को 10 मार्च, 1978 को भेज दी गई है ।

दूध की आवश्यकता तथा दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा इसकी सप्लाई

3671. **श्री मोहन लाल पिपिल** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना उपभोक्ताओं को प्रति दिन कुल कितनी मात्रा में दूध सप्लाई करती है ;

(ख) दूध की उपरोक्त मात्रा में से कितना दूध डेरियों से प्राप्त किया जाता है तथा कितना दूध दुग्ध चूर्ण के प्रयोग से प्राप्त किया जाता है ;

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष 1976 की तुलना में वर्ष 1977 में डेरियों से दूध की सप्लाई काफी कम हो गई थी ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या निकट भविष्य में दूध की सम्पूर्ण आवश्यकता डेरियों से पूरी करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा प्रतिदिन औसतन 3,56,800 लिटर दूध का वितरण किया जा रहा है ।

(ख) मार्च, 1978 के प्रथम सप्ताह में दूध की दैनिक औसत खरीद 2,47,812 लिटर थी। कमी को दुग्ध चूर्ण एवं बटर आयल से दूध तैयार करके पूरा किया गया।

(ग) वर्ष 1976 के दौरान दूध का दैनिक औसत क्रय 2,37,798 लिटर था इसकी तुलना में वर्ष 1977 में दैनिक औसत क्रय 1,54,272 लिटर रहा है। दूध के क्रय में कमी होने के कारण निम्नलिखित थे :—

(1) 1977 के वर्षाऋतु में काफी बड़ा दुग्ध क्षेत्र बाढ़ के पानी से भर गया था।

(2) बाढ़ के कारण बहुत से दुधारू पशुओं को पशु कालोनियों से हटाना पड़ा था ।

(3) वर्ष 1977 के दौरान खोया तथा अन्य स्वादिष्ट दुग्ध उत्पादों की तैयारी के लिए दूग्ध के उपयोग तथा निर्यात पर कोई रोक न थी।

(घ) उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान को राज्य सरकारों से दिल्ली दुग्ध योजना को दूध की सप्लाई बढ़ाने के लिए बार-बार अनुरोध किया जा रहा है।

महिला विदयार्थियों को सागर विश्वविद्यालय की एल० एल० बी० की परीक्षा प्राईवेट तौर पर देने के लिए अनुमति दिया जाना

3672. **श्री शरद यादव :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) या यह सच है तक महिला विद्यार्थियों को सागर विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश की एल० एल० बी० की परीक्षा नियमित कालेज अथवा क्लास में अपने नाम दर्ज कराये बिना, प्राइवेट तौर पर देने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सागर विश्वविद्यालय ने बड़ी संख्या में प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए पत्राचार के माध्यम से अध्यापन की व्यवस्था करने हेतु और अधिक धन देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं तथा उस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या उन महिला विद्यार्थियों को, जो नियमित आधार पर कालेज अथवा विश्व-विद्यालय में उपस्थित हुए बिना इस बोच विश्वविद्यालय की परीक्षा में सफल हुई हैं, बार काउंसिल आफ इंडिया ने किसी न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में उनके नाम दर्ज नहीं किये हैं अथवा नहीं कर रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं तथा ऐसी विसंगति को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चंद्र चन्द्र) : (क) जी, हां। सागर विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अंतर्गत महिला छात्रों को गैर-कालेज छात्रों के रूप में विधि संकाय की स्नातक डिग्री की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जाती है ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) : बार काउंसिल आफ इंडिया द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कांउसिल के नियम उन छात्रों को, जिन्होंने अपनी विधि डिग्री अधिवक्ताओं के रूप में दर्ज कराने हेतु प्राइवेट रूप से प्राप्त की है, अनुमति नहीं देते। कांउसिल इस नियम में ढील देने के पक्ष में नहीं है ।

भूमि तथा विकास कार्यालय में पदोन्नति

3673. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भूमि तथा विकास कार्यालय में ओवरसियर के पद पर पदोन्नत किए गए कुछ 'सर्वेयरों' को स्थायी घोषित कर दिया गया है और उसी कार्यालय में कुछ 'सर्वेयरों' को, जिन्हें 'ओवरसियरों' के पद पर पदोन्नत किया गया था स्थायी पद नहीं दिया जा रहा है और उन्हें पदावनत किया जा रहा है और यदि हाँ, तो क्यों ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बक्त) : भूमि तथा विकास कार्यालय में ओवरसियर के रुप में पदोन्नत किए गए कुछ सर्वेयरों को भर्ती नियमों को अन्तिम रुप दिए जाने से पहले ओवरसियर के पद में स्थायी किया गया था । जो व्यक्ति भर्ती नियमों को अन्तिम रुप दिए जाने के बाद ओवरसियर के रुप में तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें स्थायी नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने निर्धारित अर्हताएं पूरी नहीं की थी और उन्हें पदोवनत होना पड़ा ।

Inclusion of 'Right to Work' in Constitution

3674. **Dr. Ramji Singh**: Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government proposed to include in the Constitution the 'right to work';

(b) if so, whether Government proposed to amend the Constitution with this purpose and if so, when;

(c) whether Government propose to make a declaration that employment will be provided to each person in different phases in time bound programme within five to seven years; and

(d) the estimated amount required every year to provide employment to each person and how the provision is likely to be made in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nar Singh): (a) and (b) : No, Sir.

(c) and (d) : The Planning Commission is currently engaged in formulating the next Five year Plan with a high employment content. The details regarding investments and the likely generation of employment will be indicated in the Plan Document, 1978—83.

Railway Crossing on Ranchi-Chaibasa Road

†3675. **Shri R. P. Sarangi**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there is a railway crossing on Ranchi and Chaibasa main road near Chakradharpur in S. E. Railway;

(b) whether due to Chakradharpur being on Howrah and Bombay main line a large number of trains pass through the said railway crossing and as a result of the crossing remaining closed frequently people and vehicular traffic face lot of difficulty in passing through the place; and

(c) whether Government propose to construct a under bridge near the crossing keeping in view the difficulties of the people and the traffic ?

The Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes. The level crossing is on Chakradharpur-Lotapahar Section of the Railway.

(b) The level crossing has to be closed for short periods during the passage of trains.

(c) A proposal for the construction of a road over-bridge in replacement of the level crossing is under consideration. Plans, estimates and firm commitment from the State Government to bear their share of the cost as per extant rules, are awaited.

पंजाब में कोयले की कमी

3676. **श्री महेन्द्र सिंह सयावाला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले और अन्य कच्चे माल की भारी कमी के कारण इन वस्तुओं की शीघ्र सप्लाई के लिए वेगनों के परिवहन में तेजी लाने हेतु उन्हें एक एस० ओ० एस० भजा गया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो पंजाब में इस बारे में महसूस की जाने वाली कठिनाइयों को देखते हुए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) पंजाब के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने पंजाब को ईंटें पकाने के लिए स्लैक कोयले की अधिक ढुलाई के लिए रेल मंत्री को लिखा था।

(ख) अप्रैल, 77 से जनवरी, 78 तक के महीनों के दौरान पंजाब राज्य के लिए कोयले की ढुलाई के लिए माल डिब्बों का औसत मासिक आबंटन 36 रेकों का रहा जबकि अप्रैल, 76 से जनवरी, 77 तक के दौरान केवल 23 रेक का था। राज्य सरकार के परामर्श से, ईंट पकाने के भट्टों के लिए अब पंजाब को प्रतिमाह कुल 40 रेक भजे जा रहे हैं।

तुकाईथाड़ स्टेशन पर यात्री यातायात

3677. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे में काचीगुला के लिए तुकाईथाड़ रेलवे स्टेशन से काफी संख्या में रेल टिकट बेचे जाते हैं ;

(ख) तुकाईथाड रेलवे स्टेशन पर विशाल यात्री-यातायात को देखते हुये क्या सरकार वहां 69 तथा 70 अजमेर-काचीगुडा एक्सप्रेस के रुकने की व्यवस्था करने पर विचार करेगी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि तुकाईथाड तथा खण्डवा स्टेशनों पर इन गाड़ियों के लिए आरक्षण की कोई सुविधा नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो क्या तुकाईथाड और खण्डवा स्टेशनों पर आरक्षण सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) सप्ताह में दो बार चलने वाली 69 डाउन/70 अप अजमेर काचिगुडा एक्सप्रेस गाडी का तुकाईथाड में ठहरने का औचित्य नहीं है क्योंकि वहां यातायात बहुत ही कम होता है।

(ग) और (घ) : खण्डवा में आरक्षण सुविधा उपलब्ध है जहां ये गाड़ियां यात्री यातायात को बुकिंग के लिए रुकती हैं। चूंकि इन गाड़ियों के तुकाईथाड पर यात्रियों की बुकिंग के लिए रुकने की व्यवस्था नहीं है अतः आरक्षण सुविधा की व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं उठता।

कम्पनी के निदेशकों के लिए परिलब्धियों की मंजूरी देना

3678. श्री माधवराव सिन्धिया : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी के पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक अथवा निदेशक को परिलब्धियों के लिए मंजूरी/अनुमति केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो ये परिलब्धियां किन सिद्धान्तों के अनुसार नियत की जाती है ;

(ग) क्या सरकार परिलब्धियों संबंधी मंजूरी/अनुमति प्रदान करते समय इस बात पर विचार करती है कि किसी विशेष कम्पनी द्वारा अपने शेयरधारियों को अनेक वर्षों तक लाभांशों को अदायगी न की जाये ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) एक पब्लिक कम्पनी अथवा एक ऐसी प्राइवट कम्पनी जो पब्लिक कम्पनी की सहायक हो, के पूर्णकालिक/प्रबन्ध, निदेशक को नियुक्त/उपलब्धियां, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 269, 198, 309/310 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के आधार पर होती हैं। इन कम्पनियों के निदेशकों को, बैठक शुल्क के अलावा, दिया जाने वाला पारिश्रमिक भी, इस अधिनियम, की धारा 309/310 के उपबन्धों के आकर्षिक होने की सीमातक, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के आधार पर होता है।

(ख), (ग) तथा (घ) : इस प्रकार के प्रत्येक आवेदन-पत्र पर, इनमें भेजी गई ब्यौरेवार सूचना को दृष्टि में रखते हुये गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। सूचनाओं में साथ-साथ कम्पनी द्वारा घोषित लाभांश से सम्बन्धित सूचना भी सम्मिलित होती है। इस प्रकार के निदेशक का पारिश्रमिक, प्रत्येक मामले में प्रस्तावित नियुक्ती की आयु अनुभव, अर्हतायें, लिया गया पहला पारिश्रमिक, आदि की गणना करते हुए, इस उदेश्श के लिए निर्मित मार्गदर्शक नियमों में उल्लिखित अधिकतम सीमाओं, तथा साथ ही, कम्पनी में लगे हुई कार्यशील पूंजी, व्यापारावर्त, लभ्यता, लाभांश स्थिति, आदि को दृष्टि में रखते हुए इसके अदायगी की क्षमता के आधार पर, निश्चित किया जाता है।

कम्पनी कानून के बारे में दिल्ली विश्वविदयालय में हुई गोष्ठी

3679. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में फरवरी, 1978 के दौरान कम्पनी कानून के बारे में हुई गोष्ठि में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस गोष्ठी में भाषण करने वाले व्यक्तियों के नाम तथा पदनाम क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इनमें से किसी सिफारिश को व्यवहार्य अथवा अनुसरणीय पाया है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भुषण) : (क) सरकार को, दिल्ली विश्वविद्यालय में फरवरी, 1978 में हुई कम्पनी-विधि पर अखिल भारतीय गोष्ठी द्वारा की गई कोई शिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं। इस विषय पर कुछ समाचार-पत्रों में प्रकाशित कुछ रिपोर्टें सरकार की सूचना में आई हैं।

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) चूंकि गोष्ठी में सरकार के किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, और न ही गोष्ठी के संयोजकों ने अपनी सिफारिशें ही इसे भेजी हैं, अतः उस पर कोई भी विचार प्रगट करना संभव नहीं है।

इंडियन रेलवे सिगनल एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टाफ एसोसिएशन द्वारा 'मांग सप्ताह' मनाया जाना

3680. **श्री राम प्रकाश त्रिपाठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन रेलवे सिगनल एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टाफ एसोसिएशन ने 21 नवम्बर से 26 नवम्बर, 1977 तक "मांग सप्ताह" मनाया था; और

(ख) सिगनल एंड टेलीकम्युनिकेशन कर्मचारियों की मांगें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) भारतीय रेल सिगनल और दूर-संचार कर्मचारी संघ के कुछ वर्गों ने 20 से 26 नवम्बर, 1977 तक "मांग सप्ताह" मनाया था।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मांग सं० 1 :—सिगनल और दूर-संचार विभाग के कर्मचारियों को यातायात नियंत्रकों, आदि की तकनीकी कोटियों के समतुल्य नहीं माना गया है और न इन्हें वेतन आयोग की सिफारिशों के ढांचे के भीतर भी इस रुप में रखा गया है यह विषमता सहनीय नहीं है।

टिप्पणी :—तीसरे वेतन आयोग ने विभिन्न कोटियों के कर्मचारियों के जिनमें रेलों के सिगनल और दूर-संचार विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं, वर्तमान वेतनमानों वर्गीकरण ड्यूटी और उत्तर-दायित्व के सम्बन्ध में विस्तर से विचार और अध्ययन किया था और तब अपनी सिफारिशों दी थी। सिगनल और दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को उक्त आयोग के समक्ष अपने मामले रखने का अवसर दिया गया था।

मांग सं० 2 :—सभी कर्मचारियों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए। सिगनल एवं दूर-संचार कर्मचारियों को कार्य घंटे विनियमों के अन्तर्गत "सतत" घोषित करके ऐसा किया जा सकता है।

टिप्पणी :—पर्यवेक्षण कर्मचारियों को छोड़कर जिन्हें "अपवर्जित" माना जाता है, सिगनल और दूरसंचार विभाग के अन्य कर्मचारियों के काम के घंटे उनके कार्यभार के अनुसार किये गये वर्गीकरण पर आधारित है। 12 घंटे की अवधि के दौरान जब सामान्य ड्यूटी के घंटों में निष्क्रियता की अवधि कुल मिलाकर 6 घंटे या अधिक हो और उसमें कम से कम एक अवधि एक घंटे की या दो अवधि आधे-आधे घंटे की ऐसी हो जिनमें रेलवे कर्मचारी ड्यूटी पर तो होता है, किन्तु उसे या तो शारीरिक श्रम नहीं करना होता या लगातार ध्यान नहीं देना पड़ता तो उसका वर्गीकरण "अनिवार्यतः सविरामी" के रूप में किया जाता है और उसे एक दिन में 12 घंटे की ड्यूटी करनी होती है। जबकि उन कर्मचारियों की जिनका वर्गीकरण अपवर्जित अथवा "अनिवार्यतः सविरामी" के रूप में नहीं किया गया है और जिन्हें "सतत" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उन्हें एक दिन में $8\frac{1}{2}$ घंटे की ड्यूटी करनी होती है। यदि कार्यभार के आधार पर कोई रेल कर्मचारी उसके लिए निर्धारित वर्गीकरण से असंतुष्ट हो तो नियमों में वर्गीकरण की पुनरीक्षा करने की व्यवस्था है।

मांग सं० 3 :—भारतीय रेल सम्मेलन की सिगनल उपसमिति के अनन्तिम मापदण्ड के आधार पर कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त है। जब तक कोई नया मापदण्ड निर्धारित न कर दिया जाये कम से कम तब तक उसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी—भारतीय रेल सम्मेलन की उपसमिति द्वारा बनाये गये मापदण्ड को अनुमोदित नहीं किया गया था। कर्मचारियों की संख्या वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर निश्चित की जाती हैं और जब कभी आवश्यक होता है, इसकी पुनरीक्षा की जाती है।

मांग सं० 4 (क) :—सिगनल और दूरसंचार विभाग के कर्मचारी जब कांटों आदि के फटने पर उनकी मरम्मत के काम पर लगाये जायें तब उन्हें वही आर्थिक लाभ दिया जाना चाहिए जो रेल पथ कर्मचारियों को दिया जाता है।

टिप्पणी :—नियमों में संशोधन करके यह मांग पूरी कर दी गयी है ताकि इसे "ब्रेकडाउन" प्वाइंटस के फटने के मामले, अन्तःपाशित उठने वाले फाटकों की खराबी, संचार व्यवस्था या बिजली की सप्लाई में उपरी तार ले जाने वाले 3 या अधिक खम्भे गिर जाने अथवा केबल के खराब हो जाने और उपरी विद्युतकर्षण लाइनों के टूट जाने, जिस में टावर वैगन अथव ब्रेकडाउन लारी को बुलाना पड़े, के कारण पूर्ण रुप से बाधा उपस्थित होने आदि मामलों के अंन्तर्गत शामिल किया जा सके।

मांग सं० 4 (ख) ::—स्टोर कीपर नियुक्त करके भण्डार निरीक्षकों को भण्डार की जिम्मेवारियों से मुक्त किया जाए।

टिप्पणी :—इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि भण्डार की अभिरक्षा निरीक्षकों की ड्यूटी का अभिन्न अंग है।

मांग सं० 5 :—सभी सिगनल कर्मचारियों को रेलवे क्वार्टर दिये जाए।

टिप्पणी :—क्वार्टरों के आबंटन के मामले में सिगनल और दूरसंचार कर्मचारियों को "अनिवार्य" माना जाता है।

मांग सं० 6 :—सिगनल और दूर संचार के सभी कर्मचारियों को जाड़े और गर्मी के लिए पूरी वर्दियां दी जाएं।

टिप्पणी :—वर्दियों और रक्षात्मक कपड़ों की सप्लाई, वर्दी समिति, 1970 की रिपोर्ट जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है, के अनुसार दी जाती है। सिगनल अनुरक्षकों, फिटरों तथा अन्य बहिरंग कर्मचारियों को रक्षात्मक कपड़े जैसे जर्सियां, बरसातियां और ओवरकोट दिये जाते है, जबकि फिटरों और अन्तःपाशन सहायकों की भी वर्दी दी जाती है।

मांग सं० 7:—बातचीत की सुविधाएं—रेल प्रशासन के साथ वार्तालाप की व्यवस्था होनी चाहिए।

टिप्पणी :—खेद है कि वर्गवार संघों को मान्यता न देने की सरकारी निति के अनुसार इस संघ को बातचीत की सुविधाएं देना संभव नहीं है। लेकिन उनके अभ्यावेदनों पर विचार किया जाता है। और जहां आवश्यक एवं उचित होता है, उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

प्रथम और द्वितिय श्रेणी के अधिकारियों को पास और पी० टी० ओ०

3682. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए पास और पी० टी० ओ० सुविधाओं के बारे में तीसरे वेतन आयोग की क्या सिफारिशें हैं;

(ख) क्या उन्हें क्रियान्वित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या परिपत्र की प्रति प्रस्तुत की जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) : तीसरे वेतन आयोग ने समूह 'क' और 'ख' (श्रेणी I और II) के अधिकारियों के लिए "पास" और "पी० टी० ओ०" की सुविधाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

(1) समूह "क" और "ख" (श्रेणी I, और II) के अधिकारियों के लिए "पास" और "पी०टी०ओ०" की संख्या घटाकर समूह "ग" और "घ" (श्रेणी III और IV) के कर्मचारियों को आजकल मिल रहे "पास"/पी०टी०ओ०" की संख्या के बराबर कर दी जाये ।

(2) सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पी०टी०ओ० की संख्या 6 से घटाकर 3 कर दी जाये ।

(3) फर्स्ट क्लास "ए" और फस्ट क्लास पासों पर परिचर ले जाने की सुविधा समाप्त कर दी जाये परन्तु महिला अधिकारियों को जिन में महिला स्वास्थ्य निरीक्षक और नर्से भी शामिल हैं, पास और पी० टी० ओ० पर यात्रा करते समय एक परिचर ले जाने की सुविधा दी जाये बशर्ते कि उनके साथ उनके पति या अन्य कोई पुरुष रिश्तेदार यात्रा न कर रहा हो ।

(4) नि:शुल्क पास और पी० टी० ओ० पर यात्रा करने के लिए परिवार के केवल वे सदस्य ही पात्र होंगे जो स्थानान्तरण के समय यात्रा भत्ता नियमों के अंतर्गत यात्रा करने के पात्र हों ।

(5) समूह "क", "ख" और "ग" (श्रेणी I, II और III) के जो रेल कर्मचारी 20 वर्ष की सेवा के बाद सेवा निवृत्त हों उन्हें प्रतिवर्ष केवल एक पास दिया जाये ।

(ख) से (घ) : आयोग की उपर्युक्त सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

भारत और पाकिस्तान के बीच चलाई गई रेल गाड़ियां

3683. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान के बीच जो यात्री और माल गाड़ियां शुरु की गई हैं, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) गाड़ी सेवा आरम्भ होने के बाद से भारत को वहां से कितने यात्री आये और कितना माल आया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) यात्री यातायात की निकासी के लिए अमृतसर और लाहोर के बीच इस समय प्रतिदिन एक एक्सप्रेस गाड़ी दोनों ओर चलायी जा रही है । मालगाड़ियों का चलाया जाना वास्तविक यातायात पर निर्भर करता है और मालडिब्बों के विनिमय का वर्तमान स्तर लगभग 40 मालडिब्बे प्रतिदिन है, जिनके लिए एक माल गाड़ी प्रतिदिन चलायी जा रही है ।

(ख) यातायात आरम्भ होने की तारीख से फरवरी 1978 के अंत तक पाकिस्तान से भारत 65,280 यात्री आये और 23 भरे हुए मालडिब्बे प्राप्त हुए।

टेक्नीकल सुपरवाईजर्स एसोसिएशन, सिंदरी एकक, भारतीय उर्वरक निगम से ज्ञापन

3684. **श्री ए० के० राय :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेक्नीकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन, सिंदरी एकक, भारतीय उर्वरक निगम का दिनांक 7 फरवरी, 1978 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुद्दे उठाये गये हैं तथा सरकार का उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इंडिया में एक जैसा काम करने के लिए डिग्री प्राप्त तथा डिग्री न रखने वाले इंजीनियरों दोनों के लिए पद्दोन्नति के एक चैनल की संघ द्वारा मांग की गई है। इस पर एफ० सी० आई० विचार कर रही है।

दिल्ली में गैस कनेक्शन

3685. **श्री बेगाराम चौहान :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है की संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न बुकिंग गैस एजेंसियों में पंजीकरण के पांच वर्ष पश्चात भी जरुरतमंद लोगों को गैस कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ?

(ख) वर्ष 1973–74 में कुल कितने लोगों ने पंजीकरण कराया परन्तु उन्हें अभी तक गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और उन्हें गैस कनेक्शन कब तक उपलब्ध कर दिये जायेंगे ?

पेट्रोलियन, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ग) : दिल्ली में नये गैस कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा समय एक स्थान से दूसरे स्थान में तथा एक वितरक से दूसरे वितरक तक भिन्न भिन्न है। दिल्ली में चालू 44 इण्डेन वितरकों में से केवल 13 वितरक ऐसे है जिनके पास पांच वर्षों से अधिक प्रतीक्षा सूचियां हैं; यह बताना संभव नहीं है कि वर्ष 1973–74 में खाना पकाने वाली गैस के कनेक्शन के लिए कितने व्यक्तियों ने आवेदन दिया था और इनमें से कितने लोगों को वास्तव में गैस कनेक्शन दिये गये थे क्योंकि गैस कनेक्शन के बुकिंग रिकार्ड वितरकों द्वारा निरन्तर क्रम से रखें जाते है और तेल कंपनियों द्वारा कोई वर्षवार आंकड़े अलग रूप से नहीं रखे जाते। इस समय खाना पकाने वाले गैस की मांग इसकी उपलब्धता से कहीं अधिक है। तरल पेट्रोलियम गैस की सप्लाई सीमित है और यह मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। 1980 के आसपास इस उत्पाद की उपलब्धता में महत्वपूर्ण सुधार होने के बाद ही इसकी सप्लाई में तथा ग्राहकों के नामांकन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है।

Service condition of Casual Labourers

†3686. **Shri Sukhendra Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there is any provision for the conditions of service of casual labourers in the Indian Railway Establishment Code; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) No.

(b) Does not arise.

Railway Family Welfare Employees

†3688. **Shri Hargovind Verma:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the status of Railway Family Welfare employees is lower services in the matter of seniority and confirmation as compared to other railway employees; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) No.

(b) Does not arise.

तमिलनाडु और कोरोमण्डल एक्सप्रेस गाड़ियां

3689. **श्री अरविन्द बाला पजनौर :**

श्री पी० कानन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु एक्सप्रेस और कोरोमण्डल एक्सप्रेस को क्रमश: नई दिल्ली और कलकत्ता पर आधारित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली के क्या लाभ होंगे; और

(ग) क्या सरकार ने यात्रियों को होने वाली असुविधाओं तथा तो इस प्रणाली से रेल कर्मचारियों की मार्ग में शिफ्ट से होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) से (ग) : 121/122 तमिलनाडु और 141/142 कोरोमण्डल एक्सप्रेस गाड़ियों के रेकों के अड्डे क्रमश: मद्रास और कलकत्ता में हैं। इन दोनों गाड़ियों के पूरे मार्ग पर दक्षिण रेलवे की वाणिज्यिक और खानपान व्यवस्था में लगे कर्मचारी काम करते हैं। फिर भी, यह प्रस्ताव है कि 1-4-78 से इन गाड़ियों पर अपने-अपने क्षेत्राधिकार में सम्बद्ध रेलों के टिकट जांच कर्मचारी लगाए जायें। इन व्यवस्थाओं के करने से यात्रिकों को असुविधा या कर्मचारियों को कोई कठिनाई नहीं होगी।

कोलाबा में उर्वरक संयंत्र

3690. **श्री आर० के० महालगी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के कोलाबा जिले में एक उर्वरक संयंत्र लगाने के कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस संबंध में निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) अन्तिम निर्णय कब तक कर लिये जाने की आशा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जगेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) : अधिक सावधानी अपनाने के उपायों को ध्यान में रख कर सरकार ने महाराष्ट्र के कोलाबा जिले में प्रस्तावित उर्वरक परियोजना के स्थान पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक कार्यकारी दल गठित किया है। कार्यकारी दल की रिपोर्ट प्राप्त होतेही परियोजना के स्थान पर अन्तिम निर्णय ले लिया जाएगा। और तत्पश्चात् परियोजना का शीघ्र कार्यान्वयन किया जाएगा।

कमीशन प्राप्त करने वाले बैरों को वर्दी की सप्लाई

3691. **श्री के० ए० राजू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) के० के० एक्सप्रेस और अन्य प्रतिष्ठित गाड़ियों में कमीशन के आधार पर काम करने वाले बैरों को वर्दियां देने के बारे में सरकार की क्या नीति है,

(ख) क्या गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों के लिए उन्हें समय-समय पर वर्दियां दी जाती हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्दियां समय पर क्यों नहीं दी जाती हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क), (ख) और (ग) : वर्तमान आदेशों के अनुसार, के० के० एक्सप्रेस सहित सभी चल-यूनिटों में कमीशन पर काम करने वाले बैरों को वर्ष में एक बार गर्म वर्दियां दी जाती हैं। सर्दी के लिए, विशेष कपड़े के रूप में जर्सियां दी जाती हैं जिनकी अवधि नौकरी के स्थान के आधार पर 2 से 4 वर्षों तक की है। पात्र रेल कर्मचारियों को समय पर वर्दी सप्लाई करने के लिए अनुदेश पहले से ही मौजूद हैं।

स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड

3692. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री 20 दिसंबर 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4659 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की लेखा पुस्तकों तथा अन्य रिकार्डों की जांच इस बीच शुरु कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है और यदि हाँ, तो उनकी जांच कब और किसके द्वारा की गई थी;

(ग) इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है;

(घ) क्या कम्पनी अधिनियम की धारा 408 के अन्तर्गत आवेदन पर इस बीच विचार कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और क्या कार्यवाही की गई है; और

(ड़) यदि नहीं, तो ऐसे आवेदन पर निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (ग) : निरीक्षण इसके लिए प्राधिकृत विभागीय अधिकारियों द्वारा 7 मार्च, 1978 को प्रारम्भ किया गया था। निरीक्षण के अप्रैल, 1978 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

(घ) तथा (ड़) : कम्पनी विधि बोर्ड निरीक्षण रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात् कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र पर विचार करेगा।

Tea Stalls at Grant Road Station

3693. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5750 on the 2nd August, 1977 re. proposed new contracts for tea stalls on Andheri & Grant Road Stations and state:

(a) whether the enquiry into the contracts of tea stalls on Andheri and Grant Road stations has since been completed;

(b) the reasons for taking such a long time in this regard;

(c) whether the present Government are following the old policy and hesitating in cancelling the invalid contracts; and

(d) the reasons why the contracts given by the former minister have so far not been cancelled in accordance with rules ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (d): Detailed investigation into different aspects of catering contracts functioning at various stations on Bombay divisions of Central and Western Railways including Andheri and Grant Road are still in progress. The scope of this enquiry is very wide involving a large number of cases of award of catering/vending contracts. It is a time consuming process and will take more time. The decision with regard to cancellation or otherwise of these contracts will be taken after the submission of the final report of vigilance.

त्रिपुरा में हड़ताल

3694. **श्री रोबिन सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि त्रिपुरा में रेल लाइन के विस्तार की मांग को लेकर त्रिपुरा राज्य के लोगों ने 25 फरवरी, 1978 को एक सफल हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा राज्य में रेल लाइन के विस्तार की मांग पूरी करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) की हां

(ख) त्रिपुरा में धरमनगर-कुमारघाट लाइन उन छः लाइनों में से एक लाइन है जिस पर में पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्वोत्तर परिषद् द्वारा काम शुरु कराने का प्रस्ताव है। योजना आयोग ने इन प्रस्तावों की गहराई से जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है इसलिए इस समिति की सिफारिशों के आधार पर लाइन के निर्माण के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

असम में रेल परिवहन

3695. **श्री अहमद हुसैन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) असम में पर्याप्त मात्रा में रेल परिवहन यातायात सुविधायें उन के मंत्रालय द्वारा किस प्रकार उपलब्ध करने का प्रस्ताव है, जिस से निकट भविष्य में वहां की अधिकांश जनसंख्या को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सके;

(ख) क्या असम की राज्य सरकार ने पहले भी नौगांव, जोरहाट, शिवसागर, गोपालपाड़ा आदि जैसे अनेक प्रमुख कस्बों और जिला मुख्यालयों को वर्तमान शाखा लाइनों के बजाय मुख्य लाइन पर स्थित करने अथवा मुख्य लाइन से जोड़ने के लिए अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जिस से लोगों को भारी बाढ़ और अन्य दैवी आपदाओं के कारण सड़क परिवहन यातायात व्यवस्था के ठप्प हो जाने के कारण कष्ट न उठाना पड़े ;

(ग) अब तक उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई है और करने का प्रस्ताव है और जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, असम को अन्य राज्यों के समान स्तर पर लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) असम में चालू वित्तीय वर्ष में किन-किन मीटरगेज लाइनों को बडी लाइनों में बदलने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ग) : बड़े आमान की रेल लाइन को न्यू बोंगाईगांव से गुवाहाटी तक बढ़ाने का काम पहले ही चल रहा है। इससे गुवाहाटी तथा देश के अन्य भागों के बीच बड़े आमान की रेल लाइन की व्यवस्था हो जायेगी। निम्नलिखित नयी रेल लाइनों के लिए, जो पूर्णतः अथवा आंशिक रुप से असम में पड़ती हैं, सर्वेक्षण किये गये हैं या किये जा रहे हैं :—

1. गुवाहाटी–बर्नीहाट ।
2. गुवाहाटी–दुधनई ।
3. जोगीघोपा/पंचरत्नघाट–दुधनई–दारंगिरि ।
4. सिल्चर–जिरिबाम ।
5. बालीपाड़ा–भालुकपोंग ।
6. मुकौंगसेलेक–पासीघाट ।
7. लालाघाट/लालाबाजार–सैरंग/ऐजल ।
8. टिपलिंग–ईटानगर ।
9. आमगुड़ी–तुली ।
10. तेजपुर–भीमरागुड़ी ।

इन लाइनों तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अन्य लाइनों के निर्माण पर योजना आयोग द्वारा नियुक्त एक समिति विचार कर रही है और इन लाइनों के निर्माण का फैसला समिति की सिफारिशों पर ही निर्भर करेगा ।

(ख) हाल के वर्षों में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) बड़े आमान की रेल लाइन को न्यू बोंगाईगांव से गुवाहाटी तक बढ़ाने का काम चल रहा है।

मध्य प्रदेश में पैदल-पार-पुल

3696. **श्री राघवजी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार ने, गत तीन वर्षों में रेलवे से कुछ स्थानों पर पैदल-पार-पुल तथा उपरि-पुल बनाने का अनुरोध किया है। यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर पुल बनाने का अनुरोध किया है;

(ख) रेलवे ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है और इन में से कितने पुल बना दिये गये हैं अथवा निर्माणाधीन हैं और इस बारे में सरकार की क्या नीति है; और

(ग) विदिशा रेलवे प्लेटफार्म के दोनों ओर तक पैदल पार पुल का विस्तार करने तथा विदिशा में उपरि पुल बनाने के मामले में क्या स्थिति है और क्या सर्वेक्षण आदि कार्य करा लिये गये हैं तथा प्रत्येक मामले में कितनी लागत आने का अनुमान है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : पैदल पुलों के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया है, लेकिन 9 ऊपरी सड़क पुलों की मांग की गयी है। विभिन्न स्थानों के नाम, रेलों द्वारा की गयी कार्रवाई, बनाये गये या बनाये जा रहे पुलों की संख्या का उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है।

इस सम्बन्ध में रेलों की नीति इस प्रकार है :

किसी रेल लाइन को यातायात के लिए खोलने के 10 वर्ष के बाद, रेल लाइन पार करने के लिए जनता को यदि नये ऊपरी/निचले सड़क पुलों और ऊपरि पैदल पुलों की आवश्यकता हो, तो उन पुलों के लिए सभी प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रायोजित करने होते हैं और उनकी सम्पूर्ण लागत (प्रारंभिक और आवर्ती—दोनों) उसे ही वहन करनी होती हैं। लेकिन, प्रारम्भ में रेलवे के खर्च पर बनाये गये वर्तमान व्यस्त समपारों के बदले उपरि/निचले सड़क पुलों के निर्माण पर होने वाला खर्च मोटे तौर पर रेलवे और राज्य सरकार सडक प्राधिकरण के बीच बराबर-बराबर बांटा जाता है। राज्य सरकार के हिस्से का खर्च (जब तक कि समपार राष्ट्रीय राजमार्ग पर न हो) रेलवे संरक्षा निर्माण निधि के उनके हिस्से में से उन्हें वापस दिया जाना होता है। राष्ट्रीय राजमार्गो पर समपारों के मामले में, उनकी लागत परिवहन मंत्रालय द्वारा वहन की जाती है।

(ग) **विदिशा में ऊपरी पैदल पुल का विस्तार** : वर्तमान नियमों के अनुसार जनता द्वारा रेलवे लाइन पार करने के लिए विदिशा में वर्तमान ऊपरि पैदल पुल के विस्तार का प्रस्ताव राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित किया जाता है और उसका सम्पूर्ण लागत (प्रारंभिक और आवर्ती/अनुरक्षण, दोनों) उन्हें ही वहन करनी हैं। रेलवे को राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। पुल के विस्तार पर होने वाले खर्च का अभी अनुमान नहीं लगाया गया है।

विदिशा में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण : विदिशा में वर्तमान समपार नं० 270–बी के बदले उपरि सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव रेलवे के विचाराधीन है। इस कार्य के लिए सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और नक्शों को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा उन्हें राज्य सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है, लेकिन अनुमोदन की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। इस निर्माण कार्य की अनुमानित लागत (1976 की दरों के आधार पर) लगभग 35 लाख रुपये है। निधि की उपलब्धता के बावजूद, आवश्यक प्रारंभिक तैयारी पूरी हो जाने, जैसे आरेखणों, अभिकल्पों और अनुमानों को अन्तिम रुप देने और राज्य सरकार तथा रेलवे द्वारा उन्हें स्वीकार कर लेने के बाद ही इस प्रस्ताव को रेलवे के भावी निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा, बशर्ते कि इस के लिए धन उपलब्ध हो।

विवरण

ऊपरी/निचले पैदल और सड़क पुलों के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव

ऊपरी पैदल पूल

कोई नहीं

वर्तमान समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुल।

क्र०सं०	रेलवे	स्थान	टिप्पणी
1	द०–पूर्व	राजनंदगांव	काम चल रहा है।
2	द०–पूर्व	रायपुर	इस कार्य को आरम्भ नहीं किया जा सका, क्योंकि राज्य सरकार ने अभी तक इसे अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं किया है और खर्च में अपने हिस्से की रकम की व्यवस्था भी नहीं की है।
3	द०–पूर्व	रायपुर-सरोचा	इस प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा अभी अंतिम रुप दिया जाना है।
4	द०–पूर्व	बालाघाट	इन निर्माण कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा अभी अग्रता निर्धारित की जानी है। इस लिए इन प्रस्तावों को अभी अंतिम रुप नहीं दिया गया है।
5	द०–पूर्व	महेन्द्र-गढ़	
6	द०–पूर्व	शहडोल	
7	पश्चिम	इंदौर	कार्य चल रहा है।
8	पश्चिम	रतलाम	राज्य सरकार ने पहुंच मार्गों के लिए अभी विस्तृत नक्शे और अनुमान देने हैं और शर्तों का निष्पादन भी करना है।
9	पश्चिम	उज्जैन	राज्य सरकार ने पहुंच मार्गों के लिए अभी विस्तृत नक्शे और अनुमान देने हैं।

सारांश

ऊपरी पैदल पुल :

उन पुलों की संख्या जिन की मध्य प्रदेश सरकार ने मांग की है . .	कोई नहीं
उन पुलों की संख्या जो बन चुके हैं/बन रहे हैं	प्रश्न नहीं उठता

ऊपरी सड़क पुल :

उन पुलों की संख्या जिन की मध्य प्रदेश सरकार ने मांग की है . .	9
उन पुलों की संख्या जो बन चुके है	कोई नहीं
उन पुलों की संख्या जो बन रहे है	2
उन प्रस्तावों की संख्या जिन पर अभी विचार किया जा रहा है या जो राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने अथवा अपने हिस्से के खर्च की व्यवस्था न करने या प्राथमिकता निर्धारित न करने के कारण रुके हैं . .	7

बन्दी प्रत्यक्षीकरण मामले को उच्चतम न्यायालय में लाने का प्रस्ताव

3697. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय को यह समावेदन करने का है कि वह आपात-स्थिति के दौरान बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में दिए गए अपने निर्णय पर फिर से विचार करे; और

(ख) यदि नहीं, तो आपातस्थिति के पुनः लागू किये जाने की दशा में सरकार लोगों के नागरिक अधिकारों की किस प्रकार रक्षा करने का विचार रखती है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रस्ताव यह है कि अनुच्छेद 359 में संशोधन करके यह उपबन्ध किया जाए कि अनुच्छेद 21 के अधीन दिए गए अधिकार किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में न तो निलम्बित किए जा सकेंगे और न उनका प्रवर्तन निलम्बित किया जा सकेगा।

फेडरेशन आफ आल इंडिया पेट्रोलियम ट्रेडर्स की ओर से अभ्यावेदन

3699. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या फेडरेशन आफ आल इंडिया पेट्रोलियम ट्रेडर्स की ओर से, पर्वतीय स्टेशन-डीलरों को सिकुड़न-भत्ता देने, तेल कम्पनियों द्वारा लाइसेन्स शुल्क की वसूली तथा डीलरशिप करारों पर पुन-विचार संबंधी अन्य अनिर्णीत मामलों के बारे में कोई अभ्यावेदन इस बीच प्राप्त हो चुका है और भारत सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : जी हां, फैडरेशन को सूचना दे दी गई है कि लाइसेंस शुल्क और सिकुडन भत्ता सम्बन्धी प्रश्न का पुनरीक्षण किया जा रहा है तथापि यह पूरी तरह से बताना कठिन है कि किस तारीख से इन्हें लागू किया जायेगा क्योंकि बहुत सी पार्टियों से अभी इस सम्बन्ध में परामर्श लेना है। तेल कम्पनियों के साथ डीलरशिप के समझौते पर पुनर्विचार सम्बन्धी प्रश्न के मामले पर डीलरों और सम्बन्धित तेल कम्पनियों के बीच किया जायगा।

रेलवे सैलून

3700. **श्री अनन्त दवे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के बडे अधिकारियों द्वारा रेलवे सैलूनों का उपयोग किया जा रहा है,

(ख) यदि नहीं, तो गाडी के साथ बम्बई सेन्ट्रल पर एक सैलून क्यों जोड़ा गया था; और

(ग) यह सैलून मेहसाना पर क्यों खड़ा है तथा वह मेहसाना किस लिए लाया गया था ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेलवे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण यानों जिन्हें आम तौर पर सलून कहा जाता है, का निरीक्षण के लिए तथा ऐसे स्थानों पर ठहरने के लिए इस्तमाल किया जाता है, जहां उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं होता।

(ख) और (ग) : निरीक्षण यानों को विभिन्न स्थलों पर रखा / खड़ा किया जाता है । निरीक्षण यान बम्बई सेंट्रल से मेहसाना तक नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें आमान-परिवर्तन निहित है।

Complaints against Gazetted Officers

†3701. **Shri Phirangi Prasad:** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4607 on the 20th December, 1977 regarding number of complaints regarding corrupt practices by officers of Gorakhpur Headquarter and state:

(a) whether out of the complaints received against gazetted officers, enquiry is being conducted in two cases and one case has been registered;

(b) the designations of such officer and the stage at which the enquiry is going on as also the full facts of the cases;

(c) whether it is a fact that disposal of the case is being delayed; and

(d) if not, the reasons for such a delay ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes. Two complaints are being looked into by this Ministry. One case has been registered for investigation by the Special Police Establishment, Lucknow.

(b) The identity of the alleged corrupt officers, if any, would be known on the completion of the investigations by the Ministry and CBI, respectively. Two of these investigations are in an advanced stage. In a third case, a certain policy clarification is necessary in consultation with all the Railways. The matter is being pursued vigorously and is receiving prompt attention. Full facts of the cases will be known on completion of investigations in hand.

(c) No.

(b) Does not arise.

Selection of Grade I Work Inspectors

†3702. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that before the appointment of Third Pay Commission the Selection of Gr. I Work Inspectors, Permanent Way Inspectors, Bridge Inspectors, etc. in the Engineering Department was made by Deputy Chief Engineer and whether a new post of Additional Chief Engineer has also been provided following the recommendations of the Third Pay Commission ; and

(b) if so, the reasons for selection of Gr. I posts in the Engineering Department and being made by the Additional Chief Engineer ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes.

(b) Under extant orders the Selection Board to fill vacancies in grade Rs. 350-475(AS)/Rs. 550-750(RS) and above should consist of officers of Junior Adiministrative rank who are themselves senior officers. The question of holding selection of Gr. I Inspectors in the Engineering Department by an Additional Chief Engineer, therefore, does not arise.

पूर्वोत्तर रेलवे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

3703. **श्री शिव सम्पत्ति राम :**

श्री आर० डी० राम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 में 31-12-1977 तक इज्जतनगर, लखनऊ, समस्तीपुर तथा पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी डिवीजनों में और वर्कशापों तथा निर्माण विभागों में विभिन्न श्रेणियों के रेल कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी ;

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे के सभी डिवीजनों में विभिन्न श्रेणियों के ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जो प्रति वर्ष भर्ती अथवा पदोन्नति किए गए और उनमें से कुल कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजतियों तथा अन्य जातियों से सम्बन्धित हैं (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की सूची दी जाये) ; और

(ग) पूर्वोत्तर रेलवे के डिवीजनों में सभी श्रेणि यों के अंतर्गत उपरोक्त (क) भाग में उल्लिखित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये, आरक्षित पदों को पूर्ति में कमी को सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के माध्यम से पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : सूचना इकठ्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अस्थायी आधार पर रेल अधिकारी

3704. **श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में सैकड़ों अधिकारी जिनको संघ लोक सेवा आयोग के चयन द्वारा भर्ती किया गया था 15–20 वर्ष की सेवा कर चुकने के बाद भी अस्थायी आधार पर काम कर रहे हैं;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरुप वरिष्ठता और पदोन्नति दोनों की दृष्टि से उन्हें हानि होती है जो अन्य मंत्रालयों में व्याप्त प्रक्रिया के प्रतिकूल है;

(ग) इस वर्गीकरण का क्या आधार है और स्थायी संवर्गों में उन्हें क्यों नहीं खपाया गया है, और

(घ) क्या उन्हें पदोन्नति और वरिष्ठता से वंचित करने के लिए रेलवे संस्थापन संहिता को पिछली तारीख से लागू किया गया था जिससे याचिका कार्यवाही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से बचा जा सके ।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 1955 से 1967 के वर्षों के दौरान 1089 अस्थायी सहायक अधिकारियों को भर्ती किया गया था। उनमें से अब केवल 300 अस्थायी रह गये हैं और इसमें भी लगभग 109 निकट भविष्य में स्थायी रुप से समाहित कर लिय जायेंगे ।

(ख) वरिष्ठता निर्धारण और आगे श्रेणी I में पदोन्नती का प्रश्न केवल उनके श्रेणी I संवर्ग में स्थायी रुप से समाहित हो जाने के बाद ही उठता है। वरिष्ठता का विनियमन इस संबंध में निर्धारित विशिष्ट अनुदेशों के अनुसार किया जाता है ।

(ग) उन्हें अस्थायी के रुप में वर्गीकृत किया गया था क्योंकि उन्हें अस्थायी पदों पर भर्ती किया गया था। उन्हें स्थायी संवर्ग में वार्षिक कोटे में समाहित किया जाता है।

(घ) जो नहीं, वर्तमान अनुदेशों और उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, अस्थायी अधिकारी न तो श्रेणी I और न ही श्रेणी II के होते, सम्बद्ध कोड के उपबन्ध का संशोधन इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए किया गया था।

नई दिल्ली स्थित भारतीय तेल निगम् (विपणन डिवीजन) में पदोन्नतियों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

3705. **श्री रामचरण** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम (विपणन डिवीजन) में जैसा घोषित किया जा चुका है, 50 प्रतिशत पदोन्नतियां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षित की जा रही हैं जब तक कि प्रत्येक श्रेणी में उनका कोटा पूरा न हो जाये ;

(ख) यदि नहीं, तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है और इस मामले में आगामी नीति क्या है ?

(ग) दिल्ली में कुल कितने सहायक काम कर रहे हैं तथा उनमें से कितने अनुसूचित जातियों / जनजातियों के हैं;

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को अपेक्षित संख्या में अब तक पदोन्नतियां न देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित कोटा पूरा करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं और 30-3-76 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1547 के (ग) भाग के उत्तर के संदर्भ में इस दिशा में अब तक क्या प्रगती हुई है

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) से (ङ) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Arah Railway Station

3706. **Shri Chandradeo Prasad Verma**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state the action taken by the Ministry for the development of Arah railway station of Danapur Division on Eastern Railway?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): Arah Station has already been provided with requisite passenger facilities such as high level platforms, waiting halls, waiting rooms, retiring room, refreshment rooms, enquiry office etc. For the present, there is no proposal to expand these facilities further.

एन्टीबायोटिक तथा विटामिन औषधियों को राज-सहाय्यित मूल्यों पर बेचना

3707. **श्री गोविन्द मुण्डा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० जो कि आयात करने वाली एक सरकारी कम्पनी है, एन्टीबायोटिक्स तथा विटामिन औषधियों की बिक्री राज-सहाय्यिक मूल्यों पर कर रही है;

(ख) यदि हां, तो हानि का समायोजन किस प्रकार किया जाता है और कितनी हानि का समायोजन एल० बेस की बिक्री पर किया जाता है; और

(ग) एल० बेस का उपयोग जब एन्टीबायोटिक्स क्लोरेम्फेनिकील तथा क्लोरेम्फेनिकोल पाल्मीटेट के उत्पादन में किया जाता है, तो हानि का भार एल० बेस पर क्यों डाला जाता है और इस पर भी राज सहायता क्यों नहीं दी जाती ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) (1) स्टेट कैमिकल्स एण्ड फोर्मेस्यूटीकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० द्वारा वितरण किये जाने वाले सरणीबद्ध प्रपुंज औषधों के मूल्य सामान्यतः सी० सी० आई० एण्ड ई० फार्मूला के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। तथापि बिक्री मूल्यों को निर्धारित करते समय कुछ प्रपुंज औषधों पर अतिरिक्त हानि उठाते हुए कुछ अनिवार्य प्रपुंज औषध मूल्यों को यथा संभव कम स्तर तक लाने के लिए प्रयास किये जाते हैं।

(2) सी०पी०सी० द्वारा वितरित निम्नलिखित आयातित सरणीबद्ध प्रपुंज औषधों की बिक्री, इस समय, सी० सी० एण्ड ई० फार्मूला के आधार पर तैयार किए गए मूल्यों से कम मूल्यों पर की जाती है :—

औषध का नाम	आयात योजना 1977-78 मी० टन	सी० सी० आई० एण्ड ई० फार्मूला के आधार पर मूल्य रु०/कि० ग्राम	सरकार द्वारा मंजूर किए गए मूल्य रु०/कि० ग्राम
1. एम्पीसलिलिन सोड स्टेराइल (एन्टीबायोटिक) .	2.50	1977.10	1822.00
2. कैलशियम पेटोथेनट (विटामिन) .	22.00	168.10	123.00
3. क्वोरोक्यून फास्फेट (एन्टी मलेरिया) .	400.00	496.92	428.00 (पूल्ड मूल्य)
4. इन्डोमेथासिन	1.00	679.55	672.00
5. सल्फामेथोक्सोपोरी डाजाइन (सल्फा औषध) .	15.00	294.72	259.00
6. विटामिन-बी-6 (विटामिन) . .	35.00	605.55	551.00

14—105 LSSI(ND)/78

सरकार द्वारा मंजूर किए हुए मूल्यों पर सरणीबद्ध प्रपुंज औषधों के वितरण के कारण स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मेस्यूटीकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया के पास कोई अधिशेष अथवा कमी हो तो उनका आगामी वर्ष के लिए मूल्यों को निर्धारित करते समय समायोजन किया जाता है ।

(ख) और (ग) : देश में किसी भी एकक द्वारा क्लोरमफेनीकोल पाल्मीटेट के उत्पादन के बारे में सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । 1977–78 वर्ष के दौरान मूल स्तर से देशी उत्पादन और आयातों पर आधारित क्लोरमफेनीकोल का पूल्ड मूल्य 1 अगस्त, 1977 से 524.60 रुपये प्रति कि०ग्रा० से 586 रुपये प्रति कि० ग्राम तक संशोधित किए गए थे । देश में कई एकक एल-बेस का क्लोरमफेनीकोल में परिवर्तन कर रहे हैं और मूल स्तर/औषधों के पूल्ड मूल्य से उत्पादन के लिए निर्धारित मूल्यों पर बेचते हैं। इन एककों को सी० सी० आई० एण्ड ई० फार्मूला के अनुसार तैयार किए हुए 422 रुपये प्रति कि० ग्राम के मूल्य पर सी० पी० सी० से एल० बेस मिला होता अतः उन्हें ऐसे परिवर्तन से इच्छा न होते हुए लाभ हुआ होता ।

चूंकि एल-बेस का क्लोरमफेनीकोल में परिवर्तन एक तरफी कार्रवाई है जिसमें सरल प्रौद्योगिकी शामिल है इस लिए इस मूल स्तर से देश में क्लोरमफेनीकोल का उत्पादन स्थापित करने के दीर्घकालीन अवधि को ध्यान में रख कर वांछित नहीं समझा गया था और एल-बेस के लिए 650 रुपय प्रति कि० ग्राम निर्धारित किया गया था। इस कदम से यह सुनिश्चित हो जाता है कि एल-बेस से क्लोरमफेनीकोल में परिवर्तन से संबंधित एककों के लिए बहुत थोड़ा लाभ रह जाता है और इससे मूल स्तर से क्लोरमफेनीकोल के देशी उत्पादन, पूल्ड मूल्य और एल-बेस से क्लोरमफेनीकोल के लिए मूल्य समान रहेंगे। सी० सी० आई० एण्ड ई० फार्मूला के आधार पर मूल्य से एल-बेस के लिए कारपोरेशन को मंजूर किए गए अधिक मूल्य के कारण सी० पी० सी० के पास कोई अधिशेष हो तो उसका वर्ष 1978-79 के लिए सरणीबद्ध प्रपुंज औषधों का मूल्य निर्धारित करते समय समायोजन किया जाएगा।

रेलवे सेवा आयोग में सहायक सचिव

3708. **श्री युवराज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि रलवे बोर्ड ने समुचित चयन के बाद रेलवे सवा आयोग में सहायक सचिवों की नियुक्ति के लिए उपयुक्त कर्मचारियों की एक सूची तैयार की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितनों को सेवा आयोग में वर्तमान रिक्त पदों को ग्रहण करने के लिए पदयुक्त कर दिया गया है; और

(ग) क्या रेलवे सेवा आयोग में अब कोई अराजपत्रित कर्मचारी कार्यरत है और उसके स्थान पर समुचित रूप से चुने गये व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, हां ।

(ख) जिन व्यक्तियों का चयन हो चुका है उनमें से दो व्यक्तियों ने रेल सेवा आयोगों का कार्य-भार सम्हाल लिया है । दो अन्य अधिकारी जिनका चयन हो चुका है और उनकी तैनाती के आदेश अभी दिये जाने हैं, उन्होंने स्पष्टीकरण के लिए कुछ मुद्दे उठाये हैं, जिनके बारे में विचार किया जा रहा है ।

(ग) जी, हां। सहायक सचिव, रेल सेवा आयोग, मुजफ्फरपुर का पद इस समय तदर्थ आधार पर ऐसे व्यक्ति द्वारा भरा गया है जिसका प्रवरण नहीं किया गया था। मुद्दों का अपेक्षित स्पष्टीकरण हो जाने पर जिनके तैनाती आदेश दिये जाने हैं उन दो व्यक्तियों में से एक को या अनुमोदित पेनल में से किसी अन्य व्यक्ति को शीघ्र ही उसकी जगह पर लगा दिया जायेगा ।

Availability of Gas Cylinder in Mehsana, Gujarat

3709. **Shri Motibhai R. Chaudhary:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that new gas cylinders are not available for many years in the district headquarter Mehsana in Gujarat where natural gas and oil is found since the supply of burshane gas was stopped;

(b) whether indane gas is also not available and if so, the efforts being made to make it available immediately; and

(c) whether Government propose to assign the distribution of indane gas to Mehsana District Consumers Co-operative Federation to ensure supply of gas to Mehsana city and whether a demand has been made to this effect?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) Because of the limited availability of Liquefied Petroleum Gas (cooking gas) during the last three or four years, Bharat Petroleum Corporation have not been able to release new gas connections in the district headquarters of Mehsana, Gujarat.

(b) and (c): The present availability of Indane is fully committed and hence introduction of Indane in district headquarters of Mehsana can only be considered after additional product is available. In view of this, no action could be taken by the Indian Oil Corporation (IOC) on the application from Mehsana District Consumers Co-operative Federation for grant of LPG distributorship.

गुजरात में नैरो गेज लाइनें

3710. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि गुजरात में अब भी काफी नैरो-गेज लाइनें हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे कहां हैं, किन मार्गों पर हैं और कब से हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन नैरो-गेज लाइनों को एक क्रम-बद्ध तथा चरण-बद्ध कार्य-क्रमानुसार बड़ी लाइनों में बदलने का है ;

(घ) यदि हां, तो कैसे, कब तथा कितनी लागत पर ; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ङ) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) गुजरात में छोटे आमान की रेल लाइनों की सूची संलग्न है ।

(ग), (घ) और (ङ) : आमान परिवर्तन का काम उस समय किया जाता है जब किसी खंड की क्षमता का पूर्ण रूप से इस्तेमाल होने लग जाये और वह खंड अतिरिक्त यातायात को सम्हालने के लिए सक्षम न हो अथवा जब यानान्तरण इतना अधिक करना पड़े कि वह किफायती न रहे या बिल्कुल व्यावहारिक न हो अथवा जब आमान परिवर्तन, ऐसे क्षेत्रों में संचार के तीव्र तथा निर्बाध साधनों की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक हो, जिनके विकास की सम्भावना हो। गुजरात में, नदियाड से कपड़वंज तक 44.64 कि० मी० लम्बी छोटी लाइन के आमान परिवर्तन के काम को 1978-79 के बजट में शामिल कर लिया गया है और इस आमान परिवर्तन पर 4.05 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यह काम 9.43 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से, नदियाड से मोडासा तक (105.14 कि० मी०), बनायी जाने वाली बड़े आमान की लाइन का एक भाग है। 1978-79 के दौरान नदियाड और कपड़वंज के बीच आमान परिवर्तन के लिए 10 लाख रुपये के खर्च का प्रस्ताव किया गया है ।

अर्थक्षमता में वित्तीय दृष्टि से सुधार लाने के उद्देश्य से, छोटा उदेपूर-प्रतापनगर और छूछापुरा-टंखाला छोटी लाइन खंडों का आमान परिवर्तन करके इन्हें बड़ी लाइन में बदलने के लिए अलाभप्रद शाखा लाइन समिति की सिफारिश के परिणामस्वरूप, नवम्बर 1970 में यातायात सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, निकट भविष्य में इन खंडों पर होने वाले यात्री एवं माल यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे आमान की वर्तमान लाइनें पर्याप्त हैं। इस खंड पर यातायात के घनत्व और कर्षण पर होने वाले खर्च को ध्यान में रखते हुए, छोटे आमान की इन लाइनों का आमान परिवर्तन उचित नहीं है ।

निर्माण के समय इस क्षेत्र में प्रस्तावित नदी घाटी परियोजनाओं के लिए यातायात तथा इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद होने वाले सम्भावित यातायात को ध्यान में रखते हुए, अंकलेश्वर-राजपिपला छोटी लाइन के आमान परिवर्तन के सम्बन्ध में विचार किया गया है। यह देखा गया था कि इस परियोजना पर लगभग 10 करोड़ रुपये लागत आयेगी और यह अर्थक्षम नहीं होगी। छोटे आमान की वर्तमान लाइन इन परियोजनाओं के लिए यातायात की ढुलाई करने में सक्षम है। अतः फिलहाल इसके आमान परिवर्तन पर विचार नहीं किया जा रहा है।

शेष लाइनों के आमान परिवर्तन पर भी, फिलहाल, विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि धन की कमी है और यातायात की सम्भावनाएं सीमित हैं।

विवरण

क्र० सं०	खंड का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)	चालू करने का वर्ष
1	छूछापुरा-टंखाला	38	1923
2	कोसम्बा-उमरपाड़ा	62	1912/1929
3	झगडिया-नेत्रंग	31	1932
4	चोरांदा-मोतीकोरल	19	1921
5	सामनो-दहेज	39	1930
6	गोधरा-लुनावड़ा	41	1913
7	पीपलोद-देवगढ़ बारिया	16	1929
8	जोरावरनगर-सायला	27	1948
9	चांपानेर-शिवराजपुर	49	1911
10	डभोई-टिम्बा रोड	100	1913-1919
11	भरुच-जम्बूसर-कावी	76	1914/1929
12	अंकलेश्वर-राजपिपला	63	1897-1917
13	छोटा उदयपुर-जम्बूसर	150	1880/1917
14	चांदोछ-मालसर	87	1879/1921
15	नदियाड-कपड़वंज	45	1913
16	बिलीमोरा-वघई	63	1914/1929
17	नदियाड-फोज-भादरण	58	1914/1953
18	मोरवी-घांटिला	45	1904/1934
19	भावनगर-तलाजा-महुवा	109	1926/1938

कोट्टावालासा–किरन्दुल लाइन

3711. **श्री सरत कार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उड़ीसा में भारी यातायात के लिए कोट्टावालासा-किरन्दुल लाइन की क्षमता का मूल्यांकन करने के बारे में सर्वेक्षण पूरा कर लिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त क्षेत्र में भविष्य में यातायात परिवहन वैकल्पिक मार्ग के लिये एक और सर्वेक्षण किया गया था; और

(ग) उक्त दोनों प्रतिवेदनों के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और इस बारे में सरकार का अन्तिम निर्णय क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) जी हां,। वैकल्पिक मार्ग के लिए निम्नलिखित का सर्वेक्षण किया गया था :--

(i) दल्ली राजहरा-दांतेवाड़ा
(ii) दांतेवाड़ा-भद्राचलम्-कोव्वूर
(iii) किरुन्दुल-बालीमिला-वाल्तेरु
(iv) अमागुडा-लानजीगढ़ रोड
(v) दल्ली राजहरा-जगदलपुर

एक और सर्वेक्षण कोरापुट से सालूर / पार्वतीपुरम तक रेल लाइन के लिए शीघ्र ही शुरु किया जा रहा है।

(ग) उपर्युक्त मद (क) के अंतर्गत सर्वेक्षण दल ने जिन कामों की सिफारिश की थी उनमें लाइन क्षमता के तथा अन्य कुछ काम जैसे :--

(i) अतिरिक्त पार स्टेशनों की व्यवस्था,
(ii) टोकन रहित ब्लाक उपकरण लागू करना,
(iii) लाइन का बिजलीकरण,
(iv) वात ब्रेक आदि सहित बी० ओ० वाई० माल डिब्बों का उपयोग,
(v) घिसाई रोधी पटरियों से रेल पथ का नवीकरण,

के काम शामिल थे और इनकी मंजूरी दे दी गयी है। जब कभी आवश्यकता होगी शेष सिफारिशों के सम्बन्ध में कार्रवाई की जायेगी।

उपर्युक्त मद (ख) के अंतर्गत सर्वेक्षणों के संबंध में स्थिति यह है कि मद (i) से (iv) में उल्लिखित नयी लाइनों का निर्माण फिलहाल आवश्यक नहीं समझा गया है। जहां तक प्रस्तावित दिल्ली राजहरा-जगदलपुर लाइन का प्रश्न है, उसका निर्माण उसके लिए उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेगा।

Linking of Barauni Lucknow-Delhi

†3712. **Shri Ramjiwan Singh**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) when the work of linking Barauni with Lucknow-Delhi via Gorakhpur by a broad gauge line would be completed; and

(b) whether high priority cannot be given to the completion work of this line ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Barauni is already connected with Sonpur by a broad gauge line via Bachwara, Samastipur and Muzaffarpur. 51% of total conversion work between Sonpur and Barabanki has been completed and work from Sonpur to Barabanki is expected to be completed in about two and half years time.

(b) High priority has been given to this project and accordingly an outlay of Rs. 12.97 crores has been proposed in the budget for 1978-79.

राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के दौरान हुआ व्यय

3713. **श्री सी०के० जाफर शरीफ** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हाल ही के विधान सभा निर्वचनों के दौरान सरकार, अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों तथा अन्यों ने कितनी धनराशि खर्च की ; और

(ख) वर्ष 1976-77 में विधान सभा निर्वाचनों में हुए उक्त व्यय की तुलना में ये आंकड़े क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) : फरवरी, 1978 में हुए राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के और वर्ष 1977 में हुए राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के दौरान सरकार और अभ्यर्थियों द्वारा किए गए खर्च के बारे में जानकारी इट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी । वर्ष 1976 में किसी भी विधान सभा के लिए कोई निर्वाचन नहीं हुआ था ।

विधि में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसमें राजनीतिक दलों और अन्यों से निर्वाचनों पर उनके द्वारा किए गए खर्च की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई हो ।

कम्पनियों द्वारा विधान सभाओं के चुनावों में चन्दा देना

3714. **श्री के० प्रधानी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के विधान सभाओं के चुनावों के दौरान राजनैतिक दलों की कम्पनीयों द्वारा चन्दा देने का कोई मामला सरकार के ध्यान में आया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किये जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) कम्पनी कार्य विभाग द्वारा इस प्रकार का कोई मामला प्राप्त नहीं किया गया है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

औषधियों के मूल्य वृद्धि

3715. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या 1978 के औषध मूल्य नियन्त्रण आदेश के बावजूद कुछ औषधियों के मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या औषध निर्माताओं को औषधियों के मूल्य बढ़ाने के लिये अनुमति देने के लिए सरकार द्वारा कोई कसौटी निर्धारित की गई है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : औषधों के मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत कानूनी रूप से नियंत्रीत किये जाते है। परन्तु लघु पैमाने की एककें जिनका सूत्रयोगों का वार्षिक कुल विक्रय 50 लाख रुपये से कम, की अपने सूत्रयोगों के लिए मूल्य निर्धारण करने के लिए स्वीकृति लेने से छूट दी गई है।

(2) अन्य वस्तुओं की तुलना में औषधों और दवाइयों के थोक मूल्य के सूचक अंकों में (1970-71 में 100 के मूल्य पर) धीरे-धीरे वृद्धी हुई है जबकि अन्य वस्तुओं में वृद्धि तीव्र थी।

वर्ष	अन्य वस्तुएं	औषध और दवाइयां
1974-75	174.9	108.2
1975-76	173	118.7
1976-77	176.6	133.9

(3) तेल संकट के कारण, बाद में नवम्बर 1973 में कच्चे माल तथा मध्यवर्ती पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि हुई। इस विचार से, औषध निर्माण करने वाली एककों द्वारा की गई मूल्यों में वृद्धि पर विचार करना आवश्यक हो गया था। कच्चे माल की लागत तथा पेकिंग सामग्री की लागत को केवल तटस्थ घोषित करने के लिए सूत्रयोगों के अन्तरिम मूल्य संशोधन के लिए मार्गदर्शन इसलिए जुलाई 1974 में जारी किये गये थे, जिसकी एक प्रति (परिशिष्ट) संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-1874/78]**। इसके पश्चात् इन मार्गदर्शनों के अनुसार मूल्यों में संशोधन किये जायेंगे।

(4) औषध निर्माता वर्ष 1975-76, 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान उत्पादन शुल्क में वृद्धि / कमी की परिसीमा तक मूल्यों में अलग से संशोधन भी कर सकते हैं।

वातानुकूलित डिब्बे समाप्त करने का प्रस्ताव

3716. **श्री हितेन्द्र देसाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलवे से वातानुकूलित प्रथम दर्जा समाप्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में चरणबद्ध समय-सूची क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : यह विनिश्चय किया गया है कि पहले दर्जे के वातानुकूल स्थान में भविष्य में वृद्धि नहीं की जायेगी और पहले दर्जे के वातानुकूल सवारी डिब्बों का निर्माण नहीं किया जायेगा। अतः जब की वर्तमान सवारी डिब्बे आयु एवं हालत के आधार पर नकारा हो जायेंगे, तो वातानुकूल पहले दर्जे के सवारी डिब्बे धीरे-धीरे समाप्त कर दिये जायेंगे।

सब अर्बन सेक्शन का आसनसोल तक बढ़ाया जाना

3717. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री समर मुखर्जी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वी रेलवे में सब अर्बन सेक्शन के आसनसोल तक बढ़ाय जाने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) उपनगरीय क्षेत्र का आसनसोल तक विस्तार करने पर इसलिए सहमति नहीं हुई है क्योंकि इससे इस खंड पर भी सस्ते किराये में मौसमी टिकट जारी करने पड़ते जैसा कि कलकत्ता के उपनगरीय क्षेत्र में लागू है । फिर भी, इस खंड पर यात्रियों की सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए बर्दवान और आसनसोल के बीच 1-4-1978 से एक जोड़ी अतिरिक्त गाड़ियां चलायी जायेगी ।

भारतीय रेल कर्मचारी सेवा

3718. **श्री हरि विष्णु कामथ** : क्या रेल मंत्री रेलवे में दीर्घावधि सेवा वाले अधिकारियों को स्थायी किय जाने के बारे में 20 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4651 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सब विभागों में कर्मचारियों को खपाने के लिये वार्षिक कोटे में और वृद्धि करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय रेल कर्मचारी सेवा में कितने सम्बद्ध अधिकारियों को खपाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : छोटे में जो वृद्धि पहले हो की जा चुकी है वह संघ लोक सेवा आयोग से पूरी तरह परामर्श करने के बाद की गयी है । मौजूदा संवर्ग संरचना के अंतर्गत इसमें और अधिक वृद्धि करने से, भर्ती के अन्य स्त्रोतों से की जाने वाली सामान्य भर्ती पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

(ग) तीस ।

Committee to evaluate Work of Railway Employees

†3719. **Shri Iswar Chaudhury:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any committee has been set up recently to evaluate the work of the Railway employees; and

(b) if so, the terms of reference of the said committee ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narian): (a) & (b): In respect of employees of workshops on Indian Railways, a Tribunal known as the "Railway Workers' Classification Tribunal 1976" has been constituted; the terms of reference of this Tribunal are :

(a) to review the existing classification of jobs of artisan staff in all technical branches of workshops and maintenance of all departments — Mechanical, Signal & Telecom., Civil Engineering and Electrical and also other sectors where artisans are employed — and make recommendations where necessary for revision of the existing classification of unskilled, semi-skilled, skilled and highly skilled.

(b) to revise and update the standard trade tests prescribed and to prescribe new trade tests where necessary.

(c) to recommend uniform designations for such staff, who are doing the same kind of duties on various railways but under different designations.

त्रिवेन्द्रम में नया डिवीजन

3720. **श्री ए० सुन्ना साहिब** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में एक नया डिवीजन, जिसका मुख्यालय त्रिवेन्द्रम में होगा, खोलने का निर्णय लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो डिवीजन का क्षेत्राधिकार क्या होगा तथा डिवीजन के लाभप्रद ढंग से कार्य करने सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्तावित तिरुवनन्तपुरम मंडल का अधिकार क्षेत्र विचाराधीन है । अन्तिम निर्णय अन्य बातों के साथ-साथ, मंडल की आर्थिक कार्य-प्रणाली को ध्यान में रखते हुए लिया जायेगा ।

न्यू जलपाईगुड़ी-दार्जिलिंग लाइन

3721. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जीलिंग के बीच नई रेलवे लाइन आरम्भ करने की कोई योजना विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग पहले से ही छोटी रेलवे लाइन से जुड़े हुए है ।

Demand of Wagons by M.P.

†3722. **Shri Y. P. Shashi**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Government has made a demand to the Ministry for Railway wagons for the movement of forest produce such as timber, bamboos, etc., and if so, the number of wagons demanded in 1977-78 the number of wagons actually made available to them;

(b) whether only 50 per cent of the demand of the State Government is met and if so, the reasons therefor; and

(c) whether their demand for wagons for 1978-79 will be met in full ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) & (b): Against the demand for 4855 wagons received from Madhya Pradesh Government for loading forest produce, 4629 wagons were loaded during 1977-78 (upto 10-3-1978).

(c) Every endeavour will be made to meet the demand in full.

Material for Translation into Hindi

†3723. **Shri Sharad Yadav:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of pages of the material of statutory rules received for translation in Hindi in the legislative Department ;

(b) the number of pages out of them which were received more than five years back and have not been translated so far; and

(c) the reasons for delay in translation thereof and the steps being taken for the creation of additional posts and filling them up for ensuring early disposal of this work ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nar Singh): (a) 48953 pages of statutory rules have been received by the Legislative Department for translation into Hindi, upto the 20th February, 1978.

(b) Out of 48953 pages, 47303 pages have been translated and returned to the Ministries/Departments concerned. Out of the 1650 pages which remain to be translated, there is no portion more than 5 years old.

(c) There is no delay in the translation of the rules received from the Ministries/Departments. A constant review is done regarding the work-load. It has not been considered necessary to create additional posts for the volume of work now on hand.

रेलवे लाइनों की सुरक्षा के लिये रेलवे सुरक्षा बल को लगाना

3724. **श्री अहसान जाफरी.** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल कर्मचारियों को उन सामान्य ड्यूटी के अतिरिक्त रेलवे लाइनों की सुरक्षा का कार्य भी सौंपा गया है ;

(ख) क्या उक्त कार्य रेलवे सुरक्षा बल को सौंपने से पूर्व रेलवे लाइनों की सुरक्षा का पूरा दायित्व राज्य पुलिस पर था;

(ग) यद्यपि रेलवे सुरक्षा बल पूर्ण तया रेलवे बल है फिर भी अन्य रेलवे कर्मचारियों को उपलब्ध होने वाली, रात्रि भत्ता, काम के घंटे, समयोपरि भत्ता आदि जैसी सुविधाओं को रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को देने से इंकार किया जाता है ; और

(घ) उपर्युक्त समस्याओं के बारे में सरकार का क्या रुख है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : जी, हां ।

(ग) और (घ): रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को रात्रि और समयोपरि भत्ते नहीं दिये जाते । जहां तक काम के घंटों का सम्बन्ध है, वे सामान्यतया, 8 घंटे काम करते हैं। रेलवे सुरक्षा दल अधिनियम, 1957 की धारा 15 के अनुसार दल के सभी अधिकारी और कर्मचारी हमेशा ड्यूटी पर समझे जाते हैं इसलिए उनके लिए समयोपरि भत्ते का प्रश्न नहीं उठता । जहां तक रात्रि ड्यूटी भत्ते का सम्बन्ध है, इस मांग की जांच की जा रही है ।

रेल इंजनों का निर्माण

3725. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने रेल इंजनों तथा डिब्बों के निर्माण के बारे में विदेशों पर निर्भरता को कम करन के लिये एक अभियान चलाया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे इस कार्य में बहुत सफल हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो यह निर्भरता कहां तक कम हुई है ;

(घ) यह लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ;

(ङ) क्या इन डिब्बों के निर्माणार्थ कम से कम 1195 मदें अब भी आयात-सूची में शामिल हैं ; और

(च) यदि हां, तो पूर्ण आत्मनिर्भरता कब तक प्राप्त हो जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : जी, हां ।

(ग) रेलवे की कुल खरीद में आयातित भण्डार का अनुपात 1951-52 के लगभग 23% से घट कर 1976-77 में 7% हो गया है ।

(घ) अब आयात केवल उन्हीं अनिवार्य महत्वपूर्ण और परिष्कृत मदों तक सीमित होता है जिनके लिए विशेष तकनीकी जानकारी के अन्तरण और भारी निवेश जिसे सीमित मात्रा में सामान की खरीद के लिए उचित न ठहराया जा सकता हो, की जरुरत हो । इसलिए आयात को कम करना तो सम्भव है परन्तु बिल्कुल समाप्त करना सम्भव नहीं है ।

(ङ) जी नहीं । सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए केवल चार मदें ही आयात की जाती हैं ।

(च) सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए लगभग 2 प्रतिशत सामान का आयात किया जाता है जिसमें विशेष किस्म के इस्पात की चद्दरें और प्लेटें तथा बिजली गाड़ी के डिब्बों के लिए कुछ रोलर बियरिंग और पहिये शामिल है। इन मदों का स्वदेश में विकास करने के लिए प्रयास किये जा रहे है लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता कि पूर्ण आत्मनिर्भरता कब तक प्राप्त हो जायेगी ।

जापान द्वारा हल्दिया में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना

3726. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान हल्दिया में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना में सहायता देने पर सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख): जापान की कई कंपनियों हल्दिया ने में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना में सहायता देने के लिए कुछ रुचि प्रकट की है। तथापि, आशय पत्र के धारक पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम द्वारा जापान की कंपनियों के साथ सहयोग के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है ।

Reinstatement of Class IV Employees

3727. **Shri R. L. P. Verma:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of class IV employees reinstated so far during emergency and thereafter by the Divisional Superintendent at Dhanbad and Asansol; and

(b) the number of local inhabitants reinstated in these Divisions and their average of the total appointments and the full facts thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) & (b): The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

अनैमित्तिक श्रमिकों को खपाना

3728. **श्री के० रामामूर्ति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनैमित्तिक श्रमिकों को खपाने आदि के बारे में उन की शिकायतें हल करने की दृष्टि से उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) विभिन्न रेलों में अब तक कितने आकस्मिक श्रमिक खपाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने के प्रश्न पर श्रमिक संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया गया था और विचार-विमर्श के फलस्वरूप यह विनिश्चय किया गया था कि कुछ क्षेत्रों में नैमित्तिक श्रमिक नियोजित किये ही न जायें। इनमें कारखानें, लोको शेड, गाड़ी बत्ती संस्थापनाएं, सवारी और माल डिब्बा डिपो यार्ड और स्टेशन शामिल हैं, लेकिन माल चढ़ाने-उतारने के लिए तथा सिविल इंजीनियरी, सिगनल और पुल अनुरक्षण सम्बन्धी मौसमी कामों के लिए नियोजित किये जाने वाले श्रमिक शामिल नहीं है। यह भी विनिश्चय किया गया था कि उपर्युक्त विनिश्चय के अनुसार, जिन स्थानों पर नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति अनुमेय न हो, वहां रेल प्रशासनों द्वारा समय-समय पर संवर्ग समीक्षा की जानी चाहिए और यथा अपेक्षित नियमित पदों का सृजन किया जाना चाहिए। उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित

करने के लिए जून 1974 में रेलों को निदेश जारी कर दिये गये थे। यह भी विनिश्चय किया गया है कि सिविल इंजीनियरी, सिगनल और पुल अनुरक्षण में निरीक्षकों की संस्थापना में संवर्ग समीक्षा की जानी चाहिए ताकि जहां नैमित्तिक श्रमिकों के लिए तीन वर्ष या इससे अधिक समय के लिए स्वीकृति दी गयी हो, वहां नियमित पदों का सृजन किया जा सके।

2. इसके अलावा, चतुर्थ श्रेणी के नियमित पदों को केवल नैमित्तिक श्रमिकों/एवजियों में से ही भरने के लिये एक नयी कार्यविधि दिसम्बर 1969 से लागू की गयी थी, जिससे परियोजनाओं में अथवा अन्यत्र नियोजित उन नैमित्तिक श्रमिकों/एवजियों और अस्थायी मजदूरों के नाम जिन्होंने चार माह के निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो, पैनल में रखने के लिये छानबीन समितियों द्वारा विचार किया जाता है, चयन बोर्डों द्वारा नहीं। तब से, लगभग 1.24 लाख नैमित्तिक श्रमिक/एवजी चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्त किये जा चुके हैं और अन्य 26 हजार व्यक्तियों को नियमित पदों में समाहित करने के लिए छानबीन की जा चुकी है।

औषधियों के मूल्य

3729. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध मूल्य नियन्त्रण आदेश और औषध किस्म नियंत्रण आदेश के उपबन्धों का अनेक विदेशी तथा भारतीय औषध कम्पनियों द्वारा पालन न किए जाने के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या इससे देश में औषधियों के मूल्य बढ़े हैं तथा घटिया किस्म की औषधियों का निर्माण हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) औषधों के मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के अन्तर्गत कानूनी तौर पर नियंत्रित है। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 की धाराएं राजकीय औषध नियंत्रण अधिकारियों द्वारा देश में लागू की जाती हैं। "औषध क्वालिटी नियंत्रण आदेश" नामक कोई आदेश नहीं है। औषधों के उत्पादन तथा विक्रय के उपर क्वालिटी नियंत्रण राज्य सरकारों द्वारा राजकीय औषध नियंत्रण अधिकारियों द्वारा औषध एवं कास्मेटिक अधिनियम 1940 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत किया जाता है। राजकीय निरीक्षक उन स्थानों का निरीक्षण करते हैं जहां औषधों का उत्पादन तथा विक्रय किया जाता है ताकि औषधों की सामान्य क्वालिटी को सुनिश्चित किया जा सके। इन दो आदेशों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई सामान्य शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। जब कभी इन आदेशों के उल्लंघन के सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर उपर्युक्त कार्रवाई की जाती है।

(ख) और (ग) : चूंकि औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 की धाराओं के साम सामान्य था समस्त उल्लंघन की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, इसलिए इस कारण, औषध मूल्यों में सामान्यवृद्धि का कोई प्रश्न नहीं उठता।

परन्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में थोक औषध मूल्य के सूचक अंकों में (1970-71 में 100 के मूल्य पर) धीरे-धीरे वृद्धि हुई है जबकि अन्य वस्तुओं में वृद्धि तीव्र थी।

वर्ष	अन्य वस्तुएं	औषध और दवाइयां
1974-75	174.9	108.2
1975-76	173.00	118.7
1976-77	176.6	133.9

यद्यपि देश में बनाई गई औषधों की क्वालिटी का पता लगाने के लिए कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है परन्तु केन्द्रीय तथा राजकीय औषध नियंत्रण संगठनों द्वारा की गई जांच में 1973-74 और 1974-75 में क्रमशः केवल 1.4 प्रतिशत तथा 1.3 प्रतिशत सम्पल सामान्य क्वालिटी के नहीं पाय गये थे।

क्वालिटी के स्तर पर कड़ी निगरानी रखने के लिए राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किये गये औषध निरीक्षकों को केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठन द्वारा प्रबन्ध किये गये कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण देकर उनकी तकनीकी सक्षमता को आधुनिकतम बनाया जाता है। केन्द्रीय एवं राजकीय प्रयोगशालाओं में परीक्षण सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, तथा केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठन के निरीक्षकों तथा राज्य औषध निरीक्षकों द्वारा संयुक्त रूप में निरीक्षण किये जाते हैं तथा जिन मामलों में फर्म क्वालिटी में सुधार तथा दोषों में सुधार नहीं कर सकती है, उपर्युक्त कार्रवाई जिसमें अन्य बातों के साथ साथ लाइसेंस का रद्द करना/दंड देना आदि शामिल है, की जाती है।

औषध के मूल्यों पर भी राजकीय औषध नियंत्रण अधिकारियों द्वारा निरन्तर निगरानी रखी जाती है। जब कभी मूल्यों में संशोधन किया जाता है, अलग अलग कम्पनियों को जारी किये गय संशोधन नोटिस की एक प्रति राजकीय औषध नियंत्रकों को इस विचार से भेजी जाती है कि वे सुनिश्चित करें कि निर्माताओं/व्यापारियों द्वारा प्राप्त किये जा रहे मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के उपबन्धों के अनुसार हैं तथा आदेश के अन्य उपबन्धों का सामान्यतः अनुपालन किया जा रहा है।

दिल्ली रेल्वे स्टेशन का विस्तार

3730. **श्री कंवर लाल गुप्त :**

श्री सरत कार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली रेलवे स्टेशन के विस्तार तथा यात्रियों को अतिरिक्त सुविधायें उपलब्ध करने के लिये कितनी धन राशि निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा नई दिल्ली स्टेशनों को केवल यात्री गाड़ियों के लिये उपयोग किया जायेगा और माल यातायात अन्य दूसरे स्थानों की ओर मोड़ा जायेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने दिल्ली में मुद्रिका रेल के विद्युतीकरण की परियोजना स्वीकार कर ली है ;

(ङ) परियोजना का ब्यौरा क्या है और यह किन-किन क्षेत्रों से गुजरेगी;

(च) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) दिल्ली स्टेशन पर अतिरिक्त यात्री टर्मिनल सुविधाओं के विकास के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट मिल जाने के बाद ही इस परियोजना के बारे में निर्णय लेना और धन की व्यवस्था करना सम्भव होगा।

(ख) और (ग) इस समय दिल्ली स्टेशन पर माल यातायात की सम्हलाई नहीं की जाती है। फल और सीमेन्ट यातायात को पहले ही, नयी दिल्ली स्टेशन से क्रमशः आजादपुर और शकूरबस्ती में अन्तरित कर दिया गया है और खनिज यातायात को भी शीघ्र ही तुगलकाबाद अन्तरित किये जाने का प्रस्ताव है। सामान्य माल यातायात को नयी दिल्ली स अन्तरित करने के बारे में अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) : लाजपतनगर, सेवानगर, लोधी कालोनी, सरोजिनी नगर, दिल्ली सफदरजंग, मोतीबाग, बरार स्कवेयर, पटेल नगर और शकूरबस्ती तक मुख्य लाइन के रास्ते दयाबस्ती से हजरत निजामुद्दीन तक चलने वाली परिक्रमा रेलवे के विद्युतीकरण का एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव के बारे में अभी तक अन्तिम रूप से कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

(च) और (छ) : अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें विभिन्न सुझाव दिये गये हैं।

Issue of Licences to Private Sector for production of Gas

3731. **Shri Subhash Ahuja:**
Shri Yagya Datt Sharma:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether keeping in view the demand for cooking gas Government propose to issue licences to private sector for encouraging its production; and

(b) if so, the details of the scheme in this regard ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) & (b) : L.P.G. is produced in the refineries all of which, with the exception of Digboi refinery of Assam Oil Company, are in the public sector. A Letter of Intent was, however, issued to Oil India Limited for the extraction of LPG upto 50,000 tonnes per annum from natural gas. The details of the scheme are being worked out by the Company.

विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा लाइसेंसों के लिये आवेदन-पत्र

3732. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी औषध कम्पनियों की संख्या और नाम क्या है जिन्होंने विदेशी कम्पनियों से कैरी आन बिजनेस परमिटों पर नय औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्र भेजे हैं ;

(ख) उन कम्पनियों के नाम और संख्या क्या है जिनको अनुमति दी गई है ;

(ग) क्या किसी भारतीय कम्पनी ने भी आवेदन-पत्र भेजा है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) निम्नलिखित 5 विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों ने वर्ष 1977-78 में अपना कारोबार जारी रखने के लिये औद्योगिक लाइसेंस हेतु पत्र आवेदन-पत्र दिये हैं :—

(1) मैसर्स कार्टर वालेस

(2) मैसर्स ज्योफरी मैनर्स

(3) मसर्स साइनामाइड (इंडिया) लि०

(4) मैसर्स इथनौर लि०

(5) मैसर्स यूनी-सैंको

(ख) ये सभी आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ग) और (घ) : जी हां । 1977-78 में एक भारतीय कम्पनी, अर्थात् मैसर्स यूनिक कैमिकल्स बम्बई ने कारोबार जारी रखने के लिये लाइसेंस हेतु 27-1-78 को आवेदन पत्र दिया है । इस पर सरकार सक्रिय रुप से विचार कर रही है । इस कम्पनी ने जिन मदों के लिये आवेदन-पत्र दिया था उनको अनुबन्ध में दर्शाया गया है ।

विवरण

प्रपुन्ज औषध	सूत्रयोग
क्लोरमफेनीकल पावडर . . .	हिनोक्स इन्जैक्सन
ऑक्सीफैन बुटाजोन पावडर . .	नूराजोन मरहम
डीइथाइल-एल-बुटाइल मेलोनेट	सोडियम पी०ए०एस० ग्रेड
ब्रोजी क्वूनोलारन . .	पेन्टाजोकिन गोलियां
मेबाइल पैराबेन (इनसोल्युबल)	मैट्रोजील सस्पेंशन
मेबाइल पैराबिन (सोल्यूबल) .	इफिरल कट्रिजज
	मेबाइल डोपा गोलियां
प्रोपाइल पैराबन .	इफिरल नासल स्प्रे
मैट्रोनिडजोलड	पन्टाजोसिन इन्जैक्शन
मेथाइल फोरमेट	
डी-आइडोहाइडोक्सी क्विनोलाइल बेन्थोलैक्सीलेट	
2-मेथाइल इमिडाजोल	
निपासैल प्लेन	

बजबज-नामखाना रेल लाइन

3733. **श्री पायस टिर्की** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) बजबज-नामखाना रेल लाइन (पश्चिम बंगाल) का निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा तथा इस कार्य के पूरा होने में कितना समय लगेगा ; और

(ख) यह रेल लाइन किन मुख्य नगरों/कस्बों में होगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : संरेखण को अंतिम रुप देने के उद्देश्य से प्रस्तावित बजबज-नामखाना लाइन के अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण को 1978-79 के बजेट में शामिल कर दिया गया है । यह लाइन किन किन शहरों/कस्बों में होगी, उनके नामों का उल्लेख इस स्थिति में नहीं किया जा सकता । सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ही इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय देना हो सकेगा ।

सोनपुर-लखनऊ सैक्शन में लाइन का बदला जाना

3734. **श्री द्वारिकानाथ तिवारी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के सोनापुर लखनऊ सैक्शन पर रेलवे लाइन को मीटर गेज से बड़ी लाइन में बदलने का काम धीमी गति से चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख): जी नहीं । इस खण्ड के आमान परिवर्तन का काम काफी प्रगति पर है और अब तक कुल 51 प्रतिशत कार्य हो चुका है । चालू वर्ष के दौरान, इस परियोजना के लिए 8.545 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं और इस राशि को 1978-79 में बढ़ाकर 12.97 करोड़ कर देने का प्रस्ताव है ।

Overbridge at Hanumangarh

†3735. **Shri Hari Ram Makkasar Godara:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether lakhs of people are facing a lot of difficulties in the absence of a railway overbridge at Hanumangarh; and

(b) when a final decision is likely to be taken on the suggestions made in this regard and the expenditure involved in the construction of this bridge ?

The Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain): (a) Some inconvenience is caused to road users whenever the level crossing near Hanumangarh is closed to road traffic for the passage of trains.

(b) A proposal for the replacement of the existing level crossing by a road over-bridge has been sponsored by the Rajasthan State Government and the same is under consideration by the Northern Railway. As the detailed estimates and drawings for the approaches of the over-bridge are still awaited from the State Government, the overall cost of the scheme has not been worked out so far. A final decision (which will also depend on the availability of funds) will be taken after necessary details are received from the State Government.

उर्वरकों का उत्पादन और खपत

3736. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1977 में उर्वरकों के उत्पादन और खपत म वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन और खपत में वृद्धि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) वर्ष 1978 में उर्वरक की कितनी खपत होने को सम्भावना है ;

(घ) क्या उर्वरक का उत्पादन हमारी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा ;

(ङ) क्या मांग को पूरा करने के लिए विदेशी सहायता मांगी जायेगी ; और

(च) यदि हां, तो कितनी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान उर्वरकों की खपत और उत्पादन निम्नलिखित है :—

(न्यूट्रेन्टस के रूप में लाख मी० टन में मात्रा)

वर्ष	उत्पादन		खपत		
	नाईट्रोजन	फास्फेट	नाइट्रोजन	फास्फेट	पोटाश
1976-77 .	19.00	4.80	24.57	6.35	3.19
1977-78	20.00	6.70	28.88	8.27	4.69

(नवीनतम अनुमान)

पोटाश (के 20) का देशीय उत्पादन नहीं होता है ।

(ग) वर्ष 1978-79 के दौरान उर्वरकों की खपत का निम्नलिखित अनुमान है :—

(लाख मी टन में० मात्रा)

नाईट्रोजन	फास्फेट	पोटाश
35.50	9.50	4.80

(इ) जी, नही

(ङ) और (च) : देशी उत्पादन और मांग के बीच में अन्तर को पूरा करने को ध्यान रख कर विभिन्न स्रोतों स आयाती की आंशिक रूप में नि:शुल्क विदेशी मुद्रा और आंशिल्क रूप में ऋण तथा रुपयों में भुगतान से व्यवस्था की जाती है ।

Gang engaged in stealing Railway Goods

†3737. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2765 on the 6th December, 1977 and state :

(a) whether a gang of ten thieves engaged in stealing rails and railway goods has been apprehended and if so, the stolen goods recovered as a result of investigations made so far; and

(b) whether the gang apprehended is that of professional thieves which has been engaged in such activities for years and if so, the names of those thieves and action taken against them so far ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes. A gang of 10 thieves was arrested on 31-7-1977. During the course of investigation, one stolen rail line was recovered.

(b) The criminals were not found involved in any other crime. Names of persons arrested are given below :—

1. Maiku Lal.
2. Kalloo.
3. Hamid Khan.
4. Miraj.
5. Mannu alias Sarwan Ali.
6. Mustafa.
7. Hari Saroop.
8. Baboo Lal.
9. Hari Ram.
10. Surajdeen.

A complaint for prosecution of the above accused persons has been filed in the court under Section 3 RP (UP) Act and the case is pending trial.

Double Railway line laid at Udaigarh Station

3738. **Shri Hira Bhai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a double railway line was laid many years ago at the Udaigarh station of Ratlam division on the Western Railway and whether hundreds of passengers board and alight from the trains on the station daily but a pedestrian overbridge has not been constructed there so far to enable the passengers to go from one platform to another as a result of which they are facing great inconveniences; and

(b) if so, whether an over-bridge will be constructed at Udaigarh station to solve the problem of the passengers there ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) & (b) Udaigarh is situated on Godra-Ratlam double line section of the Western Railway. The station is provided with Up and Down platforms but no foot over bridge is provided at present at this station.

Construction of foot over-bridges at stations is programmed according to the requirement of traffic and availability of funds etc.

At present there is no proposal to construct a foot over-bridge at this station.

तदर्थ आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रस्ताव

3739. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बित मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए, विभिन्न उच्च न्यायालयों में सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ आधार पर न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या होगी और सेवा संविदा की शर्तें क्या होंगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) : उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में बठने और कार्य करने के लिए सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छद 224 क के उपबंधों के अनसार की जाती है। इस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति किसी भी समय, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, किसी व्यक्ति से, जो उस न्यायालय के या किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, उस राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा । ऐसे न्यायाधीश इस प्रकार बैठने और कार्य करने के काल में, ऐसे भत्तों के हकदार हैं, जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करें। एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति ने संविधान के अनुच्छेद 224 क के अधीन उस उच्च न्यायालय में एक सेवा-निवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति मांगी है । इस विषय पर विचार किया जा रहा है ।

Prices of Insecticides and Zinc Phosphate

3740. **Shri Rajendra Kumar Sharma**: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether Government have received any suggestions to reduce prices of insecticides, zinc phosphate etc.; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State for Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a) & (b): Government have been considering various measures for bringing down the prices of pesticides so that they are within the reach of the farmer. In this regard the Bureau of Industrial Costs & Prices was requested to undertake a cost study in respect of the major items of pesticides manufactured in the country. The report of the Bureau of Industrial Costs & Prices indicated some scope for reduction in prices. A dialogue was, therefore, held with the industry as a result of which the manufacturers have reduced the prices of a number of items of pesticides ranging upto 12%. Government have also recently withdrawn excise duty on pesticides. Besides the Chief Ministers have been requested to exempt pesticides and raw materials used in the manufacture of pesticides from imposition of sales tax, octroi duty and other local levies.

लोको रनिंग स्टाफ शिकायत समिति

3741. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 अगस्त, 1973 को लोक सभा में की गई एक घोषणा के अनुसार नियुक्त की गई लोको रनिंग स्टाफ शिकायत समिति आन्तरिक आपात स्थिति लागू होने के बाद भंग कर दी थी ;

(ख) क्या उक्त समिति ने अपना काम पूरा कर लिया था तथा कर्मचारियों की सहमति से इस को भंग किया गया था ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उक्त समिति को पुनर्जीवित करके आपात स्थिति से पूर्व की स्थिति बहाल करने का है ;

(घ) क्या कर्मचारियों की ओर से ऐसी मांग की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ङ) : लोको रनिंग कर्मचारी शिकायत समिति एक तदर्थ समिति थी जिसका गठन 1973 में कुछ मुद्दों पर विशिष्ट रूप से विचार करने के लिए किया गया था, जिनमें रनिंग कर्मचारियों के लिए 10 घंटे की ड्यूटी लागू करने के ढंग और तरीके पर विचार करना भी शामिल था । अपना काम पूरा कर लेने तथा मेल/एक्सप्रेस/सवारी गाड़ियों और माल गाड़ियों के लिए चरणबद्ध तरीके से 10 घंटे की ड्यूटी कार्यान्वित करने का कार्यक्रम निर्धारित करने के बाद इस समिति को अगस्त, 1975 में भंग कर दिया गया था ।

यह मांग की गयी है कि इस समिति का पुनर्गठन किया जाय, परन्तु जैसा कि पहले कहा गया है, यह केवल एक तदर्थ समिति थी जो किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए बनायी गयी थी और उसके पुनर्गठित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

सियालदह-लक्ष्मीकान्तपुर लाइन का विस्तार

3742. **श्री मुकुन्द मंडल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के दक्षिणी सक्शन पर सियालदह-लक्ष्मीकान्तपुर लाइन को बरास्ता कलपी काकद्वीप तक बढ़ाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह काम कब तक आरम्भ कर देने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) से (ग) : कुलपी के रास्ते लक्ष्मीकान्तपुर से काकद्वीप तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए यातायात सर्वेक्षण पूरा हो चुका है । सर्वेक्षण से पता चला है कि यह लाइन 30 कि०मी० लम्बी होगी और इस पर 3.77 करोड़ रुपये लागत आयेगी । चूंकि इस लाइन पर पर्याप्त यातायात नहीं हो पायेगा अतः इसके निर्माण का फिलहाल औचित्य नहीं है ।

हल्दिया में पैराफिन मोम कारखाना

3743. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ समय पूर्व पेट्रोसिल लिमिटेड ने जिस में अमरिकी गल्फ आयल कंपनी के 40 प्रतिशत शेयर हैं; हल्दिया में पैराफिन मोम कारखाने की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस प्रस्ताव के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र में मद्रास और बरौनी शोधनशाला में प्रस्तावित पैराफिन मोम निर्माण की अतिरिक्त क्षमता को ध्यान में रखते हुए मांग की दृष्टि से हल्दिया में अन्य पैराफिन मोम संयंत्र का स्थापना के लिए मैसर्स पेट्रोसिल लिमिटेड का प्रस्ताव न्यायोचित नहीं था। इसलिए इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया।

क्लोरेम्फेनिकाल के मूल्य

3744. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एल० बेस का बड़ी मात्रा में आयात किये जाने के कारण, जो जनवरी और फरवरी, 1978 में आ चुका है और अभी तक आ रहा है, खुले बाजार में क्लोरेम्फेनिकाल के मूल्यों में भारी गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सरकार को 27-9-1977 से पूर्व खोले गय विभिन्न साख-पत्रों के कारण बड़ी मात्रा में आ रहे आयात का सामना करने के लिये सरकारी माध्यम से आयात कर रही एजेंसी द्वारा वितरित एल०-बेस के मूल्य कम करने के लिये उद्योग से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस रुचि रखने वाले कछ अधिकारी सरकारी माध्यम से आयात कर रही एजेंसी द्वारा वितरित एल०-बेस के मूल्य कम करने में देरी कर रहे हैं ताकि उन पार्टियों को जिन्होंने आर०ई०पी०लाईसेन्सों पर एल०-बेस का आयात किया है, इस स्थिति से लाभ मिल सके; और

(घ) उस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) यह रिपोर्ट मिली है कि बम्बई बाजार में क्लोसमफेनीकल के मूल्य दिसम्बर, 1977 में 570/580 रुपये प्रति किलो ग्राम से घटकर फरवरी/मार्च, 1978 में 510/520/515 रुपये प्रति किलो ग्राम रह गये हैं। यह भी पता लगा है कि 1-1-78 से 14-3-78 तक सी० पी० सी० के माध्यम से किय गये आयात के अलावा 10.15 टन बम्बई के बन्दरगाह पर प्राप्त हुआ है।

(ख) यह अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सी०पी०सी० द्वारा सप्लाई किये जाने वाले एल०-बेस के विक्री मूल्य कम किये जान चाहिए।

(ग) और (घ) : वा० आई० सा० पा० न अपना रिपोर्ट झाल हा में प्रस्तुत की है, उन्हें यह कहा गया था कि वे दो लघु उद्योग एककों क एल०-बेस का क्लोरमफेनिकल में बदलने को लागत संबंधा जांच करक एल०-बेस के शुद्ध विक्रा मूल्य के बारे में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह रिपोर्ट विचाराधान है और अन्तिम निर्णय शाघ्र लिया जायेगा।

Mandla—Amarkantak

†3745. **Shri Shyamlal Dhurve:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Government have undertaken survey work for laying railway line from Mandla to Amarkantak Painda, backward Adivasi area in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the reasons for not giving priority to this work ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) and (b) : No survey for this line has so far been made. It is not proposed to take up the project on account of severe constraint of resources at present.

हसनपुर–मंगलौर रेलवे लाईन

3746. **श्री के० मालन्ना :** क्या रेल मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) हसनपुर क मंगलौर रेलवे लाईन कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ख) क्या इस लाईन को ब्राडगेज लाईन में बदलने के लिए कोई प्रावधान किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) आशा है कि 31-12-1978 तक इस लाईन का काम पूरा हो जायेगा।

(ख) पुलों क सुरंग और उपमार्ग बड़े आमान के मानक के अनुरूप बनाये गये हैं ताकि बाद में आवश्यक हाने पर मीटर लाईन को बड़ा लाईन में बदलने में सुविधा हो सके।

R.P.F. Personnel Retired

3747. **Shri Ramanand Tiwary:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of employees from Jawans to Inspector of the Railway Protection Force on North-Eastern Railway retired during the emergency under rule 47 ;

(b) whether the Ministry had issued order that their higher officers should examine all these cases to reinstate them;

(c) the number of persons, out of them, reinstated so far and the number of employees to be reinstated further; and

(d) the reasons for not reinstating the remaining employees so far ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) 146 Railway Protection Force employees, from Rakshak to Inspector were removed (not retired) from service under rule 47 of the R.P.F. Rules, 1959 on the North-Eastern Railway during emergency.

(b) Yes.

(c) & (d) : As a result of review conducted by the Chief Security Officer, North-Eastern Railway, 38 employees have been reinstated. Inspector General/ RPF has so far reviewed the cases of 76 employees, whose cases were rejected by C.S.O./N.E. Rly. and rencently ordered to reinstate 51 employees out of 76 cases reviewed. The cases of the remaining 32 employees are under review. The remaining employees could not be reinstated due to their involvement in criminal activities.

Surveys for Ratlam-Banswada Railway Line

†3748. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether surveys have been completed in regard to Ratlam-Banswada, Indore-Dohad or Khandwa-Dohad and Neemuch-Kota railway lines;

(b) whether all the above railway lines are intended for adivasi areas;

(c) whether it is Government's policy to lay railway lines in adivasi and backward areas even if they may prove uneconomical; and

(d) if so, steps taken in this direction ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes, for Ratlam-Banswara and Indore-Dohad only. No surveys have been made in the past for construction of railway lines between Khandwa and Dohad and from Neemuch to Kota.

(b) Yes.

(c) and (d): A new policy for construction of railway lines in backward areas of the country is under consideration of the Government. The policy will be announced in the Parliament as soon as it is finalised.

Rules regarding recruitment of Class III and IV Employees

†3749. **Shri Mrityunjay Prasad:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the rules regarding recruitment of Class III and Class IV employees in the Railways and whether the recruitment is made by the General Managers in Headquarters of each Railway or by the Divisional Superintendents in Divisions or by other officers;

(b) whether one or two sons/daughter of the employees who have completed 20 to 25 years service are given preference in recruitment;

(c) whether some posts are reserved for them subject to their fulfilling the minimum qualifications for the posts applied for; and

(d) if not, whether Government propose to reserve some posts for them?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Direct recruiment to Class III services on the Railways is made only through the Railway Service Commissions except where the General Managers have been specifically authorised. The General Managers of Zonal Railways have

been permitted to make appointments on compassionate grounds and to recruit a limited number of qualified sportsmen to strengthen their various sports teams and Scheduled Castes/Tribes candidates against shortfall in the reserved vacancies. Class IV vacancies are filled by the Railway administrations i.e. at the Divisions, Workshops etc.

(b) to (d): No.

Electrification of Mughal Sarai-Sitarampur Line

†3750. **Shri Ramdas Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have formulated a scheme for the electrification of Mughal Sarai-Sitarampur (Asansol) main line;

(b) whether a survey has been conducted for this purpose;

(c) the difficulties being encountered by Government in its electrification; and

(d) when electrification work on this entire line is likely to commence and when the same will be completed?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (d): Electrification of Sitarampur-Danapur section on the Mughal Sarai-Sitarampur Main Line, is being considered in the first instance. Cost-cum-feasibility survey of Sitarampur-Danapur section has already been carried out. However, relative economics of diesel and electric tractions on the Indian Railways are being re-assessed by a Committee at the suggestion of the Planning Commission and on that basis a long term programme of electrification will be prepared and inter-se priorities amongst electrification projects, including Sitarampur-Danapur section will be drawn out. As such, it is, therefore, not possible to indicate at this stage when this scheme will be executed.

Cooking Gas Connections in Delhi

3751. **Shri Raj Keshar Singh:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether registration for cooking gas has been stopped on instructions from Government;

(b) the number of applications for cooking gas connections pending, particularly in Delhi; and

(c) the number of people provided gas connections during 1977 and the number among them of those provided connections on priority basis indicating the grounds therefor?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) No, Sir. The registration of names for granting new Liquefied Petroleum Gas (cooking gas) connections has been discouraged by the oil companies in view of the continued shortage of the product.

(b) The number of persons on the waiting list for grant of LPG connections in Delhi is about 1.30 lakhs.

(c) The total number of new LPG connections given during 1977 was 6,770 (approx.). Out of this figure of 6,770, about 2,260 connections were given on priority basis. Generally, priority gas connections have been given to Members of Parliament and State Legislatures, other VIP's, foreign dignitaries, cases of hardship, commercial contacts, Government Organisations/Institutions, etc.

मेसर्स हस्क्ट इंडिया के उत्पादों की लागत

3752. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 में मेसर्स हैक्स्ट इण्डिया के उत्पादों की कुल लागत कितनी थी ;

(ख) कम्पनी के उत्पादों का कुल बाजार मूल्य कितना था ;

(ग) उस वर्ष कम्पनी ने कितना शुद्ध लाभ कमाया ; और

(घ) विदेशी को कितनी धनराशि भेजी गई ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 1976 के दौरान प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों के उत्पादन की उत्पाद शुल्क सहित कारखाने में बाहर लागत 1,791 लाख रुपये है ।

(ख) 1976 के दौरान प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों के उत्पादन की उत्पाद शुल्क सहित बाजार मूल्य 2745 लाख रुपये है ।

(ग) 1976 के दौरान प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों पर कर से पहले अर्जित शुद्ध लाभ 168 रुपये का थी ।

(घ) 20.4 लाख रुपये की राशि लाभांश के रूप में बाहर भेजी गई थी । कम्पनी एग्रो रसायनों के उत्पादन में भी लगी हुई है । इस संबंध में बाहर भेजी गई राशि के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी ।

राजधानी एक्सप्रेस का गया जंक्शन पर रुकना

3753. **श्री एच० एल० पी० सिन्हा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी एक्सप्रेस के गया जंक्शन पर रुकने की व्यवस्था करने और गया के लिये सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Trains Running between Agra and Jaipur

†3754. **Shri Ram Kishan:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether only two passenger trains are being run in 24 hours between Agra and Jaipur inspite of considerable increase in the number of passengers during the last 40-50 years;

(b) whether the people belonging to the cities and trade and industrial organisations falling between Agra and Jaipur have submitted many representations to his Ministry requesting for additional passenger trains between Agra-Jaipur stations in view of the considerable increase in the number of passengers; and

(c) whether Government will consider these representations and introduce additional passenger train on this railway line; if so, by what time ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) and (b) : Yes.

(c) Introduction of an additional train between Jaipur and Agra Fort is at present operationally not feasible for want of spare line capacity on Jaipur-Bandikui section and of terminal/maintenance facilities at Jaipur and Agra Fort.

Allotment of Indane Gas Agencies to SC/ST

3755. **Shri Ram Prasad Deshmukh:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 347 on 15th November, 1977 re. allotment of petrol pumps and agencies of Indane gas to SC/ST and state:

(a) whether Government would examine the list of Scheduled Caste and Scheduled Tribe persons who were granted Indane gas agencies by Indian Oil Corporation during the period from 1-1-1974 to 30-9-1977 to the effect that their addresses are not complete therein;

(b) whether Government are aware that the persons in the list do not belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and so the reasons therefor; and

(c) the number of gas, kerosene and petrol pump agencies in the list, separately ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) to (c): The required information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Advisory Committee for Railways

3756. **Shri Ugrasen:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the time by which the regional and Central Advisory Committee for the Railways will be constituted;

(b) the number of railway committees whose term has already expired;

(c) the time by which the broad gauge railway lines will be laid between Bonegaon-Gauhati (N.F. Railway), Sonepur-Pehlezaghat and Barabanki-Samstipur; and

(d) the total expenditure to be incurred thereon and that to be incurred in 1978-79 ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) and (b): The Regional Advisory Committees viz. Railway Users' Consultative Committees at the Divisional and Zonal levels have been reconstituted for the period ending 31-12-1979 and 31-3-1980 respectively. The reconstitution of the National Railway Users' Consultative Council at the Centre for the period ending 30-6-1980 is in progress.

Railway Hindi Salahkar Samiti has been reconstituted for a period of 3 years w.e.f. 9-12-77. Official Language Implementation Committees set up in the Ministry and at the Zonal and Divisional levels on Railways as well as in Production Units have also been reconstituted.

(c) and (d): The position is indicated below:

	Total cost of the Project	Provision made during 1978-79	Physical Progress	Likely date of completion
(1) New BG line between Bonegaon-Gauhati.	Rs. 24·79 crores	Rs. 2·48 crores	18·27%	No target date has been fixed so far.
(2) Sonepur—Pehlezaghat line .	It has been decided to have a Mixed Gauge (MG/BG) on the Sonepur-Pehlezaghat Section. The progress on the work would depend upon the availability of resources.			
(3) Barabanki-Samastipur gauge conversion	Rs. 69·00 crores	Rs. 12·97 crores	51%	1980

सहायक सचिवों के लिये पेनल

3757. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सेवा आयोगों (सेवारत अनुभाग अधिकारियों सहित) के सहायक सचिवों के लिये हाल ही में कोई पेनल गठित किया गया है ;

(ख) क्या रेल सेवा आयोगों में सहायक सचिवों के रुप में काम करने के लिये व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है । पहले से काम कर रहे व्यक्तियों को काम करते रहने दिया जाता है जबकि उनके नामों को पेनल में नहीं रखा गया है और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के अधिकारपूर्ण दावों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो पेनल गठित ही क्यों किया गया है ; और

(घ) केवल पेनल में नाम वाले व्यक्तियों को नियुक्त करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है और पेनल में नाम वाले व्यक्ति उपलब्ध होते हुए भी तदर्थ व्यवस्था करने के लिय उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । नियमित आधार पर अभी केवल दो रिक्तियों को भरा जाना है । अनुसूचित जाति समुदाय के जिन दो उम्मीदवारों को चुना गया था और जिनकी तनाती के आदेश दिय जाने थे, उन्होंने स्पष्टीकरण के लिए कुछ मुद्दे उठाये हैं जिन पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

Railway Employees Discriminated Against

†3758. **Shri Arjun Singh Bhadoria:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the railway strike of May, 1974 was forced on the workers by the then Government; and

(b) if so, whether discrimination is still being shown towards the employees who participated in the strike by treating them as disloyal and the Government's view in regard to payment of salaries to the employees, dismissed during the strike but reinstated afterwards for the period from the date of their dismissal to the date of reinstatement?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes.

(b) No discrimination is made against the employees who participated in May 1974 strike. All forms of victimisation such as dismissal, removal, suspension, stoppage of increment, break in service, transfer, etc. in connection with the strike of May 1974 have been vacated, except in the case of 13 employees who continue to be under suspension as they are undergoing trial on a charge of murder.

Orders have also been issued on 1st March, 1978 that period of absence of railway employees during the 1974 strike should be adjusted against their leave due, and, where no leave is due, by sanction of extra-ordinary leave without pay.

For the period from the date of dismissal/removal to the date of reinstatement, the employees have been paid pay and allowances equivalent to the subsistence allowance.

Conversion of Samastipur-Darbhanga M. G.

†3759. **Shri Surendra Jha Suman:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether survey for conversion of Samastipur-Darbhanga metre gauge line into broad gauge line has since been completed;

(b) if so, Governments reaction thereto; and

(c) if the survey is still incomplete, the time by which it would be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) and (b): The report on the Final Location Engineering Survey-cum-Traffic Reappraisal for the conversion of the metre gauge line between Samastipur and Darbhanga, which is an approved work, has been completed. The schedule of construction of the project would depend upon the availability of resources.

(c) Does not arise.

Bogies Attached to Barwadih-Patna Train

†3760. **Shri R. D. Ram:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that passengers have to face great difficulty due to the fact that Barwadih Patna train has only 5 bogies;

(b) whether it is also a fact that all bogies in the train are reserved;

(c) whether passengers bound direct for Patna have to remain awake the whole night in the crowded compartments as this train has no sleepers; and

(d) if so, whether Government will make arrangements soon to increase the number of bogies and also to attach two three-tier coaches ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) No. 131/132 Patna-Barwadih-Gomoh passenger has a scheduled composition of 9 bogies from Gomoh to Barwadih. At Barwadih 2 more bogies and at Gaya 4 more bogies are attached for Patna.

(b) No, all 2nd class bogies are unreserved.

(c) & (d): One second class sleeper coach which was earlier running thrice a week was withdrawn due to poor patronisation. However, this 2nd class sleeper coach is being restored on an experimental basis from April, 1978 in lieu of one ordinary second class Patna-Barwadih coach. Apart from the question of traffic justification there is no room on this train between Gaya and Patna for attaching an extra coach as a regular measure.

अप्रयुक्त पड़ी रेल सामग्री

3761. **श्री मोहन लाल पिपिल :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत अनेक वर्षों से रेलवे के विभिन्न जोनों में रेलवे ट्रैक्स रेल्स, स्लीपर और अन्य रेल सामग्री भारी मात्रा में अनुपयुक्त पड़ी है ;

(ख) क्या इन वस्तुओं के कुल मूल्य के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है, यदि हां, तो उनका अनुमानित मूल्य क्या है ;

(ग) क्या इन वस्तुओं का उपयोग करने अथवा उनका निपटान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नही। नये और पुरानेरेल पथ सामग्री का कुछ स्टाक, जैसे, पटरियां और धातु स्लीपर, रेलपथ के दिन-प्रति-दिन के अनुरक्षण तथा दुर्घटनाओं, रेल लाइनों की टूट-फूट के लिए आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए "इम्परेस्ट स्टाक" के रूप में रखा जाता है। इसके अलावा रेलपथ के योजनाबद्ध कार्य और नयी रेल लाइनों के निर्माण के लिए अपेक्षित पटरियां और स्लीपर जब निर्माण कार्य स्थल पर प्राप्त होते हैं तो उन्हें निर्माण कार्य स्थल पर कुछ अवधि के लिए अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है जब तक कि उनका निर्माण कार्यों में वास्तविक रूप में उपयोग किया जाता है। निर्माण कार्य स्थलों पर रेल पथ सामग्री का इस प्रकार स्टाक रखना अपरिहार्य है क्योंकि यह सामग्री कार्य निष्पादित होने से काफी पहले खरीदनी पड़ती है जिससे कि प्रारम्भ किये गये कार्य की प्रगति में बाधा न पड़े इसके अलावा एक प्रकार की सभी सामग्री कभी-कभी उसी समय प्राप्त नहीं होती है जिससे कार्य स्थल पर पहले से प्राप्त सामग्री का उचित उपयोग करने में देरी होती है। इसी प्रकार रेल पथ से बची पुरानी रेलपथ सामग्री का निकटतम स्टेशन में तब तक स्टाक रखना पड़ता है जब तक उसे अन्यत्र प्रयुक्त नहीं किया जाता है या सार्वजनिक नीलामी, आदि से निपटाया नहीं जाता है ।

(ख) रेल पथ सामग्री की लागत लगभग 15 करोड़ रुपये होगी जिसे एक वर्ष में कार्यान्वित रेल पथ नवीकरण के कामों, दुहरी लाइन बिछाने, नयी लाइन और आमान परिवर्तन के कामों की कुल लागत की तुलना में अधिक नहीं समझा जाता है।

(ग) और (घ) : सरकार का सतत प्रयास रहता है कि भण्डार में नयी और पुरानी सामग्री कम से कम रखी जाय।

Remodelling of Stations

3762. **Shri Hukmdeo Narain Yadav:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether expenditure to the tune of crores of rupees has been incurred on construction of old station buildings according to new model;

(b) if so, the expenditure incurred under this head during the period from 1972—1977 in each railway; and

(c) whether Government propose to conduct a high level inquiry into the justification for expenditure incurred under this scheme and also to avoid such infructuous expenditure and if so, by what time and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) & (b): Reconstruction/remodelling of station buildings is planned only when the existing facilities in the building are totally inadequate to meet the needs of passenger and parcel traffic, and additions and alterations to the existing structures are not feasible. During large scale remodelling of the yard also, such reconstruction of station buildings is undertaken.

Expenditure incurred on reconstruction/remodelling/improvement to station buildings during 1972—1977 is as under:—

Railways	Rs. in lakhs
Central	21.57
Easteen	86·54
Northern	186·42
Northeast Frontier	10·89
North Eastern	23·00
Southern	49·24
South Eastern	Nil
South Central	22·17
Western	Nil

(c) No, as the expenditure on such schemes is found justified and not infructuous.

पूर्व रेलवे जोन के कर्मचारियों को अनिवार्य जमा योजना की धनराशि की वापसी

3763. **श्री एन्यू साहू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा स्थित पूर्वोत्तर रेलवे जोन के कर्मचारियों को अनिवार्य जमा योजना की धनराशि वापस देना शुरू कर दिया है

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को धनराशि वापस मिली है और कितने कर्मचारी प्रतीक्षा सूची में हैं ; और

(ग) ये भुगतान किस आधार पर किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : निर्धारित समय से पूर्व अनिवार्य जमा राशि केवल उन कर्मचारियों को वापस की जाती है जो बीमार हों या जो देश के दक्षिणी भागों में हाल ही में आये तुफान/बाढ़ में अपनी सम्पत्ति और माल-असबाब खो चुके हों पूर्व रेलवे उड़ीसा राज्य के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है । लेकिन दक्षिण पूर्व रेलवे, जो इस राज्य में पड़ती है, ने अपने सभी पात्र रेलवे कर्मचारियों को अनिवार्य जमा राशि का भुगतान कर दिया है ।

इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कंपनी और बालमेर लारी एण्ड कंपनी के कर्मचारियों से ज्ञापन

3764. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन, और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1976, 1977 और 1978 में इंडो बर्मा पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड/बालमेर लारी ग्रुप के कर्मचारियों और अधिकारियों से तथा उनकी यूनियनों, फेडरेशनों, एसोसियेशनों से पत्र, ज्ञापन, मांगपत्र और संकल्प मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें इन्डो बर्मा पेट्रोलियम ग्रुप की कंपनियों के भाई-भतीजावाद, कुप्रबंध, शक्ति के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और धन के दुरुपयोग के उदाहरणों का उल्लेख है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

(क), (ख) और (ग) : जीहां, इंडो-बर्मा पेट्रोलियम, बामर लारी ग्रुप कंपनी के कुछ कर्मचारियों से नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों में अनियमितताएं, कर्मचारियों के साथ किये गये अत्याचार आदि से संबंधित आरोपों के कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(घ) मामला विचाराधीन है ।

Memo from Western Railway Employees

†3765. **Dr. Laxminarayan Pandeya**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a memorandum has been received by Government from the Western Railway Employees, Union Ratlam Division, detailing the difficulties that have cropped up over the question of electrification of diesel sheds and electric shed affecting the interests of employees and other problems;

(b) if so, the facts mentioned therein; and

(c) the steps taken by Government to protect the employees' interest ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes.

(b) & (c): A statement is attached.

Statement

The main points raised in the Memorandum by the Western Railway Employees' Union are summarised below :

1. Whether the staff would be in their parent Department or in any of the 4 Groups of Electrical Department.
2. They may be made available the present seniority list of the groups wherein they would be absorbed so that they may know where they would stand a better chance.
3. Whether a person on his transfer back to his parent department when a person senior to him is working in lower grade would be absorbed in the same grade or in the lower grade.
4. In the avenue of promotion Diesel Foreman is to be taken from any of the Electrical/Diesel Foreman. When Foreman's avenue of promotion is from Junior Foreman then which is that post and of what grade over and above Foreman.
5. Since Electrical staff would seek further promotion to gazetted post in Mechanical Department what plan Railway Administration has to train supervisors in diesel maintenance work to enable him to qualify himself for gazetted post in Mechanical Department.
6. Where will the Electrical Supervisors who have been directly recruited in the Diesel Organisation be absorbed if they choose to revert back to Electrical Department.

The position in respect of these points is briefly stated as under:

Persons who have been drafted from Electrical Department remain in the Electrical Department and on their return will automatically be put back to their original seniority in the group. In case decentralised seniority instead of all Railway seniority comes to force, the deputationists belonging to the Diesel side on their return will be given an option of choosing one of the Units set up in place of the original seniority units.

The staff of the Electrical Department absorbed in the Diesel shed are free to choose to stay in the Diesel Organisation or to revert back to the Electrical Department. By virtue of working in the Diesel cadre electrical staff can become conversant with the diesel maintenance work. However, if they feel that their chances of promotion on the Mechanical side are not as bright as in the electrical department they can opt for the electrical department.

In case a senior person is working in a lower grade and the person transferred from the Diesel cadre is junior to him, such staff cannot continue in the higher grade in preference to his erstwhile seniors.

The channel of promotion for the Electrical wing of the Diesel shed upto the post of Foreman Grade Rs. 840-1040(RS) will be separate. Similarly, on the Mechanical side of the Diesel shed, the channel of promotion upto the grade of Rs. 840-1040(RS) shall remain separate. Foreman in the Grade of Rs. 700-900(RS) and Rs. 840-1040(RS) both on the Electrical as well as Mechanical side will be eligible for the post of AME/AWM.

Staff who have been appointed in the Diesel Cadre directly are not entitled for option and they will have to remain in the Diesel side only.

Conversion of Ajmer-Khandwa Route

†3766. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there is heavy traffic on Ajmer-Khandwa route;

(b) whether the present metre gauge line of this route is not capable of meeting the traffic requirements of Army centre at Nisirabad, Textile Mill at Bhilwara, two cement factories at Chittor and Nimbehera, another cement factory proposed to be set up at Neemuch, Alkaloid Factory, C.R.P. stationed at Neemuch transportation of goods manufactured by various factories of Ratlam and Mandsaur, movement of C.R.P. Jawans and heavy passenger traffic;

(c) whether a demand for converting this rail line into broad gauge has been continuously made; and

(d) if so the steps taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (d): Some representations were made for converting the existing AJMER-KHANDWA metre gauge section of the Western Railway into broad gauge. This metre gauge section forms essential link between the northern and southern metre gauge systems of the Indian Railways which will be broken in case the section is converted into broad gauge at this stage. The present traffic on this section is, however, being catered for.

Payment of Fair Wages to Workers in Sindri Modernisation Project

3767. **Shri Ramanand Tiwary:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether the labourers working in the Sindri modernisation project are paid less than the fair wages; and

(b) if so, the steps being taken by Government to ensure fair wages to the labourers?

The Minister of State for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

रेलवे लाइनों की तोड़ फोड़ की घटनाओं के लिए गिरफ्तार किये गये लोग

3768. **श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे लाइनों के तोड़-फोड़ के आरोप में पकड़े गये कुछ लोगों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच से इन मामलों में किसी विदेशी शक्ति का हाथ या किसी हिंसक सम्प्रदाय को सांठ-गांठ होने का पता लगा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे का कथित अधिक किराया

3769. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खंडवा और हिंगोली के बीच यात्रा करने वालों से अधिक रेलवे किराया लिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो यह अधिक किराया कब से लिया जा रहा है ; और

(ग) क्या सरकार इस किराये को सामान्य स्तर पर लाने का विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) इस खण्ड पर किराया दूरी बढ़ा कर लिया जाता है ।

(ख) लाइन को यातायात के लिए खोलने की तारीख से । यह लाइन 2-6-1957 से 2-1-1961 के बीच चरणों में खोली गयी थी ।

(ग) जी नहीं ।

कम्पनियों के कर्मचारियों की परिलब्धियों के बारे में सूचना

3770. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों के लिये 3000 रु० प्रतिमास से अधिक परिलब्धियां पाने वाले कर्मचारियों की सूची देना जरुरी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि कुछ सार्वजनिक कम्पनियां इसका पालन नहीं कर रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त दोषी कम्पनियों के विरुद्ध सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनि कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 की उप-धारा (2क) के अन्तर्गत, निदेशक मंडल के लिये, तुलन-पत्र के साथ संलग्न अपने विवरण-पत्र में उन कर्मचारियो, जो (1) पूरे वित्तीय वर्ष के लिये नियुक्त किये गये हो, व जिन्होंने 36,000 रु० से कम नहीं का पारिश्रमिक प्राप्त किया हो, तथा (2) वित्तीय वर्ष के एक भाग में नियुक्त हुये हो, व 3,000 रु० प्रति मास से कम नहीं का पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हो, के नाम तथा अन्य विहित ब्यौरे सम्मिलित करना बन्धनीय है ।

(ख) तथा (ग) : जब कभी भी केन्द्रीय सरकार की सूचना में ऐसा मामला आता है, तो कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुसार उचित कार्यवाही की जाती है ।

एक से अधिक कम्पनी का एक व्यक्ति को निदेशक नियुक्त करना

3771. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि एक व्यक्ति को एक से अधिक सरकारी क्षेत्र की कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक अथवा निदेशक नियुक्त किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अनुरुप है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस कुप्रथा को रोकने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) और (ख) : हां, श्रीमान् जी, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 316 और 275 उसी व्यक्ति को क्रमश: प्रबन्ध निदेशक और निदेशक के पद पर एक या अधिक कम्पनी में नियुक्ति को परिचालित करती हैं ।

(ग) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

एकाधिकार तथा निर्बंधनात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम संबंधी समिति के सदस्य

3772. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा निर्बंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम और कम्पनी अधिनियम में परिवर्तनों का सुझाव देने के लिये नियुक्त की गई समिति के सदस्यों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है जिसे 21 फरवरी, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 38 के उत्तर के अनुसार एकत्रित किया जा रहा था तथा सभा पटल पर रखने का वचन दिया गया था ; और

(ख) इस समिति में छोटे पैमाने के उद्योग तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों को शामिल न करने के क्या कारण है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भुषण) : (क) समिति के सदस्यों को पहले ही अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध कर दिया गया है जो एकत्र करने की प्रक्रिया में है । जब भी सूचना प्राप्त होगी सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

(ख) विशेषज्ञ समिति के गठन करते हुए सरकार का निगम क्षेत्र के कार्य से सम्बन्धित प्रत्येक महत्वपूर्ण हित को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देने का विचार था किन्तु उस समय यह भी देखना पड़ा कि समिति दुर्वह नहीं हो जाए । इस विषय में बड़े और लघु उद्योग के मध्य कोई संघर्ष नहीं है क्योंकि समिति को दो अधिनियमनों की व्यापक समीक्षा करने को कहा गया है । किसी भी प्रकार से किसी विशेष हित के प्रतिनिधि के सम्मिलित नहीं किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि उस क्षेत्र के हित की उपेक्षा की जाएगी । आगे यह भी समझा जाता है कि लघु उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष अपना राय प्रगट करने और साक्ष्य देने के लिए पर्याप्त अवसर दिये गये हैं ।

एक उद्योग एक संघ

3773. **श्री राम प्रकाश त्रिपाठी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 और 14 सितम्बर, 1977 को आल इंडिया रेलवे एम्प्लाइज कन्फेडरेशन ने एक उद्योग में एक संघ के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय सम्मेलन और गोष्ठो का आयोजन किया था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन और गोष्टी ने कौन कौन से संकल्प पास किये थे ; और

(ग) प्रत्येक संकल्प पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : ए क विवरण संलग्न है ।

विवरण

आल इंडिया रेलवे एम्प्लाइज कन्फेडरेशन के राष्ट्रीय सम्मेलन में 13-9-1977 को पारित संकल्प प्राप्त हुए है ।

सरकार को नोति रेल कर्मचारियों को सभो कठिनाइयों और मांगों पर यथोचित ध्यान देने की है भले हो वे मान्यताप्राप्त यूनियनों अथवा गैरमान्यताप्राप्त यूनियनों द्वारा प्रस्तुत की गयी हों ।

किन्तु, औपचारिक बातचीत मान्यताप्राप्त यूनियनों के साथ हो की जाती है और उन्हीं के साथ समझौते किये जाते हैं ।

जहां तक 6 सूत्रो मांग पत्र का संबंध है, कुछ मांगों पर सक्रिय रुप स विचार किया जा रहा है जबकि अन्य मागों पर, जो वतन, आय और कीमतों से संबधित समस्याओं से गहरा संबंध रखती हैं, सरकार द्वारा हाल ही में नियुक्त भूतलिगम समिति द्वारा इन समस्याओं को गहराई से अध्ययन कर लेने के बाद ही विचार किया जायेगा ।

मांग पत्र में उठाये गये कुछ मसलों जैसे आसुका 42वां संविधान संशोधन आदि के प्रश्नों पर केवल रेलवे द्वारा ही विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे ऐसे व्यापक मामले हैं जिन पर सरकार को निर्णय लेना है ।

मांग पत्र में उल्लिखित मई, 1974 को हड़ताल से उत्पन्न मसलों और अन्य प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है । मई, 1974 को हड़ताल से संबंधित एक मामले पर निर्णय दे दिया गया है और 1-3-1978 को यह आदेश जारी कर दिये गये हैं कि उस हड़ताल के दौरान रेल कर्मचारियों को अनुपस्थिती की अवधि उन्हें देय छुट्टी में समायोजित कर दी जाये; और जहां छुट्टी देय न हो वहां उसे बिना वेतन असाधारण छुट्टी की मंजूरी देकर समायोजित कर दिया जाये ।

स्टेशन मास्टरों का ड्यूटी रोस्टर

3774. **श्री राम प्रकाश त्रिपाठी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी भारतीय रेलवे जोनों में जोनवार उन स्टेशन मास्टरों का ड्यूटी रोस्टर क्या है जहां एक स्टेशन मास्टर है तथा दो सहायक स्टेशन मास्टर हैं ;

(ख) सभी भारतीय रेलवे जोनों में ज़ोनवार, उन सहायक स्टेशनमास्टरों का ड्यूटी रोस्टर क्या है जहां दो सहायक स्टेशन मास्टर हैं तथा एक स्टेशन मास्टर है ; और

(ग) सभी भारतीय रेलवे जोनों में जोनवार, उन सहायक स्टेशन मास्टरों और वायरलैस आपरेटरों का ड्यूटी रोस्टर क्या है जहां उन्हें "इन्टेंसिव" के रुप में वर्गीकृत किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

छुट्टी रिजर्व स्टेशन मास्टर्स और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर्स

3775. **श्री राम प्रकाश त्रिपाठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र संख्या 3ई/73 एल०आर०आई०9/भाग-II, दिनांक 6-6-1977 के अन्तर्गत सभी भारतीय रेलवे जोनों में 425—640 के ग्रेड में छुट्टी रिजर्व स्टेशन मास्टर्स और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर्स की व्यवस्था करने के लिए आदेश जारी किये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि लोक सभा के किसी सदस्य ने दिल्ली डिवीजन में ग्रेड 425— 640 में छुट्टी रिजर्व स्टेशन मास्टर्स की व्यवस्था करने के लिये प्रशासन को अभ्यावेदन भेजा था ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) एवं (ख) : जी हां ।

(ग) 6-6-1977 को जारी किये गये अनुदेशों में यह व्यवस्था है कि 425—640 रुपये के ग्रेड में सहायक स्टेशन मास्टर/स्टेशन मास्टर के उसी ग्रेड में छुट्टी एवजी के लिए नियत 25% पदों को 425—640 रु० (सं० व०) के वेतनमान में जितने पदों का दर्जा बढ़ाया गया है उन में से ही पूरा किया जाय । इसका स्पष्ट रूप से यह अभिप्राय था कि उच्चतर ग्रेड में कोई अतिरिक्त पद सृजित नहीं किये जाने हैं और इस ग्रेड में वर्तमान पदों को छुट्टी एवजी के रुप में नियत किया जायेगा । उसी उच्चतर ग्रेड में 25% की सीमा तक छुट्टी एवजियों की व्यवस्था स्टेशन मास्टरों की कोटि पर भी लागू होती है ।

लेकिन संगठित श्रमिक दल के साथ हुए विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप 6-6-1977 को जारी किये गये अनुदेशों की पुनरीक्षा की जा रही है ।

कानूनी सहायक

3776. **श्री हरगोविन्द वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानूनी सहायकों को विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से योग्यता के आधार पर चुना जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो गत सात वर्षों के दौरान उत्तर रेलवे में कितने कनिष्ठ कर्मचारियों को योग्यता के आधार पर चुना गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : विधि सहायकों के 66.2/3 प्रतिशत रिक्त स्थान सेवा रत कर्मचारियों में से वास्तविक चयन के आधार पर भरे जाते हैं। जो कर्मचारी पैनल के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं उनके नाम उनको ग्रेडवार सेवाकाल के आधार पर उनकी वरिष्ठता के क्रम में दिखाये जाते हैं और जो 81 प्रतिशत और अधिक अंक प्राप्त करते हैं उन्हें उत्कृष्ट समझा जाता है और उन्हें पैनल में सबसे ऊपर रखा जाता है। दो चयन किये गय गये; एक 1972 में हुआ जिसमें 10 का चयन किया गया और दूसरा 1976 में हुआ जिसमें 6 का चयन किया गया था। इन दोनों प्रवरणों में कोई भी उत्कृष्ट कोटि में नहीं पाया गया और इसलिए जिन्होंने अर्हता प्राप्त की उनमें से सबसे वरिष्ठ कर्मचारियों को पैनल में रखा गया।

सेवा निवृत्त अस्थाई श्रमिकों के लिए पेंशन

3777. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे में कोई ऐसा रेल कर्मचारी है जिसने वहां 18 वर्ष से अधिक समय तक सुपरवाइजर के पद पर काम किया था और जिससे पेंशन योजना के लिए विकल्प मांगा गया था परन्तु जिसे विकल्प देने पर इस आधार पर पेंशन नहीं दी गयी कि वह स्थायी कर्मचारी नहीं था ;

(ख) क्या सरकार को इस मामले में कोई अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(ग) ऐसे कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति के लाभ देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां; 18 वर्ष से अधिक की सेवा के 4 कर्मचारी थे। उनमें से तीन कर्मचारियों ने पेंशन के लिए उस समय विकल्प दिया था जबकि रेल कर्मचारियों को सामान्य पेंशन का विकल्प दिया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) तीन कर्मचारियो, जिन्होंने पेंशन के लिये विकल्प दिया था, उनके मामले, पेंशन-योजना के अधीन शासित सेवा-निवृत्ति लाभ नियमों के अनुसार निपटाने थे। उनमें से दो को सेवान्त उपदान का भुगतान कर दिया गया है और तीसरे का मामला चल रहा है। चूंकि उनमें से कोई भी कर्मचारी सेवा-निवृत्ति से पहले स्थायी नहीं हुआ था, वे केवल सेवान्त उपदान के पात्र थे न कि पेंशन के।

स्टेनो ग्राफरों से अभ्यावेदन

3778. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्टेनोग्राफरों से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि 200 शब्द प्रति मिनट की उच्च-दक्षता परीक्षा पास करने वालो को अग्रिम वेतनवृद्धियां देने के रेलवे बोर्ड के आदेश से विसंगति पैदा हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) : तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 100 और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलिपि परीक्षा पास करने वाले 330—560 रुपए के संशोधित वेतनमान वाले आशुलिपिकों की 1-1-73 से पूर्व व्याप्ति सहित क्रमश: एक और दो वेतन वृद्धियां देने के लिए 7-11-75 को आदेश जारी किये गये थे, 130—300 रुपए के संशोधन पूर्व वेतनमान में दी जाने वाली अग्रिम वेतन वृद्धियों की तत्समुखी संख्या क्रमश: 2 और 4 थी। 1-1-1973 से 6-11-1975 की अवधि के दौरान संशोधन पूर्व ग्रेड-संरचना की दर पर अग्रिम वेतन वृद्धियां देने के कारण अधिक भुगतान के मामले हुए हैं।

(ग) अब आदेश जारी किये जा चुके हैं कि 1-1-73 से 6-11-75 की अवधि के बीच आशुलिपि-मत परीक्षा पास की है, उनके मामलों को पुन: न उठाया जाये और पहले की गयी राशि को वापस लौटा दिया जाये।

आर० डी० एस० ओ० में नियुक्त कामगर

3779. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल उपक्रम का आर०डी०एस०ओ० नामक संगठन भारतीय रेल अधिनियम 1890 की धारा (6) के अनुसार "रेल प्रशासन" क्यों नहीं माना जाता है तथा आर० डी० एस० ओ० में नियुक्त कामगर धारा 3(7) के अनुसार 'रेल कर्मचारी' क्यों नहीं माने जाते हैं;

(ख) क्या आर०डी०एस०ओ० भारतीय रेलवे तथा केन्द्रीय सरकार के रेल उपक्रम का एक अंग है;

(ग) क्या कामगर मुआवजा अधिनियम 1923 आर०डी०एस०ओ० में नियुक्त कामगरों पर लागू होता है यदि नहीं, तो क्यों तथा संसद् द्वारा आर०डी० एस० ओ० पर इस अधिनियम के प्रवर्तन से दी गई छूटों का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि आर०डी० एस०ओ० में नियुक्त कामगरों में से किसी कामगर को उसे सौंपे गये काम के दौरान कोई चोट लगने पर मुआवजे के विषय का विनियमन करने वाला कोई अन्य कानून कौनसा है; और

(ङ) आर० डी० एस० ओ० में नियुक्त कामगरों की सेवा स्थिति का विनियमन करने वाले नियम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) भारतीय रेल अधिननियम, 1890 की धारा 3(6) के अन्तर्गत रेल मंत्रालय का अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन रेल प्रशासन नहीं है। जैसा कि इस अधिनियम की धारा 3(7) में परिभाषा की गयी है उसके अनुसार अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन के कर्मचारी "रेल कर्मचारी" भी नहीं हैं क्योंकि वे किसी "रेलवे" पर नियोजित नहीं हैं जैसा कि इस अधिनियम की धारा 3(4) में परिभाषित है।

(ख) अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन रेल मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है।

(ग) जी नहीं। भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 3(7) के साथ पठित कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 की धारा 2(1) (ढ़) के अनुसार इस संगठन के कर्मचारी "कर्मकार" नहीं है।

(घ) और (ङ): ड्यूटी करते समय चोट आ जाने के लिए प्रतिकर उपदान दिये जाने तथा अन्य सेवा-शर्तों के संबंध में, अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन के कर्मचारी भारतीय रेल स्थापना संहिता, वाल्यूम I और II में निहित संबंधित उपबन्धों और रेल मंत्रालय द्वारा जारी किये गये अन्य नियमों द्वारा शासित होते हैं ।

Schools under Ministry of Railways

†3780. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of primary and higher Secondary schools running under the Ministry and the number of teachers and employees working in these schools and the manner in which appointment of the teachers is made in these schools; and

(b) whether Government propose to open a cell for these schools at Railway Board level so that appointment up to posts of officers may be made by the Director?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) & (b): The information is under collection and will be placed on the Table of the House.

Railway Lines in Foreign Countries

†3781. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ministry has sent some technicians and labourers to foreign countries for laying railway lines; and

(b) if so, the category-wise number thereof and what will be their pay scales?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) No.

(b) Does not arise.

Shortage of Nylon Yarn

3782. **Shri S. S. Somani:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that nylon cloth manufacturing industry is facing great difficulties due to heavy shortage of nylon yarn this year;

(b) if so, the total estimated requirement of the nylon yarn and its availability from the indigenous sources; and

(c) the quantity of nylon yarn proposed to be imported during the current financial year and the amount of foreign exchange allocated therefor?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) Government is not aware of any difficulties due to heavy shortage of nylon yarn this year.

(b) The requirement of nylon yarn for the current year is estimated at round 19,000 tonnes, and the availability from indigenous producers is estimated at 17,000 tonnes.

(c) Nylon filament yarn is not a canalized item, and its imports are effected directly by the actual users.

Change in off-Shore Oil Drilling Policy by O.N.G.C.

3783. **Shri Sukhendra Singh:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Oil and Natural Gas Commission has recently brought about some change in its off-shore oil exploration policy; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Officers on Deputation

†3784. **Shri O. P. Tyagi:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the number of officers from Deputy Secretaries and above in his Ministry at present, separately, who have been on deputation for a period of more than 3 to 8 years;

(b) the steps being taken to send these officers back to their State cadres; and

(c) the rules governing appointment of such officers on deputation and sending them back?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nar Singh): (a) & (b): Two officers are likely to be reverted to their parent Departments shortly. The appointment of the remaining one officer is on *ad hoc* basis pending the inclusion of his post in the Indian Economic Service.

(c) These posts are filled from among the officers recommended by the Department of Personnel and Administrative Reforms from the panel of officers maintained by them for such posts and such appointments are made with the approval of Appointments Committee of the Cabinet. The period of deputation in all cases is fixed in accordance with the instructions issued by the Department of Personnel & Administrative Reforms, from time to time.

बम्बई उपनगरिय क्षेत्र में स्थानीय रेल गाड़ियों के लिये बारह रैकों का उपयोग का प्रस्ताव

3785. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्थान को क्षमता में 30 प्रतिशत को वृद्धि करने के उद्देश्य से बम्बई उपनगरीय क्षेत्र में एक स्थानीय रेलगाड़ी के लिये नौ रेकों के स्थान पर बारह रेकों को उपयोग करने का प्रस्ताव रेलवे प्रशासन के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) इसे कार्यान्वित करने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(घ) ये कठिनाइयां कैसे तथा कब दूर कर दी जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) : बम्बई उपनगरीय क्षेत्र में 12 कार वाले रेकों का चलाना आरम्भ करने के लिए 1968 में एक सर्वेक्षण किया गया था। लेकिन सब-स्टेशनों, प्लेटफार्मों के विस्तार, गाड़ियां ठहराने की सुविधाओं आदि के रूप में अवसंरचना सम्बन्धी निर्माण-कार्यों के विकास की कठिनाइयों के कारण ऐसा करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

मनमाड-बैंजनाथ सेक्शन का छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलना

3786. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में मनमाड़ पारली–बैंजनाथ छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण कब पूरा किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि यह एक अनुमोदित कार्य है;

(ग) उक्त सर्वेक्षण के पूरे होने के पश्चात् उक्त रेल लाइन के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) यदि अब तक कोई प्रगति नहीं हुई तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त परियोजना पर कार्यवाही कब आरम्भ की जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 1975 में।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ) : धन की सीमित उपलब्धता के कारण अभी इस परियोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना सम्भव नहीं हो पाया है। परियोजना के मनमाड़ -औरंगाबाद खंड पर 1978-79 में निर्माण कार्य हाथ में लेने का प्रस्ताव है जिसके लिए बजट में 25 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है।

भारतीय उर्वरक निगम की सिन्दरी यूनिट के आधुनिकीकरण संयंत्र के श्रमिकों द्वारा हड़ताल

3787. **श्री ए० के० राय** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम की सिन्दरी युनिट के आधुनिकीकरण संयंत्र के कर्मचारी 7 मार्च, 1978 से अपनी मांगों के समर्थन में औजार रख दो हड़ताल पर हैं; यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं और इन्हें पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उर्वरक निगम कामगर संघ ठेका श्रमिकों की मांगों पर काफी समय से आन्दोलन कर रहा है; और

(ग) क्या यह सच है कि प्रबन्धक कामगर संघ से इस तर्क पर बातचीत करने से इन्कार करते है कि यह मान्यता प्राप्त नहीं है जबकि वे अन्य गैर मान्यता प्राप्त संघों से बातचीत करते हैं, यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) से (ग) : एफ०सी० आई० में स्थायी रूप में लगने की मांग को लेकर एफ०सी०आई० के सिन्दरी आधुनिकीकरण परियोजना के निर्माण के लिए विभिन्न ठेकेदारों द्वारा लगाए गए कामगार 6 मार्च, 1978 उपराह्न से प्राप्त: 15 मार्च, 1978 तक जब हड़ताल समाप्त की गई थी, औजार रख दो हड़ताल पर थे । मांग को एफ० सी० आई० कामगर यूनियन का समर्थन था । एफ०सी०आई० के कुछ पुराने संयंत्रों को बन्द करने के कारण एफ०सी०आई० में अधिशेष कर्मचारियों होने के कारण वे ठेकेदारों के कामगारों को जिनकी संख्या लगभग 13,00 हैं, लेने में असमर्थ है । जब यूनियन को एफ०सी०आई० के प्रबन्धक के साथ उपर्युक्त विषय पर चर्चा हुई थी । उपर्यूक्त स्थिति एफ०सी०आई० कामगार यूनियन को स्पष्ट की गई थी । यह सत्य नहीं है कि एफ०सी०आई० ने इस विषय पर उप ुक्त यूनियन के साथ बात चीत करने से इंकार किया था ।

Book Stalls at Railway Stations

3788. **Shri Raghavji:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the total number of bookstalls at the railway stations in the country and the income earned by the Railway thereby during the last three years, separately;

(b) the names of those companies, firms and owners who have more than one hundred bookstalls and the number thereof in each case; and

(c) whether any scheme has been formulated with a view to decentralise stall ownership and if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) There are 835 bookstalls at the stations on Indian Railways. The royalty and licence fee earned by Railways from these bookstalls during the last 3 years 1975, 1976 and 1977 have been Rs. 7,35,069, 8,67,005 and 7,86,378 (provisional) respectively.

(b) Messers A. H. Wheeler & Co. have 380 bookstalls at 276 stations. No. other contractor has more than 100 bookstalls.

(c) The present policy for the award of bookstall contracts at railway stations is that all fresh allotments of bookstalls will be given to (a) individual unemployed graduates within the age group 18 to 30 years, their partnerships, associations and cooperatives and (b) Cooperatives of actual workers/vendors of Railway bookstalls at:—

(i) stations where there is no bookstall at present but a bookstall may be considered necessary in future;

(ii) new stations which may be opened in future; and

(iii) new platforms added after 1-1-76 to existing stations, even where there is already a bookstall contractor.

चुंगी की वसूली

3789. **श्री युवराज** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे पर कोकामेह गंगा पर राजेन्द्र पुल पार करने वाले रेल यात्रियों से 1959 से चुंगी वसूल की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस पुल की निर्माण लागत कितनी है तथा यात्रियों और माल यातायात से कितना कर वसूल किया गया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) जी नहीं ।

(ख) राजन्द्र पुल के निर्माण की लागत 13,23,81,026 रुपए हैं जिसमें भूमि की कीमत 75,38,701 रुपए शामिल नहीं है ।

Appointment of Harijans in N. E. Railway

†3790. **Shri Ram Sevak Hazari:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Harijans have been ignored in appointments to Class II, III and IV posts in North-Eastern Railway from 1974 to January, 1978;

(b) whether corruption is one of the reasons for not filling the quota for Harijans; and

(c) whether Government will ensure the filling of the backlog of quota by 1978 by appointing Harijan candidates in N. E. Railway for the vacancies against this quota?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) No.

(b) No.

(c) A special programme has been launched on all the Railways from 1-10-1977 to fill up the shortfall in the quota reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Class III and Class IV services. This programme is scheduled to last upto 31-3-1978 during which all efforts will be made to fill up the quota to the maximum extent possible.

Profits Earned by Companies

3791. **Shri Yagya Datt Sharma:**
Shri Bharat Singh Chowhan:
Shri Subhash Ahuja:

Will the Minister of **Law, Justice and Company Aflairs** be pleased to state : the amount of profit earned by the companies connected with the 75 big industrial houses during the financial year 1976-77, separately?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): The particulars of profits for the years 1976 and 1977 have not yet become available. A statement is enclosed giving available information for the year

1975 in respect of the top 45 houses. Information for the year 1975 in respect of the remaining houses will be compiled and laid on the Table of the House.

Statement

Turnover and Profit before tax of the top 45 industrial houses for the year 1975.

(Rs. Crores)

Sl. No.	Name of the Industrial House	Turnover	Profit before tax
1	2	3	4
1	Tata	1,060·04	75·45
2	Birla	936·11	83·99
3	MafatlalI	337·19	22·16
4	J. K. Singhania	198·87	16·38
5	Thapar	251·85	26·69
6	Scindia	90·85	16·80
7	I.C.I.	238·78	22·88
8	Shri Ram	241·03	5·38
9	A.C.C.	142·15	10·21
10	Bangur	210·35	8·39
11	Kirloskar	181·99	13·93
12	Larsen and Toubro	108·92	11·47
13	Walchand	162·62	4·34
14	Khatau (Bombay)	193·18	16·66
15	I.T.C.	367·04	10·19
16	Macneill & Magor	97·68	7.26
17	Mahindra & Mahindra	113·91	1.80
18	Sarabahai	162·02	2.46
19	Kasturbhai Lalbhai	137·09	15.52
20	T.V.S. Iyengar	138·87	13·36
21	Hindustan Lever*	201·34	10.73
22	Bajaj *	120·82	8.01
23	Modi *	180·88	6·03
24	Parry	149·26	3·26
25	Dunlop	181·97	9·43
26	Bhiwandiwala*	47·02	3·89
27	Caltex	205·69	0·07
28	James Finlay	83·78	6·85

Statement—Contd.

1	2	3	4
29	G.K.W.	93·03	6·29
30	Union Carbide	119·87	11·64
31	Bird Heilger	103·00	6·04
32	Killick (Kapadia)	82·14	(—)5·69
33	Naidu G. V.	63·82	3·17
34	Brooke Bond	155·20	8·28
35	Godrej	86·25	5·20
36	Chowgule	37·53	7·13
37	Rallis	109·77	3·68
38	V. S. Dempo *	28·47	8·23
39	Phillips	65·85	5.25
40	Simpson	87·12	6.12
41	Madura Coats	58·38	1.80
42	Escorts	105·20	7·34
43	United Breweries	71·55	5·08
44	Kamani	45·60	(—)3·96
45	Ashok Leyland	95·40	9·94

NOTE *:—Turn Over and P. B. T. for the year 1974 in respect of following 5 companies viz. (i) Great Eastern Shipping Co. Ltd. (Bhiwandiwala), (ii) Modi Rubber Ltd. (Modi), (iii) Hindustan Lever Ltd. (Hindustan Lever), (iv) Mukand Iron & Steel Works Ltd. (Bajaj) and (v) Dempo Bros. (Pvt.) Ltd. (V. S. Dempo) have been repeated in the *year 1975*, in conformity with the statement furnished in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 170 answered on 21-2-1978.

Number of Hospitals in Northern Railway

†3792. **Shri Yagya Datt Sharma**
Shri Bharat Singh Chowhan
Shri Subhash Ahuja:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the total number of hospitals in Northern Railway;

(b) the names of the heads of these hospitals who have been working at the same station for three years or more;

(c) when the rules governing transfers in railways are likely to be implemented in this Railway;

(d) the reasons for not transferring them; and

(e) the number and names among them of those whose transfer orders were passed and cancelled?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) 15

(b) 1. Dr. A. P. Arora.
2. Dr. R. N. Kapoor
3. Dr. B. R. Bagga
4. Dr. A. P. Tandon
5. Dr. Ramesh Chandra
6. Dr. K. L. Nakra
7. Dr. P. N. Banerjee.

(c) There are no rules for compulsory periodical transfers of medical officers. In fact, for some years now, routine transfers are not being done.

(d) & (e) : Do not arise.

बांकुरा दामोदर रेलवे

3793. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बांकुरा से रैना तक बांकुरा-दामोदर रेलवे के सुधार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां तो वे प्रस्ताव क्या हैं ।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) बांकुरा-रायनगर छोटी लाइन पर 14.34 लाख रुपए की लागत से 7 कि०मी० रेल पथ का नवीकरण और स्टेशनों पर पानी और सफाई की व्यवस्था में सुधार करने का प्रस्ताव दक्षिण पूर्व रेलवे के विचाराधीन है ।

यात्रियों की सुविधाओं के लिये नियतन

3794. **श्री रामजी लाल सुमन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों को सुविधाओं के लिए वार्षिक नियतन चार करोड़ रु० से बढ़ा कर पांच करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया है और क्या यह राशि, बहुत कम नहीं है; और

(ख) स्टेशनों पर रात को ठहरने वाले जन साधारण की कठिनाइयां दूर करने के लिए सरकार द्वारा या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) यात्री सुविधाओं के लिए वार्षिक आबंटन की राशि को 4 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए तक करने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । समग्र वित्तीय कठिनाइयों के संदर्भ में यथाप्रस्तावित राशि को इस वृद्धि को ठीक समझा गया है ।

(ख) यात्रा के दौरान मुसाफिरों के लाभ के लिए, सभी स्टेशनों पर दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय तथा जहां औचित्य हो उन स्टेशनों पर प्रतीक्षा-कक्षों और विश्रामालयों जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है। स्टेशनों पर इन सुविधाओं की व्यवस्था/विस्तार क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता सुविधा समितियों के परामर्श से एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर किया जाता है बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हो।

Railway Bridges at Digha Ghat and Chhitauni Ghat

†3795. **Shri Ramdeo Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any scheme for construction of a railway bridge at Digha ghat (Patna) over the Ganga river and also at Chhitauni ghat in Deoria district over the Gandak river; and

(b) if so, the present position thereof and when the work thereon is likely to commence?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) & (b): An engineering-cum-traffic survey for construction of a rail bridge across the river Ganga in Kanpur-Allahabad-Mokameh-Monghyr reach has been carried out. One of the sites investigated in detail is near Patna. The technical aspects of the survey report are under study at present.

Construction of Chhitauni-Bagaha rail link including a bridge across the river Gandak is an approved work and some progress has already been made on this project. It has not been possible to make further progress on the project in the current year as no settlement has been reached with the Governments of Uttar Pradesh and Bihar regarding the sharing of the cost of the river training works of Gandak bridge. Further, Gandak river has shifted its course towards the east, necessitating re-examination of the location of the bridge and the design of the river training works, which is being done by the Irrigation Research Institute, Roorkee, at the instance of the Railway Administration. Further progress on this project can be made only after the results of the investigations are known.

विधान-पूर्व तथा विधानोत्तर समितियां

3797. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधान की समीक्षा करने के लिये संसद् सदस्यों की विधान-पूर्व तथा विधानोत्तर समितियां गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1947 से पूर्व अधिनियमित सभी विधियों की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या वर्ष 1947 से पूर्व की विधियां समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, यदि नहीं, तो उन्हें समाज की आशाओं के अनुरूप बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनि कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) से (ङ) : वर्ष 1947 से पहले अधिनियमित सम्पूर्ण विधान के पुनर्विलोकन का कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी, विधि आयोग को अन्य बातों के साथ निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :–

(क) राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान विधियों की जांच करना तथा उनमें सुधार के उपायों के सुझाव देना और ऐसे विधानों का भी सुझाव देना जो निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करने और संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों ।

(ख) सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना, जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विषमताओं, संदिग्धताओं और अनुचित बातों को दूर करना ।

रेलवे बोर्ड में स्टाफ कैन्टीन

3798. श्री डी०बी० चन्द्र गौडा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टाफ कैन्टीन द्वारा कर्मचारियों को घटिया किस्म का भोजन सप्लाई किये जाने के खिलाफ रेलवे बोर्ड के कर्मचारी आन्दोलन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने कर्मचारियों को क्या सुविधायें उपलब्ध की हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : 1977 के प्रारम्भ में रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों के एक वर्ग ने जलपान की कुछ वस्तुओं की कीमतों में हुई मामूली वृद्धि के खिलाफ शेष प्रकट किया था और खाद्य वस्तुओं की किस्म में गिरावट आने की भी शिकायत की थी । लेकिन, सितम्बर 1977 से रेलवे बोर्ड कर्मचारी कैंटीन की प्रबन्ध समिति का पुनर्गठन हो जाने पर कैंटीन सामान्य संतोषजनक रुप से कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है ।

Interview for Inspectors of Works Grade I

†3799. **Shri Daya Ram Shakya**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the names of employees allowed to appear in written test and interview on 17th June, 1975 for the posts of Inspector of Works Grade I (Pay scale Rs. 700-900) in North Eastern Railway and their dates of appointment, qualifications, designations and technical experience; and

(b) the names, dates of appointment, qualifications, designations and technical experience of the persons selected?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) and (b) : A statement is attached. **[Placed in the Library. See. No. L.T.—1875/78.]**

रेलवे मंत्रालय के आदेश

3800. **श्री दयाराम शाक्य** . क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेशों का पूर्वोत्तर रेलवे में पालन किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा चयन और पदोन्नति आदि के बारे में बनाये गये नियमों का उक्त रेलवे में पालन क्यों नहीं किया जाता है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) चयन, पदोन्नति आदि से सम्बन्धित नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है ।

Free Passes to M/s. A. H. Wheeler and Company

3801. **Shri R. L. Kureel:**
Shri Hargovind Verma:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the contracts of all the monopoly contractors in Railways before independence were terminated;

(b) if so, the reasons for not terminating the monopoly of railway bookstalls of M/s. A. H. Wheeler and Company;

(c) the amount of monthly income earned by railways by the royalty paid by M/s. A. H. Wheeler and Company to the railways;

(d) the number and value of air-conditioned, first class and second class free passes given to this Company by the railways;

(e) reasons therefor and the loss suffered by Railways as a result thereof during the last year; and

(f) whether before independence Indian Railways would award contracts for one year and after independence contracts were awarded for three years, but the reasons for awarding contract to M/s. A. H. Wheeler and Company for 9 years?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (f): A statement is attached.

Statement

(a) & (b): The existing major bookstall contractors M/s. A. H. Wheeler & Co., M/s. Gulab Singh & Sons and M/s. Higginbothams have been holding bookstalls at Railway stations from pre-independence days. The monopoly rights previously enjoyed by M/s. A. H. Wheeler & Co. for holding bookstalls exclusively over an entire Zonal Railway or over large areas thereof, were withdrawn with effect from 1-8-1960 and at present there is no bookstall contractor having monopoly rights on the Railways.

(c) Royalty paid by M/s. A. H. Wheeler & Co. (Pvt.) Ltd. during the last 3 years was as under:—

1975—Rs. 5,39,083

1976—Rs. 6,31,965

1977—Rs. 7,07,000 (Estimated)

(d) & (e): No air-conditioned pass has been issued to any bookstall contractor. At present 32 First Class and 40 Second Class Card Passes have been issued to M/s. A. H. Wheeler & Co. (Pvt.) Ltd. There is no parameter to determine the value of the card passes as this is dependent on the utilisation of these passes. Passes have been issued to M/s. A. H. Wheeler & Co. and also to other major bookstall contractors for effective and satisfactory supervision, operation and maintenance of bookstalls which are spread over a large number of stations and on more than one zonal railway. The question of loss suffered by railways on account of these passes, therefore, does not arise in view of this being an amenity for passengers.

(f) Prior to 1967, the tenure for all bookstall contracts was uniformly 5 years. The three major bookstall contractors, M/s. A. H. Wheeler & Co., M/s. Higginbothams and M/s. Gulab Singh & Sons were having an "automatic renewal" clause in their agreements. Since the "automatic renewal" clause would have perpetuated these contractors on the Railways, it was decided to delete the clause from the subsequent agreements of these three major contractors with effect from 1-1-1967. Consequent upon the decision to eliminate the renewal clause, representations were received from these three contractors and as suggested by the Union Ministry of Law, the matter was negotiated with the contractors. These three contractors agreed to the deletion of the "automatic renewal" clause provided they were given a longer term of 9 years. Considering the unfavourable legal implications involved in the "automatic renewal" clause, it was decided to enhance the tenure of these 3 contractors from 5 years to 9 years with effect from 1-1-1967 and the automatic renewal clause was deleted.

फर्मों के विरूद्ध एकाधिकार वादी आयोग को प्राप्त हुई शिकायतें

3802. **श्री वी० एम० सुधीरन :**
श्री वयालार रवि :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनि कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान एकाधिकारवादी आयोग को किन फर्मों के विरुद्ध कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई; और

(ख) इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई और आयोग के समक्ष कौन से मामले अनिर्णित पड़े हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनि कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग को 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए गत पांच वर्षों के मध्य 733 शिकायतें प्राप्त हुई थीं उन फर्मों जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थी के नामों को संकलित किया जा रहा है, एवं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

(ख) आयोग ने इन शिकायतों पर निम्न कार्यवाहियां कीं :—

(1) शिकायतें, जिनमें निबंधनकारी व्यापार प्रथायें/एकाधिकारी व्यापार प्रथायें, नहीं पाई गई थीं, अतः फाइल कर दी गई .	189
(2) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विरुद्ध, शिकायतें, जो एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के सीमान्तर्गत नहीं आतीं .	23
(3) शिकायतें, जिनके लिये जांचें प्रवर्तमान हैं . . .	87
(4) शिकायतों के आधार पर, एकाधिकार एवं निबंधकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 10 (क) (1) तथा 10 (क) (4) के अन्तर्गत संस्थापित जांचें, जो आयोग द्वारा अन्तिम रूप से निपटा दी गईं .	55
(5) शिकायतों के आधार पर, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, की धारा 10(क)(1) तथा 10(क)(4) के अन्तर्गत संस्थापित जांचें जो अभी तक आयोग के समक्ष अनिर्णित हैं .	70
(6) एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर की शिकायतें, जो या तो संबन्धित प्रशासनिक मंत्रालय को भेज दी गई, अथवा ऐसी नाम रहित शिकायतें जो आयोग द्वारा बिना किसी कार्यवाही के फाइल कर दी गई, या ऐसी शिकायतें, जिनमें पार्टियों ने परस्पर समझौते कर दिये	309
योग .	733

रेल सेवाओं में सुरक्षा के लिये उपाय

3803. **श्री अमर सिंह वो० राठवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ व्यक्तियों, रेलवे संघों, एसोसियेशनों और महासंघों से कुछ पत्र, ज्ञापन, आदि प्राप्त हुए हैं जिनमें रेल सेवाओं में सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के बारे में सुझाव दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सुझावों को क्रियान्विति के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार ने उक्त सुझाव भेजने और रेलवे प्रशासन को सहयोग देने के लिये उन व्यक्तियों और संघों की प्रशंसा की है और इसके लिये उन्हें कोई शुभकामनाएं भेजी हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) ये अधिकांशतः रेल पथ के अनुरक्षण चल-स्टाक, रेल पथ पर गश्त लगाने अन्वेषणों/उपकरणों तथा गाड़ी परिचालन में सुरक्षा सम्बन्धी अन्य मामलों से सम्बन्धित है।

(ग) सुझावों की जांच की जाती है और यथावश्यक कार्रवाई की जाती है ।

(घ) जी हां ।

चलती गाड़ियों में यात्रियों को लूटने की घटनाएं

3804. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1977 से फरवरी, 1978 तक चलती रेल गाड़ियों में यात्रियों को लूटने की कितनी घटनाएं घटी थीं;

(ख) विभिन्न रेलवे और जोनों में घटने वाली उक्त घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें कितने व्यक्ति मारे गये, घायल हुए तथा माल की कितनी क्षति हुई;

(घ) प्रत्येक व्यक्ति को वस्तू तथा नकद रूप में दिये जाने वाले मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ङ) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) उक्त अवधि में कितनी दुर्घटनाएं रेल पटरियों में तोड़-फोड़ के कारण घटी और उक्त मामले में सम्मिलित होने के कारण कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का मध्य क्षेत्र में गतिविधियों के लिए मुख्यालय

3806. **श्री चित्त बसु** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने मध्य क्षेत्र में गतिविधियों के लिए मुख्यालय कलकत्ता में स्थापित करने का निर्णय 1975 में कर लिया था; और

(ख) यदि हां, तो उस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

पट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : तेल और प्राकृतिक गैस का भूमिगत प्रक्रियाओं का तीन क्षेत्रों में विभाजन किया गया है । यह पश्चिमी, पूर्वी तथा केन्द्रोय/पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात राज्य तथा पूर्वी क्षेत्र में असम तथा कुछ उत्तर पूर्वी राज्य आते है, देश का शेष भाग केन्द्रीय क्षेत्र में आता है और कलकत्ता तथा देहरादून के बीच बटा हुआ है ।

केन्द्रोय क्षेत्र के लिए खुदाई एवं उत्पादन कार्य के लिये समस्त योजना तथा सामग्री व्यवस्था का कार्य देहरादून में किया जाता है । समस्त केन्द्रोय क्षेत्र के भू-वैज्ञानिक कार्य की देख-रेख कलकत्ते से की जाती है । पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अण्डमान में खुदाई कार्य की देख-रेख कलकत्ता स्थित एक महाप्रबन्धक द्वारा की जाती है । देहरादून स्थित एक महाप्रबन्धक केन्द्रीय क्षेत्र के शेष क्षेत्रों में यानि जम्मू और काश्मीर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब , उत्तर प्रदेश आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडू में प्रक्रियाओं के चलन तथा नियंत्रण के लिये उत्तरदायी बनाया गया है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

3807. **श्री चित्त बसु** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों को किस दर पर मकान किराया भत्ता अदा किया जाता है;

(ख) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग देश भर में मकान किराया भत्ते के युक्तिकरण के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) कलकत्ता में तैनात कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता की दर निम्नलिखित है :—

वेतन	मकान किराया भत्ता की दर
मासिक 100 रुपए से नीचे . . .	25 रुपए प्रति मास ।
100 रुपए और उससे ऊपर . . .	न्यूनतम 30 रुपए तक और अधिकतम 500 रुपए की शर्त पर वेतन का 25 %।

(क) और (ख): मकान किराया भत्ते के मामले में ओ०एन०सी०जी० (तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग) अनिवार्य रूप से सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा सारी मार्गदर्शी रूप रेखाओं को अपनाता है ।

उत्तर सीमान्त रेलवे के कर्मचारियों की संख्या

3808. **श्री शिव सम्पत राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर सीमान्त रेलवे के अलीपुर द्वार, तिनसुखिया, कटिहार और लम्डिंग डिवीजनों में जिसमें वर्कशाप और कन्स्ट्रक्शन विभाग भी शामिल है, वर्ष 1972 और 31 दिसम्बर, 1977 तक विभिन्न श्रेणियों में रेलवे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) उत्तर सीमान्त रेलवे में सब डिवीजनों में प्रत्येक वर्ष विभिन्न श्रेणियों में नियुक्त किये गये अथवा पदोन्नत किये गये कुल कर्मचारियों का संख्या कितनी थी और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य व्यतियों की संख्या कितनी थी (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की सूची दी जाना चाहिए); और

(ग) उत्तर-सीमान्त रेलवे के उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित डिवीजनों में सब श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये निर्धारित आरक्षित पदों पर सीधी नियुक्तियों तथा पदोन्नति द्वारा कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आई० आर० सी० ए० आदि कार्यालयों में रेल कर्मचारी

3809. श्री शिव सम्पत्ति राम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 के दौरान और 31 दिसम्बर, 1977 तक आई०आर०सी०ए०, आई० सी० एफ०, सी०एल०डब्ल्यू०, डी०एल०डब्ल्यू, भारतीय रेलों के रेलवे सेवा आयोग मेट्रोपोलीटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्टस आफ इंडियन रेलवेज, आफिसर्ज जोनल ट्रेनिंग स्कूल्स आफ इंडियन रेलवेज तथा रेलवे बोर्ड रेल कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) भाग (क) में उल्लिखित सभी कार्यालयों में प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न श्रेणियों में कितने कर्मचारी भर्ती किये गये और पदोन्नत किये गये और उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य जातियों के कुल कितने व्यक्ति थे (अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की सूची दी जाये); और

(ग) सीधी भर्ती और पदोन्नतियों के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये निर्धारित आरक्षित रिक्त पदों के लिये उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित सभी कार्यालयों में हुई कमी को पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय रेलवे का कार्यकरण

3810. श्री वसन्त साठे : क्या रेल मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष में भारतीय रेलवे के कार्यकरण का पुनर्विलोकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं और गत वर्ष का इसी अवधि की तुलना में यह स्थिति कैसी है;

(ग) क्या यह सच है कि प्रारंभिक 5 महीने की अवधि के दौरान कुछ उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद स्थिति पुनः विपरित होती जा रही है और वर्ष के उत्तरार्ध में यह प्रवृत्ति स्पष्ट नजर आई है और चालू वर्ष के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में किये गये कार्य की पृथक पृथक कसौटी क्या है; और

(घ) स्थिति में सुधार लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : जी हां । कार्य-निष्पादन की हर माह समीक्षा की जाता है और महीने के अन्त में सकल आमदनी तथा संचालन व्यय की तुलना उस महीने के अन्त में प्रत्याशित सकल आमदनी तथा संचालन व्यय से और साथ ही पिछले वर्ष की तदनरूपी अवधि के वास्तविक आंकड़ों से की जाती है । जनवरी, 1978 के अन्त में की गयी समीक्षा की एक प्रति अनुबन्ध 'I' के रूप में संलग्न है ।

(ग) एक विवरण अनुबंध 'II' के रूप में संलग्न है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 1876/78]

पेट्रोलियम उत्पादों की कमी

3811. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आमतौर से कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : तरल पेट्रोलियम गैस तथा पैराफिन मोम जिन के सम्बन्ध में कमी महसूस की जा रही थी, को छोड़कर अन्य किसी पदार्थ की कोई सामान्य कमी नहीं है। तरल पेट्रोलियम गैस के सम्बन्धों में मांग उत्पाद की उपलब्धता से कही अधिक है। परन्तु वर्तमान ग्राहकों को गैस की मांग सामान्यता पूर्ण रूप से की जा रही है। तरल पेट्रोलियम गैस की अस्थाई कमी की अवस्थाओं में आवश्यकतानुसार मुक्त विदेशी मुद्रा स्त्रोतों से 'एस्पाईड क्रूड' के आयात की अनुमति दी जाती है। पैराफिन मोम जो कि मुख्यत: आसाम तेल कम्पनी को डिगबोई शोधनशाला में उत्पादन की जाती है मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अत: 1977-78 के आयात नीति के अन्तर्गत पैराफिन मोम के सारणीबद्ध आयात की स्वीकृति दी गई है। 1977-78 के लिए विदेशी मुद्रा स्त्रोतों से 1800 मी० टन पैराफिन मोम के आयात के लिए पक्की व्यवस्था की गई है। जहाँ तक अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का सम्बन्ध है, कुछ क्षेत्रों में टैंक वैगनों द्वारा इनके अपर्याप्त परिवहन के कारण अल्प कालिक उपलब्धता की समस्या हो गई थी। इस सम्बन्ध में कई उपाय किये गये हैं तथा टैंक वैगनों की क्रिया में भी महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इन सभी के फलस्वरूप अब स्थिति काफी सुधर गई है।

रेल सेवा को आयोग के माध्यम से विधि सहायकों का चयन

3812. **श्री हरगोविन्द वर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभागीय विधि सहायकों का चयन भी केन्द्रीय सचिवालय विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं की भांति रेल सेवा आयोग के माध्यम से न करने के क्या कारण हैं क्योंकि प्रशासनिक विभाग द्वारा उनके चयन में दो से तीन वर्ष लग जाते हैं; और

(ख) उस में रेलवे बोर्ड को क्या आपत्ति है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : विधि सहायकों की 33-1/3% रिक्तियां खुली प्रतियोगिता द्वारा रेल सेवा आयोग के माध्यम से भरी जाती हैं और शेष 66-2/3% रिक्तियां विभागीय रूप से प्रवरण द्वारा सेवारत कर्मचारियों में से भरी जाती हैं। रेल सेवा आयोग जैसा कि उनका अब संघटन किया गया है विभागीय प्रवरण नहीं कर पायेंगे। रेलों पर ऐसे प्रवरण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार यथोचित रूप से संघटित प्रवरण बोर्डों द्वारा आयोजित किये जाते हैं। सामान्यत: विभागीय प्रवरणों को बिना विलम्ब के निपटाया जाता है। जिन मामलों में उम्मीद- वार मुकदमेबाजी का आश्रय लेते हों अथवा वरिष्ठता आदि के बारे में विवाद उठ खड़ा हो उनको छोड़कर, आमतौर पर बहुत अधिक विलम्ब नहीं होता है।

भारतीय उर्वरक निगम के सिंदरी एकक में भरती

3813. **श्री ए०के० राय** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के बाद भारतीय उर्वरक निगम के सिंदरी एकक और पी० एंड डी० में विभिन्न श्रेणियों में कितने लोगों की भरती की गई और उसमें छोटा नागपुर के हरिजनों, आदिवासियों और स्थानीय लोगों की प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सिंदरी में हरिजन, आदिवासी आदि की प्रतिशतता अभी भी श्रेणियों में न्यूनतम से कम रखकर समाज के निर्बल वर्गों के हितों की लगातार उपेक्षा की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इन तथ्यों का ब्यौरा क्या है तथा इस स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क), (ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी ।

रेलगाड़ियों में एक रुपये वाला जनता भोजन उपलब्ध करना

3814. **श्री समर गुहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लम्बी दूरी वाली रेलगाड़ियों पर एक रु० वाला जनता भोजन उपलब्ध करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह पता है कि "सोसाइटी फार दी सर्वेंट्स आफ गाड" द्वारा कई वर्ष तक संसद् में एक रु० का संतुलित भोजन उपलब्ध किया जाता रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस सोसाइटी से परामर्श करेगी और गाड़ियों के लिये एक रु० का संतुलित भोजन तैयार करने के बारे में उनकी सलाह और अन्य सहायता लेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) : यह पता चला है कि संसद भवन में अब एक रुपए वाला भोजन नहीं परोसा जाता है । इस भोजन की व्यंजन सूची में द्रव पदार्थ होते थे और चूंकि जनता पैकेटों में आवश्यक रूप से सूखे भोजन को मदों को स्वच्छता पूर्वक पोलीथीन की थैलियों और कागज के डिब्बों में पैक किया जाता है ताकि उन्हें गाड़ियों में आसानी से परोसा जा सके, इसलिए द्रव पदार्थों को जनता भोजन पेकेटों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता । रेल प्रशासन जो कुछ समय तक रेलों पर विभागीय रूप से खान-पान की व्यवस्था करते रहे हैं, वे अब भी कम कीमत वाले भोजन के पैकेट बेच रहे हैं और उन्हें इस क्षेत्र में पर्याप्त सुविज्ञता भी प्राप्त है । जनता खाने के पैकेटों में अच्छी किस्म का सम्पूर्ण भोजन सप्लाई करने के लिये सभी प्रयास किये जायेंगे ।

आसम के कछार जिले में तेल और गैस संशोधन

3815. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में कछार जिले में भूगत तेल और गैस संसाधनों की क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) उनका पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ग) : असम के कच्छार क्षेत्र में ओ०एन०जी०सी० द्वारा अब तक किये गये भू-गर्भीय और भू-भौतिकीय सर्वेक्षणों से वहां तेल तथा गैस भंडारों के पाये जाने की सम्भावनाओं का पता चला है। अन्वेषी व्यधन कार्य के लिये सात संरचनाओं अर्थात् चारगोला, बसोमपुर, कंचनपूर, छतचुड़ा, पठारिया, बदरपुर और चाँदीपुर को पहचान लिया गया है। चारगोला संरचना नामक एक स्थान पर एक व्यधन कार्य 5-7-1977 को आरम्भ किया गया था और इस समय इस कार्य में प्रगति हो रही है।

Employment to relatives of deceased Railway Employees

†3816. **Shri Chandradeo Prasad Verma :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of applications from the relatives of railway employees, who have died recently, for employment on compassionate grounds are pending consideration; and

(b) if so, when Government propose to take decision on them ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Requests for employment for the widows of deceased employees are awaiting compliance to some extent.

(b) In the case of qualified and suitable male dependants, there is not much difficulty in offering appointments in a reasonable time on compassionate grounds. However, in the case of illiterate widows and women dependants, there is difficulty in finding suitable vacancies as there are only very few categories where they can be employed. Every effort is being made to provide them employment as vacancies arise.

क्लोरोम्फनिकोल पाउडर और एल-बेस की आयात

3817. **श्री गोविन्द मुण्डा** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और ऊर्वरक** मंत्री क्लोरेम्फेनिकोल पाउडर और एल-बेस के आयात के बारे में 21 फरवरी, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 37 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने किन विस्तृत आधारों पर यह कहा है कि आर०ई०पी० लाइसेंस पर क्लोरेम्फेनिकोल पाउडर और एल-बस का बड़ी मात्रा में आयात का प्रश्न नहीं उठता; और

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एल-बेस के आयात के लिये लगभग 55 लाख रुपए का एक लेटर आफ क्रेडिट अगस्त, 1977 में खोला गया था, जो अन्य योरोपीय निर्माता से एल-बेस के आयात के लिये 27-9-1977 से पूर्व खोले गये लेटर आफ क्रेडिट के अतिरिक्त था, उपरोक्त वक्तव्य के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 21 फरवरी, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में यह बताया गया था कि 1977-78 के लिए आयात नीति जिसके अन्तर्गत आई०ई०पी० लाइसेंस पर प्रपुंज औषधों की निर्बंधित तथा प्रतिबन्धित सरणीबद्ध मदों का आयात किया जाता था, 27 सितम्बर, 1977 से उसमें संशोधन किया गया है। परिणाम यह हुआ कि 27 सितबर, 1977 की नीति को ही तरह औषधों के अलावा अन्य मदों के निर्यात की अपेक्षा सरणीबद्ध औषधों के आयात के लिए आई०ई०पी० लाइसेंस देने की सुविधाएं वापिस ली गई हैं। उसी आधार पर उत्तर में यह बताया गया था कि आई०इ०पी० लाइसेंस पर क्लोरेम्फेनीकल पाउडर तथा एल-बेस का भविष्य में अर्थात् नई नीति के प्रभावी होने के पश्चात् बड़ी मात्रा में आयात करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) मैसर्स लैक लबोरेट्रीज प्राइवेट लि० बलसार ने 27 सितम्बर, 1977 से पहले ही आर०ई०पी० लाइसेंस पर 55,31,499 रुपयों के एल०-बेस आयात सबन्धी प्रबन्ध किये थे जबकि आर०इ०पी० लाइसेंसों पर 10ल-बेस के आयात सबन्धी प्रबन्ध उनके द्वारा किये गये थे उस समय की प्रचलित आयात नीति के अन्तर्गत पार्टी द्वारा यह आयात कानूनी रूप से माना गया है।

बम्बई में उपनगरीय गाडियों में भीड़ भाड़

3818. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बृहत बंबई में तथा उसके चहूं ओर चलने वाली उपनगरीय गाड़ियों में हर समय भीड़-भाड़ रहती है;

(ख) यदि हां, तो उस दबाव को कम करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने बम्बई नगर के लिये भूमिगत मुद्रिका रेल के लिये कोई वैकल्पिक योजना तैयार की है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : लाइन/टर्मिनल सुविधाओं और बिजली गाड़ियों जैसे आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप ही उप-नगरीय गाड़ियां चलायी जाती है। यात्रियों को राहत देने के लिए 1977-78 में अब तक, 64 उपनगरीय गाड़ियां (14 मध्य रेलवे पर और 50 पश्चिम रेलवे पर) चलायी गयी हैं और 29 उपनगरीय गाड़ियों का (11 मध्य रेलवे पर तथा 18 पश्चिम रेलवे पर) चालन क्षेत्र बढ़ाया गया है।

(ग) और (घ) : भूगत परिक्रमा रेलवे की कोई योजना नही बनायी गयी है क्योंकि भूगत रेलवे बहुत खर्चीली है।

रेलवे द्वारा माल की निःशुल्क ढुलाई

3819. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश में हाल के तुफान से ग्रस्त हुए लोगों को राहत का सामान पहुंचाने के लिये रेलवे ने विभिन्न स्थानों से आंध्र के विभिन्न स्थानों तक माल की निःशुल्क ढुलाई की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे द्वारा उक्त प्रयोजन के लिये गुजरात से कुछ ट्रैक्टरों की भी ढुलाई की गई थी और यदि हां, तो क्या वे तत्परता तथा दक्षता से भेज दिये गये थे;

(घ) यदि नहीं तो क्यों नहीं; और

(ङ) क्या इसमें विलम्ब के लिये उत्तरदायी रेल कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई थी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : जी हां । यह रियायत चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में पोड़ितों के बीच निःशुल्क वितरण से सम्बन्धित सहायता सामग्रियों के लिए दी जाती है और जब भारत में किसी भी स्टेशन मे बुक की जाती है और परेषकों से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर विशिष्ट प्राधिकारियों को भेजी जाती है कि परेषण उपहार है या जनता द्वारा सहायता कार्यों के लिये दी गयी निधि से खरीदा गया है और केन्द्र या राज्य सरकार या उनकी किसी एजेंसी द्वारा इसके लिए भुगतान नहीं किया गया है ।

(ग) से (ङ) : अहमदाबाद से विजयवाड़ा के लिए एक पार्सल यान में लदे 5 ट्रैक्टर बम्बई सेंट्रल तक ले जाये गये जिससे उनके परिवहन में कुछ देरी हुई । इसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा रहा है और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जायेगी ।

पुणे में एक ढोंगी व्यक्ति की गिरफ्तारी

3820. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुणे में हाल में एक कथित ढोंगी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था जो गत कुछ वर्षों से एक जाली वी०आई०पी० पास पर गाड़ियों में यात्रा करता था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण तथ्य क्या है;

(ग) उसको निःशुल्क रेल पास जारी किस प्रकार किया गया और यदि नहीं, तो वह बिना रोक टोक किस प्रकार यात्रा करता रहा;

(घ) उक्त ढोंगी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) क्या उक्त ढोंगी व्यक्ति ने रेलवे से ठहरने की सुविधा सहित कोई निःशुल्क आवभगत सुविधा का भी लाभ उठाया और यदि हां, तो किस प्रकार ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) रेल सतर्कता विभाग द्वारा एक निवारक जांच के दौरान रेलवे बोर्ड द्वारा तथाकथित जारी किये गये पहले दर्जे के मानार्थ कार्ड पास कर यात्रा करते हुए दो यात्री पकड़ गये थे । इनमें से एक पास जाली होने के शक पर रेलवे सतर्कता निरीक्षक द्वारा कब्जे में ले लिया गया था । आगे जांच से पता चला था कि कब्जे में लिया गया वह पास और दूसरा पास जो इस यात्री से बाद में कब्जे में लिया गया था, जाली थे । रेलवे सतर्कता विभाग ने इस मामले को आगे और जांच करने तथा कानूनी कार्रवाई के लिए राज्य के खुफिया विभाग को सौप दिया है ।

(ग) रेलवे बोर्ड द्वारा इस यात्री को पहले दर्जे का कोई मानार्थ कार्ड पास जारी नहीं किया गया था । उस यात्री ने जाली पास पर यात्रा की थी ।

(घ) राज्य खुफिया विभाग द्वारा एक मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच-पड़ताल का काम प्रगति पर है ।

(ङ) इस विषय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

Water Accumulation in Barauni Refinery

3821. **Shri Ramjiwan Singh:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether Barauni refinery remained closed for many days due to accumulation of rainy water in the refinery area during rainy season of 1976; and

(b) if so, whether human lapses were also one of the reasons for water accumulation ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) The various units of Barauni Refinery were closed down for periods ranging from 11 to 26 days in September 1976, due to accumulation of rain water within the Refinery compound, which had entered the cable trenches and some electrical installations.

(b) The accumulation of rain water within the Refinery compound according to the Indian Oil Corporation was a direct result of the unprecedented rainfall in the area. According to them it was beyond the control of the Refinery management to avoid the disturbance caused by it.

Refreshment Rooms in Stations

3822. **Shri Ramjiwan Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of railway stations in India where there is provision of refreshment rooms and the number of trains in which there is provision of dining cars;

(b) the number of persons engaged in the above profession; and

(c) whether the condition of the low paid employees engaged in the above profession is not satisfactory ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) & (b): The mobile catering car service has been provided on 70 pairs of trains. Information in respect of Refreshment Rooms and part (b) of the question is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

(c) The mobile catering cars and Refreshment Rooms are managed both departmentally by the Railways and by contractors licenced by the Railways. The service conditions of the railway employees working in departmental units are the same as those of other railway employees. A decision has been recently taken to absorb all commission bearers attached to departmental Refreshment Rooms and mobile units as regular railway employees in a phased manner. As regards service conditions of the employees of the contractors, the railways do not keep details as they are private employees of the contractors. The service conditions of these employees are governed by extant labour laws. If specific cases of such employees not having satisfactory conditions of service are brought to the notice of the Railways, the matter will be examined.

Difference between Cost Price and Sale Price of Kerosene oil

3823. **Shri Ramjiwan Singh:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether there is wide difference between the cost price and sale price of kerosene oil;

(b) the reasons for heavy fluctuation in the price of kerosene oil; and

(c) whether it cannot be stopped ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) The difference between the ex-refinery price plus excise duty on kerosene oil and the basic ceiling selling price is marginal.

(b) & (c): Retail selling prices include elements of transportation, margin to agents, sales tax, octroi etc. which vary for different locations. For these reasons, it is not possible to have a uniform selling price of kerosene oil at each location, even though the ex-refinery price, the Central excise duty and the charges and profit of the oil companies are uniform.

Judicial system

3824. **Shri O. P. Tyagi:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that at present the judicial system is so complicated and lengthy that a person does not get quick justice in the present system which defeats the very purpose of justice;

(b) if so, whether Government would consider to set up a simple judicial system which may provide justice to the people at the earliest and at less cost; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): (a), (b) and (c): It is correct that delay often occurs in the dispensation of justice. Some steps have been taken to make changes in the old procedural and substantive laws with a view to expediting disposal of cases and reducing delays. Some of these legislative measures are:—

(i) The Constitution (Thirtieth Amendment) Act, 1972, which restricted the right of appeal to the Supreme Court in several matters;

(ii) The Code of Criminal Procedure, 1973 which replaced the old Criminal Procedure Code;

(iii) The Marriage Laws (Amendment) Act, 1976, which *inter alia* provides for expeditious disposal of matrimonial causes;

(iv) The Code of Civil Procedure (Amendment) Act, 1976, which make substantial changes in the civil procedure; and

(v) The Advocates (Amendment) Act, 1976 by which dual system was abolished in Bombay and Calcutta High Courts.

2. It is the intention of the Government to provide less expensive and prompt justice to the common man. With this object in view, the terms of the Eighth Law Commission, which has been reconstituted, have been revised and prominence has been given therein to the review of the system of judicial administration with a view to securing speedy clearance of arrears, quick and economical disposal of cases and simplification of procedure.

बन्देल-अजीमगंज रेल लाइन को दुहरा किया जाना

3825. **श्री दोनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बन्देल-अजीमगंज रेल लाइनों को दुहरे किये जाने और उसी खण्ड का विद्युतीकरण करने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) इस खण्ड की वर्तमान क्षमता यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती है । अतः इस खण्ड में दोहरी लाइन बिछाना या इसका बिजलीकरण करना आवश्यक नहीं समझा जाता ।

मद्रास और बंगलौर के बीच रेल सेवा को बहाल करना

3826. **श्री दोनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण रेलवे में मद्रास-बंगलौर तथा मद्रास-जोलारपेट्टै के बीच सवारी गाड़ियों को बहाल करने के लिये कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) 311/312 मद्रास-जोलारपेट्टै सवारी गाड़ी जिसे अगस्त 1973 में कोयले की कमी के कारण रद्द कर दिया गया था, मद्रास और जोलारपेट्टै के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए अब उसे एक एक्सप्रेस गाड़ी के रूप में पुनः आरम्भ किया गया है । मद्रास और इरोड़ के बीच 69/70 मद्रास-ओलवक्कोड सवारी गाड़ी को भी एरीकोण एक्सप्रेस के रूप में बदल दिया गया है । इस समय मद्रास जोलारपेटटै पर रुकने वाली सवारी गाड़ियों की एक जोड़ी और 95/96 मद्रास बेंगलूरु सवारी गाड़ी सहित जोलारपेट्टै बेंगलूरु खण्ड पर दो सवारी गाड़ियां चल रही हैं । बंगलूरू सिटी/जोलारपेट्टै और मद्रास के बीच एक अतिरिक्त सवारी गाड़ी चलाना परिचालनिक कठिनाइयों के कारण फिलहाल सम्भव नहीं है ।

Power Station for Mathura Oil Refinery

3827. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) when the contract for construction of the power station for Mathura oil refinery was awarded and the name of the competent authority who awarded it;

(b) the names of the tenderers along with their quotations and whether the contract was awarded to the lowest tenderer;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) whether he has received any complaint in this regard and the action taken thereon?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) The contract was awarded to M/s. Bharat Heavy Electricals Ltd. by the Indian Oil Corporation Ltd., on 15-3-1974 with the approval of the IOC Board of Directors.

(b) and (c): M/s. Bharat Heavy Electricals Ltd. are the only Government of India Undertaking who are geared up to execute such Thermal Power Stations on turn-key basis. Hence the job was awarded to them. The contract was given to them on the condition that they would quote prices within 10 per cent of the landed cost of similar imported equipment and plant. As per the understanding reached between IOC and BHEL, firm contract would be entered into as and when the details and job contents could be defined. So far work of the value of Rs. 17.23 crores has been awarded to M/s. BHEL. No other party was contacted by IOC in this regard.

(d) No, Sir.

Free Railway Passes to Persons of Aligarh District

†3828. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the names of persons belonging to Aligarh District, U.P. who have been provided with facility of free railway passes in U.P.; and

(b) since when they have been provided with these passes and the basis for it in each case and when these were renewed and on whose recommendation?

The Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain): (a) Kaka Hathrasi of Sangeet Karyalaya Hathras is at present having the facility of one first class all-India complimentary card pass, which is valid upto 29-4-78.

(b) He was issued with a 1st class all-India complimentary card pass on 30-4-76 and the same was renewed thereafter. Government have laid down the following broad guidelines for the issue of complimentary passes:

(i) Institutions and Organisations devoted to social, cultural, scientific, literary, sports and educational activities and whose work is of an all-India character.

(ii) Organisations devoted to the welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, backward and neglected sections, women, blind and handicapped persons, etc.

(iii) Eminent persons engaged in work of national importance for which they are required to undertake frequent journeys.

Based on these criteria, complimentary card passes are issued only to the persons/organisations covered by these guidelines on the merits of each case, on receipt of requests which are considered by Government.

Official Language Act, 1963

3829. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether his Ministry/Department has brought to the notice of their attached and subordinate offices, the provisions of Official Languages Act, 1963 and the rules made thereunder in June, 1976 for their implementation;

(b) if so, whether the Ministry/Department have ensured that the above provisions and rules are being implemented fully; and

(c) if not, the reasons therefor and steps being taken to ensure full implementation of the above provisions and rules?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes.

(b) & (c): With a view to ensure the strict compliance of the provisions of the Official Languages Act, 1963 as amended by Official Languages (Amendment) Act, 1967 and Official Languages Rules, 1976, several steps have been taken in the Board's Office and on Railways. A few of them are indicated as under :—

(i) Official Languages Implementation Committees have been set-up in different Railway Offices at Zonal/Divisional/Workshop levels. The meetings of these Committees are held regularly once in every quarter to review the progress made in the use of Hindi and ensure compliance of Official Language Rules and quick action is taken on the decisions taken in these meetings.

(ii) Quarterly Progress Reports are called for from all branches of the Board's office and all Railway Administrations. These reports are reviewed in the Board's office and discrepancies, if any, are pointed out to concerned Railway Offices to rectify the same.

(iii) Various check-points have been established in the Board's office and on Railways to ensure that the documents which are required to be issued in Hindi-English bilingual form are issued as such.

(iv) Railways have instructions that whenever Railway Officers go on tour or for inspection, they must also inspect the concerned offices to assess the progress made in the use of Hindi and submit a copy of their inspection report to Board's Office.

(v) Officers engaged on Hindi work in the Board's office and on Railways, also inspect Railway offices to ensure that orders regarding Official Languages are fully implemented.

(vi) Twelve Railway Offices including the entire North Eastern Railway and certain divisions of Central and Western Railways have been notified under Rule 10(4) of the Official Language (Use for Official purposes

of the Union) Rules, 1976. In all these offices, staff proficient in Hindi, are required to transact their entire work through Hindi in specified subjects.

(vii) Adequate number of Devnagari typewriters have also been purchased in different Railway offices. On 31-3-1976, there were 609 Devnagari typewriters on Railways, the number of which has now increased to 2006.

Manuals and Forms used in Ministry

†3830. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the total number of manuals and forms used in his Ministry/Department;

(b) the number of those, out of them, translated in Hindi and the number of those published in diglot form;

(c) the reasons for which the remaining manuals and forms have not been translated in Hindi or have not been published in diglot form so far; and

(d) the time by which these are likely to be prepared in diglot form ?

The Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain): (a) The total number of manuals and forms used on Railways are 550 and 22,664 respectively.

(b) :	Manuals	Forms
No. translated into Hindi	252	17,038
No. printed in diglot form	127	10,014

(c) & (d): Remaining manuals and forms are at various stages of Hindi rendering, vetting and printing. Since Hindi rendering of manuals and forms and their publication in diglot form involve a number of departments, information is being collected from these Departments/Ministries that by when they will be able to get them translated and printed in diglot form.

Availability of essential drugs

3831. **Shri Ishwar Chaudhry:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that life saving drugs and essential drugs are not available in the country for the last few days;

(b) if so, since when these are not available in the market and the reasons therefor; and

(c) the steps taken or proposed to be taken by the Government to improve the situation ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) & (b): Occasional shortages of some medicines with brand names are reported from different parts of the country. However, in most of the cases equivalent products of reputed manufacturers are generally available. Shortages of Streptomycin injections, an anti-TB drug, came to the notice of the Government in the last few months and of Dapsone tablets for the last two months. Shortage of

Streptomycin was on account of inadequate availability of the bulk drug in the International Market. Shortage of Dapsone was on account of higher demand from Trade Sources in some areas.

(c) Whenever shortages come to notice, the matter is taken up immediately with the concerned manufacturers for rushing supplies of the medicines. The problems, if any, of the manufacturers are also looked into.

Government took particular note of the situation reported with regard to Streptomycin injections and Dapsone tablets. As a remedial measure, the State Drug Controllers/Associations in the drug industry were requested to ask the Streptomycin vialers to curtail their production of Streptomycin-Penicillin combinations in order to increase the availability of Streptomycin injections. Major vialers were also separately requested to do so. I.D.P.L. and H.A.L., two public sector enterprises, have also been asked to augment their production to meet the situation. I.D.P.L. is reported to have already met with the bulk requirement of the industry for the quarter ending 31st March, 1978. The availability is expected to improve in the coming months.

As regards Dapsone tablets, Government have advised the two major producers—(i) M/s. Burroughs Welcome, and (ii) M/s. Bengal Chemical & Pharmaceutical Works Ltd. to expand their production and to meet the requirements of the voluntary organisations and trade on priority basis. Import of some quantity of the Bulk Drug has also been allowed.

Post of Hindi Translators lying vacant in Law Commission

†3832. **Shri Sharad Yadav :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of posts of Hindi Translators lying vacant in the official language unit of the Law Commission; and

(b) the period since when these posts are lying vacant and the reasons for not filling up these posts and the time by which these posts will be filled up ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nar Singh) : (a) There is no Official Language unit or posts of Hindi Translators in the Law Commission. The work of Hindi translation of the reports of the Law Commission is being done by the Official Languages Wing.

(b) Does not arise.

Translation of Central Excise and Income Tax Rules in Hindi

†3833. **Shri Sharad Yadav :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) When the Central Excise Rules and Income Tax Rules were received in the Legislative Wing of the Ministry of Law for translation into Hindi and by what time their Hindi translation will be made available; and

(b) whether he is aware that the delay in translating these rules into Hindi is causing hindrance in the promotion of use of Hindi in the Central Excise and Income tax Department offices ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nar Singh): (a) & (b): Rules made under Central enactments are taken up for translation into Hindi according to a phased annual programme drawn up by the Official Language (Legislative) Commission (now Official Languages Wing). Sometimes, it is not possible to adhere to the programme of work as certain other statutory rules have to be given priority for translation into Hindi in pursuance of urgent requests received from Ministries/Departments, etc.

Government are keenly aware of the necessity for publication of the Hindi version of the Central Excise Rules and the Income-tax Rules, at an early date. As these rules are voluminous in nature, it has not been possible to complete the translation thereof into Hindi so far. Every effort is being made to complete this work as early as possible. Incidentally, it may be stated that the forms prescribed under the Income-tax Rules and the Gift Tax Rules have been rendered in Hindi and are available to the public on demand, from the concerned Offices.

बेलरेक्स इंडिया लिमिटेड और बंगाल लैम्प्स के बारे में समाचार

3834. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 अक्तूबर, 1976 के 'ब्लिट्ज' में बेलरेक्स इण्डिया लिमिटेड और बंगाल लैम्प्स के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि अंशधारियों ने अनेक बार एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग से बेलरेक्स इंडिया लिमिटेड और बंगाल लैम्प्स के बीच सम्बन्ध की जांच करने के लिये कहा था;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि डी०आर०आई० और सरकार ने बंगाल लम्प्स द्वारा कर अपवंचन किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी ।

(ग) यद्यपि मेसर्स बेलरेक्स इंडिया लिमिटेड और मैसर्स बंगाल लैम्प्स के अंशधारियों ने कभी भी उसकी अपील नहीं की थी, किन्तु एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग स्वयं ने 16 अक्तूबर, 1976 के ब्लिट्ज के अंक में प्रकाशित कतिपय आरोपों के आधार पर कुछ जांच की थी । तथापि एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने अन्ततः निर्णय किया कि एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी कार्यवाही करना सम्भव नहीं था ।

(घ) नहीं, श्रीमान् जी ।

(ङ) इस सम्बन्ध में आसूचना में वृद्धि के परिणामस्वरूप दिनांक 27-1-77 को राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने मैसर्स बंगाल इलैक्ट्रिक लैम्प वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता के कलकत्ता और बंगलौर तथा विभिन्न अन्य स्थानों पर शाखा कार्यालयों और व्यापारियों के नामश: बम्बई, कानपूर,

दिल्ली और हैदराबाद के निवास स्थानों और व्यापारिक परिसरों की एक साथ तलाश की थी तथा कतिपय अभिशंसी दस्तावेजों को जिनमें उनके द्वारा उत्पादित माल पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के कर अपवंचन को प्रगट किया गया है, जब्त किया। मामले को कलेक्टर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, कलकत्ता/बंगलौर को, जिसमें मैसर्स बंगाल इलैक्ट्रिक लैम्प वर्क्स लिमिटेड के कलकत्ता और बंगलौर स्थित कार्यालय उत्पादन के सम्बन्ध में परिक्षेत्र में आते हैं, आगे आवश्यक कार्यवाही के लिए स्थानांतरित किया गया है। कलेक्टर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क बंगलौर द्वारा कारण बताओं नोटिस पहिले ही जारी कर दिया गया है जबकि मामला कलेक्टर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, कलकत्ता में विचाराधीन है।

आयकर अधिकारियों द्वारा नवम्बर, 1976 में इन मामलों के समूह में तलाशी ली गई थी तथा आगे जांचें प्रगति पर हैं।

रेलवे सुरक्षा बल के इंस्पैक्टरों के ग्रेड

3835. **श्री अहसान जाफरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल के इंस्पेक्टरों के तीन ग्रेड़ों को कम कर केवल दो ग्रेड अर्थात् पहला ग्रेड और दूसरा ग्रेड, बना दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त तीन ग्रेड़ों के अनुपात के बारे में अभी तक कोई निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का इस बारे में क्या रवैया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) ग्रेड़ों को मिलाने से पूर्व तीनों ग्रेड़ों में रेलवे सुरक्षा बल निरीक्षकों का अनुपात इस प्रकार था :—

ग्रेड I	5%
ग्रेड II	15%
ग्रेड III . . .	80%

दोनों ग्रेड़ों को लागू करने के बाद अनुपात के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) ग्रेड़ों के अनुपात का प्रश्न विचाराधीन है।

उच्च शक्तिप्राप्त शांतिलाल शाह समिति

3836. **श्री अहसान जाफरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे सुरक्षा बल सहित रेल कर्मचारियों को आवास सुविधा, कर्मचारियों के कल्याण तथा अन्य सुविधाओं के बारे में उच्च शक्ति प्राप्त शांतिलाल शाह समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(ख) सरकार ने उस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो क्या सरकार उच्च शक्तिप्राप्त शांतिलाल शाह समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के बारे में सोच रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेलों पर पुलिस व्यवस्था जिसमें रेलवे सुरक्षा बल के कार्य-कलाप भी सम्मिलित हैं, के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए शान्तिलाल एच० शाह उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की गयी थी। अन्य रेल कर्मचारी इस समिति की परीधि में नहीं आते थे। रेलवे सुरक्षा दल के आवास, कल्याण और सुविधाओं संबंधी सिफारिशों का एक विवरण संलग्न है ।

(ख) इन सभी सिफारिशों पर रेल मंत्रालय ने विचार किया था और संलग्न विवरण की क्रम संख्या 4 और 6 को छोड़कर कार्यान्वयन के लिए इन्हें स्वीकार कर लिया था । इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए रेलों को अनुदेश भी जारी कर दिये गये थे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

आवास, कल्याण, तथा सुविधाएं

(1) प्रत्येक मंडल के मुख्यालयों में रेलवे सुरक्षा दल के लिए एक नियमित "आरक्षण लाइनों" के निर्माण के लिए अलग क्षेत्र स्थापित किया जाये । इन लाइनों के अपने परेड और खेल के मैदान हों और उनमें यथा अपेक्षित सहायक इमारतें भी हों (सिफारिश स० 169) ।

(2) प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे के मुख्यालय में अपनी रिजर्व टुकड़ी के लिए मुख्य सुरक्षा अधिकारी की एक रिजर्व लाइन होनी चाहिए । (सिफारिश सं० 170) ।

(3) जहां दल के सदस्यों की संख्या कम हो, केवल विवाहितों के लिए आवास की व्यवस्था की जाये, लेकिन एक पृथक ब्लाक में । (सिफारिश संख्या 171) ।

(4) जहां आवश्यक हो, वहां रेलवे सुरक्षा दल के लिए इमारतों के निर्माण हेतु एक अलग निधि निर्धारित किया जाये । (सिफारिश संख्या 172) ।

(5) अपने रेलवे सुरक्षा दल के लिए रेलों को चरण-बद्ध आधार पर अलग इमारत कार्यक्रम बनाना चाहिए । (सिफारिश संख्या 173) ।

(6) अधिकारियों और निरीक्षक के पद तक के व्यक्तियों के लिए मुफ्त रिहायशी स्थान की व्यवस्था की जानी चाहिए (मद संख्या 174) ।

(7) रेलों के सभी मंडलीय, तथा क्षेत्रीय मुख्यालयों में अलग-अलग वाचनालय तथा मनोरंजन कक्षों की व्यवस्था होनी चाहिए ।

(8) खेल-कूद के सामान सप्लाई किए जाने की व्यवस्था भी की जाये और इस उद्देश्य के लिए सहायक सुरक्षा अधिकारियों/सुरक्षा अधिकारियों में वितरण करने के लिए मुख्य सुरक्षा अधिकारी के अधिकार में एक अलग से वार्षिक आबंटन होना चाहिए। (सिफारिश संख्या 176) ।

(9) जहां रेलवे सुरक्षा दल के अधिकारियों और कर्मचारियों का भारी संकेन्द्रीकरण हो ऐसे चुने हुए स्थानों पर रेलवे सुरक्षा दल के लिए कल्याण केन्द्र स्थापित किये जायें, जैसा कि एक खडगपूर में है । (सिफारिश संख्या 177) ।

भारत में तेल तथा गैस का उत्पादन करने में सोवियत रूस और भारत के बीच समझौता

3837. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के तट पर तेल तथा गैस के क्षेत्रों में उनका अन्वेषण तथा उत्पादन करने हेतु और आगे सहयोग करने के लिए सोवियत रूस और भारत के बीच दिसम्बर, 1977 में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सोवियत रूस ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के तट पर विकासाधीन तेल क्षेत्रों पर कृत्रिम उठाऊ साधनों का उपयोग आरम्भ करने के लिए भावी कार्यक्रम तैयार करने में तकनीकी सहायता देने हेतु पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) सोवियत रूस के प्रतिनिधि मण्डल और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बीच दिसम्बर, 1977 में संयुक्त विचार-विमर्श हुआ। उसके अनुसार 26 दिसम्बर, 1977 को भारत के सरकारी क्षेत्र में—पेट्रोलियम उद्योग के क्षेत्र में रूस-भारत के सहयोग तथा विकास की उन्नति के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।

(ख) समझौते में निम्नलिखित विषयों पर आगे सहयोग के लिए विचार किया गया है :—

(1) तेल तथा गैस के लिये भू-गर्भीय सर्वेक्षण और भावी योजनायें;

(2) तेल के क्षेत्र का विकास और कुओं से चूषक राड पम्प द्वारा कृत्रिम उत्पादक साधनों आदि का इस्तेमाल कर के तेल उत्पादन को अनुकूलतम बनाना ;

(3) व्यधन प्रौद्योगिकी तथा तकनीक और तेल क्षेत्र तथा गैस युक्त स्थानों के विकास के लिये अनुसंधान संस्थान की स्थापना करना ;

(4) भू-भौतिकीय लागिंग उपस्कर/संचालन कार्य;

(5) विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति; और

(6) उपस्कर और सामग्रियों आदि की डिलीवरी से सम्बन्धित मामले ।

(ग) और (घ) : कुओं से अधिकतम उत्पादन को सुनिश्चित करने और विकासशील तेल क्षेत्र में तेल उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिये सोवियत रूस ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के तटवर्ती तेल क्षेत्र में, जिनका ओ०एन०जी०सी० द्वारा विकास किया जा रहा है, कृत्रिम उठाऊ साधनों का उपयोग आरम्भ करने के लिये भावी कार्यक्रम तैयार करने में तकनीकी सहायता देने हेतु पेशकश की है।

सोवियत रूस की ओर से की गई पेशकश पर विचार करने के लिये तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग सहमत हो गया और संकेत दिया कि वह इस पर लिये गये निर्णय को 1978 के प्रथम छःमाही में भेज देगा ।

बेरोजगार स्नातकों को रेलवे खान-पान के ठेके

3838. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने रेलवे में खान-पान एकाधिकार को समाप्त करने के लिये प्रक्रिया में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि एक बड़े ग्रुप का रेलवे में खान-पान और बिक्री के ठेकों को एकाधिकारपत्य प्राप्त है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान उन्होंने इस बारे में क्या नई प्रक्रिया अपनाई है; और

(घ) गत एक वर्ष के दौरान बेरोजगार स्नातकों और प्रोत्साहन के लिये अपेक्षित व्यक्तियों को खान-पान और बिक्री के कितने ठेके दिये गये और भविष्य में कितने ऐसे मामलों पर विचार किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेलवे खान-पान व्यवस्था में कोई एकाधिकार नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) ठेकों के आबंटन की वर्तमान प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं है ।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

नादियाद–मोदासा लाइन

3839. **श्री डी० बी० देसाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाडियाद मोदासा रेलवे लाइन वित्तीय वर्ष 1978-79 में पूरी हो जायेगी;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस लाइन पर किये जाने वाले कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : नडियाद से मोडासा तक (105.14 कि०मी०) बड़ी लाइन के निर्माण का काम, जिसमें नडियाद से कपड़गंज तक (44.64 कि०मी०) मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा कपड़गंज से मोडासा तक (60.50 कि०मी०) नयी लाइन के निर्माण का काम शामिल है, 9.43 करोड रुपए की अनुमानित लागत पर 1978-79 के बजट में शामिल कर लिया गया है और इसके लिए इस वर्ष 60 लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है । संसद् से अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा और यदि इस काम के लिए धन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता रहा तो मार्च 1982 तक इसके पूरा हो जाने की आशा है ।

"बाम्बे हाई" से उरन के लिये गैस

3840. **डा० वसन्त कुमार पन्डित** : क्या पैट्रोलियम, तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) बाम्बे हाई से एसोसियेटिड गैस कब तक उरन तक पहुंचने की आशा है ?

(ख) बाम्बे हाई से एसोसियेटिड गैस का उत्पादन प्रारम्भ होने से अब तक कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की गैस जलाई गई है; और

(ग) क्या "गैस क्रैकर" की स्थापना की सम्भावना की दृष्टि से बाम्बे हाई से कच्चे तेल का उत्पादन की गति कम कर दी गई है और यदि हां, तो बाम्बे हाई से कच्चा तेल तथा गैस ले जाने के लिये दो समानान्तर पाइप लाइनें बिछाने का काम कब तक पूरा किया जायेगा और बाम्बे हाई के विकास के चरण तीन का दूसरा भाग कब तक पूरा होगा ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ग) : अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क), (ख) और (ग) : बम्बई हाई के विकास कार्यक्रम को पांच चरणों में किये जाने के लिये परिकल्पना की गई है । बम्बई हाई के चरण -I और II के लिये निर्धारित (अर्थात् प्रतिदिन 80,000 बैरल का उत्पादन की दैनिक दर) लक्ष्य को पहले से प्राप्त कर लिया गया है । चरण-III क जिसमें तेल तथा गैस को बम्बई हाई क्षेत्र और उत्तर बेसिन क्षेत्र से उरन तक लाने ले-जाने के लिये अन्तः-सागरीय ट्रंग पाइप लाइन का बिछाना और उरन से ट्राम्बे तक स्थानान्तरण लाइनें बिछाना शामिल है, के मई, 1978 तक पूरा हो जाने की संभावना है । चरण-III ख जिसमें अतिरिक्त कुआ प्लेटफार्म, एक प्रक्रम प्लेटफार्म और अशोधित तेल का स्थिरीकरण टैंक, गैस विखंडन संयंत्र आदि शामिल हैं, के मार्च, 1980 तक पूरा हो जाने की संभावना है । चरण-III के पूरा हो जाने पर उत्तर बेसिन क्षेत्र में वार्षिक एक मिलियन मी० टन के उत्पादन के अलावा बम्बई हाई से प्रतिवर्ष 6 मिलि० टन की दर तक उत्पादन होने की सम्भावना है । चरण-III और II पर पूंजी निवेश सम्बन्धी निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है ।

वाणिज्यिक उत्पादन के आरम्भ होने से 15 मार्च, 1978 तक प्रज्वलित सम्बद्ध गैस की कुल मात्रा लगभग 262 मिलियन घन मीटर है । जिस रूप में गैस का प्रयोग किया जाता है, उसी के अनुसार इसका मूल्य भी भिन्न-भिन्न होगा ।

समुद्र तल पर खनिजों का भण्डार

3841. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूवैज्ञानिक विशेषज्ञों के अनुसार हिन्द महासागर तथा बंगाल की खाड़ी में समुद्रतल पर विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण खनिजों के विपुल भण्डार उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो समुद्र में से इन नए संसाधनों का पता लगाने के लिए आधुनिक औजारों एवं उपकरणों के साथ क्या तकनीकी खोजबीन की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि उस्मानिया एवं आन्ध्र विश्वविद्यालयों, तेल तथा प्राकृतिक गैस-आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संयोजित एसोसियेशन आफ जियोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया के चतुर्थ सम्मेलन ने सरकार को इन संसाधनों के महत्व का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) कुछ अधिकारियों ने ऐसा मत प्रकट किया है ।

(ख) अण्डमान द्वीप, पाल्क की खाड़ी, विशाखापतनम तथा मुबरना रेखा नदी के कुछ चुने हुए तट समीप क्षेत्रों में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा क्रमश: फास्फेट युक्त पिण्ड कैलशिम कार्बोनेट और सोने के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण किये गये थे । पूर्वी और पश्चिमी तट तथा अण्डमान क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग भी भूकम्पीय सर्वेक्षण करता रहा है ।

(ग) अन्वेषण भू-भौतिक वैज्ञानिकों के संस्थान ने अपना चौथा सम्मेलन तथा अन्वेषण भू-भौतिकी पर जनवरी, 1978 सेमिनार में आन्ध्र विश्वविद्यालय में वाल्टियार में बुलाया था । इस सम्मेलन के लिये "समुद्री अन्वेषण" को विशेष विषय चुना गया था और 'समुद्र के कानूनों' पर विचार-विमर्श किया गया था ।

(घ) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपने अपतटीय धातु अन्वेषण तथा समुद्री भू-विज्ञान यूनिट द्वारा अपतटीय एवं तट के समीप सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया है । 1977-78 में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यक्रम मे एक मत सम्मिलित किया गया है और इस समय कृष्णा, गोदावरी नदियों के क्षेत्रों में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आन्ध्र विश्वविद्यालय के साथ अध्ययन चल रहे हैं ।

पूर्वी तथा पश्चिमी तट के महाद्वीपीय मग्न तट के क्षेत्र तथा गैस आयोग भू-कम्पीय सर्वेक्षण कर रहा है । महानदी डेल्टा के अपतटीय क्षेत्र में भूकम्पीय सर्वेक्षण आरम्भ करने का आयल इण्डिया लिमि० का प्रस्ताव है ।

Railway lines in Backward Area

†3842. **Dr. Vasant Kumar Pandit:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the Madhya Pradesh Government had submitted any proposals for laying new railway lines in the backward areas of the state and the same have been rejected for being uneconomic; and

(b) if so, whether Government will review their decision in the light of latest announcements that proposals for new railway lines in the backward areas would not be rejected for being uneconomic?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) and (b): A statement is attached. **[Placed in the Library. See No. L.T.—1877/78]**

रिजर्वेशन क्लर्कों की सेवायें नियमित करना

3843. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रलवे में गत अनेक वर्षों से अनेक एसे मामले विचाराधीन हैं जिनमें अनेक छुट्टी रिजर्व बुकिंग तथा रिजर्वेशन क्लर्कों की सेवाओं को नियमित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी सेवाएं नियमित करने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(ग) सरकार को रोने मामलों को अन्तिम रूप देने में अभी कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : बुकिंग व आरक्षण क्लर्क का कोई पद नहीं है लेकिन 330—560 रुपए के वेतनमान में पूछ-ताछ एवं आरक्षण क्लर्क के पद हैं। कुछ स्टेशनों पर इन पदों को, रेल सेवा आयोग द्वारा चयन किये गये प्रत्याशियों या चयन किये गये विभागीय प्रत्याशियों के उपलब्ध होने तक, तदर्थ आधार पर भरा जाता है। विभागीय चयन की प्रक्रिया इस समय चालू है। चयन किये गये व्यक्तियों के उपलब्ध होते ही स्थानीय व्यवस्था समाप्त कर दी जायगी ।

पैट्रोलियम की खपत एवं उसका उत्पादन

3844. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय पेट्रोलियम तथा इसके उत्पादों की वार्षिक खपत कितनी होती है और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आवश्यकताओं सम्बन्धी अनुमान क्या है;

(ख) पेट्रोलियम आवश्यकताओं के कितने भाग की पूर्ति आयातों से की जाती है और किन-किन देशों से आयात किये जाते हैं तथा कितने मूल्य के आयात किये जाते हैं;

(ग) पेट्रोलियम का इस समय देश में कितना उत्पादन होता है और आगामी 5 वर्षों में उसमें कितनी वृद्धि होने का अनुमान है;

(घ) क्या भारत में तेल के सम्बन्ध में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की क्षमता है और विश्व भण्डार की तुलना में भारत में इसके वर्तमान भण्डार कितने हैं; और

(ङ) भारत किस वर्ष तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेगा और तेल का आयात कब तक बन्द कर देगा ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ङ) ; विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) देश में वर्ष 1977-78 के दौरान साफ किये गये कच्चे तेल की कुल मात्रा लगभग 25 मिलियन मी० टन होगी, जब कि चालू वित्त वर्ष के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित खपत लगभग 25.6 मिलि० मी० टन है। अगले पांच वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की प्रायोजित मांग इस प्रकार है :

वर्ष	(मिलि०मी० टन में)
1978-79	28.335
1979-80	30.785
1980-81	32.858
1981-82	34.514
1982-83	36.204

(ख) वर्ष 1977-78 के दौरान आयात किये जाने वाले कच्चे तेल की प्रस्तावित मात्रा लगभग 14.5 मिलि० मी० टन है । अप्रैल तथा दिसम्बर, 1977 के बीच 11.1 मिलि०मी० टन कच्चे तेल की कुल मात्रा आयात की गई थी और उसका मूल्य 955.20 करोड़ रुपए था । ईरान, ईराक, साऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिश्र और सोवियत संघ आयात के संसाधन थे ।

(ग) वर्ष 1977-78 के दौरान 10.5 मिलियन मी० टन कच्चे तेल का देशीय उत्पादन होने का अनुमान है । अगले पाँच वर्षों के दौरान देशीय कच्चे तेल का अनुमानित उत्पादन निम्नलिखित है :

वर्ष	(उत्पादन मिलि० मी० टन में)
1978-79	12.73
1979-80	15.81
1980-81	16.66
1981-82	17.96
1982-83	17.96

(घ) और (ङ) : जनवरी-मार्च, 1977 के आयल टैटिक्स में जैसा कि उल्लेख किया गया है विश्व के "प्रभावित" कच्चे तेल का 640,089 मिलियन बैरल का (अथवा लगभग 90,000 मिलियन मी० टन) तथा भारत का 3000 मिलियन बैरल (अथवा लगभग 422 मिलि० मी० टन) का प्रमाणित भंडार है यद्यपि हमारी अन्वेषण सम्बन्धी क्रियाकलापों में तेजी लाने के लिये सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं, परन्तु तेल में आत्मनिर्भरता के लिए किसी प्रकार वायदा करना कठिन है । अतः कुल ऊर्जा नीति के एक भाग के रूप में पेट्रोलियम उत्पादों के प्रयोग में संरक्षण के प्रति समान रूप से सावधानी बरती जा रही है ।

फारस की खाड़ी से अशोधित तेल का आयात

3845. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने फारस की खाड़ी से बड़ी मात्रा में अशोधित तेल का आयात किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अशोधित तेल को भारत लाने के लिए विदेशी समुद्री व्यापारियों को 4 वर्ष का ठेका दिया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत को अशोधित तेल लाने के बारे में भारतीय तेल निगम तथा अन्य समुद्री व्यापारियों से सम्पर्क नहीं किया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने देश से बाहर धनराशि भेजने के लिये उत्तरदायी सम्बद्ध व्यक्तियों को सजा दी है ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हाँ । वर्ष 1977 के दौरान विभिन्न देशों से आयातित कच्चे तेल की मात्रा निम्नलिखित है :

देश का नाम	मिलियन मी० टनों में आयातित मात्रा
ईरान	6.7
ईराक	2.9
संयुक्त अरब अमीरात	0.9
सोवियत संघ	1.00
साऊदी अरब	2.9
मिश्र	0.3
	14.7

(ख), (ग) और (घ) खर्ग द्वीप समूह से कोचीन तक तेल को लाने के लिए, कोचीन शोधनशाला लिमि० द्वारा सिंगापूर की नोर्स शिपिंग कम्पनी के साथ 1 मार्च, 1974 से 4 वर्ष की अवधि के लिए एक माल संविदा के लिए ठेका किया गया था । यह ठेका 28 फरवरी, 1978 को समाप्त हो गया है तथा भारतीय जहाजरानी निगम को कोचीन शोधनशाला लिमि० के लिए 1 मार्च, 1978 से कच्चे तेल को लाने का काम सौंप दिया गया है । आयातित कच्चे तेल को लाने के लिये उपलब्ध भारतीय झंडे वाले जहाजों का हमेशा अधिकतम उपयोग किया गया है । विदेशी झंडे वाले जहाजों को केवल तभी लगाया जाता है जब उपयुक्त आकार वाले भारतीय झंडे के जहाज उपलब्ध न हों । विदेशी झंडे वाले जहाजों को, यदि उनकी आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें तेल कम्पनियों द्वारा जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय के परामर्श से भाड़े पर लिया जाता है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

न्याय को सस्ता बनाने के लिये उपाय

3846. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि निर्धन व्यक्ति के लिये न्याय बहुत महंगा है;

(ख) सरकार द्वारा इस बारे में क्या ठोस कदम उठाये गये हैं; और

(ग) सरकार का इस विषय में कब कार्रवाई करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : सरकार का आशय यह सुनिश्चित करना है कि निर्धनों को सुगमता से न्याय उपलब्ध हो । एक समिति ने जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री पी० एन० भगवती हैं और सदस्य न्यायमूर्ति श्री वी० आर० कृष्ण अय्यर हैं, अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है । इस समिति की कानूनी सहायता संबंधी रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है । सरकार ने इस प्रयोजन के लिए अभी तक कोई स्कीम तैयार नहीं की है ।

वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा करने का प्रस्ताव

3847. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि वैयक्तिक स्वतंत्रता को किसी भी सरकार की पहुंच से परे रखा जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार संविधान में आपात संबंधी अनुच्छेद के बारे में कोई परिवर्तन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह) : (क) जी हां।

(ख) आशय यह है कि अनुच्छेद 359 में संशोधन करके यह उपबंध किया जाए कि अनुच्छेद 21 के अधीन दिए गए अधिकार किसी भी प्रकार की आपात् स्थिति में न तो निलम्बित किए जा सकेंगे और न उनका प्रवर्तन निलम्बित किया जा सकेगा।

(ग) जी हां।

(घ) अनुच्छेद 352 में प्रस्तावित महत्वपूर्ण संशोधन इस प्रकार हैं, अर्थात् :—

(i) "आभ्यंतरिक अशांति" पद के स्थान पर "सशस्त्र विद्रोह" पद रखा जाए ।

(ii) आपात् की उद्घोषणा के संबंध में यह अपेक्षित होगा कि उसका अनुमोदन संसद् के दोनों सदनों के एक ऐसे संकल्प द्वारा एक मास की अवधि के भीतर हो जाना चाहिए, जो प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत से और प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित किया गया हो।

(iii) संसद् को छह मास से अनधिक अवधि के अन्तराल पर, इस स्थिति के संबंध में पुनर्विचार करने का अवसर प्राप्त होगा ।

राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों में हिंसा के मामले

3848. **श्री अहमद एम०पटेल** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांच दक्षिणी राज्यों के निर्वाचनों में हिंसा के कितने मामले हुए जिन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जानकारी में लाया गया है; और

(ख) उन पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह) : (क) और (ख) : अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

फरवरी 1978 में हुए विधान सभाओंके निर्वाचन के दौरान हुई हिंसात्मक घटनाओं के बारे म निर्वाचन आयोग को प्राप्त शिकायतों की विशिष्टीयां दर्शित करनेवाला विवरण

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	प्राप्त शिकायतों की संख्या	की गई कार्यवाही
1. आन्ध्र प्रदेश .	33	ये शिकायतें राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही /जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए भेज दी गई थीं। राज्य सरकार से ऐसे स्थानों पर जहां हिंसात्मक घटनाओं के होने की आशंका हों, अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था।
2. आसाम .	4	एक मामले में पुलिस अन्वेषण चल रहा है और अभी रिपोर्ट प्राप्त होनी है। अन्य मामलों में राज्य सरकार द्वारा तत्परता-पूर्वक आवश्यक कार्यवाही की गई और स्थिति पर काबू पा लिया गया।
3. कर्नाटक .	86	मुख्य निर्वाचन आफिसर ने यह रिपोर्ट दी है कि इन सभी मामलों में पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही की है और स्थिति पर तत्परता से काबू पा लिया गया है।
4. महाराष्ट्र .	14	दो शिकायतों पर कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया। सात शिकायतें मुख्य निर्वाचन आफिसर को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी गई थीं। शेष पांच मामलों में रिपोर्टें मांगी गई हैं और उन रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है।
5. मेघालय .	शून्य	..
6. अरुणाचल प्रदेश .	1	इस मामले में अन्वेषण किया जा रहा है।

प्रत्येक राज्य में गैस के कनेक्शन

3849. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक राज्य में घरेलू गस कनैक्शन के लिये पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1978-79 में राज्यवार कितने नये कनेक्शन दिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) सभी पंजीकृत व्यक्तियों कों गैस कनैक्शन दिलाने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

19—105 LSS(ND)/78

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) यह सच है कि इस समय तरल पेट्रोलियम गैस (खाना पकाने की गैस) कनैक्शन देने की मांग का बहुत बड़ा भाग पूरा किया जाना शेष है ।

(ख) इस समय आयल कम्पनियां खाना पकाने की गैस के लिए नये उपभोक्ताओं का पंजीकरण करने की योजना का विवरण तयार कर रही है । ऐसे समय में यह बताना असम्भव है कि 1978-79 वर्ष में राज्यवार कितने कनैक्शन दिये जायेंगे ।

(ग) लगभग वर्ष 1980 से तरल पेट्रोलियम गैस की उपलब्धता काफी बढ जाने की सम्भावना है और अब पंजीकृत किये गये व्यक्तियों को बड़े स्तर पर गैस कनैक्शन तभी से देना सम्भव होगा ।

Overbridge at Bikaner

†3850. **Ch. Hari Ram Makkasar Godara:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that lakhs of people are facing great difficulties in the absence of an over-bridge at Bikaner Railway Station; and

(b) the time by which a final decision is likely to be taken on the suggestions regarding construction of an overbridge at Bikaner Railway Station and the expenditure involved therein ?

The Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain): (a) Some inconvenience is caused to road users whenever the busy level crossings at Bikaner remain closed to road traffic, during the passage of trains.

(b) A proposal for the replacement of the busy level crossings by road over/under-bridges was sent by the Railway to the State Government for acceptance, but this has not so far been accepted by them. The proposal can be processed only after the State Government convey their acceptance. The estimated cost of the proposal has not been worked out so far.

Anoopgarh-Faladi M. G. Line

†3851. **Ch. Hari Ram Makkasar Godara:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a suggestion has been received regarding construction of a metre gauge line from Anoopgarh to Faladi via Kalayat (Rajasthan);

(b) whether he is aware that this region is in the process of development after the completion of Rajasthan Canal and the above line is, therefore, necessary; and

(c) the decision taken on the above suggestion ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) and (b): Yes.

(c) The suggestion was for the construction of rail line connecting Raisinghnagar-Anupgarh-Chhattargarh-Bikaner-Kolayat-Phalodi (stretch between Binkaner and Kolayat is available). Final location (engineering) survey was carried out for Kolayat-Phalodi rail link during 1950, which revealed that this project (68.53 Kms.) would cost Rs. 91.24 lakhs (at 1950 price level) and yield return of 1.27% in the 6th year. No investigations for the other rail links were made in the past. However, taking into account the immediate requirement to provide an outlet for the agricultural and other produce from the Command area of Stage I of Rajasthan Canal which has been completed, a preliminary engineering-*cum*-Traffic survey for construction of a new railway line from Bikaner to Chhattargarh (MG, 80 Kms.) is in progress. A decision to take up the construction of this line would depend upon the results of the survey and availability of resources for the purpose.

Bhatinda-Suratgarh M.G.

†3852. **Ch. Hari Ram Makkasar Godara:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a suggestion has been received regarding extension of the Bhatinda-Suratgarh metre gauge line which is being converted into broad gauge line upto Bikaner;

(b) whether this suggestion has been considered; and

(c) if so, the decision taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) and (b): Yes.

(c) Due to severe constraint of resources and heavy commitments already made, it is not possible to undertake the conversion of Suratgarh-Bikaner MG section into BG at present.

पैट्रोलियम उत्पादों में कमी

3853. श्री प्रसन्नभाई मेहता :

श्री रामदास सिंह :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टंकियों के लाने ले जाने में शिथिलता आने के कारण समस्त देश में फरवरी, 1978 के महीने में पट्रोलियम उत्पादों की सामान्य कमी हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उद्योग के लिये आवश्यक भट्टी तेल तथा लाइट डीजल तेल जैसे उत्पादों की सप्लाई कम हो गई है, जिसके परिणामस्वरुप औद्योगिक उत्पादन को भारी हानि हो रही है;

(घ) क्या यह भी सच है कि रेलवे अधिकारियों ने उत्तर रेलवे में वैगनों के लाने ले जाने में शिथिलता आने से इंकार किया है, लेकिन यह स्वीकार किया है कि तेल की कमी के कारण अधिक लदान नहीं हुआ था; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और देश में पट्रोलियम उत्पादों की कमी दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) : कुल सम्भरण स्थानों में उत्पादों की कमी सहित टैंक गाड़ियों की उपलब्धता से सम्बन्धित समस्याओं के कारण पेट्रोलियम उत्पादों को लाने ले जाने की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण नवम्बर-दिसम्बर 1977 के दौरान कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इसके फलस्वरुप डिपो स्टाफ कम हो गये थे और कुछ स्थानों में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई थीं। जनवरी, 1978 में टैंक वैगनों की समस्त प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार हुआ था और फरवरी में टैंक वैगनों को आवागमन क्रिया को बन्द नहीं कहा जा सकता। यद्यपि थोड़े समय के लिए उपलब्धता की अस्थाई समस्यायें रहीं हैं परन्तु यह सत्य नही है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई सामान्य कमी हुई है जिसके फलस्वरुप औद्योगिक उत्पादन में भारी हानि हुई हो। टैंक वैगन क्रिया में सुधार होने के साथ डिपोस्थलों पर पैट्रोलियम उत्पादों के स्टाक में सुधार हुआ है। निर्धारित स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों को लाने ले जाने को सुनिश्चित करने में रेलवे को किसी समस्या का पूर्वानुमान नहीं है। रेल डिब्बों की क्रिया का दनिक मानिटरिंग शोधनशालाओं तथा प्रमुख स्थापनाओं में दिन रात, डिब्बों में माल भरे जाने उत्पादों के लाने ले जाने की प्रणाली की ओर युक्ति संगत बनाने, बड़े पैमाने पे उत्पादों के सड़क परिवहन जैसे कई उपाय किये गये हैं जिससे पेट्रोलियम उत्पादन की उपलब्धता में सुधार हो और मांग की पूर्ति को पूर्ण किया जा सके।

Investigation against catering contractors

†3854. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether after March, 1977 investigations were conducted against the catering contractors of Bombay Division of the Central Railway as well as Western Railways by the Vigilance Department and if so, whether Government have since received the report and the nature of irregularities detected during the investigation and the action taken so far thereon;

(b) the names of the contractors against whom investigations were conducted by Vigilance Department and the nature of charges levelled against them and whether their contracts would be terminated in case they are found guilty; if not, the nature of punishment proposed to be awarded to them; and

(c) whether certain Railway officers have also been found guilty alongwith these contractors, if so, the names thereof?

The Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (c) : A statement is attached.

Statement

(a) Preliminary investigations into the working and award of some Catering/Vending contracts in the suburban sections of Bombay Division of the Central and Western Railways were taken up by the Vigilance Directorate of the Railway Ministry in August, 1977 and their interim report has been received.

Investigations conducted so far indicate mainly the following irregularities in the working and allotment/extension/renewal of some vending contracts:

(i) Running of contracts by absentee contractors and non-compliance of extant instructions on Western Railway requiring the contractor to attend the contract personally for some days every month giving rise to suspicion of subletting of contracts.

(ii) Engagement of more than the sanctioned number of vendors.

(iii) Concealment of sales and non-production of proper sale and other accounts to the investigating team.

(iv) Irregularities in allotment/extension/conversion of vending contracts.

Further investigations are being conducted to fix specific responsibility for taking appropriate action against the contractors as well as the concerned railway personnel. The extant policy/instructions are also being revised to streamline the allotment/extension/removal of catering contracts so as to bring this area into better managerial control.

(b) & (c): The complaints were mainly with regard to allotment of a number of contracts to the same parties in different names, subletting and irregularities in allotments. Since the investigations have still not been finalised, it will not be proper to disclose the names of contractors who have figured in these investigations at this stage. Investigations to fix staff responsibility are also still under way. Nature of action to be taken against the contractors and concerned Railway personnel will be decided after fuller investigations which are expected to be completed by 30-6-1978.

Casual Labourers

†3855. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether at present about five lakhs of casual labourers are working in all the Railways for years together in the country; if so, the Railway-wise number of casual labourers and since how long each labourer is working therein;

(b) whether Government propose to abolish casual labour system from all the Railways and if so, the time by which the entire existing labour will be made permanent; and

(c) whether Government have received complaints that casual labour Inspectors effect a break in service of labourers within every two months so that they do not get benefits of confirmation; if so, the number of casual labourers throughout the country in whose case break in service was effected and the number of casual labourers who have been working for more than five years?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) As on 31-3-1977 about 2.61 lakhs of casual labourers were working on the Indian Railways. Railway-wise break-up is given below:

Central Railway	37,111
Eastern Railway	22,414
Northern Railway	66,147
N.E. Railway	20,709

N. F. Railway	5,624
Southern Railway	33,072
S.C. Railway	19,180
S.E. Railway	25,490
Western Railway	26,189
C.L.W.	209
D.L.W.	144
I.C.F.	2,872
Railway Board and others	1,725

Their services range from a few days to several years.

(b) No. It is not practicable to employ regular labour force on projects or on works of a short duration/sporadic nature.

(c) No. About 23,000 casual labour have been working for more than five years.

Level Crossing No. 5 between Vanthali-Sorath and Meghpur

†3856. **Shri Dharamsinh Bhai Patel:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a representation had been received in 1975 from Santalpur Gram Panchayat, Taluka Vanthali, Distt. Junagarh in Gujarat for straightening level crossing No. 5 near KM stone No. 5 in between pole No. 2/3 and within the limit of gang No. 2-SK between Vanthali-Sorath and Meghpur Railway stations and if so, the action taken so far or proposed to be taken by the Government in this regard; and

(b) whether this curved crossing is creating much difficulties to the people and farmers and when and how these difficulties are being proposed to be removed by Government?

The Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain): (a) A proposal was received from the Sarpanch, Santalpur, Gram Panchayat in August 1975, for the shifting of this level crossing so as to strainghten its approaches outside the railway boundary. He was requested to send a sketch indicating the exact location and alignment for shifting the level crossing to enable the Railway to examine the feasibility of the proposal. He was also informed that the cost of shifting, as per extant rules, would have to be borne by the State Government/ Local Authority. On a further reference made by the Sarpanch, the approximate cost of shifting the level crossing viz. Rs. 3100/- was advised to him in Nov., 1977 and he was requested to have the proposal sponsored through the State Government. There has been no response from him since then.

(b) The Railway is not aware of any such difficulty said to be experienced by the farmers. But the shifting of the level crossing would reduce the distance to be covered in crossing the tracks, by about 100 metres. The Railway will take quick action to shift the level crossing after the proposal is sponsored by the State Government/Local authority together with an undertaking to bear the cost thereof.

Out Agency at Saradiya Kutiyana

3857. **Shri Dharamsinh Bhai Patel:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there was an out agency at Saradiya-Kutiyana on Shahpur-Saradiya Railway line in Junagarh district of Gujarat state, if so, when this Out Agency started functioning and the date of which it stopped functioning;

(b) Since when this Saradiya/Kutiyana Railway Out Agency was closed and the reasons therefor;

(c) whether people are facing great difficulties due to closure of this Saradiya/Kutiyana Railway Out Agency and when this Out Agency will again start functioning; and

(d) Until Kutiyana is connected with the Railway line, the difficulties faced in starting again Saradiya/Kutiyana Railway Out Agency.

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) & (b): Yes. Kutiyana Out Agency served by Saradiya Railway Station started functioning from 10-3-51 and stopped functioning from 1-5-67 as the Railway and Gujarat State Road Transport Corporation were not able to agree on the terms, namely:

(i) Lease of land on rental basis which the Gujarat State Road Transport Corporation was not prepared to pay for,

(ii) Sharing of expenditure, and

(iii) Levy of wharfage charges. The Corporation finally served the Railway with termination notice and the Out Agency was closed from 1-5-67. None came forward to run the Out Agency when tenders were invited in March, 1967. The Gujarat State Road Transport Corporation had also advised in April, 1967 not to entrust the Out Agency work in respect of Passenger traffic to any party.

(c) No great hardships faced by people have come to notice in the absence of this Out Agency. It cannot be stated by which time this Out Agency will be reopened.

(d) Since the interests of passengers are adequately served by State Transport buses which connect train services and the traffic in luggage and parcels is extremely meagre, there is no advantage in reopening this Out Agency.

Over-bridge near Patan Gate

†3858. **Shri Dharamsinh Bhai Patel:** Will the Minister of **Railway** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Sorathi Chamber of Commerce, Veraval had demanded construction of an over-bridge near Patan Gate near Veraval City in District Junagarh in Gujarat and extension of Rajkot-Junagarh local train up to Veraval in its meeting with A.C.S. of Bhavnagar, division of Western Railways;

(b) if so, the action taken or proposed to be taken by the Government thereon; and

(c) the steps proposed to be taken by the Government keeping in view the great difficulty being faced by the people and the vehicular traffic in the absence of over-bridge near Patan Gate?

The Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes. Shifting of the level crossing No. 135-C (Patan Gate) was also suggested at that meeting if provision of a road over-bridge is not possible.

(b) & (c): Proposal for the construction of either a road over-bridge or the shifting of the existing level crossing, has to be sponsored by the State Government, who have also to give an undertaking to bear the cost as per extant rules. No such proposal has yet been received from them. The Railway will consider the proposal when it is sponsored by the State Government together with an undertaking to bear the cost.

As the accommodation provided in 4 pairs of existing trains available on Junagadh-Veraval section is not fully utilised, there is no traffic justification for extension of 342 Dn/341 Up Rajkot-Junagadh Fast Passenger to/from Veraval.

Value of Allopathic Medicines

3859. **Shri Dharamsinh Bhai Patel:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) the value of allopathic medicines manufactured annually and also the value of the medicines in demand annually in the country at present;

(b) the value of allopathic medicines imported annually from abroad at present;

(c) when the country would be self-sufficient in the matter of allopathic medicines; and

(d) the value of allopathic medicines to be manufactured in the next five years?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) and (b): The value of annual production of allopathic medicines in the country and the value of such medicines imported during the last 3 years has been as below:

(in Rs. Crores)

	Production		Imports
	Bulk Drugs	Formulations	Bulk Drugs & Formulations
1974-75	90	400	40·87
1975-76	130	560	39·36
1976-77	150	700	47·03

(c) Government have been encouraging the setting up of additional capacities through grant of a large number of industrial approvals on a continuous basis, with a view to promote self sufficiency. However, the nature of

the drug industry and the pace of technological advance is such that a large amount of obsolesence takes place. There is always a need to keep a constant vigil to keep abreast of the situation by bringing in newer items of manufacture.

Efforts are also being made in the country to develop a research base with a view to developing new drugs so as to meet the increasing demand in the country for drugs and avoid dependence on imports to the maximum extent possible.

(d) In so far as the year-wise phasing of production of allopathic medicines is concerned, it would really depend upon the items likely to be taken up by individual manufacturer, the availability of suitable/latest technology, availability of funds for investment—particularly in the Indian Sector. However, the broad requirements of bulk drugs and formulations in the country have been estimated at Rs. 550 crores and Rs. 1900 crores respectively by 1982-83.

विकेन्द्रीकरण

3860. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने अपने सं० ई० (एन० जी०) 1/74/ पी० एम० / 1 दिनांक 12 अप्रैल, 1974 और सं०ई० (एन० जी०) 1/76-पी० एम० / 1/74 दिनांक 17 जुलाई, 1976 के द्वारा डीजल इलेक्ट्रिक शैडों के इलेक्ट्रिक विंग को मैकेनिकल डिपार्टमेंट में विलय करन का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस विलय का क्या उद्देश्य था और नये विभाग में वरिष्ठता और कनिष्ठता का आधार होगा; और

(ग) इस विलय का दोनों विंगों की कार्यकुशलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : अप्रैल, 1974 और जुलाई, 1976 में जारी किये गये आदेशों का उद्देश्य डीजल इंजन शैडों में डीज़ल-बिजली इंजनों तथा बिजली इंजन/बिजली मोटर गाड़ी शैडों में बिजली इंजनों तथा बिजल मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण पर प्रभावी नियंत्रण रखना था। बिजली इंजन तथा बिजली मोटर गाड़ी शैडों में अनुरक्षण कर्मचारियों की वरिष्ठता और पदोन्नति सरणि में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। डीजल इंजन शैडों में बिजली विभाग से बुलाये गये कर्मचारियों को यह विकल्प दिया गया है कि या तो वे डीजल संगठन में रहें अथवा बिजली विभाग को वापिस चले जायें । डीज़ल शैडों के बिजली विभाग के कर्मचारियों को मैकेनिकल विभाग में पदोन्नति की जायेगी। बिजली और मैकेनिकल विभाग के 840—1040 रुपये तक के वेतनमान के कर्मचारियों की वरिष्ठता अलग-अलग रखी जाती है।

Total number of Gas Connections in Rampur District, U.P.

3861. **Shri Rajendra Kumar Sharma :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether new agents are being given Indane gas connections for Uttar Pradesh;

(b) the total number of existing connections in Rampur district in Uttar Pradesh; and

(c) the number of agents of the aforesaid area, together with the number of further new connections proposed to be given to them during the current financial year to meet the increasing demand of the people there ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) As the availability of Indane gas has been fully committed, new gas connections have not been released in Uttar Pradesh, after November, 1977, when some gas connections were released for commissioning a new Indane Distributorship at Bareilly.

(b) & (c): Due to its limited availability, LPG (cooking gas) is not being marketed in the Rampur District, Uttar Pradesh, at present.

Difficulty in Railway Reservations in Kathmandu

3862. **Shri Rajendra Kumar Sharma:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a large number of Indians in Kathmandu (Nepal) depend on private agencies in matter of railway reservations for their journey to India and undergo harassment at the hands of these agencies;

(b) whether Government will consider opening an out agency of the Indian Railways at Kathmandu so that thousands of Indians living there are benefited; and

(c) if so, when such an agency is likely to start functioning ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) No such complaints have been received so far.

(b) & (c): Proposal for opening an out agency at Kathmandu is under examination.

Places and Dates for oil prospecting started in collaboration of USSR

3863. **Shri Rajendra Kumar Sharma:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) at what places and on what dates oil prospecting started in India with the collaboration of Soviet Union;

(b) the extent of work likely to be completed in the first phase; and

(c) the total production target likely to be achieved ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) ONGC started oil prospecting in the country in the year 1956 with the survey instruments and drilling rigs and equipment made available by the Soviet Union. Deep drilling with Soviet rigs was commenced during the year

1958-59 at Hoshiarpur in Punjab and Cambay in Gujarat. The drilling operations were taken up in the subsequent years using Russian rigs in the following States:—

Year	*State*
1959-60	Assam
1963-64	Himachal Pradesh
1964-65	Bihar
1966-67	West Bengal
1967-68	Tamil Nadu/Pondicherry
1972-73	Tripura
1973-74	Rajasthan
1975-76	J & K, Meghalaya.

(b) Exploration for, and development and production of oil and natural gas is a continuous process and will continue.

(c) Indigenous production of crude oil is expected to be about 10.8 million tonnes during the year 1977-78 and is estimated to be around 17 to 18 million tonnes per annum by 1980-81.

पांच रेलवे कर्मचारियों को सेवा से निकाला जाना

3864. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के उन सभी पांच रेल कर्मचारियों को पूरा वेतन तथा भत्ते नहीं दिये गये हैं जिनका रेलवे हड़ताल में भाग लेने के कारण सेवा से निकाले जाने का आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक ही निर्णय में रद्द कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों के साथ ऐसा भेदभाव बरता गया है; और

(ग) ऐसा भेदभाव बरतने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : एक कर्मचारी को, उसे बहाल करने की तारीख और उसके गिरफ्तार होने की तारीख की बीच की अवधि का पूरा वेतन और भत्ता दिया गया था क्योंकि भारतीय रक्षा नियम के अन्तर्गत, उसके विरुद्ध दायर किये गये फौजदारी मामले में उसे न्यायालय ने सम्मानपूर्वक रिहा कर दिया था।

अन्य चार कर्मचारियों के मामलों में जहां उनकी याचिकाओं पर समान निर्णय दिया गया था, उन्हें हटाये जाने की तारीख और पुनः स्थापित किये जाने की तारीख के बीच की अवधि के लिए निर्वाह भत्ते के बराबर वेतन और भत्ते दिये गये थे और यह वर्तमान नियमों के अनुसार किया गया था क्योंकि प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर न्यायलय का निर्णय उन्हें सम्मान पूर्वक रिहा करना नहीं था। इसलिए इन कर्मचारियों के मामले उपर्युक्त एक कर्मचारी के मामले के सर्वथा समान नहीं हैं और इसमें कोई भेद-भाव नहीं रखा गया है।

लोको रनिंग स्टाफ के लिये संचार साधन

3865. **श्री समर मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 दिसम्बर, 1974 को तत्कालीन रेल मंत्री ने आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन को आश्वासन दिया था कि उनके लिये संचार साधन की व्यवस्था की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके लिए ऐसी व्यवस्था कर दी गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे स्टेशन का विकास

3866. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने मध्य रेलवे में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का विकास और निर्माण करने के लिए एक योजना तैयार की थी;

(ख) यदि हां, तो उस योजना को क्रियान्वित करने में क्या कठिनाई है;

(ग) क्या सरकार इस स्टेशन पर सभी रेलगाड़ियों के रुकने की व्यवस्था करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ग) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस स्टेशन पर लम्बी दूरी के यात्रियों की दैनिक औसत संख्या केवल 50 है और किसी भी एक समय में यात्रियों की अधिकतम संख्या 30 है। इस समय इस स्टेशन पर 57 डाउन/58 अप अमृतसर एक्सप्रेस, 33 डाउन/34 अप इन्दौर बिलासपुर एक्स्प्रेस, 355 डाउन/356 अप इटारसी-झांसी पैसेंजर और इटारसी-भोपाल के बीच 1 ईबी/2 ईबी शटल गाड़ियां आती-जाती हैं। इस स्टेशन पर वर्तमान यात्री यातायात के लिए यह व्यवस्था पर्याप्त है।

मामलों क निपटान के बारे नें भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा नियुक्त की गई समिति की रिपोर्ट

3867. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मामलों को शीघ्र निपटाने के और विभिन्न न्यायालयों में बकाया मामलों को निपटाने के लिये उपायों का सुझाव देने के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गइ सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

विशाखापत्तनम में पैट्रो रसायन उद्योग समूह

3868. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिये विशाखापत्तनम में पेट्रो रसायन उद्योग समूह स्थापित करने का सरकार का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) विशाखापत्तनम में पेट्रो कैमिकल्स कम्प्लैक्स स्थापित करने के लिए अभी तक कोई निर्णय नही लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुंटाकल–बंगलौर रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना

3869. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या गुंटाकल-बंगलौर रेलवे लाईन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य वित्तीय वर्ष 1978-79 में पूरा हो जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : इस लाइन के आमान परिवर्तन को अद्यतन प्रगति 48 प्रतिशत है। आशा है कि यह काम 1983 तक पूरा हो जायेगा बशर्ते कि इसके लिए हर वर्ष पर्याप्त धन उपलब्ध होता रहे।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० द्वारा दवाएं बनाया जाना

3870. **श्री महेन्द्रसिंह सैंयावाला** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स द्वारा बहुत अच्छी किस्म की दवाएं बनाये जाने के बावजूद देश में उपक्रम और डाक्टरों के बीच सम्पर्क का अभाव है जो विदेशी दवाओं के ही पक्ष में हैं और नुस्खों में उन्हीं दवाओं के नाम लिखते हैं; और

(ख) दोनों के बीच सम्पर्क लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : भारतीय चिकित्सा संगठन के दल द्वारा हाल ही में किये गए अध्ययन के अनुसार, यह मालूम हुआ है कि डाक्टरी व्यवसाय वाले कुछ लोगों में विदेशी औषधों की क्षमता (कुशलता) के बारे में अन्ध विश्वास है तथा आई० डी० पी० एल० की ओर से भी विशेषकर डाक्टरी व्यवसाय के सदस्यों में अपने उत्पादों के लिए प्रचार तथा प्रसारण की कमी है ।

आई० डी० पी० एल० ने अपने क्षेत्र में वृद्धि करने और समाचार पत्रों और चिकित्सा सम्बन्धी पत्रिकाओं में प्रेस और विज्ञापन अभियान को तीव्र करने के लिए पहले ही कार्य आरम्भ कर दिया है ताकि कम्पनी की सम्मिलित सत्ता और उसके उत्पादों का संस्थागत प्रचार हो सके । वे एक सीधी मेल सेवाओं को चालू करने के सम्बन्ध में विचार भी कर रहे है, जिससे डाक्टरों को मिलने के लिए चिकित्सा जगत के प्रतिनिधियों को सुविधाएं प्रदान की जायेगी, जिससे आई० डी० पी० एल० के उत्पादों पर डाक्टरों को विस्तृत साहित्य तथा तकनीकी सूचना देने में समर्थ होगी । जिन क्षेत्रों में अभी तक चिकित्सा जगत के प्रतिनिधि नहीं हैं वहा इनका प्रबन्ध शीघ्र किया जायेगा । आई० डी० पी० एल० के डाक्टरों के सम्मेलनों में आई० डी० पी० एल० के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा भाग लेने से उपयुक्त श्रुव्य-दृश्य सम्पर्क भी स्थापित होंगे ।

आल इंडिया स्टेशन मास्तर एसोसिएशन द्वारा आन्दोलन

3871. **श्री राम प्रकाश त्रिपाठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी आल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन के "वर्दी का बायकाट" आन्दोलन के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या सरकार का विचार सिलाई के खर्च सहित कपड़ा सप्लाई करने का है जैसा कि सेना के उच्चतर अधिकारियों के मामले में किया जाता है; और

(ग) क्या वह इस मामले पर विचार करेंगे क्योंकि एसोसिएशन मार्च, 1978 से वर्दी का बायकाट करने जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : जी नहीं; तथापि, इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि कर्मचारियों की कोई शिकायत न हो और यह सुनिश्चित करने के लिए उनके व्यक्तिगत नाप लिये जा रहे है, वर्दियों को बनाने और उनकी सप्लाई करने की प्रक्रिया को कारगर बना दिया गया है ।

Railway Station at Shakarpur Area

3872. **Dr. Laxminarayan Pandeya**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration a proposal to provide a railway Station in Shakarpur area in trans Yamuna Delhi; and

(b) if not, whether keeping in view the difficulties of the people of this area, Government propose to provide a new railway station in this area in future and by what time ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) & (b): The proposal to open a halt at Km 3/10-11 between Tilak Bridge and Sahibabad stations in trans Yamuna area was examined but was found neither financially justified nor operationally feasible.

Demand for Diesel

3873. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that due to rising prices of petrol, diesel is being used in cars, trucks and generators in place of petrol and demand for diesel is increasing considerably:

(b) whether it is also a fact that as a result thereof many times it became too difficult to get diesel for purposes, of agriculture (diesel pumps and tractors, etc.) at various places in the country;

(c) whether it is also a fact that manufacture of diesel cars and trucks has started due to the rising prices of petrol and this has also resulted in the maximum consumption of diesel and fall in the consumption of Petrol; and

(d) if so, whether Government propose to reduce the prices of petrol with a view to maintain the balance?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a), (b) and (c): Heavy duty commercial vehicles have traditionally been using diesel as fuel. In the case of light commercial vehicles and jeeps, there have been cases of conversion of petrol engines to diesel engines. No such change-over has been permitted in the case of passenger cars in the organised sector, but some private car owners have installed diesel engines in their cars on their own. This change-over would have contributed to an insignificant increase in the demand for high speed diesel compared to its normal overall growth. There has generally been no difficulty in the availability of High Speed Diesel for agricultural sector and the oil companies have instructions to meet the full demand of diesel of agricultural sector.

(d) No such proposal is under consideration of Government.

(एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण की योजना के अधीन नगरीकृत गांवों के विकास के बारे में 25 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4620 के उत्तर में शुद्धिकरण करने वाला विवरण

Correcting statement in regard to USQ No. 4620 dt. 25th July 1977 regarding Development of Urbanisul Villages under D.D.A. plan.

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राम किंकर): डी० डी० ए० प्लान के अधीन नगरीकृत ग्रामों के पुनर्विकास के संबंध में 25 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न सं० 4620 के भाग (ख) से (घ) के लिए दिए गए उत्तर के संदर्भ में मुझे यह कहते हुए खेद है कि उसमें एक तथ्यपरक गलती हो गयी है।

2. उस उत्तर में यह बताया गया था कि असलातपुर ग्राम में पानी की लाइनें बिछाने का कार्य प्रगति पर है। जांच करने पर यह मालूम हुआ है कि यह कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है। इस संबंध में हुई असुविधा के लिए खेद है।

3. दिल्ली विकास प्राधिकरण को हुई कुछ गलत फहमी के कारण उत्तर का संशोधन करने में देर हुई है जिसके लिए अत्यन्त खेद है।

(दो) मकडोवल एण्ड कम्पनी से हिन्दुस्तान पोलिमर्स को अपने नियंत्रण में लेने की प्रस्ताव के बारे में 28 फरवरी, 1978 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1003 के उत्तर मे शुद्धि करने वाला विवरण

Correcting Statement in respect of USQ dated 28-2-1978 regarding Proposal from McDowel and Company for take over of Hindustan Polymers.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : इस प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि केन्द्रोय सरकार को एकाधिकार एवं निबंधनकारो व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 23(4) तथा कम्पनो अधिनियम, की धारा 372 के अन्तर्गत पूर्व अनुमोदन के लिये, मकडोवल एण्ड कम्पनी लिमिटेड से कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रश्न के उत्तर को 25 फरवरो, 1978 को अन्तिम रूप दे दिया गया था। तथापि, मकडोवल एण्ड कम्पनी लिमिटेड से हिन्दुस्तान पोलोमर्स लिमिटेड के शतप्रतिशत साम्य हिस्से तथा शतप्रतिशत अधिमान हिस्सों में नियोजनार्थ, कम्पनो अधिनियम की धारा 372(4) के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र 27 फरवरी, 1978 को प्राप्त हुआ था। इससे एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 23(4) के अन्तर्गत कोई आवेदन-पत्र अभी तक प्राप्त नही हुआ है।

2. अत: पहले दिये गये उत्तर को कृपया इस प्रकार से सहो किया जाय :—

(1) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में, विद्यमान इन शब्दों "किसी कम्पनी को अपने अधिकार में लेने के लिये, मकडोवल एण्ड कम्पनो लिमिटेड से पूर्व अनुमोदनार्थ कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है", के स्थान पर, कृपया निम्नांकित शब्द पुर:स्थापित किये जायें।

(क) .....किसी अन्य कम्पनी को अपने अधिकार में लेने के लिये। कम्पनो अधिनियम, 1956 की धारा 372(4) के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र दिनांक 27 फरवरी, 1978 को प्राप्त हुआ था। एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 23(4) के अन्तर्गत कोई आवेदन-पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर कृपया इस प्रकार पुर:स्थापित किया जाय :—

(ख) मकडोवल एण्ड कम्पनी लिमिटेड ने हिन्दुस्तान पोलीमर्स लिमिटेड की शत-प्रतिशत साम्य पूंजो तथा शत प्रतिशत अधिमान पूंजी में नियोजन करने के लिये प्रस्ताव किया है। 100 प्रति हिस्से के मनोनीत मूल्य के साम्य हिस्से तथा अधिमान हिस्से, क्रमश: 20 रु० प्रति साम्य हिस्से तथा 50 रु० प्रति अधिमान हिस्से के भाव पर खरोदने का प्रस्ताव किया गया है। एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 23(4) के अन्तर्गत जब कभी भी कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो उस पर वैसा ही कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 372 (4) के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्र पर, गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

स्थगन प्रस्ताव

ADJOURNMENT MOTION

लखनऊ में 17-3-78 को हुई घटना जिसमें की कुछ संसद सदस्य भी शामील हैं

अध्यक्ष महोदय : लखनऊ में 17 मार्च 1978 को जो घटना हुई, जिसका कुछ संसद सदस्यों का भी सम्बन्ध हो गया, उसके बारे में तीन स्थगन प्रस्ताव मुझे मिले हैं। ये सर्वश्री के लकप्पा, वसंत साठे और पी० राजगोपाल नायडू के हैं।

चूंकि श्री नायडू के प्रस्ताव की शब्दावली कुछ उचित थी, अतः मैंने उसके प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दे दी है। श्री साठे ने मुझे लिखा है कि उसकी सहमति हो गई है और श्री साठे ही उस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति मांगेगे ।

श्री गौरी शंकर राय (गाजीपूर) : इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करना गलत बात होगी। यदि मामले का सम्बन्ध सीधे तौर पर सरकार से नहीं होता तो स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नही दी जाती। यह बात संसदीय प्रक्रिया के विरुद्ध है। अध्यक्ष महोदय को इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देनी चाहिये । इस पर किसी और रूप में चर्चा कर ली जानी चाहिये ।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है इस पर आज गृह मंत्री अपना वक्तव्य दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय को इस किसी और रूप में चर्चा की अनुमति नहीं दनी चाहिये ।

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : कानून और व्यवस्था तो राज्य का विषय है। इस बारे में स्थगन प्रस्ताव की यहां अनुमति देने का मामला नहीं बनता।

श्री वयालार रवि (चियंकीली) : मैं इसका समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इसका समर्थन नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सरिमपुर) : जो मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता हो, उस पर यहां चर्चा नहीं होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पुरानी परम्पराओं पर अमल किया है। जबकि संसद सदस्यों को समुचित संरक्षण नहीं दिया गया। पहले इस प्रकार की अनुमति दी जाती रही है। अतः मैंने सारी बातों पर विचार करके ही ऐसा किया है ।

श्री वसंत साठे : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य अनुमति देने के पक्ष में हैं वे अपने स्थानों पर खड़े हो जायें ।

50 से अधिक सदस्य खड़े हुये है। अतः अनुमति दी जाती है।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : यदि हम इस प्रस्ताव को लेते हैं तो सभा आज के लिये निश्चित वित्तीय कार्य को पूरा नहीं कर सकती है। अतः इस प्रस्ताव की चर्चा को कल के लिये स्थगित किया जाये ।

श्री गौरी शंकर राय : कोई भी कठिनाई क्यों न हो स्थगन प्रस्ताव को आगे स्थगित नहीं किया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : दलों की सहमति से पहले भी इस प्रकार के प्रस्ताव स्थगित हुये हैं। चूंकि दोनों पक्ष सहमत हैं, इसलिये इसे कल 4 बजे के लिये स्थगित किया जाता है।

श्री समर गुह (कंटाई) : इस के लिये या तो नया नोटिस चाहिये या नियम में ढील दी जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : नियम में ढील दी जाती है और इसे कल चार बजे के लिये स्थगित किया जाता है ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : आप किस नियम में ढील दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : कौन सा नियम लागू होता है ?

श्री हरि विष्णु कामत : नियम 388 मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 61 को, जहां तक वह 17 मार्च 1978 को लखनऊ में हुई कतिपय घटनाओं, जिनमें कुछ संसद सदस्य अन्तर्गस्त है, के बारे में श्री वसंत साठे द्वारा पेश किये जाने वाले स्थगन प्रस्ताव पर लागू होता है, निलम्बित करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम 61 को, जहां तक वह 17 मार्च, 1978 को लखनऊ में हुई कतिपय घटनाओं, जिनमें कुछ संसद् सदस्य अन्तर्गस्त है, के बारे में श्री वसंत साठे द्वारा पेश किये जाने वाले स्थगन प्रस्ताव पर लागू होता है, निलम्बित करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव को कल चार बजे लिया जायेगा।

श्री वयालार रवि : मैं मामले के गुण-दोषों में न जाते हुए श्री भुट्टो को दिय गये मृत्यु दण्ड ...**

**अध्यक्षजी के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
**Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : यह इस सभा का मामला नहीं है। मैं इस की अनुमति नहीं दे सकता। इसे कार्यवाही में शामिल न किया जाये।

श्री सोगेत राय : (बैरकपुर) : महोदय**

अध्यक्ष महोदय : यह खेद की बात है कि सभा में अशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन्हें कार्यवाही वृतान्त में नहीं लिया जायेगा। (**व्यवधान**) संसद में अशिष्ट शब्दों का प्रयोग उचित नहीं।

श्री वयालार रवि : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हम किसी देश के आन्तिक मामलों में हस्ताक्षेप नहीं करना चाहते। परन्तु श्री भुट्टो को मृत्यु दण्ड के प्रश्न . . .**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

पत्र मामलों पर विधि आयोग के प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारण बताने वाले विवरण आदि

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) उच्चतर न्यायपालिका की संरचना और अधिकारिता पर विधि आयोग के 58 वें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०-1845/78**]

(2) (एक) साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 पर विधि आयोग के 60 वें प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) (क) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब तथा (ख) उसका हिन्दी संस्करण साथ साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०-1846/78**]

(3) (एक) माल की बिक्री पर कर लगाने की राज्यों की शक्तियों तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 से सम्बन्धित कतिपय समस्याओं पर विधि आयोग के 61 वें प्रतिवेदन की एक प्रति।

**अध्यक्षजी के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

(दो) (क) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब तथा (ख) उसका हिन्दी संस्करण साथ साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०-1847/78]

(4) (एक) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 पर विधि आयोग के 62 वे प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-1848/78)

(5) (एक) विदेशी तलाकों की मान्यता पर विधि आयोग के 65 वें प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) (क) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब तथा (ख) उसका हिन्दी संस्करण साथ साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-1849/78)

(6) (एक) विवाहित महिलाओं की संपत्ति अधिनियम, 1874 पर विधि आयोग के 66 वे प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) (क) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब तथा (ख) उसका हिन्दी संस्करण साथ साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रख गए। देखिए संख्या एल०टी०-1850/78)

(7) (एक) अधिवक्ता की शक्तियां अधिनियम, 1882 पर विधि आयोग के 68वें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बतान वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय मे रख गए। देखिए संख्या एल०टी०-1851/78)

श्री हरि विष्णु कामथ (होशंगाबाद) : कृपया निदेश दें कि स्थगन प्रस्ताव कल लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह कल 4 बजे लिया जायेगा।

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति, और सहकारिता मंत्रालय की वर्ष 1978–79 की ब्यौरेवार मांगे

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : मैं श्री मोहन धारिया की ओर से वर्ष 1978-79 के लिये वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय के अनुदानों की ब्योरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०-1852/78]**

भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड नई दिल्ली और मद्रास उर्वरक लिमिटेड मनाली की वर्ष 1976-77 की समीक्षाएं और वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम, रसायण और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री ((श्री ज्ञनेश्वर मिश्र) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०-1853/78]

(2) (एक) मद्रास उर्वरक लिमिटेड, मनाली, मद्रास के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास उर्वरक लिमिटेड, मनाली, मद्रास का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०-1854/78]

सभा की कार्य के बारे में
RE BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री : मैं सभा की अनुमति से मध्याह्न भोजन काल को समाप्त करके सरकारी कार्य को समाप्त कराना चाहता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली में चक्रवात के कारण हुई बरबादी

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं गृह मंत्री का ध्यान दिल्ली में चक्रवात के कारण जन-धन की भारी हानि तथा स्थिति का सामना करने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाई की ओर दिलाता हूं तथा उनसे निवेदन करता हूं कि इस पर एक वक्तव्य दें।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : 17 मार्च, 1978 की शाम को बारिश के साथ तीव्र गति का एक चक्रवात आया और उत्तर दिल्ली के इलाकों में नुकसान पहुंचाया। इस विलक्षण प्राकृतिक विपत्ति से विश्वविद्यालय क्षेत्र तथा किंग्सवेकम्प के कुछ भागों, रोशनारा रोड़, हकीकत नगर तथा प्रोबिन रोड़ में जान माल का भारी नुकसान हुआ। विनाशकारी चक्रवात पांच मिनट से कम समय तक रहा जिसके परिणाम स्वरुप कई कालेजों की बिल्डिगों अन्य इमारतों तथा बिजली के खम्बों आदि को अत्यधिक क्षति पहुंची। चक्रवात के रास्ते में आये कुछ वाहन भी हवा से उड़ गये।

सूचना मिलने के कुछ ही मिनटों में पुलिस, अग्निशमन दस्ता तथा दिल्ली प्रशासन के अधिकारी प्रभावित क्षेत्र में पहुंच गए।

इसके तुरन्त बाद एक बड़े पैमाने पर बचाव तथा सहायता कार्य आरम्भ किए गए। गतवर आपात बल, पुलिस, अग्निशमन दस्ता डेसू तथा निगम के कर्मचारियों ने कालेज के विद्यार्थियों की सहायता से बचाव कार्य किया। घायल व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता देने के लिए तुरन्त अस्पताल में ले जाया गया। सहायता तथा बचाव कार्यों के समन्वय के लिए खालसा कालेज के नजदीक दिल्ली प्रशासन ने एक काम चलाउ कैम्प कार्यालय स्थापित किया। विभिन्न इस्पतालों के डाक्टरों ने घायल व्यक्तियों की चिकित्सा के लिए रात दिन कार्य किया। उपायुक्त दिल्ली के कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष, स्थापित किया गया है जिसमें एक मिजस्ट्रेट नियुक्त है।

नवीनतम सूचना के अनुसार 28 व्यक्तियों की जाने गई हैं। इसके अतिरिक्त 104 व्यक्ति अभी तक विभिन्न इस्पतालों में दाखिल हैं जिनमें से बताया जाता है, कि 1 की दशा गम्भोर है। 712 व्यक्तियों की चिकित्सा के बाद इस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है।

अस्थाई रूप से सम्पत्ति की क्षति का अनुमान एक करोड़ रुपए लगाया गया है। अधिकतर क्षति कालेज की बिल्डिगों, दिल्ली परिवहन निगम तथा अन्य सरकारी संस्थानों की हुई।

दिल्ली प्रशासन ने अनुदान सहायता के रूप में प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिवारों को 2,500/- रुपए की राशि स्वीकृत की है। प्रभावित झुग्गी वासियों को रेडक्रास ने वस्त्र तथा बरतन दिए। कुछ स्वैच्छिक संगठनों ने भी सहायता देने में मदद की।

चक्रवात से पीड़ित व्यक्तियों की विपता दूर करने के लिए प्रधान मंत्री के सहायता कोश से एक लाख रुपए की सहायता की घोषणा की गई है। सहायता तथा पुनर्निर्माण कार्य पूरी गति से चलाया जा रहा है।

Shri Kanwar Lal Gupta: Tornado and flood in Delhi during this month are unprecedented. There was large scale devastation and destruction in University area. A reader jumped to double storry building. In spite of all this the Delhi Administration, Delhi Municipal Corporation and the students in general worked throughout night and cleared the roads. The Doctors and nurses of Hindu Rao Hospital and Irwin Hospital reached there of their own. No body complained of any slackness on the part of the Government. I congratulate the Hon. Minister on behalf of the people of the area. The Government has done everything for the people and there is no need for collection of funds.

The reports published in news papers that 50 persons are missing are baseless. I have personally investigated the matter. These is no one missing today.

The weather experts could not forecast anything. They are rather confused. The Government should do scientific study in the matter.

The compensation of Rs. 2,500 paid in respect of the persons killed is quite insufficient. This amount should be raised.

The college buildings that have been damaged should be given grants through university grants commission.

Shri Dhaniklal Mandal: One such incident took place in Jullundur in 1975. The relief work done by Government and other organisation is commendable.

Our Meteorological Department has not the means to make forecasts in such cases the suggestions given by the hon. Member regarding enhancement of the amount of relief and undertaking the repairs of college buildings will be considered.

Shri Rajinder Kumar Sharma (Rampur): The Central Government deserve congratulation. The students have done commendable job. There has been no instance of such present relief measures by any Government. I would request the hon. Minister to enhance the amount of relief, especially the children of the Jhugi-Jhompri- residents who have been killed should be given free education.

The IMD Chief Dr. Y. P. Rao has stated that the frequency of tornado in India is about one in fifteen years. Tornados usually occur in U.S.A. A team of scientists should be sent there to investigate. We should see that such incidents do not happen in our country in future.

Shri Dhanik Lal Mandal: Blankets, tents etc. have been distributed to the affected persons of Jhugi-Jhompri. We would consider increasing the amount of compensation.

We would keep in mind the suggestions given by the Members.

श्री कृष्ण चन्द्र हलदर (दुर्गापुर) : सबसे पहले मैं मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्तियों के लिए शोक व्यक्त करता हूं। हमारे मौसम विभाग के कार्यालय इस बारे में भविष्यवाणी करने में विफल रहें हैं। मंत्री महोदय ने बताया कि धनाभाव के कारण ऐसी भविष्यवाणी करना सम्भव नहीं है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मौसम विभाग की इस विफलता की पूरी जांच करवायें तथा क्षतिपूर्ति की राशि को 10,000 रुपए कर दें। जिन झुग्गी झौपड़ी वालों की झौपड़ियां नष्ट हो गई हैं उन्हें अनुदान दिये जायें। भविष्यवाणी करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था की जाये।

श्री धनिक लाल मण्डल : जांच समिति नियुक्त किये जाने का प्रश्न ही नहीं है। अमरीका में भी भविष्यवाणी करना कठिन है। क्षतिपूर्ति के बारे में मैं पहले ही आश्वासन दे चुका हूं मैं राशि के बारे में कोई वचन नहीं दे सकता।

श्री शिवजी पटनायक (भुवनेश्वर) : मैं मंत्री महोदय के इस वक्तव्य से संतुष्ट नहीं हूं कि जांच करना सम्भव नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मौसम विभाग को भविष्यवाणी करने के लिए अद्यतन उपकरण दिये जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही बताया कि भविष्यवाणी करना अमरीका में भी सम्भव नहीं है ।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

62 वां और 63 वां प्रतिवेदन

श्री सी० एम० स्टीफन (उदक्की) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(1) "तेल की खरीद" के संबंध में लोक लेखा समिति के 231 वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 62 वां प्रतिवेदन ।

(2) "भट्टियों की खरीद और कारतूसों के खोलों की बिक्री" के बारे में लोक लेखा समिति के 229 वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 63 वां प्रतिवेदन ।

प्राकलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा (औरंगाबाद) : मैं प्राक्कलन समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं ।

(1) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय-उच्चतर तकनीकी शिक्षा पर नौवां प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

नियम 377 के अधिक मामले
MATTERS UNDER RULE 377

श्री कंवरलाल गुप्त : जब यह मामला कल लिया जा रहा है वह वक्तव्य कैसे दे सकते है ।

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय उन्होंने करना ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है, अतएव वक्तव्य की आवश्यकता नहीं ।

श्री चित्त बसु : मैं वित्त मंत्री का ध्यान जीवन बीमा निगम के 5000 अधिकारियों द्वारा हड़ताल की ओर दिलाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न कल लिया जा रहा है । आप नियम 377 के अधीन नोटिस दें ।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : चूंकि आज कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं अतः संसद को उनकी समस्याओं का ज्ञान होना चाहिये । इस ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं ।

(एक) 10+2+3 शिक्षा प्रणाली

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) : I want to draw your attention to the uncertain situation in the field of education. The Education Minister had said that 10+2+3 system will be introduced but now he has come out with a statement that Government is not yet satisfied with this system.

The teachers and students are at a loss to understand the direction of education. There is great resentment among the students over this issue. Although Janata Party is committed to bring about a change in the education system but we have not been able to find any solution.

The difference of opinion between the Prime Minister and the Education Minister should be removed as early as possible and a commission may be set up to bring about revolutionary changes in the pattern of education.

(दो) पश्चिम बंगाल के बांकुरा और पुरुलिया जिलों में अकाल स्थिति के समाचार

डा० विजय मंडल (बांकुरा) : पश्चिम बंगाल के बांकुरा और पुरुलिया जिले में अकाल जैसी स्थिति के सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वहां हर दूसरे वर्ष अकाल पड़ता रहता है। वर्षा बहुत कम होती है और वहां सिंचाई की सुविधाएं नहीं है। यहां के अधिकतर लोग कृषि श्रमिक है। उन्हें केवल काम के सीजन में ही काम मिलता है । इसलिए लोग भूखे मर रहे हैं। बांकुरा जिले में तो कोई उद्योग भी नहीं है। लोगों की आय बहुत कम है।

इसलिए मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वहां की समस्या सुलझाने के लिए उपयुक्त सहायता दे। राज्य सरकार के पास संसाधन नहीं है। सरकार को वहां उद्योग स्थापित करने चाहिये ।

(तीन) दिल्ली में बच्चों के गुम हो जाने की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि

डा० वसंत कुमार पंडित (राजगढ़) : मैं सरकार का ध्यान दिल्ली तथा आस-पास के क्षेत्रों में बच्चों के गुम हो जाने की घटनाओं में हो रही वृद्धि की ओर दिलाना चाहता हूं । 18 मार्च, 1978 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में आंकड़े भी दिये गये हैं। बच्चे उठाने वालों का गिरोह है। पिछले वर्ष गुम होने वाले बच्चों की संख्या 2,998 थी। इस वर्ष मार्च तक यह 685 तक पहुंच चुकी है। बच्चों पर बहुत जुल्म ढोये जाते है। या तो उन्हें गुलामों के रूप में बाहर बेच दिया जाता है या उन्हें अपाहिज बना कर भीख मांगने के लिए बिठा दिया जाता है। लड़कियों से वेश्यावृत्ति कराई जाती है।

मेरा गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि एक ऐसा सेल बनाया जाये जो इस बारे में पूरी तरह जांच करें।

[डा० वसंत कुमार पंडित]

यहां की पुलिस बहुत अकुशल है। बच्चे उठाने वालों के गिरोह बम्बई-दिल्ली-बम्बई-कलकत्ता और कलकत्ता-दिल्ली के बीच घड़ल्ले से अपना काम कर रहे हैं।

बच्चों को ढूंढने के लिए स्पेशल स्कवेड बनाया जाये। पुलिस की ओर से भी वक्तव्य दिया जाना चाहिये।

(चार) उत्तर प्रदेश और बिहार में चूहों द्वारा रबी की फसल को नुकसान पहुंचाने के समाचार

Shri Ugrasen (Deoria): Rabi crops in U.P. and Bihar have been badly damaged by rodents. In U.P. the loss per day comes to about 10 crores of rupees. The Government should launch rodent eradication compaign. Educational institutions, students can cooperate with the Government to make it a success.

(पांच) लार्ड विलिंगडन ड्रेजर के डूब जाने के बाद कोचीन पत्तन को होने वाले खतरे का समाचार

श्री वयालार रवि : (चिरयिंकिल) : लार्ड विलिंगड़न ड्रेजर को कोचीन पत्तन को नौवहन के योग्य बनाये रखने के लिए खरीदा गया था। वह बहुत ठीक ढंग से काम कर रहा था। पत्तन के आस-पास पानी निरंतर गहरा किये जाने का काम चलता रहा था।

दुर्भाग्य से 21 फरवरी को लार्ड विलिंगडन डूब गया। इस में केवल 20 मिनट लगे।

इस बारे में यह ध्यान रखा जाये कि जनवरी और फरवरी में समुद्र में मौसम खराब हो जाता है और ड्रेजिंग कार्य करना पड़ता है। इस ड्रेजर का मरम्मत किये जाने के बाद उसे ठीक होने का प्रमाण पत्र दिया गया था। लेकिन ड्रेजिंग कार्य शुरू होते ही वह डूब गया। इस बारे में पूरी जांच की जाय।

विनियोग विधेयक 1978—जारी
APPROPRIATION BILL, 1978

[श्रीमती पार्वती कृष्णन पीठासीन हुई।
Shrimati Parvathi Krishnan in the Chair]

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : सरकार के उच्चाधिकारी राजनीतिक कार्यों के लिए सरकारी धन का उपयोग कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने केरल के मलक्करा, चेंगनूर, में 7 जुलाई, 1977 को छापा मारा था। जिस प्रकार यह आश्रम काम कर रहा है उस से सन्देह पैदा होता है। वहां प्राय: अनेक विदेशी आते रहते हैं। लगता है इस आश्रम का प्रयोग जासूसी कार्यों के लिए हो रहा है। छापे में प्रवर्तन निदेशालय ने 11 लाख रुपये की धन राशि पकड़ी और आयकर विभाग को सौंप दी जिन्होंने कानून के अनुसार उसे बैंक में जमा करा दिया। अगले दिन प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक त्रिवेन्द्रम गये। उन्होंने वहां उन अधिकारियों से पूछताछ की तथा उन्हें गालीयां दी जिन्होंने छापा मारा था। उसके बाद छापा मारने वाले तथा आयकर अधिकारियों के साथ मिलकर रिकार्ड में हेर-फेर किया गया। उन्होंने यह कहा कि यह धन न्यास का है इसे वापस किया जाये।

मैंने महालेखा परीक्षक के दफ्तर के कर्मचारियों का हालत के बारे में गत पत्र में बात की थी। मंत्री महोदय ने मुझे आश्वासन दिया था कि उनके अधिकारों की रक्षा की जायगी। कई ऐसे लोग हैं जिनका संख्या स्वयं मंत्री महोदय ने 940 बताई है, विभाग की परीक्षा पास कर चुके हैं, मगर उनको नियुक्त नहीं किया गया। सरकार को उन लोगों के करियर से खिड़वाड़ नहीं करना चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): The hon. Minister has asked for approval of supplementary Grants for the year 1975-76. Earlier also the previous Government had taken approval for supplementary Grants. Now Government is asking for Rs. 107 crores. I want to ask why such an expenditure was incurred during 1975-76 as a result of which large expenditure had to be incurred twice.

The malpractices and atrocities committed during 1975-76 are unprecedented and the manner in which democracy was murdered is never heard of. Indiraji wanted to establish Presidential form of Government in this country. She had brought forward a Bill also and had also obtained opinion of some persons on it. Besides, She misused L.I.C., banks, financial institutions and the entire government machinery for her personal and her son's benefit. I want to know whether it is not a fact that an amount of Rs. 5 crores was diverted to Jaipur Industry for 5 years ? May I know the action taken by Government in this regard ? So far as the aircraft belonging to the Brahmchari is concerned, it was said that the plane was given as a gift to him. Whether any inquiry was conducted into the source of foreign exchange.

At that time the judiciary functioned in the manner, which did not behove her. The courts did carry out the normal courtier. Steps should be taken to ensure that judiciary should function in proper manner.

The incident that took place in U.P. Legislative Assembly in Lucknow and the incident that took place at the Prime Minister's residences were pre-planned and organised. Government should remain vigilant from those who want to take the country towards anarchy and see that their planning and conspiracy should not succeed. I feel that Government will accept this challenge and ensure law and order in the country.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : ये अनुदान आपातकाल के प्रथम वर्ष 1975-76 के दौरान तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनके गिरोह द्वारा लोकतंत्र और संविधान को हत्या करने के लिये किये गये व्यय से सम्बन्धित हैं। उस समय सारे भारत में पुलिस राज था और प्रेरणा स्रोत थी डानवा या देवी, कोई कुछ भी कहे, स्वयं श्रीमती इंन्दिरा गांधी। पुलिस को 4 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया गया। रक्षा सेवा को छोड़ कर यह एक बड़ी राशि थी। इसके अतिरिक्त सेना पर 61 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ जबकि नौसेना और वायुसेना पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ, और सेना पर 7.42 करोड़ रुपये व्यय हुए। मंत्री महोदय सेना पर खर्च हुई 61 करोड़ रुपये की बड़ी राशि पर और पुलिस पर हुए 4 करोड़ रुपये के व्यय पर प्रकाश डालें।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने एकमत से यह सिफारिश की कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत एक परिव्यय की स्थापना की जो अन्तर्राज्यीय विवादों की जांच करें और उन्हें सुलझाएं। मैं जनता सरकार से इसपर विचार करने और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना करने की सलाह देने का अनुरोध करता हूं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : सेना पर हुए 61 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय का मुख्य कारण जवानों के राशन मदों में वृद्धि, सैनिकों आदि के वेतन और भत्तों में वृद्धि थी तथा वायु सेना पर 7.42 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय पी० ओ० एल० का बड़ा भुगतान और परिवहन व्यय के बढ़ने के कारण हुआ ।

जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है, अनुपूरक अनुदानों समेत बजट में दिये गये व्यय से 5.89 करोड़ रुपये अधिक हुआ । 20.29 करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान सदन ने मार्च, 1976 में पास किया था । यह किस काम के लिये था इसको कल्पना सदन स्वयं लगा सकता है । यह आपात काल का पहला वर्ष था ।

जहां तक प्रस्तुत 5.84 करोड़ रुपये का सम्बन्ध है यह तृतीय वेतन आयोग द्वारा सीमा सुरक्षा दल के वेतनमानों को बढाया जाना, रक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार की गई क्रिप्टोग्राफिक सामग्री पर हुए व्यय का आनुपातिक ऋण और जम्मू और काश्मीर मिलिशिया को अतिरिक्त महंगाई भत्ता आदि देने के लिये बड़ी राशि का भुगतान करने के कारण व्यय हुए ।

संविधान के अनुसार इस अतिरिक्त व्यय को विनियमित किया जाना चाहिये और लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर यह किया जा रहा है ।

जहां तक जयपूर उद्योग के कर का सम्बन्ध है, यह मामला शाह आयोग को सौंपा गया है । धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का कहना है कि वायुयान उन्हें भेंट में मिला । शाह आयोग के सामने आये कुछ साक्ष्यों के अनुसार वह भेंट नहीं है । विदेशी मुद्रा कहां से मिली यह अभी भी जांच का विषय है । शाह आयोग इन तथ्यों तथा अन्य कई बातों की जांच कर रहा है ।

श्री वयालार रवि ने जुलाई, 1977 के कुछ मामलों का उल्लेख किया । यदि वह पूरी जानकारी दें तो जांच कराई जा सकती है ।

इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूं कि विनियोग विधेयक पर विचार किये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये कुछ सेवाओं के लिये अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई हैं उनको चुकाने के लिये भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करनेवाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

विधेयक स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2 और 3, अनुसूची, खंड 1 अधिनियम सूत्र तथा शीर्षक विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 2 तथा 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा शीर्षक विधेयक में जोड़ दिए गए

Clauses 2 and 3, The Schedule, Clause I, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री सतीश अग्रवाल : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य), 1977-78

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 1977-78

सभापति महोदय : 1977-78 के बजट के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा के लिए केवल एक घंटे का समय है । सभी सदस्यों से अनुरोध है कि चर्चा निर्धारित समय के अंदर समाप्त करने का प्रयास करें ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । क्या यह सही है कि एक लाख रुपये की राशि...

सभापति महोदय : चर्चा अभी आरम्भ नहीं हुई है...**(व्यवधान)** कोई प्रस्ताव नहीं है...**(व्यवधान)** आप मंत्री जी के उत्तर देने से पूर्व यह प्रश्न पूछ सकते हैं ।

डा० हनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : जो केरल की समस्या को जानता है उसे पता है कि तटीय प्रदेश के लोग नारियल-जटा उद्योग पर निर्भर हैं । यह पूर्णत: एक घरेलू उद्योग है । परन्तु सरकार की घोषित नीति के विपरीत एक बड़ उद्योगपति को नारियल जटा चटाई बनाने का लाइसेंस दिया गया है । इससे केरल का नारियल जटा उद्योग पूर्णत: नष्ट हो जायेगा । वित्त मंत्रालय इस ओर ध्यान दे और इस उद्योग में लगे 7.8 लाख लोगों की इच्छा के अनुसार इसका समाधान करे ।

केरल का दूसरा मुख्य उद्योग काजू है । यहां भी उन लोगों को जो इस उद्योग में नहीं थे, आयात करके काजू देने से उन हजारों लोगों को विशषकर महिलाओं को, बड़ी हानि होगी और जीवन अस्त-व्यस्त हो जायेगा । काजू को कमो और अनावश्यक नियमों और विनियमों के कारण इस उद्योग के समाप्त होने का खतरा है । इसके अतिरिक्त काजू निर्यात करने वाले अफ्रीकी देशों ने भी अपनी निर्यात नीति को कठोर कर दिया है । अत: उस उद्योग को जिसने बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की है, नष्ट होने से बचाया जाये ।

(डा० हनरी आस्टीन)

मछली पकड़ना केरल का एक परम्परागत मुख्य उद्योग है जिसमें 10—15 लाख लोग लगे हैं तथा जिससे हमें 300 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय होती है। यह उद्योग भी राज्य में नष्ट हो रहा है तथा इसके सामने उचित नीति और उपेक्षा के कारण कई समस्याएं हैं। आवश्यक संसाधन और उपकरण जुटाने के लिए इस उद्योग को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता है।

बजट अथवा नीति सम्बन्धी वक्तव्यों में ग्रामीण क्षेत्र के लिए रोजगार के अवसर बनाने की दिशा में कोई संकेत नहीं मिलता। पश्चिम बंगाल और केरल सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने की योजना बनाई है, परन्तु इससे यह समस्या हल नहीं होती। इस अप्रयुक्त श्रम का उपयोग एक वर्ष तक राष्ट्रीय सेवा करना अनिवार्य करके क्यों न किया जाये ?

हाल ही में बाहर नौकरी करने पर कठोर शर्त लगाई है। इसकी जांच की जाये जिससे हमारे कुछ लोगों को बाहर विदेशों में नौकरी मिल सके और बेरोजगारी कुछ सीमा तक हल हो सके।

वैज्ञानिकों के साथ गलत ढंग से व्यवहार किया जाता रहा है। डा० एम० एस० स्वामिनाथन देश में हरित क्रांति के प्रणेता हैं। और हमारी कृषि में उनका योगदान सर्वविदित है तथा उनकी सराहना देश में ही नहीं वरन विदेशों में भी की गई है। पता नहीं पिछले 3-4 वर्षों में उन्हें हटाने के सम्मिलित प्रयास क्यों कर दिए गए ? हमारे प्रधान मंत्री जो धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने उन्हें अपना त्यागपत्र वापस लेने पर विचार करने को राजी कर लिया है। परमाणु अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे डा० रामन्ना को रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में लिया जा रहा है। वे वहां सचीवीय पद पर क्या योगदान दे सकते हैं ?

मेरे निर्वाचन क्षेत्र मे कोचोन हवाई अड्डे को जोड़ने के लिए तेबरा और मन्तान्वरो पूल 1930 के आस पास बनाए गए थे। उनकी दशा इस समय बड़ी खराब है तथा उनका गारन्टी समय समाप्त हो गया है। इसमें सुधार करने के लिए तुरन्त उपाय किए जाने चाहिएं।

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur): I do not see any reason in bringing supplementary demands, because there has not been any unexpected circumstances during the last year which caused so much deficit. Last year when the Budget was presented the deficit seemed very little and the people thought that there will be no deficit in future, but this time the deficit has gone up to the tune of Rs. 800 or 900 crores. There is an apprehension that this deficit of Rs. 900 crores will go upto Rs. 2,000 crores next years. I request the hon. Finance Minister that the budget should be prepared keeping in view all the aspects.

I am glad that more allocation has been made in this Budget for the development of agriculture. But I would like to draw the attention of the hon. Minister towards the deteriorating condition of sugar industry.

It is our experience that the allocation made for any particular scheme is not properly utilized. For instance, last year 8 lakhs of rupees were allocated for constructing quarters for the employees of P. & T. Department in Bhagalpur but even not a single quarter was constructed. So the allocation is made only in books.

So far as village and small scale industries are concerned, there is a need to make special provision for their development. If the small scale industries are not given incentives and encouraged, the problem of unemployment will become explosive.

It is a matter of great satisfaction that the Government has set up a Rural Roads Organisation, because there is a dire need of constructing roads in villages. Last year a provision of Rs. 22 crores was made for this purpose. More money should be earmarked for this purpose.

Although considerable amount is spent on constructing big aircrafts they can not reach small places. Our small towns should also be connected with air routes. About two-three years back Bhagalpur was connected with air link, but now it has been disconnected.

I hope due consideration will be given to my suggestions.

I whole heartedly support these demands.

श्री के० धाथेवर (दिंडीगुल):यह बजट गरीब का बजट नहीं है । 550 करोड़ रुपये के नए कर लगाए गए हैं । गरीब किसानों और लघु उद्योगों की जो रियायतें दी गई हैं वे मात्र 9 करोड़ रुपये की हैं । वित्त मंत्री ने 1500 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है । सरकार इस घाटे को कैसे पूरा करेगी ? केवल दो विकल्प है, पहला नोट छापना और दूसरा विदेशों से ऋण लेना । अर्थ-शास्त्रियों का कहना है कि हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हम निर्यात से होने वाली आय से ब्याज तक भी नही दे सकते । मेरे अनुमानसे सन 2000 तक हम इस देने के योग्य भी नही रह जाएंगे । इस ब्याज के भुगतान के लिए भी हमें उधार लेना होगा । अतः विदेशों से और मांगना बड़ा खतरनाक है । हमें यह निश्चय कर लेना चाहिए कि ब्याज देने के लिए किसी भी अन्य देश से ऋण नहीं लेना ।

घाटे की अर्थव्यवस्था एक अन्य रूप में भी खतरनाक है । मूल्य पहले ही बहुत अधिक है और आपात काल के समाप्त होते ही आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़ गए हैं । इस घाटे की व्यवस्था से मूल्य और भी बढ़ जाएंगे ।

बिजली पर 2 पैसे का अधिशुल्क लगाने का बड़ा बुरा प्रभाव पड़गा । तमिलनाडु बिजली बोर्ड पहले ही 40 करोड़ रुपये के घाटे में है । इस अधिभार से 16 करोड़ के घाटे का भार और पड़ जाएगा । इसका वहाँ के उद्योगों पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । लगभग सभी मुख्य मंत्री इस अधिभार के विरुद्ध हैं । अतः सरकार इसे वापिस लने पर विचार करे ।

राज्य केन्द्र सम्बन्धों पर चर्चा करने के लिए मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन लाने का सबसे उपयुक्त समय है । राज्यों को अधिक आधिकार दिए जाए क्योंकि लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करने की तात्कालिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । राज्यों को और अधिक कर लगाने के अधिकार भी दिए जाए ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर(गांधीनगर) : मैं वर्ष 1977-78 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करते हुए सरकार का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण मामलों की ओर दिलाना चाहता हूं । ग्राम विकास विभाग से सम्बन्धित मांग में पंचायती राज के बारे में अशोक मेहता समिति की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है । यह समिति दिसम्बर, 1977 में नियुक्त की गई थी और इसे 6 महीने की अवधि में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था । समिति को केवल भविष्य के लिए सिफारिश ही नहीं करनी चाहिए बल्कि सम्पूर्ण मामले की जांच करनी चाहिए और देश में पंचायती राज के इति-हास के बारे में भी छानबीन करनी चाहिए । अनेक राज्यों में अनेक वर्षों से और कुछ राज्यों में 10 वर्ष से भी अधिक समय से पंचायती के चुनाव नहीं हुए है । मैं चाहता हूं कि महासमिति पंचायतों राज

(डो०पी०जी०मावलणकर)

को असफलता का पता लगाये । सरकार विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त के प्रति वचनबद्ध है । लेकिन पहले भारी शक्ति का केन्द्रीकरण के बाद फिर विकेन्द्रीकरण नहीं करना चाहिए और फिर अनेक विकेन्द्रीकृत एककों को विघटित नहीं करना चाहिए । विकेन्द्रीकरण वास्तविक होना चाहिए ।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के उच्चस्तरीय कार्यकरण के बारे में प्रैस समाचार है कि यह कार्य बहुत ही असन्तोषजनक है । पिछले अनेक वर्षों से यह संस्थान बहुत अच्छा कार्य कर रहा है । डा० स्वामीनाथन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि विश्व के सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक भी हैं और मैं नहीं समझता कि ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार किया जाये जिससे यह आभास हो कि सरकार अधिनायकवाद का कार्य कर रही है, लोकतांत्रिक ढंग से नहीं ।

उत्पादन संवर्द्धन सहायक योजना के अन्तर्गत विभिन्न निर्यात उत्पादों के लिए नकद प्रतिपूर्ति सहायता की व्यवस्था है । लेकिन करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी वास्तविक लाभ क्या हुआ ? क्या इससे निर्यात की संवर्धन क्रियाकलाप की वास्तव में सहायता की है और व्यापार सन्तुलन को स्थिति बना रखी है ?

जहां तक समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित मांग का सम्बन्ध है पी० एल० गृहों तथा महिला गृहों के रखरखाव के लिए और अधिक धनराशि दी जानी चाहिए क्योंकि महिलाओं का स्तर उनकी गरिमा और सम्मान की सुरक्षा की जानी चाहिए और हमें सामाजिक कुरीतियां दूर रखनी चाहिएं ।

यह कहा गया है कि करेंसी नोट प्रेस, जो वाणिज्यिक उपक्रम है ने एक रुपये के नोटों के फार्मों की लागत वित्त मंत्रालय से वसूल की है । क्या सरकार ने नोटों के बजाय सिक्के बनाने का निर्णय क्यों नहीं लेती है ? प्रिंटिंग प्रैस को रुपयों का भुगतान किया जा रहा है तो उसे कहा जाये कि नोटों की और अच्छी छपाई की जानी चाहिए । एक रुपये के नोटों का कागज बढ़िया होना चाहिए ।

श्री जे० आर० डी० टाटा की एअर इण्डिया के चेयरमैन के पद से हटाये जाने के बारे में भारत सरकार को अधिक शालीनता से काम करना चाहिए था । हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि श्री जे० आर० डी० टाटा ने ही 50 वर्ष पूर्व एयर इण्डिया की स्थापना की थी । एअर इण्डिया का कार्य बहुत महान रहा है और इसके लिए श्री टाटा को ही श्रेय जाता है ।

यहां चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हैं । इनके विकास के लिए पर्याप्त कार्य नहीं किया गया है । अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ किया जाये और आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाये ।

इण्डियन एयरलाईन्स अपनी सेवाओं में सुधार करने के लिए कई तरीके अपना रही है । लेकिन कठिनाई यह है कि मांग की दृष्टि में रखते हुए उनके पास कम विमान हैं जिसके कारण एयरलाईन सेवा की सूची पूरी भरी रहती है और उन्हें विमानों का अधिकतम उपयोग करना पड़ता है । इसके कारण सैंकड़ों यात्रियों की विमानों में स्थान नहीं मिल पाता है । हमें यथाशीघ्र अतिरिक्त विमान लेने चाहिएं ।

श्री ए० सुन्ना साहिब (पालघाट) : सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री का ध्यान मांग संख्या 89 की ओर दिलाना चाहता हूं । पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय के अन्तर्गत मांग संख्या 89 जिसका सम्बन्ध रबड़ के बागान को बढ़ाने से है ताकि श्रीलंका से आये विस्थापितों को रोजगार दिया जा सके । 1971 में इस के लिए 3.12 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई थी और 2,000 श्रमिकों को रोजगार मिलने की आशा थी । लेकिन यह योजना अभी तक कार्यान्वित नहीं की गई है और अब केवल 4.77 करोड़ रुपये की राशि की ही मांग की गई है । यह राशि पर्याप्त नहीं रहेगी । इसे बढ़ाया जाना चाहिए ।

जहाँ तक विद्युत का सम्बन्ध है "साइलैंट वैली" के विस्तार की मांग की गई है । लेकिन केवल 7 लाख रुपया ही मंजूर किया गया है । हम केरल वाली बहुत अधिक विद्युत पैदा करते हैं । लेकिन हम अपनी स्थिति का सुधार नहीं कर सकते । विद्युत पर उपकर लगाने से केरल पर बहुत प्रभाव पड़ा है । बेहतर तो यह होगा कि राज्य को पर्याप्त धनराशि आबंटित की जाय ।

पालाघाट क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र माना जाये और इस क्षेत्र में उद्योगों का विकास करने के लिए केन्द्रीय सरकार और योजना आयोग को उपयुक्त सहायता देनी चाहिए ।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति रेणुका देवी बरकटकी): समाज कल्याण विभाग ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थी पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति योग्य 2 मदों के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार के दावे को पूरा करने के लिए 107 लाख रुपये के अनुपूरक अनुदान की मांग की है । एक मद स्थायी दायित्व गृहों/अस्पतालों तथा महिला विहारों से सम्बन्धित है जिन्हें पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए बनाया गया था । केन्द्रीय सरकार ने इन गृहों तथा अस्पतालों की स्थापना की थी लेकिन राज्य सरकारों की इन के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई और केन्द्रीय सरकार ने आश्वासन दिया कि उन पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार करेगी । इस आश्वासन के अनुसार ही केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1973-74 तक बजट में इस व्यय का प्रावधान किया । छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप इन गृहों के रखरखाव का दायित्व 1-4-74 से राज्य सरकारों को स्थानान्तरित कर दिया गया । राज्य सरकारों को यह आश्वासन दिया गया था कि वर्ष 1973-74 के अन्त तक इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय की बकाया राशि के दावों को केन्द्रीय सरकार प्रतिपूर्ति करेगी । अब जो मांगें की गई है वह उस व्यय की है जो पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 1973-74 के अन्त तक किया था ।

दूसरा मद महिला विहारों में प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में है । चूंकि ये केन्द्र आत्मनिर्भर नहीं हो पाये हैं इसलिए इन्हें चलाने के लिए केन्द्रीय सरकार को कुछ व्यय करना पडा है । वर्ष 1955-56 से 1963-64 तक की अवधि तक प्रतिपूर्ति योग्य व्यय 38,88,085 रुपये था ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : एक प्रश्न उठाया गया है कि मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन किया जाय । इसका उत्तर प्रधान मंत्री दे चुके हैं । और मुख्य मंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में मिल चुके हैं ।

जहां तक ऋण लेने का सम्बन्ध है, यह कहा गया है कि ऋण लेना भयंकर है और ईस्ट इण्डिया कम्पनी का भी उल्लेख किया गया है । वे दिन चले गये है । कोई व्यक्ति भारतीय मण्डी में प्रवेश कर शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता । यह भ्रम है और अयथार्थ है ।

[श्री सतीश अग्रवाल]

धनकर, उपहार कर में वृद्धि करने का सुझाव दिया गया है । लेकिन यह संगत नहीं होगा । केरल में बड़े उद्योगपतियों की औद्योगिक लाइसेंस देने के बारे में उल्लेख किया गया है । लेकिन मुझे अब इसकी जानकारी नहीं है । जनता पार्टी की सरकार की सामान्य नीति यह है कि छोटे क्षेत्रों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाये ।

जहां तक नारियल जटा उद्योग का सम्बन्ध है, बड़े उद्योगपतियों की तब तक लाइसेंस देने की आवश्यकता नहीं है जबतक कि केरल में स्थिति उस स्तर तक न पहुंच जाये । फिर भी हमने मत्स्य पालन उद्योग के लिए कुछ प्रावधान किया है । जहां तक काजू उद्योग की समस्याओं का सम्बन्ध है, उन्हें देखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उन्हें किसी बात की कठिनाई न हो ।

जहां तक नये रोजगार के अवसर बनाने का सम्बन्ध है हमने कुछ अतिरिक्त प्रावधान किया है ।

आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल की तूफान/सूखा राहत पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए हमने राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के अन्तर्गत 16.93 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है । अतिरिक्त आवश्यकता 40 करोड़ रुपये की है । लेकिन शेष राशि बचत प्रावधानों में से पूरी की जायेगी । यह राशि दिसम्बर, 1977 में प्राप्त की गई 125 करोड़ रुपये की राशि से अलग है । इसी तरह हमने ग्रामीण क्षेत्रों में काम के बदले अनाज का उपयोग करने के लिए वहां रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रावधान किया है । इससे एक वर्ष में 29 करोड़ रुपया बैठेगा । कुछ चुने हुए क्षेत्रों में नये औद्योगिक एककों की सहायता देने के लिए 18.73 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है । ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण और केरल में समुद्रतट कटाव को रोकने के लिए आसाम और केरल सरकारों को ऋण देने के लिए 2.33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । 11 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान भी बढ़ाया जा रहा है । हमने ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों का गहन विकास करने के माध्यम से वहां गैर कृषि रोजगार के अवसरों का प्रसार करने के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि के ऋण का भी प्रावधान किया है । अतः ये अनुपूरक अनुदान बहुत ही उचित हैं ।

यह प्रश्न उठाया गया है कि हम नोटों के बजाय सिक्के क्यों नहीं निकाल रहे हैं । लगभग 3 वर्ष पहल हमने लगभग 3000 से 4000 लाख रुपये के सिक्के निकाले है और उनका प्रचलन हो रहा है । लकिन लोग उन्हें लेना कम ही पसन्द करते हैं । इस सम्बन्ध में नीति पर विचार किया जा रहा है ।

पंचायती राज प्रणाली की जांच करने के लिए अशोक मेहता समिति के गठन का उल्लेख किया गया है और सुझाव दिया गया है कि इस समिति को देश में पंचायती राज प्रणाली की विफलता के बारे में भी जांच करनी चाहिए । यह समिति इस बात को अवश्य जांच करेगी और इस के कारण भी बतायेगी ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : समिति को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए । यह अधिक महत्वपूर्ण है ।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : समिति का सदस्य होने के नाते मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे ।

श्री सतीश अग्रवाल : निर्यात संवर्धन योजना के लिये राशि की व्यवस्था की जा चुकी है । प्रश्न यह है कि इस योजना के लिये किस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाये ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इन अनुपूरक मांगों को पास किया जाये ।

सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1977–78 को निम्नलिखित अनुदानों की अनुपूरक मांगें मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृत हुई ।

The following Demands for Grants (General) for the year 1977-78 were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
1	2	3	4
		रुपये	रुपये
	कृषि और सिंचाई मंत्रालय :		
2	कृषि	..	115,35,24,000
4	पशुपालन और डेरी विकास .	1,000	2,000
6	खाद्य विभाग . . .	17,96,70,000	..
7	ग्रामीण विकास विभाग . .	7,87,42,000	11,93,000
9	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को अदायगियां . . .	1,66,84,000	..
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय :		
12	रसायन और उर्वरक उद्योग .	..	4,000
	नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय :		
14	नागरिक पूर्ति और सहकारिता .	1,87,69,000	..
	वाणिज्य मंत्रालय :		
15	वाणिज्य मंत्रालय . .	3,00,000	..
16	विदेशी व्यापार और निर्यात उत्पादन .	32,00,01,000	126,36,27,000
	संचार मंत्रालय :		
21	डाक-तार पर पूंजी परिव्यय . .	..	1,000
	रक्षा मंत्रालय :		
22	रक्षा मंत्रालय . . .	11,05,09,000	..
23	रक्षा सेवाएं—स्थल सेना . .	9,54,26,000	..

1	2	3	4
26	रक्षा सेवाएं—पेंशनें . .	24,99,57,000	
	शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय :		
30	समाज कल्याण विभाग . .	1,07,00,000	
	ऊर्जा मंत्रालय :		
32	विद्युत विकास .	1,000	..
33	कोयला और लिगनाइट . .		40,92,33,000
	वित्त मंत्रालय :		
38	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल .	5,42,15,000	
40	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण .	15,93,07,000	
41	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय .	24,97,00,000	..
42	सरकारी कर्मचारियों आदि को उधार .	..	17,74,97,000
43	राजस्व और बैंकिंग विभाग . .	..	16,05,07,000
46	आयकर, सम्पदा शुल्क, धनकर और दानकर . . .	2,25,24,000	
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय :		
49	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य .	11,42,01,000	3,33,92,000
	गृह मंत्रालय :		
53	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	34,65,000	1,75,000
54	पुलिस . . .	1,000	
56	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय . .	3,000	3,63,39,000
57	दिल्ली . . .	1,67,53,000	20,95,000
58	चंडीगढ़ . . .	37,06,000	..
59	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह .	42,48,000	1,76,000
60	दादरा और नागर हवेली . .	24,03,000	..
61	लक्षद्वीप . . .	6,59,000	..
	उद्योग मंत्रालय :		
63	उद्योग	3,00,00,000	4,000
64	ग्राम और लघु उद्योग . .	83,00,000	1,000
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय :		
66	सूचना और प्रचार . .	2,000	..
	श्रम मंत्रालय :		
69	श्रम और रोजगार .	2,000	..

1	2	3	4
	पैट्रोलियम मंत्रालय :		
73	पेट्रोलियम और पेट्रो-रसायन उद्योग .	1,33,35,000	..
	नौवहन और परिवहन मंत्रालय :		
81	सड़कें	7,00,57,000	3,28,99,000
82	पत्तन, द्वीप स्तम्भ और नौवहन :	3,22,45,000	1,000
83	सड़क और अंतर्देशीय जल परिवहन .	..	5,35,52,000
	इस्पात और खान मंत्रालय :		
84	इस्पात विभाग	..	220,00,01,000
86	खान और खनिज .	3,07,37,000	..
	पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय :		
89	पुनर्वास विभाग . . .	..	30,00,000
	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय :		
92	विमानन . .		2,000
	निर्माण और आवास मंत्रालय :		
95	लोक निर्माण . . .	5,36,42,000	..
97	आवास और नगर विकास .	90,74,000	..
	इलैक्ट्रोनिक्स विभाग :		
104	इलैक्ट्रोनिक्स विभाग . .	1,000	1,000

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1978
APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1978

सभापति महोदय : अब हम विनियोग विधेयक को लेते हैं ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं . . .

श्री हरि विष्णू कामत (होशंगाबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपका ध्यान नियम 76 की ओर दिलाता हूं । आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि नियमों का उल्लंघन सत्तारूढ़ दल तथा विरोधी दलों दोनों को नही करना चाहिये ।

सभापति महोदय : मैं इसे समझ चुका हूं । मैं आप को बता दूं कि इसके लिए अध्यक्ष द्वारा अनुमति प्रदान की गई है ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मंत्री विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक को पेश करने वाले हैं । इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान नियम 218 की ओर दिलाना चाहता हूं ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

Mr. Speaker in the Chair.

यदि आप नियम 218(1) तथा (2) को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि विनियोग विधेयक पेश किये जाने के बाद, अध्यक्ष महोदय समय निर्धारित करेंगे। लेकिन मंत्री महोदय विधेयक को पेश भी कर रहे हैं और पास करने हेतु विचार करने का प्रस्ताव भी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ये ऐसा सभापति की अनुमति से कर रहे हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर : मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आज केवल विधेयक पेश ही हो, इस पर विचार नही। यह एक खतरनाक प्रणाली है। सरकार इस प्रकार की जल्दबाजी से क्यों काम ले रही है ? इसे आज पेश करने के बाद, कल इस पर विचार हो सकता है।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : कल के बाद राज्यसभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो जायेगी। इसीलिये ऐसी जल्दी है। विपक्ष के सदस्यों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये।

Shri Nanhu Singh (Davsa): The Rajya Sabha Session can be extended but to rush the Bill in this way will be creating a wrong precedent.

श्री वसंत साठे : इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान नियम 218(4) की ओर दिलाना चाहता हूं। हमने अभी मांगों पर चर्चा नही की है।

श्री हरि विष्णू कामत : इस्पात मंत्री ने इस बारे में कुछ कहा है, उसे ध्यान में रखते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस प्रकार का विनिर्णय दें कि यह एक पूर्वोदाहरण नहीं होगा। यह एक विशेष मामला समझा जायेगा।

श्री वलायार रवि (चिरर्चिकिल) : इसे अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये पृथक दिन निर्धारित किया जाये या नही, यह अध्यक्ष पर निर्भर करता है। इस सम्बन्ध में की गयी आपत्तियों को मैं अस्वीकार करता हूं और अनुमति देता हूं कि इस पर चर्चा की जाये।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : श्री एच० एम० पटेल की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं।

कि वित्तीय वर्ष 1977-78 को सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1977-78 को सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री सतीश अग्रवाल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री सतीश अग्रवाल : श्री एच० एम० पटेल की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1977-78 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियां के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1977-78 को सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री धीरेन्द्रनाथ बसू (कटवा) : कृषि अनुसंधान संस्थान पर काफी धन व्यय किया गया है । कृषि मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों की मांगें चर्चा के लिए संसद में अभी तक पेश नहीं की गई हैं । लेकिन हम जानना चाहते हैं कि कितनी धनराशि व्यय की गई है ।

अनेक उपकरण तथा छोटी छोटी मशीनरी तैयार कर ली गई है । लेकिन उनके लिये विक्रय संगठन और विपणन संगठन नहीं है । वस्तुस्थिति यह है कि अधिकांश उपकरण और मशीनरी के विक्रय के लिए कोई विक्रय संगठन तैयार नहीं किया गया है । उन्हें किसानों को तो बेचा नहीं जा सकता । हम जानना चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है । इस्पात संवर्धन की कोई योजना नहीं है । कृषि उपकरण बेकार पड़े हैं । अतः विक्रय संगठन स्थापित किया जाये ताकि किसानों को इस मशीनरी का लाभ मिल सके ।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : ग्रामीण और लघु उद्योगों का उल्लेख हुआ है और उन पर कुछ धन भी व्यय किया गया है । सरकार जोर-जोर से कह रही है कि उनकी नीति 10 वर्षों में बेरोजगारी समाप्त करने की है । लेकिन आपके सामने कोई दिशा भी तो होनी चाहिये जिसकी ओर आप बढ़ रहे हैं । सरकार की ऐसी नीति होनी चाहिये जिससे रोजगार के अवसर अधिक हों और रोजगार में लगे लोगों का विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार छूटने न पाये ।

नारियल जटा उद्योग विभिन्न क्षेत्रों में गांववासियों को रोजगार दे रहा है । लेकिन दुर्भाग्य से पिछली सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने वहां कारखाने के लिए लाइसेंस दे दिया । जिसका अर्थ हुआ कि 50,000 ग्रामीण लोग बेरोजगार हो जायेंगे । बाद में उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली । इस सम्बन्ध में आपकी सरकार की नीति क्या है ?

संचार मंत्रालय में कुल 6 लाख कर्मचारी हैं । उनमें से 2.3 लाख कर्मचारियों को अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी कहा जाता है । उन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया । पी० एंड टी० बोर्ड नितांत तकनीकी संस्थान है । लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवा से एक नये व्यक्ति को इस बोर्ड का चेयरमेन बना दिया गया है । यह बोर्ड तकनीकी है । उसका चेयरमैन तकनीकी योग्यता वाला व्यक्ति ही होना चाहिये ।

श्री वसंत साठे (अकोला) : यह साधारण सी बात है कि जनसंख्या विस्फोट से देश खतरे में पड़ सकता है और पड़ता जा रहा है । इस बारे में कुछ कदम अवश्य उठाये जाने चाहियें । लेकिन किसी भय के कारण वर्तमान सरकार शायद परिवार नियोजन का कार्यक्रम को त्याग दे । पर देश में जन्म दर बढ़ रही है । अतः सरकार बताये कि सरकार रोजगार के अवसर कैसे प्रदान करेगी ।

[श्री वसंत साठे]

निर्माण और आवास के बारे में सरकार की नीति क्या है ? बदले की भावना से इस सरकार ने मन्दिरों को भी गिराना आरम्भ कर दिया है ।

श्री सो० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : यह प्रश्न उठाया गया है कि देश के नारीयल जटा उद्योग में क्या हो रहा है । सरकार ने मशीनोकरण की नीति के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है । किन्तु इस बारे में कोई निर्णय लेने से पूर्व सरकार ने कोचीन में निर्यात निकासा निरीक्षण अभिकरण को कहा है कि मशीन द्वारा कारखानों में अवैध रूप से निर्मित सभी चटाइयों को बेच दे । इसका मतलब यह है कि सरकार मशीनों द्वारा चटाई-निर्माण को प्रोत्साहित कर रही है ।

इसके अतिरिक्त काजू की वितरण प्रणाली की भी समस्या है । इस बारे में तो सरकार ने पहले ही समुचित नीति तैयार कर ली थी । अब सरकार अकस्मात नीति में इस तरह से परिवर्तन कर रही है जिससे कि यह उद्योग को, जो कि लाखों की संख्या में इस धंधे में लगे लोगों को पूर्ण रोजगार देने में असमर्थ है, नए कारखाने स्थापित करने की अनुमति दे रही है । केरल में वे निर्माता हैं जो कि कर्मचारियों की न्यूनतम मजूरी की नीति तथा अन्य अधिकारों को कम करना चाहते हैं । सरकार को ऐसा नहीं करने देना चाहिए ।

मंत्रीजी हमें बताएं कि राजस्व की बकाया राशि को वसूल करने के लिए उनकी क्या नीति है । राजस्व की वसूली जाने वाली राशि 1,002 करोड़ रुपय है, जिन्ह बड़े बड़े व्यापार गृह तथा पूंजीधारी व्यय कर रहे हैं । इसमें से 11 करोड़ रुपये बिरला बन्धुओं के पास हैं । सरकार को इन लोगों के विरुद्ध कुछ कार्यवाही करनी चाहिए ताकि इस धन का उपयोग देश में बेहतर आर्थिक स्थिति के निर्णय के लिए प्रयोग में लाया जा सके ।

इस्पात और खान मंत्री हमें बताएं कि वह हाल में केरल में पाये गए बहुमूल्य खनिज संसाधनों जैसे लोह अयस्क आदि का उपयोग कैसे करेंगे ।

श्री सतीश अग्रवाल : नारियल जटा उद्योग का उल्लेख किया गया है । पहले ही कहा जा चुका है कि यह मामला उद्योग मंत्री की जानकारी में लाया जायेगा । जहां तक करों की बकाया राशि का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने जो आंकड़े पेश किए हैं वे सही नहीं हैं । यह राशि 1,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है । यह लगभग 700 करोड़ रुपये है । इन बकाया राशियों के अधिकांश मामले न्यायालयों में निलंबित पड़े हुए हैं और उन लोगों ने स्थगन आदेश प्राप्त किए हुए हैं । यह राशि वर्षानुवर्ष बढ़ती जा रही है । हम यथा संभव कोशिश करेंगे कि अधिकांश राशि की निर्भीकता से वसूली की जाये, चाहे वह कोई भी हो और कितना भी शक्तिशाली हो ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1977-78 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2–3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

खंड 2-3 अनुसुची, खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का विधेयक में जोडें गए।
Clauses 2-3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री सतोश अग्रवाल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted.

मिजोरम बजट 1978-79—लेखानुदानों की मांगे (मिजोरम), 1978-79 तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगे (मिजोरम) 1977-78

MIZORAM BUDGET 1978-79, DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (MIZORAM), 1978-79 AND SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (MIZORAM), 1977-78

अध्यक्ष महोदय : अब हम मिजोरम बजट पर सामान्य चर्चा, वर्ष 1978-79 के लिए मिजोरम की लेखानुदानों को मांगों पर चर्चा और मतदान तथा वर्ष 1977-78 के लिए अनुदानों (मिजोरम) को अनुपूरक मांगों पर चर्चा करेंगे ।

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मणिपुर) : यह बजट हाल हो में हुई संकटमय तथा महत्वपूर्ण स्थिति के दौरान पेश किया गया है । केन्द्रीय सरकार तथा श्री लाल डेंगा के बीच होने वाली बातचीत समाप्त हो गई है और अब आगे और बातचीत करने का कोई लाभ नहीं है । सामान्यत: मिजोरम विधान सभा के चुनाव हो जाने चाहिए थे किन्तु केन्द्राय सरकार तथा श्री लालडेंगा के बीच होने वाली बातचीत के समाप्त होने के कारण यह बजट यहां चर्चा के लिए पेश नहीं किया जाना चाहिए था । किन्तु जैसा वित्त मंत्री ने स्वयं कहा कि बातचीत भंग हो जाने के कारण मिजोरम में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ानी आवश्यक हो गई । हम सब को वहां विद्रोही आन्दोलनों की सामना करना पड़ रहा है । भूतपूर्व सरकार द्वारा कई बार प्रयास किए जाने के बावजूद भी इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया । अत: पूर्वोत्तर क्षेत्रों के छोटे राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की समस्याओं पर नए रूप से विचार करना चाहिए । वहां आर्थिक असंतोष तथा लोगों में विषमता

[श्री एन० टोम्बी सिंह]

है । अब तक गृह मंत्रालय ने जो प्रयास किए हैं, उनका कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है । मिजोरम के आर्थिक विकास की हमेशा से उपेक्षा की गई है । चूंकि मिजोरम पूरी तरह से एक पर्वतीय राज्य है, इसलिए वहां पानी संचार तथा कृषि की सामान्य समस्याएं हैं ।

जहां तक मिजोरम में कृषि का सम्बन्ध है, चलती-फिरती खेती को हतोत्साहित करने के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम तयार करना होगा क्योंकि इससे मिजोरम, मणिपूर, नागालैंड तथा अन्य जुड़े हुए बन क्षेत्रों को क्षति पहुंच रही है । इसलिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के माध्यम से मिजोरम, नागालड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर में वनों को रक्षा के लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए ।

मिजोरम में संचार तथा जल सप्लाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए । मिजोरम में शिक्षित बरोजगारों की भी समस्या है । उन्हें रेलवे तथा अन्य सेवाओं में लिया जाना चाहिए । मिजोरम के लोगों को देश की मुख्य धारा में लाया जाना चाहिए । छोटे राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्र को आशंका है कि उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है । वित्त मंत्री को बताना चाहिए कि छोटे राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उनकी क्या नीति है ।

मिजोरम में यथा संभव शीघ्र चुनाव कराये जाने चाहिए । सरकार तथा श्री लालडेंगा के बीच हुई बातचीत असफल रही है ।

डा० आर० रोथुअम (मिजोरम) : वर्ष 1977-78 की तुलना में वर्तमान वित्तीय बजट में धन की अधिक व्यवस्था करने के लिए मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । मैं जनता सरकार की बजट नीति का हार्दिक स्वागत करता हूं क्योंकि ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपों द्वारा जल सप्लाई, ग्रामीण आवास तथा विकास, पनर्वास और छोटे पमाने के उद्योगों के विकास के लिए अधिक धन का प्रावधान किया गया है । केन्द्र में कांग्रेस सरकार के पिछले 30 वर्षों के दौरान वहां के 1,000 ग्रामों में से केवल 6 गांवों में बिजली पहुंचाई गई थी । जहां तक पीने के पानी का सम्बन्ध है, यहां तक कि मिजोरम की राजधानी एजल में भी पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं किया गया है । मिजोरम में सर्वत्र पीने के पानी की समस्या बड़ी बिकट हो गई है । केन्द्रीय नेताओं को मिजोरम में पीने के पानी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और इन दोनों समस्याओ को हल करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाये जाने चाहिए ।

संचार की समस्या सबसे प्रमुख है जिससे मिजोरम को आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है । केन्द्रीय सरकार को राज्य लोक निर्माण विभाग योजनाओं के अन्तर्गत हाल ही में सियालसुक होते हुए ऐजल-लुंगली सड़क के निर्माण के लिए आधा धन बी० आर० टी० एफ० की ओर से देना चाहिए और आधा धन राज्य का लोक निर्माण विभाग देगा । उन्हें सिलचर-एजेल सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना चाहिए ।

मिजोरम में इस समय कोई स्नातकोत्तर अध्ययन केन्द्र नहीं है । इसलिए मिजोरम में स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययन के लिए प्रबन्ध करने की आवश्यकता है ।

कृषि क्षेत्र के लिए अधिक प्रावधान करने के लिए वित्त मंत्री बधाई के पात्र है । मिजोरम में अदरक बड़ी मात्रा में पैदा होती है । वहां के अदरक उत्पादकों के समक्ष अदरक बेचने के लिये बाजारों की समस्या है । केन्द्रीय नेताओं को उनकी विपणन समस्या को हल करना चाहिए । अदरक से विभिन्न

वस्तुयें बनाने के लिये एकक स्थापित किए जाने चाहिए । वहां एक अदरक निर्जलन संयंत्र स्थापित किया जाना चाहिए । इससे अदरक उत्पादकों को अधिक अदरक के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और वहां अदरक की खेती अधिक होगा । कृषि के लिए बढाये गए बजट प्रावधान से मिजोरम आलू, मकई, चीनी, अनानास, सतरों, केलों आदि की खेती बड़े पैमाने पर करने जा रहा है । वहां फल परिष्करण एककों तथा विभिन्न छोटे पैमाने के कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के लिये पूरी सुविधायें हैं ।

संतोष की बात है कि अधिक प्रविधान भौगोलिक सर्वेक्षण तथा पन-बिजली परियोजनाओं, दस्तकारी, बेंत का काम, टोकरे बनाने का काम, छोटे पैमाने के उद्योगों आदि जैसी नई बातों के लिए किया गया है । यदि वन सम्पत्ति का समुचित ढंग से उपयोग किया जाए तो इससे मिजोरम के आर्थिक विकास में बहुत सहायता मिलेगी । किन्तु खेद की बात है कि प्रस्तावित कागज मिलों, प्लाई वुड कारखानों तथा आरा मिलों को इसी बजट में नहीं लिया गया है ।

बर्मा की सीमा से लगे चम्फै टाउन के समीप उच्च कोटि के कोयले तथा अन्य खनिजों के भंडार होने के संकेत मिले हैं । दक्षिणी मिजोरम में कोडोडन्स नदी के पानी में प्राकृतिक गैस की बहुत प्रतिशतता है । वहां अधिक भौगोलिक सवक्षण कराये जाने चाहिएं ।

कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो कि हमें कांग्रेस शासन से बपौती के रूप में मिला हैं । सुरक्षा बली ने गैर-सरकारी भूमि, मकानो, बगीचों, सरकारी क्षेत्रों, चर्चो, अस्पताल के क्षेत्रों, सरकारी इमारतों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और उनके मालिकों को पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया है । सुरक्षा चौकियां बीच गांवों में स्थापित की गई हैं । सुरक्षा बलों तथा सिविल लोगों के आपसी सम्बन्ध बिगड़ रहे हैं । सरकार को सभी सुरक्षा एककों को नए स्थानों पर ले जाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिएं । उनकी चौकियां गांवों से बाहर होना चाहिएं । और प्रभावित लोगों को समुचित मुआवजा दिया जाना चाहिए या उन्हें पुनर्वास अनुदान दिया जाना चाहिए । और उनकी सम्पत्ति उन्हें वापिस दी जानी चाहिए ।

आन्दोलन के दौरान ग्रुप में मिला गए उन सभी गांवों को वहां से हटाने के कारण और जिन गांवों को ग्रुप में नहीं मिलाया गया तथा जला दिया गया है, उन्हें पुनर्वास के लिए पर्याप्त अनुदान दिया जाना चाहिए ।

गड़बड़ी के कारण मिजोरम के लगभग 1,000 गांवों के लगभग 300 ग्रुप बनाए गए । उस समय कांग्रस सरकार ने उन पुनर्वासित गांवों को मान्यता देने से इन्कार कर दिया । सरकार को तत्काल इन गांवों को मान्यता देनी चाहिए ताकि भूतपूर्व सरकार ने जो गलत काम किया है उसे दूर किया जा सके ।

मिजोरम में बेरोजगारी की समस्या बड़ी विकट है । इस समय सभी विभागों में 60 प्रतिशत पद स्थानीय लोगों द्वारा भरे जाते हैं । इससे लोगों विशेषकर, शिक्षित युवकों में असंतोष व्याप्त है । सरकारी सेवाओं में अधिक आरक्षण वहां के स्थानीय लोगों के लिए किया जाना चाहिए ।

केन्द्रीय सरकार को मिजोरम में प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा कानून और व्यवस्था बनाये रखने पर निगरानी रखनी चाहिए ताकि वहां गत जून/जुलाई में हुई अराजकता पुनः न हो और वहां शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे ।

[डा० आर० रोथुअम]

भारत को शक्तिशाली तथा स्थिर बनाने के लिए सीमा सुरक्षा की आवश्यकता है । ऐसा करने के लिए सीमावर्ती राज्यों के आर्थिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसे राज्यों का सामरिक महत्व भी होता है ।

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur): While presenting the Budget the Finance Minister informed the house that talks with Mizo rebels have failed. So it is necessary to have economic vigilance for maintaining peace there.

There are not sufficient roads in Mizoram. It suffers from the shortage of drinking water and power. This year bamboo crop has been destroyed there and it has created a situation of starvation. Government should pay special attention towards the development of Mizoram. Only then the people of Mizoram can join themselves in the mainstream of the nation.

More funds should be provided for the expansion of education so that the people may understand the importance of democracy.

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : जनता सरकार अपने एक वर्ष के शासन काल में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक ठोस नीति नहीं बना पाई है । खेद की बात है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश से मिलाने के लिए कांग्रेस सरकार ने जो प्रयास किये थे उनमें जनता सरकार के एक साल के शासन काल के दौरान शिथिलता आई है ।

जनता सरकार ने श्री लालडेंगा से बातचीत की किन्तु देश को पता नहीं चला कि क्या बातचीत हुई । उन्हें सभा तथा देशवासियों को बताना चाहिए था कि किस तरह की बातचीत हुई । मिजोरम के बारे में जनता सरकार को अपनी स्पष्ट नीति बनानी चाहिए ।

काफी लम्बे समय मिजोरम में चुनाव नहीं हुए हैं । किन्तु केन्द्रीय सरकार के एक वर्ष के अन्दर जनता सरकार वहां एक निर्वाचित सरकार की स्थापना नहीं कर पाई है । 1978 का वर्ष भुखमरी का वर्ष रहा है । वहां के लोगों के प्रतिनिधि न होने के कारण वहां भुखमरी राहत कार्य में सहायता नहीं दी गई है ।

हमें स्पष्ट रूप से यह बात समझ लेनी चाहिए कि पूर्वोत्तर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां अभी भी लोगों में शेष देश के साथ मिलने की भावना की समस्या है । हमें उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना है । जनता सरकार की अपनी ठोस नीति न होने के कारण मिजोरम के लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने में विलम्ब हो रहा है ।

पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याएं सर्वविदित हैं । वहां की एक समस्या संचार व्यवस्था का न होना है । दूसरी समस्या वहां के लोगो को जीवन यापन के लिए कोई अन्य विकल्प देने का है । इस पर्वतीय क्षेत्र में पहले धन व्यय किया गया था । किन्तु प्रश्न तो उस धन के सदुपयोग का है, जिससे कि वहां के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो । दुर्भाग्य से हमारा यह अनुभव रहा है कि धन का सही उपयोग नहीं किया गया । जब सरकार वहां धन व्यय कर रही है तो वहां के लोगो के मन में यह भावना पैदा की जाना चाहिए कि उन्हें विकास कार्य में लगाया जा रहा है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जनता सरकार को एक ठोस नीति बनानी चाहिएं । समस्या केवल आर्थिक ही नहीं है बल्कि राजनीतिक तथा भावनात्मक भी है । उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में मिलाने की मुख्य समस्या है ।

Shri Brij Bhushan Tiwari (Khalilabad): Due to the indifference attitude of the previous Government the North-Eastern borders have remained weak and sensitive. During the last 30 years this part of the country was not linked with the rest of the country. The allocations made in the Budget shows the alertness of Janata Party regarding the local problems. It is necessary to construct roads, develop small scale industries, and agriculture and to protect the forest wealth.

All these efforts are necessary for the unity of the country. We will have to develop the border areas so as to create confidence among the people of those areas.

I hope that Government will hold elections there at an early date.

Shri H. L. Patwari (Mangaldoi): It is wrong to blame the Janata Government. If attention had been paid towards Mizoram earlier, these problems might not have been there.

The problem of Mizoram is complecated but it can be solved. We can again open negotiations with Laldenga.

We should try to improve the economy of Mizoram on the basis of the local products. They should be developed.

A woman's team should be organised there. They can do more service in Mizoram as well as Naga land. The people of these areas are nationalists and if they are treated well the problem can be solved easily.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानौर): सत्ता में आने से पहले जनता पार्टी का कहना था कि हम राष्ट्रपति शासन लागू करने के पक्ष में नहीं हैं और आवश्यक ही हुआ तो वह लम्बे समय तक के लिए नहीं होगा । इस मामले उसके सत्ता में आते ही वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और इसे फिर एक बार बढ़ाया गया है । मिजोरम के निर्वाचित प्रतिनिधि वहां के लोगों की समस्या पर चर्चा कर उसका हल निकालें । मंत्री महोदय हमें स्पष्ट आश्वासन दें कि वहां शीघ्र चुनाव होंगे और राष्ट्रपति शासन को और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा ।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : कुछ सदस्यों ने जबकि मिजोरम के बारे में जनता सरकार की आलोचना की है, पर जहां तक बजट प्रावधानी का प्रश्न है, असन्तोष नहीं है । हो भी नहीं सकता था क्योंकि हमने प्रावधान करने में पर्याप्त सावधानी बरती है । हमने योजना प्रावधान को 11.37 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 16.65 करोड़ रुपये कर दिया है । यह प्रावधान उन्हीं मदों के लिए है जिन पर सदस्यों ने जोर डाला है ।

इसमें सन्देह नहीं कि सरकार उस क्षेत्र में शान्ति को सर्वाधिक महत्व देती है । हम उस क्षेत्र के विकास के लिए सर्वाधिक सहायता देंगे ।

[श्री एच० एम० पटेल]

कृषि में वहां की सबसे बड़ी बुराई चलती फिरती खेती है। इसे रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मिजोरम प्रशासन चाहता है कि अगले 5-6 वर्षों में 50 प्रतिशत झूमिया खेती करने वालों को स्थायी रूप में बसा दिया जाए। चलती फिरती को कम करने के लिए भूमि को कृषि योग्य बनाया जा रहा है। वन सम्पदा की भी रक्षा की जा रही है।

अदरक की खेती का उल्लेख किया गया है। एन० ए० एफ० ई० जो० से अदरक 90 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने को कहा गया है जबकि बाजार मूल्य 70 रु० है। यह व्यवस्था स्थानीय लोगों को सहायता देने के लिए की गई है।

अकाल की स्थिति में राहत कार्य करने के लिए हमने एक उच्च स्तरीय दल वहां भेजा था और इसकी सभी सिफारिशों को मान लिया गया है। समूचे मिजोरम में उचित दर दुकानों को पर्याप्त खाद्यान्न देना सुनिश्चित किया गया है तथा चालू वर्ष में 1.28 करोड़ और अगले वर्ष के लिए 1 करोड़ रुपया रोजगार प्रधान योजनाओं के लिए दिए गये हैं।

ग्रामीण जल सप्लाई का उल्लेख किया गया है। 1978-79 के बजट में जल सप्लाई योजना ओं के लिए 83 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। चालू वर्ष में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं के पूरा हो जाने से 64,000 लोगों को पीने का पानी सप्लाई होने लगेगा।

हम यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं कि स्थानीय लोगों के आर्थिक हितों की पूरी तरह रक्षा की जाय।

भूमि सुधार का भी उल्लेख किया गया है। हम भूमि सुधार तथा बड़े पैमाने पर क्षेत्र विकास का काम भी कर रहे हैं।

श्री धीरेन्द्र बसु (कटवा) : वहां शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं के लिए कितने धन की व्यवस्था की गई है? विदेशी मिशनरियां वहां शिक्षा का विस्तार कर रहे हैं जबकि हम वहां के लोगो को हिन्दी नहीं सिखा सकते।

श्री एच० एम० पटेल : अभी श्री बसु ने कहा कि विदेशी मिशनरियों की मिजोरम में कार्य करने दिया जा रहा है। विदेशी अधिनियम के अन्तगत मिजोरम को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है और इसलिए कोई भी विदेशी बिना सरकारी अनुमति के वहां प्रवेश नहीं कर सकता। वहां शिक्षा के विस्तार के लिए भी व्यापक कदम उठाय गए हैं। वहां यथा संभव शीघ्र चुनाव कराये जायेंगे। वहां अभी सामान्य स्थिति चल रही है।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मिजोरम के सदस्य ने कहा है कि हाल ही में सुरक्षा दल के लोगों ने वहां अत्याचार किए हैं। क्या मंत्री जी इन अत्याचारों की जांच के लिए वहां कोई संसदीय दल भेजेंगे ?

श्री एच० एम० पटेल : संसदीय दल भेजने से वहां और संकट उत्पन्न होगा।

लेखानुदानों की मांगे (मिजोरम)
DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (MIZORAM)

अध्यक्ष महोदय द्वारा मिजोरम की वर्ष 1978-79 की निम्नलिखित लेखानुदानों की मांगे मतदान के लिए रखी गई और स्वीकृत हुईं:—

The following Demands for Grants on Account in respect of Mizoram for the year 1978-79 were put and adopted :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
(1)	(2)	(3)	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	विधान मण्डल . .	5,02,000	..
2	प्रशासक . . .	35,000	
3	मंत्री परिषद् . . .	2,12.000	..
4	न्याय प्रशासन . . .	4,00,000	..
5	निर्वाचन . . .	3,19,000	..
6	राजस्व	14,37,000	..
7	वाहनों पर कर . . .	62,000	..
8	सचिवालय . .	26,85,000	..
9	जिला प्रशासन . . .	35,46,000	
10	राजकोष और लेखा प्रशासन . .	5,06,000	
11	पुलिस . . .	1,10,42,000	..
12	जेल	8,72,000	..
13	पूर्ति और निपटान . . .	15,13,000	..
14	लेखन सामग्री और मुद्रण . .	2,46,000	..
15	लोक निर्माण . . .	72,77,000	30,69,000
16	आग से बचाव और नियंत्रण . .	4,39,000	..
17	अन्य प्रशासनिक सेवाएं . .	33,98,000	..
18	सेवा निवृत्ति लाभ . . .	1,48,000	..
19	शिक्षा	2,16,43,000	..
20	चिकित्सा . . .	62,65,000	..
21	लोक स्वास्थ्य . . .	55,37,000	31,47,000
22	आवास	17,29,000	33,33,000
23	नगर विकास . . .	4,17,000	..
24	सूचना और प्रचार . . .	7,71,000	..
25	श्रम और रोजगार . . .	4,22,000	..
26	समाज सुरक्षा और कल्याण . .	47,47,000	8,12,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
(1)	(2)	(3)	
27	दैवा विपत्तियों के कारण राहत .	56,08,000	..
28	सहकारिता . . .	8,95,000	26,27,000
29	विशेष और पिछड़े क्षेत्र	87,17,000	7,46,000
30	विविध आर्थिक सेवाएं .	5,25,000	..
31	कृषि	1,66,86,000	12,58,000
32	खाद्य और पोषाहार .	15,82,000	2,66,62,000
33	पशुपालन .	37,88,000	2,08,000
34	मीन उद्योग .	4,80,000	..
35	वन	33,42,000	..
36	सामुदायिक विकास .	41,93,000	..
37	उद्योग	37,85,000	9,17,000
38	विद्युत .	31,35,000	62,50,000
39	सड़कें और पुल .	3,34,85,000	1,37,21,000
40	सड़क और जल परिवहन .	22,43,000	6,25,000
41	सरकारी कर्मचारियों को उधार .	..	18,16,000

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (मिजोरम) 1977-78
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (MIZORAM) 1977-78

अध्यक्ष महोदय द्वारा मिजोरम की वर्ष 1977–78 की निम्नलिखित अनुदानों की अनुपूरक मांगे मतदान के लिए रखी गई और स्वीकृत हुई :—

The following Supplementary Demands for Grants in respect of Mizoram for the year 1977-78 were put and adopted :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	4
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
4	न्याय प्रशासन	3,99,000	..
5	निर्वाचन . . .	1,72,000	..
8	स्टाम्प और पंजीकरण . . .	4,000	..

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
(1)	(2)	(3)	
		राज्यस्व रुपये	पुंजी रुपये
11	वाहनों पर कर	30,000	
13	सचिवालय सामान्य सेवाएं, सचिवालय सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं, सचिवालय आर्थिक सेवाएं	6,00,000	
14	जिला प्रशासन . . .	11,50,000	
16	पुलिस	12,00,000	
17	जेलें	5,42,000	
19	लेखनसामग्री और छपाई . . .	30,000	
20	लोक निर्माण कार्य	2,00,000	4,00,000
21	आग से बचाव और नियंत्रण . . .	65,000	
22	अन्य प्रशासनकि सेवाएं . . .	16,76,000	
23	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ . .	2,44,000	
24	शिक्षा, कला और संस्कृति . . .	86,10,000	
25	चिकित्सा और परिवार नियोजन . .	58,000	
26	लोक स्वास्थ्य, सफाई और जलपूर्ति . .	26,27,000	
31	समाज सुरक्षा और कल्याण . . .	45,000	
32	दैवी विपत्तियों के संबंध में सहायता . .	68,04,000	..
34	सहकारिता . . .	..	34,50,000
35	विशेष और पिछड़े क्षेत्र . . .	1,14,000	13,37,000
36	अन्य आर्थिक सेवाएं . . .	1,90,000	..
37	कृषि और लघु सिंचाई . . .	56,22,000	25,00,000
40	पशुपालन, डेरी और दुग्ध पूर्ति . .	5,39,000	..
42	वन	2,00,000	
43	सामुदायिक विकास . . .	43,88,000	..
44	ग्राम और लघु उद्योगों सहित उद्योग . .	3,49,000	6,00,000
46	विद्युत परियोजनाए . . .	5,00,000	..
47	सड़कें और पुल	63,68,000	5,00,000
51	सरकारी कर्मचारियों को ऋण . .	..	5,96,000
52	सहायता सामग्री और उपस्कर . .	4,64,000	..

मिजोरम विनियोग (लेखानुदान, विधेयक, 1978)
MIZORAM APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1978.

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1978-79 के एक भाग की सेवाओं के लिये मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1978-79 के एक भाग की सेवाओं के लिए मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री एच० एम० पटेल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1978-79 के एक भाग की सेवाओं के लिए मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"वित्तीय वर्ष 1978-79 के एक भाग की सेवाओं के लिये मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, 3, 1 अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 2, 3, 1, अनुसूची, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 2, 3 and 1, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

मिजोरम विनियोग विधेयक, 1978

MIZORAM APPROPRIATION BILL, 1978

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1977-78 की सेवाओं के लिये मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रश्न यह है :

"कि वित्तिय वर्ष 1977-78 की सेवाओं के लिए मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधी में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग कों प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

श्री एच० एम० पटेल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1977-78 की सेवाओं के लिए मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1977-78 की सेवाओं के लिए मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधी में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्रीधिकृत करनेवाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2, 3,1 अनुसूची, अधिनियमन सूत्र, विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

खंड 2, 3, 1 अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 2, 3 and 1, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) विधेयक
HIGH DENOMINATION BANK NOTES (DEMONETISATION) BILL

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि लोक हित में कतिपय उच्च मूल्य बैंक नोटों के विमुद्रीकरण और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई कि उच्च मूल्य के बैंक नोटों का उपयोग गैर कानूनी ढंग से मुद्रा के अन्तरण और वित्तीय लेनदेन के लिए किया जा रहा है जो कि देश की अर्थ व्यवस्था के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। इसलिय जनहित में यह आवश्यक समझा गया कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले एक हजार, पांच हजार तथा 10 हजार के नोटों का तत्काल विमुद्रीकरण कर दिया जाय।

चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था, इसलिए राष्ट्रपति ने 16 जनवरी, 1978 को एक अध्यादेश जारी कर दिया। इस विधेयक का उदेश्य उस अध्यादेश का स्थान लेना है।

रिजर्व बैंक द्वारा पेश किए गए अन्तिम आंकड़ों के अनुसार 16 जनवरी, 1978 को 13,05,899 उच्च मूल्य के नोट प्रचलन में थे, जिनकी कुल मूल्य 145.42 करोड़ रुपये था। इनमें 1 हजार रुपये के 12.69 लाख नोट, 5 हजार रुपये के 36,287 नोट तथा 396 दस हजार रुपये के नोट सम्मिलित है।

इस विधेयक में उच्च मूल्य के नोटों को बदलने के लिए उपबन्ध किया गया है। ऊंचे मूल्य के नोटों को बदलने के लिए 19 जनवरी, 1978 तक कार्यवाही कर दी जानी चाहिए। गलत विवरण देने के लिए विधेयक में दंड देने का उपबन्ध किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि लोकहित में कतिपय उच्च मूल्य बैंक नोटों के विमुद्रीकरण और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

Shri Hukum Dev Narayan Yadav (Madhubani) : I move :

"That Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion there on by the 26th June, 1978".

Shri Ram Kishan (Bharatpur) : I move :

"That the Bill to provide in the public interest for the demonetisation of certain high denomination bank notes and for matters connected therewith or incidental thereto, be referred to a select committee, consisting of 5 members, namely :—

(1) Shri S. S. Das
(2) Shri H. M. Patel
(3) Shri Meethalal Patel
(4) Shri Bhanu Kumar Shastri and
(5) Shri Ram Kishan

with instructions to report by the 22nd June, 1978."

Shri Yuvraj (Katihar) : I move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 9th May, 1978".

Shri Hukum Deo Narain Yadav : The Government should find out the amount of demonetised currency notes which have not been deposited in the Reserve Bank till 19th March. Whether the Reserve Bank maintain any account of currency notes of higher denomination. The Government should also find out names of political parties and individuals who have not deposited those notes. In case it is not done, mere demonetisation will not serve any purpose.

The black money is not hidden behind the demonetised notes of higher denomination. It is rupee one hundred note which is hiding the black money.

[Shri Hukam Deo Narain Yadav]

The Government should come forward to unearth the black money in the shape of Rupee hundred notes. We will have to take some more measures to unearth the black money. The Government should direct the capitalists to declare the amount of money in their possession within one or two months or invest the same in some factory. We should find out the name of persons or political parties possessing these notes.

Black money is the main source of corruption. The Government should take strict measures to deal with the black money.

Shri Ram Kishan: The Government has no doubt taken a very effective step. The Wanchoo Committee estimated the circulation of black money to the tune of about Rs. 80 billion. If this estimate is correct, it must be multiplying with the passage of time. The Government cannot take effective steps till there is a parallel economy. The demonetisation of Rs. one hundred note will be an effective step in this direction.

This is a ripe time to counter the minace of black money.

श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य (उलूबेरिया) : वित्त मंत्री यह विधेयक इस लिये लाये हैं कि चोर-बाजारी की समानान्तर अर्थव्यवस्था को रोक जाये । अब दस हजार और एक हजार के मूल्य के नोटों का चलन बंद कर दिया गया है। इससे लगभग 150 करोड़ रुपया जब्त किया जा चुका है। इससे यह समस्या पूर्णतः हल नही हुई है।

पता चला है कि मंत्री महोदय ने इस अध्यादेश को पास करने से पहले ही कलकत्ते के चोर-बाजारी करने वाले लोगों को इसका पता लग गया था और उन्होंने पहले से ही काफी एहातियत बरत ली थी और ये नोट गरीबों को देकर उनसे बदलने के लिये कह दिया था। अतः वे सब बच गये हैं ।

ऐसे अनेक लोग जिनके पास इन नोटों में काला धन जमा था, दुबई चले गये और वहां सामान खरीदकर फिर भारत आ गये हैं। हम उन्हें रोक नहीं पाये हैं।

हमें ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये ताकि हमारी अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। जनता के समर्थन के बिना एसे कदम उठाने से समस्या का पूरा समाधान नही हो सकता ।

श्री सी० एस० विश्वनाथन् (तिरुपत्तूर) : यह अध्यादेश 16 जनवरी, 1978 को लागू किया गया था। हमें यह देखना होगा कि विमद्रीकरण से हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है तथा हमारी मुद्रा के प्रचलन पर क्या प्रभाव पड़ा है और इसके वास्तविक आंकड़े क्या हैं ?

दिये गये आंकड़ों के अनुसार 140 करोड़ रुपये के उच्च मूल्य वाले नोट प्रचलन में थे जो प्रचलन की कुल मुद्रा का 2 प्रतिशत भाग है। इनमें से 125 करोड़ रुपये के मूल्य के नोट बदलने के लिये लाये गये थे और 150 करोड़ रुपये के मूल्य के नोटों का कोई हिसाब ही नहीं है। अतः यह कदम कोई प्रभावशाली कदम सिद्ध नही होगा।

यह भी सुनिश्चित किया जाये कि 100 रुपये के नोटों का भी विमुद्रीकरण किया जाये तभी काले धन पर रोक लगाई जा सकती है जो हमारे देश में समानान्तर, अर्थव्यवस्था के रुप में चल रहा है ।

नोटों के बदलने का समय बढाने से बड़े बड़े गुहों को अपने नोट बदलवाने का समय मिल गया। इससे केवल 50 करोड़ रुपये वाले नोट नहीं बदले जा सके ।

Shri Yuvraj (Katihar) : The currency notes of the value of Rs. 500 and above were demonetised in 1956 also which too could not eradicate the evil of black money. Now this is the second time of demonetisation. We welcomed Wanchoo Committee report but how far could we implement the same. The black money is multiplying with the passage of time. The Government should change its economic policy so that measures like demonetisation could prove to the steps in the right direction.

So for as there is deficit financing, rising prices, profiteering and smuggling such measures will not prove to the effective.

श्री वयालार रवि (चिरचिंकिल) : यदि इस विधेयक को पुरःस्थापित करते समय ईमानदारी दिखाई जाती तो इसका स्वागत होता सरकार यह भले ही कह कि वह काले धन पर रोक लगाना चाहती है, लेकिन इस कदम से काले धन की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सकता । इसे चुनावों के समय चुनाव अभियान के रूप में ही लाया गया था।

विमुद्रीकरण का सम्पूर्ण उद्देश्य काले धन पर प्रतिबन्ध लगाना होना चाहिए काला धन हमारे देश में बहुत प्रचलन में है। इससे आर्थिक गतिविधि चल रही है। सरकार की यह नीति होनी चाहिए जिससे उन खामियों को दूर किया जाये जो काले धन के प्रचलना उसके विस्तार और निवेश में सहायक होती है। लेकिन सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है न बजट में है और ना ही अन्यत्र है ।

यह आरोप लगाया गया है कि विमुद्रीकरण की खबरें पहले जनता तक पहुंच गई थी और अनेक लोगों ने विमुद्रीकरण के उदेश्य को विफल करने का प्रयास किया । ऐसे भी समाचार मिले हैं कि कलकत्ता और बम्बई के बहुत से बैंकों के प्रबन्धकों ने गलत तरीके अपनाकर चालाकी से नोट बदले। यदि ऐसा हुआ है तो यह गम्भीर मामला है ।

काला धन पर रोक लगाने का एक ही तरीका है कि 100 रुपये के मूल्य वाले नोटों का विमुद्रीकरण किया जाये । इसी तरीके से इस समस्या का समाधान हो सकता है। मंत्री महोदय को काले धन के प्रसार विस्तार और कुप्रबन्ध पर रोक लगाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री के० लक्कप्पा (तुमकुर) : उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) विधेयक व्यापक विधेयक नहीं है। यह विमुद्रीकरण चुनावों से पहले राजनीतिक उद्देश्य को लेकर किया गया है। हम बहुत समय से वांचू समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों और निष्कर्षों को कार्यान्वित करने के लिए कहते आ रहे है। यदि यह उसी समय किया जाता तो हम इसकी भूरि भूरि प्रशंसा करते।

[श्री के० लक्कप्पा]

काले धन को जमा करने वाले और प्रसार करने वाले बहुराष्ट्रिकों के कार्य चालन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मंत्री महोदय ने इस सम्पूर्ण व्यवस्था को सशक्त करने और इसे पुनर्गठित करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई है। इस व्यवस्था से सट्टेबाजों को बहुत लाभ हो रहा है।

प्रचलन में चल रहे काले धन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए हमें ईमानदारी से वांचू समिति की सिफारिशों की लागू करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सभी गैर-सरकारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये और इन प्राइवेट बैंकों, चिट फंटों आदि के सभी चैयरमैनों को अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाई जाये। इस सम्पूर्ण व्यवस्था में सुधार किया जाये इसका पुनर्गठन किया जाये। यदि जनता सरकार प्रगतिशील नीति बनाने के पक्ष से है तो उसे काले धन और इसके प्रचलन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए एक व्यापक विधेयक लाया जाये।

श्री एच० एम० पटेल : मुझे यह देख कर खुशी हुई है कि इस विधेयक का सभी पक्षों ने समर्थन किया है अन्य देशों में किए गये विमुद्रीकरण का उल्लेख किया गया है। यहां इसका बिलकुल भिन्न उदेश्य है। वहां विमूद्रीकरण इसलिये किया गया था कि वहां मुद्रास्फीति बहुत हो गई थी। और वह लोग अपने धन का मूल्य कम करना चाहते थे। यहां हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि क्या धन वैध रुप से जमा किया गया है या कि उस पर आयकर का भुगतान किया गया है अथवा नहीं।

16 जनवरी, 1978 को देश में परिचालित नोटों की कुल संख्या 8,543 करोड़ रुपये थी। लेकिन जितनी मुद्रा देश में चल रही थी यह तो उसका 2 प्रतिशत भी नहीं बैठता। उच्च मूल्य के नोटों का कुल मूल्य 145.2 करोड़ रुपये था। इतनी अधिक मुद्रा स्पष्ट है कि काला धन ही था जिसका उदेश्य विधेयक में वर्णित उेश्य से पृथक नहीं।

हमारा उद्देश्य राजनीतिक न होकर काले धन को रोकना हो था। नेपाल के राष्ट्रीय बैंक द्वारा घोषित उच्च मूल्य नोटों का मूल्य 40,000 रुपये था। भूटान सरकार ने 2.79 लाख रुपये मूल्य के नोटों की घोषणा की। अतः स्पष्ट है कि देश के बाहर 1000 रु० के नोटों की संख्या अधिक न थी।

यदि अधिकारियों द्वारा कोई गड़बड़ की गई है तो जरा भी भनक पड़ने पर भी उनकी जांच आयकर विभाग द्वारा की जायेगी। बड़ी राशियों वाले अनेक विवरणों की जांच हो रही है। हमारा प्रयास सफल रहा है।

Shri Hukamdeo Narain Yadav (Madhubani): I withdraw my amendment by leave of the House.

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

(The amendment was, by leave withdrawn)

Shri Ram Kishan (Bharatpur): I withdraw my amendment by leave of the House.

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।
The amendment was, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री युवराज का संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक हित में कतिपय उच्च मूल्य बैंक नोटों के विमुद्रीकरण और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 15 विधेयक के अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

खंड 2 से 15 विधेयक में जोड़े गये
Clauses 2 to 15 were added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

अनुसूची को विधेयक में जोड़ा गया
The Schedule was added to the Bill.

खंड 1, अधिनियमन सूत्र प्रस्तावना और विधेयक के नाम को विधेयक में जोड़ा गया
Clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि विधेयक पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

हिन्दुस्थान ट्रैक्टर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) विधेयक

HINDUSTAN TRACTORS LIMITED (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL

The Minister of Industries (Shri George Fernandes): Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for the acquisition and transfer of the undertakings of Hindustan Tractors Limited, Vishwamitri, Vadodra, for the purpose of ensuring the continuity of production of goods which are vital to meet the needs of the general public and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration."

There is not much scope for discussion on this Bill. Government had taken over Hindustan tractors Limited, Vadodra under IDR Act. Gujarat Agro Industries Corporation is running this undertaking and for the first time this undertaking has been able to wipe out the losses and it is expected to earn profit this year. The future of this company appears to be bright. Just five years back the turnover of this company was 2 crores whereas now it is more than 8 crores. After 5 years this turnover is expected to be 23 crores. The Government has decided to nationalize this company.

The nationalisation of this unit has been proposed by the Gujarat Government. This proposal has been accepted by Central Government because it is considered to be in the interest of the country, in the interest of production and also in the interest of the workers.

It is a common apprehension in regard to private undertakings which are controlled by a family or group. There is also a thinking that capital invested also belonged to that family or group. But the fact is otherwise, Majority of the capital belonged to public sector institutions. In case of this company, which is connected with a family, only 17 per cent of the capital belonged to that family and 83 per cent belonged to public sector institutions like L.I.C. and U.T.I. etc. Whenever a company is taken over it is thought as it the Government is doing injustice to a family or a group. But the real position is different as is clear from the capital invested in this company.

I think it is a bill of very non-controversial nature and should be unanimously passed by the House.

अध्यक्ष महोदय : "जन साधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यावश्यक माल का उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड, विश्वमित्री, बदोदरा के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

कुछ सदस्यों ने संशोधनों सम्बन्धी सूचनायें दी है । जो अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते है, वह अभी कर दें ।

श्री हुकमदेव नारायण यादव (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर राय जानने हेतु 15 जून, 1978 तक परिचालित किया जाये ।"

डा० वसंत कुमार पंडित (राजगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उसपर राय जानने हेत 15 जुलाई, 1978, तक परिचालित किया जाये।"

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उसपर राय जानने हेतु 30 जून, 1978 तक परिचालित किया जाये।"

Shri Sangata Rai (Barrachpur): I rise to support the Bill. According to the old accepted practice as and when a company is taken over by the Government, its management is looked after by the Central Government who appoints its own directors. But the management of this company is being interested to the Gujarat Government. There is therefore enough room for apprehension that it is being done for political reasons.

The owners of the sick unit have got their compensation but the small creditors of such units are finding it difficult to get their money back. So I will request the Minister to look into it.

My other submission is that as and when a decision to takeover a particular sick unit is taken, it must be borne in mind that the unit is taken for economic considerations only and not for political considerations. The employment potential of that unit should also be taken into account.

Lastly, I would like to Congratulate the Minister for bringing forward this Bill and I also intend my whole-hearted support to the Bill.

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री सभा की कार्यवाही के बारे में वक्तव्य देना चाहते है।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : आप की अनुमती से मैं कल तथा परसों की सदन की कार्यवाही के बारे में एक दो सुझाव देना चाहता हूं। कल के स्थगन प्रस्ताव पर लगभग 2 घंटे का समय लग जायेगा। अतः कल की कार्यवाही सूची के अनुसार जिन विधेयकों पर विचार किया जाना है, उनके बारे में चर्चा करने का समय और बढा दिया जाये। गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर कल विचार लिया जायेगा। अनुदानों की मांगों पर सोमवार को विचार किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या सदन यह सुझाव स्वीकार करती है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

डा० वसंत कुमार पंडित : मैं आरम्भ में ही यह स्पष्ट कर दूं कि मैं हिन्दुस्तान टैक्टर्स लिमिटेड (अर्जन तथा संस्थानों का हस्तांतरण) का विरोध नहीं करता हूं। मेरे संशोधन का सम्बन्ध विधेयक से सम्बद्ध व्यापारियों तथा छोटे शेयर होल्डरों की जमाराशि से है।

अध्यक्ष महोदय : आपका संशोधन स्थगन के बारे नहीं अपितु परिचालन के बारे में है।

Shri Vinayak Prasad Yadav : I am not against nationalisation but I am for the nationalisation. The price of tractor which was 10 to 15 thousand has now gone up to Rs. 53,000 after nationalisation. The agro-industry who was entrusted this jobs is also out to loot the farmers. So there must be some provision in the Bill, to put an end to this exploitation of farmers and to curb the growth of inefficiency and extravagance. There is absolutely no mention in the bill as to how small tractors will be made available to the farmers.

I support the Bill with the suggestion that it be circulated for ascertaining public opinion.

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 22 मार्च, 1978/1 चैत्र, 1900 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Wednesday, the 22nd March, 1978/Chaitra 1, 1900 (Saka).

भा०स०म०ना०—वि० 6—105 एल०एस०एस० (एन०डी०)/78–13-7-78— 210.